बहारे शरीअत

1 से 10

मुसन्निफ

हुज़ूर [illegible] अमजद अ़ली आज़[illegible] [illegible] [illegible]लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौ[illegible] [illegible]हम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त
दो मीनार मस्जिद
एजाज़ नगर, पुराना शहर बरेली



وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

किताब को पढ़ने से पहले

इस किताब को स्कैन करने वाले

और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम

सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये

और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

छठा हिस्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली—53
Mob:—9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (छटा हिस्सा)
मुसन्निफ	सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
ता़दाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106345
7 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअत उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ्रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आ़म पर नहीं आई काफ़ी अ़र्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअ़त मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आ़म बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअ़त उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अ़क़ाइद मुआ़मलात तहारत, नमाज़, रोज़ा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद फ़रोख़्त ,अख़लाक़,ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अ़र्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअ़त हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायादा हासिल कर सकें बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की कम्पोज़िंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की ज़ारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश वह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आ़लिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। क़ारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ् करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ़ करने के दौरान उलमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ़ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारेईन को भरपूर फ़ायदा अता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ़ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उलमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन.2010

بسم الله الرحمن الرحيم

हज का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है : –

اِنَّ اَوَّلَ بَيۡتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىۡ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۝ فِيۡهِ اٰيٰتٌ ۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبۡرٰهِيۡمَ ۚ وَ مَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَيۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَيۡهِ سَبِيۡلًا ؕ وَ مَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝

तर्जमा :–" बे शक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वह है जो मक्का में है बरकत वाला और हिदायत तमाम जहान के लिए उस में खुली हुई निशानियाँ हैं मकामे इब्राहीम और जो शख़्स उस में दाख़िल हो बा अमन है और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज है जो शख़्स रास्ते के एअ्तिबार से उसकी ताकत रखे और जो कुफ़्र करे तो अल्लाह सारे जहान से बेनियाज़ है"

और फ़रमाता है : –

وَ اَتِمُّوا الۡحَجَّ وَالۡعُمۡرَةَ لِلّٰهِ ؕ

तर्जमा :– "हज व उमरा को अल्लाह के लिए पूरा करो"।

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और फरमाया ऐ लोगो।! तुम पर हज फर्ज़ किया गया लिहाज़ा हज करो। एक शख़्स ने अर्ज़ की, क्या हर साल या रसूलल्लाह! हुजूर ने सुकूत फ़रमाया। उन्होंने तीन बार यह कलिमा कहा इरशाद फ़रमाया अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर वाजिब हो जाता और तुम से न हो सकता फ़िर फ़रमाया जब तक मैं किसी बात को बयान न करूँ तुम मुझसे सवाल न करो अगले लोग सवाल की ज़्यादती और फिर अम्बिया की मुख़ालफ़त से हलाक हुए लिहाज़ा जब मैं किसी बात का हुक्म दूँ तो जहाँ तक हो सके उसे करो और जब मैं किसी बात से मना करूँ तो उसे छोड़ दो।

हदीस न.2 :– सहीहैन में उन्हीं से मरवी हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई कौन अमल अफ़ज़ल है। फरमाया अल्लाह और रसूल पर ईमान, अर्ज़ की गई, फिर क्या? फ़रमाया हज्जे मबरूर यअ्नी मकबूल हज।

हदीस न.3 :– बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा उन्हीं से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहिं वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने हज किया और रफ़स(फ़हश कलाम) न किया और फ़िस्क़ न किया तो गुनाहों से पाक हो कर ऐसा लौटा जैसे उस दिन कि माँ के पेट से पैदा हुआ।

हदीस न.4 :– बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा उन्हीं से रावी उमरा से उमरा तक उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो दरमियान में हुए और हज्जे मबरूर का सवाब जन्नत ही है।

हदीस न.5 :– मुस्लिम व इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैरहुमा अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज उन गुनाहों को दफ़ा कर देता है जो पेशतर (पहले) हुए हैं।

हदीस न.6 व 7 :– इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज कमज़ोरों के लिए जिहाद है। और उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से इब्ने माजा ने रिवायत की कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! औरतों पर जिहाद ? फ़रमाया उनके ज़िम्मे वह जिहाद है जिसमें लड़ना नहीं। हज व उमरा और सहीहैन में उन्हीं से मरवी कि फ़रमाया तुम्हारा जिहाद हज है।

हदीस न.8 :– तिर्मिज़ी व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हज व उमरा मुहताजी और गुनाहों को ऐसे दूर करते हैं जैसे भट्टी लोहे और चाँदी और सोने के मैल को दूर करती है और हज्जे मबरूर का सवाब जन्नत ही है।

हदीस न.9 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा वग़ैराहुमा इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रमज़ान में उमरा मेरे साथ हज के बराबर है।

हदीस न.10 :– बज़्ज़ार ने अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाजी अपने घर वालों में से चार सौ की शफ़ाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जायेगा जैसे उस दिन कि माँ के पेट से पैदा हुआ।

हदीस न.11व12 :– बैहक़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि मैंने अबू क़ासिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना जो ख़ानए कअ्बा के क़स्द से आया और ऊँट पर सवार हुआ तो ऊँट जो क़दम अठाता और रखता है अल्लाह तआला उसके बदले उसके लिए नेकी लिखता है और ख़ता को मिटाता है और दरजे बलन्द फ़रमाता है। यहाँ तक कि जब कअ्बा मुअज़्ज़मा के पास पहुँचा और तवाफ़ किया और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की फिर सर मुंडाया या बाल कतरवाये तो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे उस दिन कि माँ के पेट से पैदा हुआ। और उसी के मिस्ल अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी।

हदीस न.13 :– इब्ने खुज़ैमा व हाकिम इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मक्के से पैदल हज को जाये यहाँ तक कि मक्का वापस आये उसके लिए हर क़दम पर सात सौ नेकियाँ हरम शरीफ़ की नेकियों के मिस्ल लिखी जायेंगी, कहा गया हरम की नेकियों की क्या मिक़्दार है फ़रमाया हर नेकी लाख नेकी है तो इस हिसाब से हर क़दम पर सात करोड़ नेकियाँ हुईं और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है।

दीस न.14 से 16 :– बज़्ज़ार ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज व उमरा करने वाले अल्लाह के वफ़्द हैं अल्लाह ने उन्हें बुलाया यह हाज़िर हुए इन्होंने सवाल किया उसने इन्हें दिया। उसी के मिस्ल इब्ने उमर व अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

हदीस न.17 :– बज़्ज़ार व तबरानी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है और हाजी जिस के लिए इस्तिग़फ़ार करे उसके लिए भी।

हदीस न.18 :– अस्बहानी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हज्जे फ़र्ज़ जल्द अदा करो कि क्या मअ्लूम क्या पेश आये और अबू दाऊद व दारमी की रिवायत में यूँ है जिस का हज का इरादा हो तो जल्दी करे।

हदीस न.19 :– तबरानी औसत में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ऐ अल्लाह! जब तेरे बन्दे तेरे घर की ज़्यारत को आयें तो उन्हें तू क्या अता फ़रमायेगा। फ़रमाया हर ज़ाइर का उस पर हक़ है जिसकी ज़्यारत को जाये, उनका मुझ पर यह हक़ है कि दुनिया में उन्हें आफ़ियत दूँगा और जब मुझसे मिलेंगे तो उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दूँगा।

हदीस न.20 :– तबरानी कबीर में और बज़्ज़ार इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहते हैं मैं मस्जिदे मिना में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था एक अन्सारी और एक सक़फ़ी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर सलाम अर्ज़ किया फ़िर कहा या रसूलल्लाह। हम कुछ पूछने के लिये हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुए हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया अगर तुम चाहो तो मैं बता दूँ कि क्या पूछने आये हो और अगर तुम चाहो तो मैं कुछ न कहूँ तुम्हीं सवाल करो, अर्ज़ की या रसूलल्लाहु! हमें बता दीजिए,हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया तू इसलिये हाज़िर हुआ है कि घर से निकल कर बैतुल हराम (कअ्बा शरीफ़)के इरादे से जाने को मुझसे पूछे और यह कि उसमें तेरे लिये क्या सवाब है और तवाफ़ के बअ्द दो रकअ्तें पढ़ने को और यह कि उसमें तेरे लिए क्या सवाब है और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई को और अरफ़ा की शाम के वुकूफ़ को और तेरे लिए उस में क्या सवाब है और जमार की रमी को और उसमें तेरे लिए क्या सवाब है और कुर्बानी करने को और उसमें तेरे लिए क्या सवाब है और उसके साथ तवाफ़े इफ़ाज़ा को। उस शख़्स ने अर्ज़ की क़सम है उस ज़ात की जिसने हुज़ूर को हक़ के साथ भेजा इसीलिये हाज़िर हुआ था कि इन बातों को हुज़ूर से दरयाफ़्त करूँ ,इरशाद फ़रमाया जब तू बैतुल हराम के क़स्द से घर से निकलेगा तो ऊँट के हर क़दम रखने और हर क़दम उठाने पर तेरे लिये नेकी लिखी जायेगी और तेरी ख़ता मिटा दी जायेगी और तवाफ़ के बअ्द की दो रकअ्तें ऐसी हैं जैसे औलादे इस्माईल में कोई गुलाम हो उसके आज़ाद करने का सवाब,और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई सत्तार गुलाम आज़ाद करने की मिस्ल है और अरफ़ा के दिन वुकूफ़ करने का हाल यह है कि अल्लाह तआला आसमाने दुनिया की तरफ़ ख़ास तजल्ली फ़रमाता है और तुम्हारे साथ मलाइका पर मुबाहात(फ़ख़्र)फ़रमाता है इरशाद फ़रमाता है मेरे बन्दे दूर–दूर से परागन्दा सर (बिखरे हुए बाल के साथ) मेरी रहमत के उम्मीदवार हो कर हाज़िर हुए अगर तुम्हारे गुनाह रेते की गिनती और बारिश के क़तरों और समुन्दर के झाग बराबर हों तो मैं सबको बख़्श दूँगा। मेरे बन्दो वापस जाओ तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई और उसकी जिसकी तुम शफ़ाअत करो और जमरों पर रमी करने में हर कंकरी पर एक ऐसा कबीरा गुनाह मिटा दिया जायेगा जो हलाक करने वाला है और कुर्बानी करना तेरे रब के हुज़ूर तेरे लिये ज़ख़ीरा है और सर मुंडाने में हर बाल के बदले में नेकी लिखी जायेगी और एक गुनाह मिटाया जायेगा, उसके बअ्द ख़ानए कअ्बा के तवाफ़ का यह हाल है कि तू तवाफ़ कर रहा है और तेरे लिए कुछ गुनाह नहीं एक फ़रिश्ता आयेगा और तेरे शानों के दरमियान हाथ रख कर कहेगा कि आने वाले ज़माने में अमल कर और गुज़रे हुए ज़माने में जो कुछ किया था मुआफ़ कर दिया गया।

हदीस न. 21 :– अबू यअ़ला अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो हज के लिये निकला और मर गया तो क़ियामत तक उसके लिये हज करने वाले का सवाब लिखा जायेगा और जो उ़मरा के लिये निकला और मर गया उसके लिये क़ियामत तक उ़मरा करने वाले का सवाब लिखा जायेगा और जो जिहाद में गया और मर गया उसके लिए क़ियामत तक ग़ाज़ी का सवाब लिखा जायेगा।

हदीस न.22 :– तबरानी व अबू यअ़ला व दारेक़ुतनी व बैहक़ी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो इस राह में हज या उ़मरा के लिए निकला और मर गया उस की पेशी नहीं होगी न हिसाब होगा और उस से कहा जायेगा तू जन्नत में दाख़िल हो जा।

हदीस न.23 :– तबरानी जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह घर इस्लाम के सुतूनों में से एक सुतून है फिर जिसने हज किया या उ़मरा वह अल्लाह की ज़मान (ज़िम्मे)में है,अगर मर जायेगा तो अल्लाह तआ़ला उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा और घर को वापस कर दे तो अज्र (सवाब) व ग़नीमत के साथ वापस करेगा।

हदीस न.24 व 25 :– दारमी अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसे हज करने से न ज़ाहिरी हाजत रुकावट बनी, न बादशाहे ज़ालिम, न कोई ऐसा मरज़ जो हज के लिए रोक दे फिर बग़ैर हज के मर गया तो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर इसी की मिस्ल तिर्मिज़ी ने हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

हदीस न.26 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी एक शख़्स ने अ़र्ज़ की क्या चीज़ हज को वाजिब करती है,फ़रमाया तोशा और सवारी।

हदीस न. 27 :– शरहे सुन्नत में उन्हीं से मरवी. किसी ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह ! हाजी को कैसा होना चाहिये फ़रमाया परागन्दा सर,मैला, कुचैला। दूसरे ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह ! हजका कौन सा अ़मल अफ़ज़ल है, फ़रमाया बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहना और क़ुर्बानी करना। किसी और ने अ़र्ज़ की सबील क्या है, फ़रमाया तोशा और सवारी।

हदीस न.28 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाह तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना जो मस्जिदे अक़सा से मस्जिदे हराम तक हज या उ़मरा का एहराम बाँध कर आया उसके अगले–पिछले गुनाह सब बख़्श दिये जायेंगे या उसके लिये जन्नत वाजिब होगी।

हज के मसाइल

हज नाम है एहराम बाँध कर नवीं ज़िलहिज्जा को अ़रफ़ात में ठहरने और कअ़बा शरीफ़ के तवाफ़ का, और उसके लिये एक ख़ास वक़्त मुकर्रर है कि उसमें यह अफ़आ़ल (काम)किये जायें तो हज है। सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ उसकी फ़र्ज़ियत क़तई है जो उसकी फ़र्ज़ियत का इन्कार करे काफ़िर है मगर उ़म्र में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है। (आलमगीरी, स. 139 दुर्रे मुख़्तार)

मसअ़ला :– दिखावे के लिये हज करना और माले हराम से हज को जाना हराम है। हज को

जाने के लिये जिससे इजाज़त लेना वाजिब है बग़ैर उसकी इजाज़त के जाना मकरूह है। मसलन माँ–बाप अगर उसकी ख़िदमत के मोहताज हों और माँ– बाप न हों तो दादा–दादी का भी यही हुक्म है यह हज्जे फ़र्ज़ का हुक्म है और हज्जे नफ़्ल हो तो मुतलक़न वालिदैन की इताअ़त करे। (रद्दुल मुहतार स. 140)

मसअ्ला :– लड़का ख़ूबसूरत अमरद हो तो जब तक दाढ़ी न निकले बाप उसे मना कर सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जब हज के लिए जाने पर क़ुदरत हो हज फ़ौरन फ़र्ज़ हो गया यअ्नी उसी साल में और अब देर करना गुनाह है और कुछ बर्षों तक न किया तो फ़ासिक़ है और उसकी गवाही मरदूद मगर जब करेगा अदा ही है क़ज़ा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स. 140)

मसअ्ला :– माल मौजूद था और हज न किया फिर वह माल तल्फ़ (बर्बाद)हो गया तो क़र्ज़ लेकर जाये अगर्चे जानता हो कि यह क़र्ज़ अदा न होगा मगर नियत यह हो कि अल्लाह तआ़ला क़ुदरत देगा तो अदा कर दूँगा फिर अगर अदा न हो सका और नियत अदा की थी तो उम्मीद है कि मौला तआ़ला उस पर पकड़ न फ़रमाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हज का वक़्त शव्वाल से दसवीं ज़िलहिज्जा तक है कि उससे पेशतर हज के अफ़आ़ल नहीं हो सकते सिवा एहराम के कि एहराम उससे पहले भी हो सकता है अगर्चे मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)

हज वाजिब होने के शराइत

मसअ्ला :– हज वाजिब होने की आठ शर्तें हैं जब तक वह सब न पाई जायें हज फ़र्ज़ नहीं:–
(1)इस्लाम लिहाज़ा अगर मुसलमान होने से पहले इस्तिताअ़त थी फिर फ़क़ीर हो गया तो इस्लाम लाने के बअ्द हज फ़र्ज़ न होगा कि इस्तिताअ़त थी उसका अहल न था और अब कि अहल हुआ इस्तिताअ़त नहीं और मुसलमान को अगर इस्तिताअ़त थी और हज न किया था अब फ़क़ीर हो गया तो अब भी फ़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार स. 141)

मसअ्ला हज करने के बअ्द मआ़ज़ल्लाह मुरतद हो गया फिर इस्लाम लाया तो अगर इस्तिताअ़त हो तो फिर हज करना फ़र्ज़ है कि मुरतद होने से हज वग़ैरा सब अअ्माल बातिल हो गये (आ़लमगीरी)यूँही अगर हज करते में मुरतद हो गया तो एहराम बातिल हो गया और अगर काफ़िर ने एहराम बाँधा था फिर इस्लाम लाया अगर फिर से एहराम बाँधा और हज किया तो हो गया वर्ना नहीं।

(2)दारुलहरब में हो तो वह भी ज़रूरी है कि जानता हो कि इस्लाम के फ़राइज़ में हज है लिहाज़ा जिस वक़्त इस्तिताअ़त थी यह मसअ्ला मअ्लूम न था और जब मअ्लूम हुआ उस वक़्त इस्तिताअ़त न हो तो फ़र्ज़ न हुआ और जानने का ज़रीआ़ यह है कि दो मर्दों या एक मर्द और दो औ़रतों ने जिनका फ़ासिक़ होना न ज़ाहिर हो उसे ख़बर दें और एक आ़दिल ने ख़बर दी जब भी वाजिब हो गया और दारुल इस्लाम में तो अगर्चे फ़र्ज़ होना मअ्लूम न हो फ़र्ज़ हो जायेगा कि दारुल इस्लाम में फ़राइज़ का इल्म न होना उ़ज़्र नहीं। (आलमगीरी स. 141)

(3)बालिग़ होना नाबालिग़ ने हज किया यअ्नी अपने आप जब कि समझदार हो या उस के वली ने उस की तरफ़ से एहराम बाँधा हो जब कि नासमझ हो या बहरहाल वह हज्जे नफ़्ल हुआ

हज्जतुल इस्लाम यअ्नी हज्जे फ़र्ज़ की जगह नहीं हो सकता।

मसअ्ला :– नाबालिग़ ने हज का एहराम बाँधा और अ़रफ़ात में ठहरने से पेशतर (पहले)बालिग़ हो गया तो अगर उसी पहले एहराम पर रहा तो हज्जे नफ़्ल हुआ हज़्जतुल इस्लाम न हुआ और अगर सिरे से एहराम बाँध कर वुकूफ़े अ़रफ़ा किया तो हज्जतुल इस्लाम हुआ। (आलमगीरी स. 140)

(4) आ़क़िल होना मजनून पर फ़र्ज़ नहीं।

पागल था और वक़ूफ़े अ़रफ़ा से पहले पागल पंन जाता रहा और नया एहराम बाँध कर हज किया तो यह हज हज्जतुल इस्लाम हो गया वर्ना नहीं,बोहरा यअ्नी बहुत ज़्यादा बेवक़ूफ़ मजनून के हुक्म में है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हज करने के बअ्द मजनून हुआ फिर अच्छा हुआ तो उस जुनून का हज पर कोई असर नहीं यअ्नी अब उसे दोबारा हज करने की ज़रूरत नहीं अगर एहराम के वक़्त अच्छा था फिर मजनून हो गया और उसी हालत में अफ़आ़ल अदा किए फिर बरसों के बअ्द होश में आया तो हज्जे फ़र्ज़ अदा हो गया।(मुनसक)

(5)आज़ाद होना बाँदी, ग़ुलाम पर हज फ़र्ज़ नहीं अगर्चे मुदब्बिर या मुकातिब या उम्मे वलद् हों,अगर्चे उनके मालिक ने हज करने की इजाज़त दी हो अगर्चे यह मक्का ही में हों।

मसअ्ला :– ग़ुलाम ने अपने मौला के साथ हज किया तो यह हज्जे नफ़्ल हुआ हज्जतुल इस्लाम न हुआ। आज़ाद होन के बअ्द अगर शराइत़ पाये जायेंगे तो फिर करना होगा और अगर मौला के साथ जाता था रास्ते में उसे आज़ाद कर दिया तो अगर एहराम से पहले आज़ाद हुआ अब एहराम बाँध कर हज कियां तो हज्जतुलइस्लाम अदा हो गया और एहराम बाँधने के बअ्द हुआ तो हज्जतुलइस्लाम न होगा अगर्चे नया एहराम बाँध कर हज किया हो। (आलमगीरी)

(6)तन्दुरुस्त हो कि हज को जा सके अअ्ज़ा सलामत हों,अंखियारा हो,अपाहिज और फ़ालिज वाले और जिसके पाँव कटे हों और बूढ़े पर कि सवारी पर खुद न बैठ सकता हो हज फ़र्ज़ नहीं, यूँही अन्धे पर भी वाजिब नहीं अगर्चे हाथ पकड़ कर ले चलने वाला उसे मिले इन सब पर यह भी वाजिब नहीं कि किसी को भेज कर अपनी तरफ़ से हज करा दें या फिर वसीयत कर जायें और अगर तकलीफ़ अठाकर हज कर लिया तो सही हो गया और हज्जतुल इस्लाम अदा हुआ यअ्नी इसके बअ्द अगर अअ्ज़ा दुरुस्त हो गये तो अब दोबारा हज फ़र्ज़ न होगा वही पहला हज काफ़ी है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर पहले तन्दरुस्त था और दीगर शराइत़ भी पाये जाते थे और हज न किया फिर अपाहिज वग़ैरा हो गया कि हज नहीं कर सकता तो इस पर वह हज्जे फ़र्ज़ बाक़ी है खुद न कर सके तो हज्जे बदल कराये। (आलमगीरी वग़ैरा स. 141)

(7) सफ़र ख़र्च का मालिक हो और सवारी पर क़ादिर हो ख़्वाह सवारी उसकी मिल्क हो या उसके पास इतना माल हो कि किराये पर ले सके।

मसअ्ला :– किसी ने हज के लिए उसको इतना माल मुबाह कर दिया कि हज कर ले तो हज फ़र्ज़ न हुआ कि इबाहत(यअ्नी किसी के लिए कोई चीज़ इस तरह जाइज़ करना कि वह दूसरे को

न दे सके)से मिल्क नहीं होती और फ़र्ज़ होने के लिए मिल्क दरकार है ख़्वाह मुबाह करने वाले का इस पर एहसान हो जैसे ग़ैर लोग या न हो जैसे माँ–बाप,औलाद यूँही अगर मंगनी के तौर पर सवारी मिल जायेगी जब भी फ़र्ज़ नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा स. 140)

मसअ्ला :– किसी ने हज के लिए माल हिबा किया तो क़बूल करना उस पर वाजिब नहीं देने वाला अजनबी हो या माँ बाप, औलाद वग़ैरा ,मगर क़बूल कर लेगा तो हज वाजिब हो जायेगा।(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– सफ़र–ख़र्च और सवारी पर क़ादिर होने के यह मअ्ना हैं कि यह चीज़ें उसकी हाजत से फ़ाज़िल (ज़्यादा)हों यअ्नी मकान व लिबास व ख़ादिम और सवारी का जानवर और पेशे के औज़ार और ख़ानादारी के सामान और दैन (क़र्ज़) से इतना ज़ाइद हो कि सवारी पर मक्का मुअ़ज़्ज़मा जाये और वहाँ से सवारी पर वापस आये और जाने से वापसी तक इयाल(बाल–बच्चों)का नफ़्क़ा और मकान की मरम्मत के लिए काफ़ी माल छोड़ जाये और जाने–आने में अपने नफ़्क़ा और घर अहलो इयाल के नफ़्क़े में दरमियानी मिक़दार का एअ्तिबार है न कमी हो न इसराफ़ (फ़िज़ूलख़र्ची)इयाल से मुराद वह लोग हैं जिनका नफ़्क़ा उस पर वाजिब है यह ज़रूरी नहीं कि आने के बअ्द भी वहाँ और यहाँ के ख़र्च के बअ्द कुछ बाक़ी बचे। (दुर्रे मुख़्तार, स. 143 आलमगीरी स. 140)

मसअ्ला :– सवारी से मुराद उस क़िस्म की सवारी है जो उरफ़न और आदतन उस शख़्स के हाल के मुवाफ़िक़ हो मसलन अगर मुतमव्विल(मालदार)आराम पसन्द हो तो उसके लिए शक़दफ़ (कार वग़ैरा) दरकार होगी। यूँही तोशा में उसके मुनासिब ग़िज़ायें (खाने–पीने की चीज़ें)चाहिए,मअ्मूली खाना मयस्सर आना फ़र्ज़ होने के लिए काफ़ी नहीं जबकि वह अच्छी ग़िज़ा का आदी है। (मुनसक)

मसअ्ला :– जो लोग हज को जाते हैं वह दोस्त ,अहबाब के लिए तोहफ़ा लाया करते हैं यह ज़रूरियात में नहीं यअ्नी अगर किसी के पास इतना माल है जो ज़रूरियात बताये गये उनके लिए और आने जाने के अख़राजात (ख़र्च)के लिए काफ़ी हैं मगर कुछ बचेगा नहीं कि अहबाब वग़ैरा के लिए तोहफ़ा लाये जब भी हज फ़र्ज़ है। इसकी वजह से हज न करना हराम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिसकी बसर औक़ात तिजारत पर है और इतनी हैसियत हो गई कि उसमें से जाने–आने का ख़र्च और वापसी तक बाल–बच्चों की ख़ुराक निकाल ले तो इतना बाक़ी रहेगा जिससे अपनी तिजारत ब–क़द्र अपनी गुज़र के कर सके तो हज फ़र्ज़ है वर्ना नहीं,और अगर वह काश्तकार है तो इन सब अख़राजात के बअ्द इतना बचे कि खेती के सामान हल बैल वग़ैरा के लिए काफ़ी हो तो हज फ़र्ज़ है और पेशे वालों के लिए उनके पेशे के सामान के लाइक़ बचना ज़रूरी है। (आलमगीरी स 140 ,दुर्रे मुख़्तार स 143)

मसअ्ला :– सवारी में यह भी शर्त है कि ख़ास इसके लिए हो अगर दो शख़्सो में मुश्तरक है कि बारी–बारी दोनों थोड़ी–थोड़ी दूर सवार होते हैं तो यह सवारी पर क़ुदरत नहीं और हज फ़र्ज़ नहीं, यूँहीं अगर इतनी क़ुद्‌रत है कि एक मंज़िल के लिए मसलन किराये पर जानवर ले फिर एक मंज़िल पैदल चले और इसी तरह एक मंज़िल पैदल और एक मंज़िल सवारी पर सफ़र करके मक्का मुअ़ज़्ज़मा पहुँच सकता हो तो यह सवारी पर क़ुदरत नहीं।(आलमगीरी स. 140) मगर इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई इस तरह हज करे तो उसका हज ही अदा न हो बल्कि अगर कोई पैदल ही हज करे जब भी हज्जे फ़र्ज़ अदा हो जायेगा बल्कि सिर्फ़ यह मतलब है कि अगर कोई इतनी क़ुदरत पर हज न करे तो गुनाहगार नहीं। चन्द लोगों के दरमियान गाड़ी मुश्तरक होने का

रिवाज हो तो हज फ़र्ज़ होगा इसलिए कि सवारी पर क़ुदरत हो गई। (मुनसक)
मसअ्ला :– मक्का मुअ़ज़्ज़मा से तीन दिन से कम की राह वालों के लिए सवारी शर्त नहीं अगर पैदल चल सकते हों तो उन पर हज फ़र्ज़ है अगर्चे सवारी पर क़ादिर न हों और अगर पैदल न चल सकें तो उनके लिए भी सवारी पर क़ुदरत शर्त है। (आलमगीरी स. 140 ,दुर्रे मुख़्तार स. 142)
मसअ्ला :– मीक़ात से बाहर का रहने वाला जब मीक़ात तक पहुँच जाये और पैदल चल सकता हो तो सवारी उसके लिए शर्त नहीं लिहाज़ा अगर फ़क़ीर हो जब भी उसे हज्जे फ़र्ज़ की नियत करनी चाहिए नफ़्ल की नियत करेगा तो उस पर दोबारा हज करना फ़र्ज़ होगा और मुतलक़न हज की नियत की यअ्नी फ़र्ज़ या नफ़्ल कुछ मुअय्यन न किया तो फ़र्ज़ अदा हो गया (मुनसक, रद्दुल मुहतार स.142)
मसअ्ला :– इसकी ज़रूरत नहीं कि (प्राइवेट टैक्सी या कार)(आराम की सवारियों) का किराया अदा करने की क़ुदरत रखता हो बल्कि मुश्तरक बस, वैगन या टैक्सी पर सफ़र करने की इस्तिताअ़त रखता हो तो फ़र्ज़ है इसलिए कि किराया अदा करने की क़ुदरत साबित हो गई।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– मक्का और मक्के से क़रीब वालों को सवारी की ज़रूरत हो तो ख़च्चर या गधे के किराए पर क़ादिर होने से भी सवारी पर क़ुदरत हो जायेगी अगर उस पर सवार हो सकें, ब–ख़िलाफ़ दूर वालों के कि उनके लिए ऊँट का किराया ज़रूरी है कि दूर वालों के लिए खच्चर वग़ैरा सवार होने और सामान लादने के लिए काफ़ी नहीं और यह फ़र्क़ हर जगह मलहूज़ रहना चाहिए। (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– पैदल की ताक़त हो तो पैदल हज करना अफ़ज़ल है। हदीस में है जो पैदल हज करे उसके लिए हर क़दम पर सात सौ नेकियाँ हैं। (रद्दुल मुहतार 143)
मसअ्ला :– फ़क़ीर ने पैदल हज किया फिर मालदार हो गया तो उस पर दूसरा हज नहीं।(आलमगीरी)
मसअ्ला :– इतना माल है कि उससे हज कर सकता है मगर उससे निकाह करना चाहता है तो निकाह न करे बल्कि हज करे कि हज फ़र्ज़ है यअ्नी जबकि हज का ज़माना आ गया और अगर पहले निकाह में ख़र्च कर डाला और मुजर्रद यअ्नी बग़ैर बीवी के रहने में गुनाह का ख़ौफ़ था तो हरज नहीं (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– रहने का मकान, ख़िदमत के ग़ुलाम पहनने के कपड़े और बरतने का सामान है तो हज फ़र्ज़ नहीं यअ्नी लाज़िम नहीं कि उन्हें बेच कर हज करे और अगर मकान है मगर उसमें रहता नहीं, ग़ुलाम है मगर उस से ख़िदमत नहीं लेता तो बेच कर हज करे और अगर उसके न मकान है न ग़ुलाम वग़ैरा और रुपया है जिससे हज कर सकता है मगर मकान वग़ैरा ख़रीदने का इरादा है और ख़रीदने के बअ्द हज के लाइक़ न बचेगा तो फ़र्ज़ है कि हज करे और दूसरी बातों में उठाना गुनाह है यअ्नी उस वक़्त कि शहर वाले हज को जा रहे हों और अगर पहले मकान वग़ैरा ख़रीदने में उठा दिया तो हरज नहीं। (आलमगीरी स. 140 दुर्रे मुख़्तार स.143)
मसअ्ला :– कपड़े जिन्हें इस्तेअ्माल में नहीं लाता उन्हें बेच डाले तो हज कर सकता है तो बेचे और हज करे और मकान बड़ा है जिसके एक हिस्से में रहता है बाक़ी फ़ाज़िल पड़ा है तो यह ज़रूरी नहीं कि फ़ाज़िल (ज़्यादा) को बेच कर हज करे। (आलमगीरी स. 140)
मसअ्ला :– जिस मकान में रहता हैं अगर उसे बेचकर उससे कम हैसियत का ख़रीदे तो इतना रुपया बचेगा कि हज कर ले तो बेचना ज़रूरी नहीं मगर ऐसा करे तो अफ़ज़ल है। लिहाज़ा मकान

बेचकर हज करना और किराये के मकान में गुज़र करना तो और ज़्यादा ज़रूरी नहीं।(आलमगीरी स140)

मसअ्ला :– जिसके पास साल भर के ख़र्च का ग़ल्ला हो तो यह लाज़िम नहीं कि बेच कर हज को जाये और अगर उससे ज़ाइद (ज़्यादा) है तो अगर ज़ाइद के बेचने में हज का सामान हो सकता है तो फ़र्ज़ है वर्ना नहीं। (मुनसक)

मसअ्ला :– दीनी किताबें अगर अहले इल्म के पास हैं और उसके काम में रहती हैं तो उन्हें बेचकर हज करना ज़रूरी नहीं और बेइल्म के पास हैं और इतनी हैं कि अगर बेचे तो हज कर सकेगा तो उस पर हज फ़र्ज़ है। यूँही तिब (हिकमत, डाक्टरी)व रियाज़ी (गणित)वग़ैरा की किताबें अगर्चे काम में रहतीं हों अगर बेचकर हज कर सकता है तो हज फ़र्ज़ है।(आलमगीरी स. 140,रद्दुल मुहतार स. 143)

(8)**वक़्त** यअ्नी हज के महीनों में तमाम शराइत़ पाये जायें और दूर रहने वाला हो तो जिस वक़्त वहाँ के लोग जाते हों उस वक़्त शराइत़ पाये जायें और अगर शराइत़ ऐसे वक़्त पाये गये कि अब नहीं पहुँचेगा और तेज़ी और रवा–रवी करके जाये तो पहुँच जायेगा जब भी फ़र्ज़ नहीं और यह भी ज़रूरी है कि नमाज़ें पढ़ सके और अगर इतना वक़्त है कि नमाज़ें वक़्त में पढ़ेगा तो न पहुँचेगा और न पढ़े तो पहुँच जायेगा तो फ़र्ज़ नहीं। (रद्दुल मुहतार स. 141)

वुजूबे अदा के शराइत़

यहाँ तक हज के फ़र्ज़ की शर्तों का बयान हुआ और अदा करने की शर्ते कि जब वह पाई जायें तो खुद हज को जाना ज़रूरी है और सब शर्ते न पाई जायें तो ख़ुद जाना ज़रूरी नहीं बल्कि दूसरे से हज करा सकता है या वसीयत कर जाये मगर उसमें यह भी ज़रूरी है कि हज कराने के बअ्द आख़िर उम्र तक खुद क़ादिर न हो वर्ना ख़ुद भी ज़रूरी होगा।

शराइत़ (शर्ते) यह हैं :– (1) **रास्ते में अमन** होना यअ्नी अगर ग़ालिब गुमान सलामती हो तो जाना वाजिब और ग़ालिब गुमान यह हो कि डाके वग़ैरा से जान ज़ाये हो जायेगी तो जाना ज़रूरी नहीं, जाने के ज़माने में अमन होना शर्त़ है पहले की बदअमनी क़ाबिले लिहाज़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर बदअमनी के ज़माने में इन्तिक़ाल हो गया और वुजूब के शराइत़ पाये जाते थे तो हज्जे बदल की वसीयत ज़रूरी है और अमन के होने के बअ्द इन्तिक़ाल हुआ तो और ज़्यादा वसीयत वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार स. 144)

मसअ्ला :– अगर अमन के लिए कुछ रिश्वत देना पड़े जब भी जाना वाजिब है और यह अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए मजबूर है लिहाज़ा उस देने वाले पर मुआख़ज़ा नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रास्ते में चुँगी लेते हों तो यह अमन के मनाफ़ी नहीं और न जाने के लिए उज़्र नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स. 145) यूँही टीका कि आजकल हुज्जाज को लगाये जाते हैं यह भी उज़्र नहीं। **(2)औ़रत** को मक्का तक जाने में तीन दिन या ज़्यादा का रास्ता हो तो उस के साथ शौहर या **महरम होना शर्त़** है ख़्वाह वह औ़रत जवान हो या बुढ़िया और तीन दिन से कम की राह हो तो बग़ैर महरम और शौहर के भी जा सकती है। महरम से मुराद वह मर्द है जिससे हमेशा के लिए उस औ़रत का निकाह़ हराम है ख़्वाह नसब की वजह से निकाह़ ह़राम हो जैसे बाप, बेटा भाई वग़ैरा या दूध के रिश्ते से निकाह़ की हुरमत हो जैसे रज़ाई भाई ,बाप बेटा वग़ैरा या सुसराली रिश्ते से हुरमत आई जैसे खुसर, शौहर का बेटा वग़ैरा। शौहर या महरम जिसके साथ सफ़र कर सकती है उसका आ़क़िल, बालिग, ग़ैर फ़ासिक़ होना शर्त़ है। मजनून या नाबालिग़ या फ़ासिक़ के साथ नहीं जा सकती आज़ाद या मुसलमान होना शर्त़ नहीं अलबत्ता मजूसी जिसके एअ्तिक़ाद में महरम से निकाह़ जाइज़ है उसके साथ सफ़र नहीं कर सकती, मुराहिक़ व मुराहिक़ा यअ्नी लड़का और

लड़की जो बालिग़ होने के क़रीब हों बालिग़ के हुक्म में हैं यअ्नी मुराहिक़ के साथ जा सकती है और मुराहिक़ा को भी बग़ैर महरम या शौहर के सफ़र मनअ् है। (जौहरा, आलमगीरी स 145, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत का गुलाम उसका महरम नहीं कि उसके साथ भी निकाह का हराम होना हमेशा के लिए नहीं कि अगर आज़ाद कर दे उससे निकाह कर सकती है। (जौहरा)

मसअला :– बाँदियों को बग़ैर महरम के सफ़र जाइज़ है। (जौहरा)

नोट :– इस ज़माने में फ़तवा इस पर है कि बिग़ैर महरम के बाँदी को सफ़र नाजाइज़ है–(क़ादरी)

मसअला :– अगर्चे ज़िना से हमेशा के लिए निकाह हराम हो जाता है मसलन जिस औरत से मआज़ल्लाह ज़िना किया उसकी लड़की से निकाह नहीं कर सकता मगर उस लड़की को उसके साथ सफ़र करना जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स. 145)

मसअला :– औरत बग़ैर महरम या शौहर के हज को गई तो गुनाहगार हुई मगर हज करेगी तो हज हो जायेगा। (जौहरा)

मसअला :– औरत के न शौहर है न महरम तो उस पर यह वाजिब नहीं कि हज के जाने के लिए निकाह कर ले और जब महरम है तो हज्जे फ़र्ज़ के लिए महरम के साथ जाये अगर्चे शौहर इजाज़त न देता हो नफ़्ल और मन्नत का हज हो तो शौहर को मनअ् करने का इख़्तियार है। (जौहरा)

मसअला :– महरम के साथ जाये तो उसका नफ़्क़ा औरत के ज़िम्मे है लिहाज़ा अब शर्त यह है कि अपने और उसके दोनों के नफ़्क़े पर क़ादिर हो। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

(3)जाने के ज़माने में औरत इद्दत में न हो वह इद्दत वफ़ात की हो या तलाक़ की बाइन की हो या रजई की। (4) क़ैद में न हो मगर जब किसी हक़ की वजह से क़ैद में हो और उस के अदा करने पर क़ादिर हो तो यह उज़्र नहीं और बादशाह अगर हज के जाने से रोकता हो तो यह उज़्र है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

सेहते अदा के शराइत

हज सही अदा होने के लिए नौ शर्तें हैं कि वह न पाई जायें तो हज सही नहीं–

1. **इस्लाम** : काफ़िर ने हज किया तो न हुआ। 2. **एहराम** : बग़ैर एहराम हज नहीं।

3. **ज़माना** : यअ्नी हज के लिए जो ज़माना मुक़र्रर है उससे पहले हज के काम नहीं हो सकते मसलन तवाफ़े क़ुदूम व सई कि हज के महीनों से पहले नहीं हो सकते और वुक़ूफ़े अरफ़ा नवीं के ज़वाल से पहले या दसवीं की सुबह होने के बाद नहीं हो सकता और तवाफ़े ज़्यारत दसवीं से पहले नहीं हो सकता।

4. **मकाने तवाफ़** :– यअ्नी तवाफ़ करने की जगह मस्जिदे हराम शरीफ़ है और वुक़ूफ़ के लिए अरफ़ात व मुज़दलेफ़ा, कंकरी मारने के लिए मिना, क़ुर्बानी के लिए हरम यअ्नी जिस फ़ेल के लिए जो जगह मुक़र्रर है वह वहीं होगा। 5. **तमीज़** । 6. **अक़्ल** :जिसमें तमीज़ न हो जैसे नासमझ बच्चा जिसमें अक़्ल न हो जैसे मजनून यह खुद हज़ के काम नहीं कर सकते जिन में नियत की ज़रूरत है मसलन एहराम या तवाफ़ बल्कि उनकी तरफ़ से कोई और करे और जिस फ़ेल में नियत शर्त नहीं जैसे वुक़ूफ़े अरफ़ा वह यह खुद कर सकते हैं। 7.**फ़राइज़े** हज का बजा लाना मगर जबकि उज़्र हो। 8. **एहराम** के बअ्द और वुक़ूफ़ से पहले जिमाअ् यअ्नी हमबिस्तरी न करना अगर जिमाअ् होगा तो हज बातिल हो जायेगा। **9.जिस साल एहराम बाँधा** उसी साल हज करना, लिहाज़ा अगर उस साल हज फ़ौत हो गया तो उमरा करके एहराम खोल दे और आने वाले साल नये एहराम से

हज करे और अगर एहराम न खोला बल्कि उसी एहराम से हज किया तो हज न हुआ। हज्जे फ़र्ज़ अदा होने के लिए नौ शर्तें हैं। (1) **इस्लाम** (2) **मरते** वक़्त तक इस्लाम पर ही रहना (3)**आक़िल होना**(4)**बालिग़** होना(5)**आज़ाद** होना(6)**अगर** क़ादिर हो तो ख़ुद ही अदा करना (7)**नफ़्ल** की नियत न होना **(8)दूसरे की तरफ़** से हज करने की नियत न होना **(9)फ़ासिद न करना** इसकी बहुत तफ़सील ज़िक्र हो चुकी है और कुछ आइन्दा आयेगी।

हज के फ़राइज़

मसअ्ला :– हज में यह चीज़ें फ़र्ज़ हैं 1. **एहराम** कि यह शर्त है। 2. **वुकूफ़े अरफ़ा** यअ्नी नवीं ज़िलहिज्जा के आफ़ताब ढलने से दसवीं की सुबहे सादिक़ से पहले तक किसी वक़्त अरफ़ात में ठहरना। 3. **तवाफ़े ज़्यारत** का अक्सर हिस्सा यअ्नी चार फेरे पिछली दोनों चीज़ें यअ्नी वुकूफ़ व तवाफ़ रुक्न हैं। 4. **नियत** 5. **तरतीब** यअ्नी पहले एहराम बाँधना फिर वुकूफ़ फिर तवाफ़। 6. **हर फ़र्ज़** का अपने वक़्त पर होना यअ्नी वुकूफ़ उस वक़्त होना जो ज़िक्र हुआ उस के बअ्द तवाफ़ इस का वुकूफ़ के बअ्द से आख़िर उम्र तक है। 7. **मकान** यअ्नी वुकूफ़ ज़मीने अरफ़ात में होना सिवा बत़ने उ़रना के (बत़ने उ़रना मैदाने अ़रफ़ात में या उसके क़रीब एक जगह है उसको छोड़ कर अ़रफ़ात में जहाँ चाहें ठहरे),और तवाफ़ का मकान मस्जिदे हराम शरीफ़ है। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

हज के वाजिबात

मसअ्ला :– हज के वाजिबात यह हैं (1)मीक़ात से एहराम बाँधना यअ्नी मीक़ात से बग़ैर एहराम न गुज़रना और अगर मीक़ात से पहले ही एहराम बाँध लिया तो जाइज़ है। (2)सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ना इसको सई कहते हैं।(3) सई को सफ़ा से शुरूअ् करना और अगर मरवा से शुरूअ् की तो पहला फेरा शुमार न किया जाये उसका इआदा करे यअ्नी दोबारा करे। (4) अगर उ़ज़्र न हो तो पैदल सई करना, सई का तवाफ़ के अक्सर फेरे के बअ्द यअ्नी कम अज़ कम चार फेरों के बाद होना।(5) दिन में वुकूफ़ किया तो इतनी देर तक वुकूफ़ करे कि आफ़ताब डूब जाये ख़्वाह आफ़ताब ढलते ही शुरूअ् किया हो या बाद में ग़रज़ सूरज के डूबने तक वुकूफ़ में मशग़ूल रहे और अगर रात में वुकूफ़ किया तो इसके लिए किसी ख़ास हद तक वुकूफ़ करना वाजिब नहीं मगर वह इस वाजिब का तारिक (छोड़ने वाला) हुआ कि दिन में ग़ुरूब तक वुकूफ़ करता। (6)वुकूफ़ में रात का कुछ जुज़ (हिस्सा) आ जाना। (7)अ़रफ़ात से वापसी में इमाम की मुताबअ़त (पैरवी)करना यअ्नी जब तक इमाम वहाँ से न निकले यह भी न चले हाँ अगर इमाम ने वक़्त से ताख़ीर (देर)की तो इसे इमाम के पहले चला जाना जाइज़ है और अगर भीड़ वग़ैरा किसी ज़रूरत से इमाम के चले जाने के बाद ठहर गया साथ न गया जब भी जाइज़ है।(8)मुज़दलेफ़ा में ठहरना।(9)मग़रिब व इशा की नमाज़ वक़्ते इशा में मुज़दलेफ़ा में आकर पढ़ना। (10)तीनों जमरों पर दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तीनों दिन कंकरियाँ मारना यअ्नी दसवीं को सिर्फ़ जमरतुल अ़क़बा पर और ग्यारहवीं, बारहवीं को तीनों पर रमी करना यअ्नी कंकरियाँ मारना। (11)जमरतुल अ़क़बा की रमी पहले दिन हल्क़ यअ्नी सर के बाल मुँडाने से पहले होना। (12) हर रोज़ की रमी का उसी दिन होना (13) सर मुंडाना या बाल कतरवाना (14)और उसका अय्यामे नहर यानी क़ुर्बानी के दिनों में और (15) हरम शरीफ़ में होना अगर्चे मिना में न हो। (16)क़िरान व तमत्तोअ् वाले को क़ुर्बानी करना। (17)और उस क़ुर्बानी का हरम और अय्यामे नहर में होना।(18)तवाफ़े इफ़ाज़ा का अक्सर हिस्सा अय्यामे नहर में होना। अ़रफ़ात से वापसी के बाद जो तवाफ़ किया जाता है उसका नाम तवाफ़े इफ़ाज़ा है और इसे तवाफ़े

ज़्यारत भी कहते हैं तवाफ़े ज़्यारत के अक्सर हिस्से से जितना ज़ाइद है यअ्नी तीन फेरे अय्यामे नहर के गैर में भी हो सकते हैं(19) तवाफ़ हतीम के बाहर से होना। (20) दाहिनी तरफ़ से तवाफ़ करना यअ्नी कअ्बए मुअज़्ज़मा तवाफ़ करने वाले की बाईं जानिब हो। (21) उज़्र न हो तो पाँव से चल कर तवाफ़ करना यहाँ तक कि अगर घिसिटते हुए तवाफ़ करने की मन्नत मानी जब भी तवाफ़ में पाँव से चलना लाज़िम है और तवाफ़े नफ़्ल अगर घिसिटते हुए शुरूअ् किया तो हो जायेगा मगर अफ़ज़ल यह है कि चल कर करे। (22) तवाफ़ करने में नजासते हुक्मिया से पाक होना यअ्नी जुनुब व बे–वुज़ू न होना अगर–बे वुज़ू या जनाबत में तवाफ़ किया तो दोबारा करे।(23)तवाफ़ करते वक़्त सत्र छुपा होना यअ्नी अगर एक उज़्व की चौथाई या इससे ज़्यादा हिस्सा खुला रहा तो दम(कुर्बानी)वाजिब होगा और चन्द जगह से खुला रहा तो जमा करेंगे गरज़ नमाज़ में सत्र खुलने में जहाँ नमाज़ फ़ासिद होती है यहाँ दम वाजिब होगा।(24)तवाफ़ के बअ्द दो रकअ्त नमाज़ पढ़ना न पढ़ी तो दम वाजिब नहीं।(25) कंकरियाँ फेंकने और ज़बह और सर मुंडाने और तवाफ़ में तरतीब यअ्नी पहले कंकरियाँ फेंके फिर ग़ैरे मुफ़रिद कुर्बानी करे फिर सर मुंडाए फिर तवाफ़ करे। (26) तवाफ़े सद्र यअ्नी मीक़ात से बाहर के रहने वालों के लिए रुख़सत का तवाफ़ करना, अगर हज करने वाली हैज़ या निफ़ास से है और तहारत से पहले क़ाफ़िला रवाना हो जायेगा तो उस पर तवाफ़े रुख़सत नहीं। (27) **वुकूफ़े** अरफ़ा के बअ्द सर मुंडाने तक जिमाअ् न होना (28)एहराम में मना की हुई बातें मसलन सिला कपड़ा पहनने और मुँह या सर छुपाने से बचना। **मसअ्ला** :– वजिब के तर्क से यअ्नी छोड़ने से दम लाज़िम आता है ख़्वाह क़स्दन तर्क किया हो या सहवन ख़ता के तौर पर हो या भूल कर, वह शख़्स उसका वाजिब होना जानता हो या नहीं। हाँ अगर क़स्दन करे और जानता भी हो तो गुनाहगार भी है मगर वाजिब के तर्क से हज बातिल (बेकार)न होगा अलबत्ता बाज़ वाजिब इस हुक्म से इस्तिस्ना हैं यअ्नी अलग हैं कि उनके तर्क पर दम लाज़िम नहीं मसलन तवाफ़ के बअ्द की दोनों रकअ्तें या किसी उज़्र की वजह से सर न मुंडाना या मग़रिब की नमाज़ का इशा तक मुअख़्ख़र न करना यअ्नी देर न करना या किसी वाजिब का तर्क ऐसे उज्र से हो जिसको शरीअत ने मोतबर रखा हो यअ्नी वहाँ इजाज़त दी हो और कफ़्फ़ारा साकित कर दिया हो।

हज की सुन्नतें

(1)**तवाफ़े कुदूम** यअ्नी मीक़ात के बाहर से आने वाला मक्का मुअज़्ज़मा में हाज़िर होकर सब में पहला जो तवाफ़ करे उसे तवाफ़े कुदूम(पहला तवाफ़) कहते हैं,तवाफ़े कुदूम मुफ़रिद और क़ारिन के लिए सुन्नत है मुतमत्तेअ् के लिए नहीं।(2)तवाफ़ का हजरे अस्वद से शुरूअ् करना।(3)तवाफ़े कुदूम या तवाफ़े फ़र्ज़ में रमल करना यअ्नी अकड़ कर चलना(4) सफ़ा व मरवा के दरमियान जो दो सब्ज़ मील है यअ्नी हरे रंग के निशान हैं उनके दरमियान दौड़ना।(5)इमाम का मक्का में सातवीं को (6) और अरफ़ात में नवीं को (7)और मिना में ग्यारहवीं को खुतबा पढ़ना।(8)आठवीं की फ़ज्र के बअ्द मक्का से रवाना होना कि मिना में पाँच नमाज़ें पढ़ ली जायें। (9) नवीं रात मिना में गुज़ारना।(10)आफ़ताब निकलने के बअ्द मिना से अरफ़ात को रवाना होना। (11)वुकूफ़े अरफ़ा के लिए गुस्ल करना। (12) अरफ़ात से वापसी में मुज़दलेफ़ा में रात को रहना। (13)आफ़ताब निकलने से पहले यहाँ से मिना को चला जाना। (14)दस और ग्यारह के बअ्द जो दोनों रातें हैं उनको मिना में गुज़ारना और अगर तेरहवीं को भी मिना में रहा तो बारहवीं के बाद की रात को भी मिना में रहे।

(15)अबतह यअ्नी वादीए मुहस्सब में उतरना अगर्चे थोड़ी देर के लिए हो और इनके अलावा और भी सुन्नतें हैं जिनका ज़िक्र बीच–बीच में आयेगा और हज के मुस्तहब्बात और मकरूहात का बयान भी मौके–मौके से आयेगा। अब हरमैन तय्यबैन की रवानगी का इरादा करो और सफ़र के आदाब और मुक़द्दमात जो लिखे जाते हैं उन पर अमल करो।

आदाबे सफ़र व मुक़द्दमाते हज का बयान

(1)जिसका क़र्ज़ आता या अमानत पास हो अदा कर दे जिनके माल नाहक़ लिए हों वापस दे या माफ़ करा ले, पता न चले तो उतना माल फ़क़ीरों को दे दे। (2) नमाज़ व रोज़ा व ज़कात जितनी इबादत ज़िम्मे पर हों अदा करे और तौबा करे और फिर गुनाह न करने का पक्का इरादा करे। (3)जिसकी बे–इजाज़त सफ़र मकरूह है जैसे माँ, बाप व शौहर उसे रज़ामन्द करे। जिस पर उसका क़र्ज़ आता हो उस वक़्त न दे सके तो उससे भी इजाज़त ले फिर हज्जे फ़र्ज़ किसी की इजाज़त न देने से रोक नहीं सकता,इजाज़त की कोशिश करे न दे जब भी चला जाये।(4)इस सफ़र से मक़सूद सिर्फ़ अल्लाह व रसूल हों रिया व सुमआ व गुरूर से जुदा रहे। (5)औरत के साथ जब शौहर या महरमे बालिग़, क़ाबिले इत्मिनान न हो जिस से निकाह हमेशा को हराम है, सफ़र हराम है अगर करेगी तो हज हो जायेगा मगर हर क़दम पर गुनाह लिखा जायेगा। (6)तोशा माले हलाल से ले वरना हज क़बूल होने की उम्मीद नहीं अगर्चे फ़र्ज़ उतर जायेगा और अगर अपने माल में कुछ शुबहा हो तो क़र्ज़ लेकर हज को जाये और वह क़र्ज़ अपने माल से अदा कर दे।(7)हाजत से ज़्यादा तोशा ले कि साथियों की मदद और फ़क़ीरों पर सदक़ा करता चले, यह मक़बूल हज की निशानी है। (8)आलिम फ़िक्ह की किताबें मुनासिब तौर पर साथ में ले और बे–इल्म किसी आलिम के साथ जाये, यह भी न मिले तो कम अज़ कम यह रिसाला साथ हो। (9)आईना, सुर्मा,कंघा, मिस्वाक साथ रखे कि सुन्नत है।(10)अकेला सफ़र न करे क्यूँकि मना है। साथी, दीनदार, नेक हो क्यूँकि बद–दीन की हमराही से अकेला बेहतर। रफ़ीक़ अजनबी कुनबे वाले से बेहतर है। (11)हदीस में है कि जब तीन आदमी सफ़र को जायें अपने में एक को सरदार बना लें इस में कामों का इन्तिज़ाम रहता है। सरदार उसे बनायें जो अच्छी आदत वाला अक़्लमन्द और दीनदार हो। सरदार को चाहिए कि साथियों के आराम को अपने आराम पर मुक़द्दम रखे।(12)चलते वक़्त सब अज़ीज़ों दोस्तों से मिले और अपनी ग़लती मुआफ़ कराये और अब उन पर लाज़िम है कि दिल से माफ़ कर दें। हदीस में है जिसके पास उसका मुसलमान भाई माज़िरत लाये ज़रूरी है कि क़बूल करे वरना हौज़े कौसर पर आना न मिलेगा। (13) हज को जाते वक़्त सब से दुआ कराये कि बरकत पायेगा कि दूसरों की दुआ के क़बूल होने की ज़्यादा उम्मीद है और यह नहीं मअ्लूम कि किस की दुआ मक़बूल हो लिहाज़ा सब से दुआ कराये और वह लोग हाजी या किसी को रुख़सत करें तो रुख़सत के वक़्त यह दुआ पढ़े।

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

तर्जमा :–"मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ तेरे दीन और तेरी अमानत को और तेरे अमल के ख़ातिमा को "

हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी को रुख़सत फ़रमाते तो यह दुआ पढ़ते और अगर चाहे तो इस पर इतना और बढ़ाये .

وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَ يَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَ جَنَّبَكَ الرَّدٰى

तर्जमा :–" और तेरे गुनाह को बख़्श दे और तेरे लिए ख़ैर मयस्सर करे तू जहाँ हो और तक़वा को

तेरा तोशा करे और तुझे हलाकत से बचाये"।

(14)उन सब के दीन, जान, माल, औलाद, तन्दुरुस्ती, आफ़ियत ख़ुदा को सौंपे।(15)सफ़र का लिबास पहन कर घर में चार रकअ़त नफ़्ल, सूरए फ़ातिहा और चारों कुल से पढ़ कर बाहर निकले। वह रकअ़तें वापस आने तक इसके अहलो माल की निगहबानी करेंगी। नमाज़ के बअ़्द यह दुआ़ पढ़े :

اَللّٰهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَتِيْ وَ اَنْتَ رَجَآئِيْ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ مَا اَهَمَّنِيْ وَ مَا لَا اَهْتَمُّ بِهٖ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ عَزَّ جَارُكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ . اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوٰى وَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَ وَجِّهْنِيْ اِلَى الْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तेरी मदद से मैं निकला और तेरी तरफ़ मुतवज्जेह हुआ और तेरे साथ मैंने एअ़्तिसाम किया और तुझी पर तवक्कुल किया। ऐ अल्लाह! तू मेरा एअ़्तिमाद है और तू मेरी उम्मीद है। इलाही तू मेरी किफ़ायत कर उस चीज़ से जो मुझे फ़िक्र में डाले और उससे जिस की मैं फ़िक्र नहीं करता और उससे जिसको तू मुझ से ज़्यादा जानता है तेरी पनाह लेने वाला इज़्ज़त वाला है और तेरे सिवा कोई मअ़्बूद नहीं। इलाही तक़्वा को मेरे रास्ता का तोशा कर और मेरे गुनाहों को बख़्श दे और मुझे ख़ैर की तरफ़ मुतवज्जेह कर जिधर मैं तवज्जोह करूँ। इलाही मैं तेरी पनाह माँगता हूँ सफ़र की तकलीफ़ से और वापसी की बुराई से और आराम के बअ़्द तकलीफ़ से और अहल और माल व औलाद में बुरी बात देखने से।" (16)घर से निकलने के पहले और बअ़्द कुछ सदक़ा करे।(17)जिधर सफ़र को जाये जुमेरात या हफ़्ता या पीर का दिन हो और सुबह का वक़्त मुबारक है और जिस पर जुमा़ फ़र्ज़ हो जुमा़ के दिन जुमा़ से पहले उसके लिए सफ़र अच्छा नहीं। (18)दरवाज़ा से बाहर निकलते ही यह दुआ़ पढ़े :

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَّزِلَّ اَوْنُزَلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نُضَلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ اَوْنَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا اَحَدٌ.

तर्जमा :–" अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह की मदद से और अल्लाह पर तवक्कुल किया मैंने, और गुनाह से फिरना और नेकी की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह से। ऐ अल्लाह ! हम तेरी पनाह माँगते हैं इस से कि ग़लती करें या हमें कोई ग़लती में डाले या गुमराह हों या गुमराह किये जायें या ज़ुल्म करें या हम पर ज़ुल्म किया ज़ाये या जहालत करें या हम पर कोई जहालत करे।" (19)सब से रुख़सत के बअ़्द अपनी मस्जिद से रुख़सत हो, मकरूह वक़्त न हो तो उसमें दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े। (20) खुशी–खुशी घर से जाये और ज़िक्रे इलाही ख़ूब करे और ख़ुदा का ख़ौफ़ हर वक़्त दिल में रखे । ग़ज़ब यअ़्नी गुस्से से बचे। लोगों की बात बर्दाश्त करे। औरतों और बालिग़ लड़कियों के सरों पर हाथ हरगिज़ न रखे क्यूँकि यह नाजाइज़ है। सुकून व इत्मीनान के साथ चले। बेकार बातों में न पड़े। (21) घर से निकले तो यह ख़्याल करे जैसे दुनिया से जा रहा है चलते वक़्त यह दुआ़ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ.

वापसी तक माल और घर वाले महफ़ूज़ रहेंगे। (22) उसी वक़्त आयतल कुर्सी और सूरए काफ़िरून से सूरए नास तक, सूरए लहब के अ़लावा पाँच सूरतें बिस्मिल्लाह शरीफ़ के साथ पढ़े फिर आख़िर में एक बार और बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ ले रास्ता भर आराम से रहेगा।

(23) और उसी वक़्त

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍO

तर्जमा :– "बेशक जिसने तुझ पर क़ुर्आन फ़र्ज़ किया तुझे वापसी की जगह की तरफ़ वापस करने वाला है" एक बार पढ़ ले,ख़ैरियत से वापस आयेगा।

(24)रेल वग़ैरा या जिस सवारी पर सवार हो बिस्मिल्लाह तीन बार पढ़े फिर अल्लाहु अकबर और अलहम्दुलिल्लाह एक बार पढ़े फिर पढ़े :–

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَO وَ اِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ O

तर्जमा :– "पाक है जिसने हमारे लिए इसे मुसख़्ख़र किया और हम इसको फ़रमाँबरदार नहीं बना सकते थे और हम अपने रब की तरफ़ लौटने वाले हैं"। तो उस सवारी के शर से महफ़ूज़ रहेगा।

(25)जब दरिया में सवार हो तो यह कहे :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسٰهَا ط اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌO وَمَا

قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ

السَّمٰوٰتُ مَطْوِیّٰتٌۢ بِیَمِیْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَO

तर्जमा :– " अल्लाह के नाम की मदद से इसका चलना और रुकना है, बेशक मेरा रब बख़्शने वाला रहम वाला है और उन्होंने अल्लाह की क़द्र जैसी चाहिए, नहीं की और पूरी ज़मीन क़ियामत के दिन उसके क़ब्ज़े में है और आसमान उसके दस्ते क़ुदरत में लिपटे हुए है ,वह पाक और बरतर है उससे जिसे उसका शरीक बताते हैं)" तो डुबने से महफ़ूज़ रहेगा।

(26)सफ़र की ज़रूरीयात का चलने से तीन–चार दिन पहले इन्तेज़ाम कर लिया जाये। किसी अक़्लमन्द और जानकार हाजी से मशवरा भी कर ले। आजकल सफ़र के तीन ज़रीए हैं समुन्दरी, ख़ुश्की, हवाई। समुन्दरी जहाज़ के मुसाफिर अपने साथ बहुत सामान ले जा सकते हैं, ख़ुश्की और हवाई सफर में बहुत कम सामान ले जाये समुन्दरी जहाज़ के मुसाफ़िरों की ज़रूरत को पेशे नज़र रख कर सामान की फ़ेहरिस्त बनाई गई है मगर यह याद रहे कि सामान जितना कम होगा उसी क़द्र सफ़र के दौरान आराम रहेगा। अपने सामान पर नाम और मुकम्मल पता ज़रूर लिखिये। हवाई जहाज़ से सफ़र करने वाले हाजी साहिबान इतना कम सामान ले जायें कि वापसी में सामान का वज़न हवाई जहाज़ के क़ानून के मुताबिक हो ताकि ज़्यादा वज़न का महसूल (टैक्स)रियाल में न अदा करना पड़े। बहुत से हाजियों को देखा गया है कि क़ानून से ज़्यादा वज़न का महसूल बचाने के लिए रिश्वत देते हैं इस तरह हज के बाद ही उस मुक़द्दस सरज़मीन से गुनाह शुरूअ़ हो जाता है। सामाने सफ़र की फ़ेहरिस्त पढ़ कर तमाम चीज़ें रवाना होने से पहले जमा करके घर में एक तरफ़ रख दें ताकि जब सफ़र का सामान बाँधा जाये तो कोई चीज़ भूल चूक से रह न जाये। क़ुर्आने करीम मुतर्जम सरकारे अअ्लाहज़रत फ़ाज़िले बरेलवी अ़लैहिर्रहमा, पंजसूरा, वज़ाइफ़ की किताब, हज व उ़मरा के मसाइल की किताब, जा–नामज़। पहनने के कपड़े गर्मी और जाड़े के एअ्तिबार से। गद्दा दो फुट चौड़ा रूई या स्पंज का, बिस्तरबन्द, चादरें तकिया, दरी ,चटाई या उसकी जगह रेक्ज़ीन या प्लास्टिक के बड़े–बड़े टुकड़े। जहाज़ या मैदाने अ़रफ़ात में बिछाने के लिए कम्बल, एक कम्बल ओढ़ने के लिए। दस्ती पंखा, एहराम के कपड़े तौलिया ,साबुन मिस्वाक, मंजन कंधा, सुर्मा, तेल, वैसलीन, हजामत का मुकम्मल सामान सेफ़्टी, रेज़र,कैंची ,आईना, बाल्टी टीन या

प्लास्टिक की मग, लोटा ,उगालदान, पानी की बोतल ,प्लास्टिक का थर्मस, टीन का डिब्बा, कैनविस या रेक्ज़ीन का मज़बूत हैंड बैग, बक्स। कमर की पेटी पैसे रखने के लिए,। एक छोटा सा थैला गले में लटकाने के लिए जिसमें हज की किताब पासपोर्ट, क़लम और चाकू वग़ैरा हो। गिलास, प्याला, प्लेट, चाय की प्यालियाँ, छोटी–बड़ी देगची, चाय की केतली, बत्ती वाला चूल्हा, माचिस,मोमबत्ती टार्च, दस्तरख़्वान, चमचा, छुरी,चाकू। खाने की चीज़ें नमकपारे, ख़स्ता हलवा बिस्किट, ख़ुश्क मेवा, ख़ासकर मिना अरफ़ात में चार दिन के लिए। जहाज़ के लिए मुसम्बी, माल्टा, सेब, नीबू अचार, चटनी, मुरब्बे, उबले हुए अन्डे,। जाम, जेली ताकि जहाज़ में छह–सात दिन तक काम आ सके। मसाला, नमक चूरन ,नमक सुलैमानी, चाट का मसाला, शकर, चाय की पत्ती, असली घी। दाल चावल बड़ियाँ,आलू प्याज़ ,लहसन ,क़ीमा सादा बग़ैर पानी और मसाला को भून कर धूप में सुखा ले जब पकाना हो तो आधा घन्टा पहले क़ीमा पानी में भिगो दें और फिर मसाला के साथ पका लें। तयम्मुम के लिए मिट्टी खाने का सामान रखने के लिए लोहे या लकड़ी की मज़बूत पेटी क्यूँकि जद्दा में सामान केन से उतारा जाता है। पेटी अगर कमज़ोर हुई तो उतारते वक़्त टूट जायेगी। कराची और बम्बई में ख़ासतौर से तैयार खाना डिब्बों में पैक किया जाता है। जहाज़ का टिकट,ट्रेवल चेक, पासपोर्ट, .शनाख़्ती कार्ड, हैल्थ सर्टिफ़िकेट की फ़ोटोस्टेट कापी भी रखें या कम से कम उन दस्तावेज़ों के नम्बर लिख लें। जिस टैक्सी या गाड़ी पर सफ़र करें उसका न. भी ज़रूर लिखलें। मार्कर क़लम और आयल पेन्ट का छोटा डिब्बा अपने सामान पर नाम लिखने के लिए ज़रूर रखिये। काग़ज़, क़लम सादा लिफ़ाफ़े और अपने मुल्क की डाक के लिफ़ाफ़े ज़रूर रखिये। इसका फ़ाइदा यह है कि आप अपने मुल्क के टिकट लगे हुए लिफ़ाफ़ा पर अपना पता लिख कर अपने मुल्क के उस हाजी को दे दें जो हज करके आप से पहले रवाना हो रहा है वह इस मुल्क के किसी भी लैटर बाक्स में ख़त डाल देगा तो वह ख़त आपके घर पहुँच जायेगा। इसी तरह आप अपने मुल्की हवाई जहाज़ के मुसाफ़िर हाजी के ज़रीए ख़त भेज सकते हैं। अपने मुल्क के रिश्तेदारों अपने क़ाफ़िले के सरदार और अरब शरीफ़ में अपने मिलने वालों के फ़ोन नम्बरों की फ़ेहरिस्त साथ रखें। साथियों में किसी दीनदार, मुख़लिस और मेहनती को अपने काफ़िला का सरदार बना लें, उसकी राय, हुक्म की पाबन्दी करें सफ़र में बरकत होगी।

सफ़र के दौरान मामूली बीमारियाँ और उनका इलाज

नज़ला,ज़ुकाम खाँसी,सरदर्द,आशोबे चश्म(आँख आना)कान का दर्द दाँतों में तकलीफ़, हल्क़ में तकलीफ़ सादा बुख़ार, जाड़ा–बुख़ार, पेट का दर्द, क़ब्ज़, मतली, बदहज़मी, क़य दस्त, पेचिश ज़ख़्म, जला हुआ, चोट, फ़ोड़ा कमर की चिक वग़ैरा। औरतें अपनी मख़सूस बीमारियों के लिए भी दवा साथ रखें। हर हाजी को चाहिए कि सफ़र के सामान में कुछ ज़रूरी दवायें अपने साथ ज़रूर रखे ताकि ज़रूरत के वक़्त ख़ुद इस्तेमाल करे या अपने सफ़र के साथी को ज़रूरत के वक़्त दे बल्कि अक्सर पड़ोसी की भी, ज़रूरत होती है उस वक़्त ख़ल्क़े ख़ुदा की ख़िदमत का सवाब आपके लिए बेहतरीन सरमाया है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद (First Aid) के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवायें भी ज़रूर रखी जायें। फ़र्स्ट एड यानी फ़ौरी तिब्बी इमदाद जैसे मरहम, टिंचर, रूई, पट्टी, छोटी कैंची, बैन्डेज प्लास्टर भी साथ रखे।

अपने वतन से रवानगी

अगर आप रेल के ज़रीए समुन्दर के किनारे या बैनल अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय)एयरपेर्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं तो बहुत मुनासिब होगा कि रवानगी से दस दिन पहले पूरे काफ़िले के लिए रेल का डिब्बा बुक करा लें या कम से कम अपने लिए वक़्त से पहले सीट बुक करा लें। दिल्ली,

लखनऊ या बम्बई पहुँच कर आप हाजी कैम्प में क़ियाम करें क्यूँकि सफ़र के तमाम काग़ज़ात हाजी कैम्प में तैयार होते हैं। इसका ख़्याल रखें कि कानून के मुताबिक़ सफ़र के सारे काग़ज़ात रवाना होने से बहुत पहले तैयार करा लें जिस की तफ़सील यह है।

हैल्थ सर्टिफ़िकेट :– जिसमें हैज़ा, चेचक और टैट्रासाईक्लीन से मुतअ़ल्लिक़ सर्टिफ़िकेट होते हैं। अगर उसमें किसी क़िस्म की कमी हुई तो आप को जहाज़ पर सवार होने से रोका जा सकता है या जद्दा में आपको जहाज़ से उतरने नहीं दिया जायेगा।

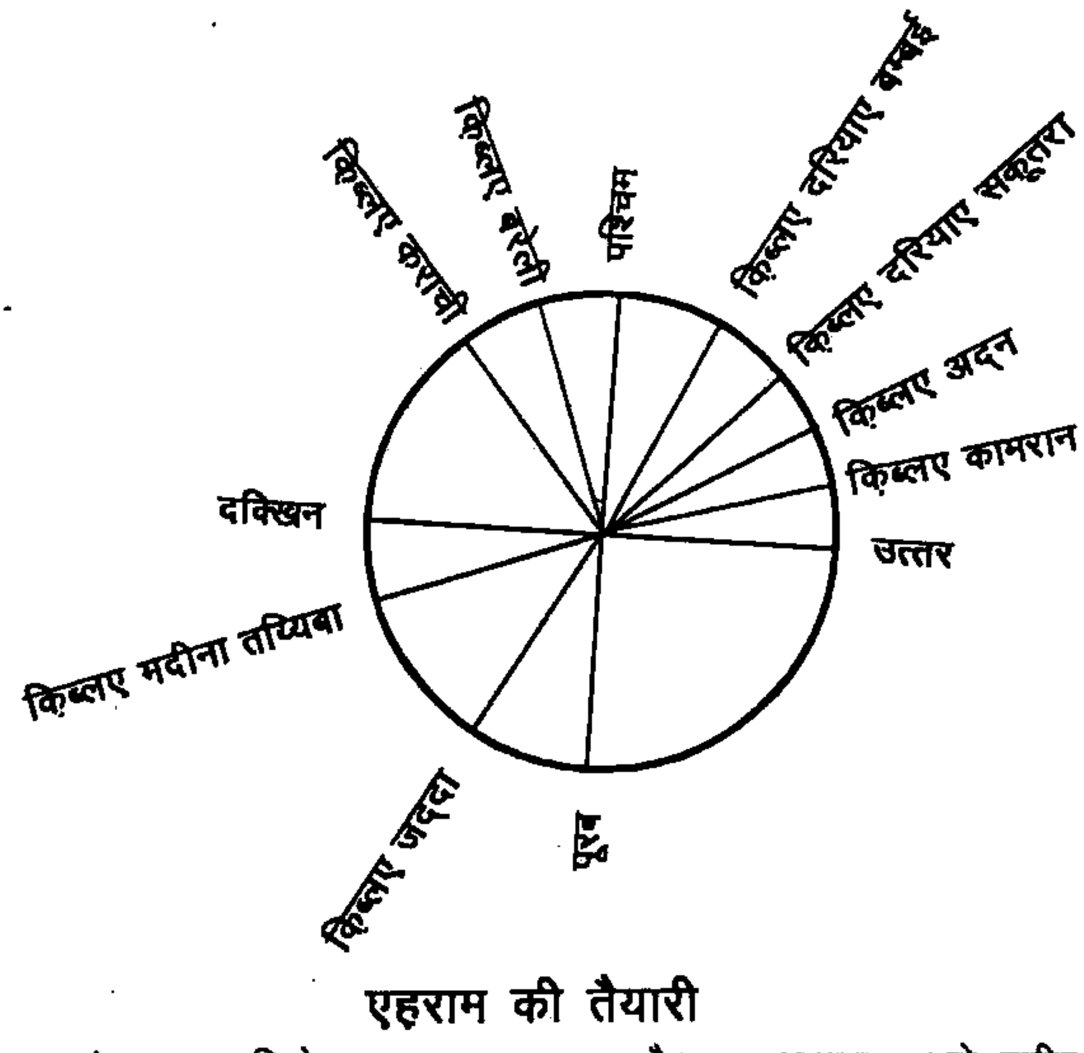
हाजी कैम्प से साहिल या एयरपोर्ट को रवानगी

हाजी कैम्प से प्रोग्राम के मुताबिक़ आप साहिल या एयरपोर्ट रवाना होंगे अगर आप हवाई जहाज़ के मुसाफ़िर हैं तो हाजी कैम्प में ही आपका सामान वज़न किया जायेगा। वज़न करने के बअ़्द आपका सामान बड़ी एहतियात से एयरपोर्ट रवाना कर दिया जायेगा। लिहाज़ा हर सामान पर आप का नाम, मुकम्मल पता और मुअ़ल्लिम का नाम ज़रूर होना चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर आप आसानी से अपना सामान पहचान सकें। हाजी कैम्प से ही आप एहराम बाँध लें क्यूँकि जद्दा का सफ़र मुश्किल से चार–पाँच घन्टे का है और वाज़ेह हो कि जद्दा मीक़ात की हद में है इस लिए एहराम के बिग़ैर हज और उ़मरा की नियत से जद्दा में उतरना जाइज़ नहीं है और हवाई जहाज़ में एहराम बाँधने में बहुत परेशानी होगी एक मसअ्ला और भी याद रखें एहराम बाँधने के बअ़्द जब तक आप नियत नहीं करेंगे एहराम में दाख़िल नहीं होंगे लिहाज़ा हवाई जहाज़ में सफ़र के लिए एहराम घर पर बाँध लें। जहाज़ के सफ़र में एहराम आप अपनी जगह पर बाँध लें मगर नियत एयरपोर्ट पर उस वक़्त करें जब हवाई जहाज़ की रवानगी क़तई तौर पर यक़ीनी हो जाये क्यूँकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी वजह से हवाई जहाज़ की रवानगी रूक जाती है तो एहराम की हालत में रहना पड़ता है अगर खुदा न चाहे रवानगी में बहुत ताख़ीर(देर)हो जाये और आप ने एहराम की नियत न की हो तो आप एहराम उतार कर कपड़े पहन सकते हैं।

समुन्दरी जहाज़ से रवानगी

जब आप साहिल पर पहुँचेंगे तो भीड़ की वजह से एक अफ़रा–तफ़री का आ़लम होगा। मगर उस वक़्त इन्सानियत के कमाल और हाजी की शराफ़त का तक़ाज़ा यह है कि सब्र व ज़ब्त से काम लिया जाये। क़तार में लग कर तमाम काग़ज़ात वग़ैरा की जाँच पड़ताल कराईये। आप के सामान में कोई ग़ैर क़ानूनी चीज़ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। कस्टम शेड से चेकिंग कराने के बाद आप जहाज़ में किसी अच्छी जगह अपना सामान रखवा दें। अगर आप क़ाफ़िले के साथ हैं तो कुछ लोग नीचे और कुछ लोग ऊपर अर्शे पर जगह हासिल करें ताकि ज़रूरत के वक़्त मौसम के मुताबिक़ एक दूसरे की जगह से फ़ायदा उठाया जा सके। जहाज़ में नाश्ता और खाना, आप को वक़्त पर मिलेगा और सात दिन में जहाज़ जद्दा पहुँचेगा। लिहाज़ा खाना खुश ज़ायक़ा करने के लिए अचार, चटनी, मुरब्बा उबले हुए अंडे, मक्खन, जैम, जैली, बिस्किट वग़ैरा आप ज़रूर एक हफ़्ता के लिए रखें। मुसम्बी, माल्टा सेब भी एक हफ़्ता के लिए रखें। नमाज़ के लिए एक बड़े कमरे में इन्तिज़ाम किया जाता है जिसमें मुश्किल से डेढ़–दो सौ नमाज़ी आ सकते हैं। इसलिए अक्सर हाजी लोग अपनी जगह पर ही जमाअ़त के साथ नमाज़ का इन्तिज़ाम कर लेते हैं। उस वक़्त जा–नमाज़ और चटाई बहुत काम आयेगी। जहाज़ में अस्पताल भी होता है। हर क़िस्म की दवा भी मिलती है। अगर कोई ख़ास शिकायत हो तो आप कैप्टन से भी मिल सकते हैं। वह आपकी शिकायत को निहायत हमदर्दी

और तवज्जोह से सुनेंगे और फ़ौरन उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जहाज़ के बावर्ची ख़ाना के क़रीब खौलता हुआ पानी भी तैयार रहता है। अगर आपके पास चाय,चीनी और दूध का डिब्बा है तो आप आसानी से अपने लिए चाय तैयार कर सकते हैं। जहाज़ के होटल से भी आप को चाय वग़ैरा मिल सकती है। जहाज़ में अपना वक़्त ज़िक्र, तिलावत और दीनी किताबों के देखने में गुज़ारें। (27)जब बम्बई, करौंची लखनऊ या दिल्ली से रवाना होंगे तो क़िब्ला की सम्त बदलती रहेगी। उसके लिए एक नक़्शा दिया जाता है। इससे क़िब्ले की सम्त मालूम हो सकेगी। क़ुतुबनुमा पास रखा जाये। जिधर वह क़ुतुब बताये इसी तरह उस तरफ़ दाइरे का ख़त उत्तर को कर दिया जाये। फिर जिस सम्त को क़िब्ला लिखा है उस सम्त मुँह करके नमाज़ पढ़ें जहाज़ में एक बड़ा कमरा भी नमाज़ के लिए ख़ास कर दिया जाता है। और नमाज़ों के वक़्तों में जहाज़ वाले क़िब्ला की सम्त मुतअय्यन करते रहते हैं। फिर भी हाजियों को अपनी जगह पर क़िब्ला की सम्त मालूम करने के लिए क़ुतुबनुमा रखना ज़रूरी है।



एहराम की तैयारी

(28) जद्दा से कुछ फ़ासिले पर यलमलम पहाड़ है। जब जहाज़ उसके क़रीब पहुँचेगा तो लाउडस्पीकर से एअ्लान होगा कि हाजी लोग एहराम बाँध लें। लिहाज़ा आप हजामत का सामान निकाल कर हर तरह सफ़ाई वग़ैरा कर लें। अगर सर के बाल मूंड लिये जायें तो बहुत अच्छा है कि एहराम की हालत में आपको बहुत आराम मिलेगा। चूँकि जद्दा मीक़ात की हद के अन्दर है इसलिए यलमलम पहाड़ी से आप एहराम के बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकते।

जद्दा का साहिल :– जद्दा के साहिल पर पहुँचने के बअ्द जहाज़ ही में सऊदी डाक्टर और पुलिस

वाले आप के डाक्टरी के काग़ज़ात और सफ़री काग़ज़ात का मुआयना करेंगे। लिहाज़ा क़तार बना कर नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने काग़ज़ात की जाँच–पड़ताल करायें।

जद्दा कस्टम :– जहाज़ से उतरते वक़्त अपना क़ीमती हल्का सामान खुद लेकर उतरें क्यूँकि यहाँ आपका सामान क्रेन से उतारा जायेगा फिर भी घबरायें नहीं बल्कि सब्र व ज़ब्त के साथ अल्लाह तआला के सिपुर्द कर दें। अगर आप से मुअल्लिम का नाम पूछा जाये तो बता दें। जहाज़ या हवाई जहाज़ से उतरने के बअ्द आप को बस में सवार करके कस्टम शेड में ले जाया जायेगा और ट्रक व ट्राली के ज़रीए आप का सामान भी पहुँच जायेगा। वहाँ आप अपना सामान एक जगह जमा कर दें और कस्टम करायें। उसके बअ्द अपको हाजी कैम्प पहुँचा दिया जायेगा। जद्दा में हाजी कैम्प को मदीनतुल हुज्जाज कहते हैं। "मदीनलुल हुज्जाज" में आप के मुअल्लिम के वकील आप के पासपोर्ट वग़ैरा लिखवायेंगे, जिसमें तक़रीबन 12 घन्टे और 24 घन्टे भी लग जाते हैं। जद्दा के वकील मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा रवानगी के लिए गाड़ी का इन्तिज़ाम करेंगे क्यूँकि किराया पहले ही से वुसूल किया जा चुका है। अगर आप गवर्मेन्टी गाड़ी में न जाना चाहें तो दोबारा किराया देकर अपनी मर्ज़ी की सवारी पर भी आप मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा जा सकते हैं जद्दा का वकील आप को मुअल्लिम के हवाले कर देगा जद्दा से मक्का मुअज़्ज़मा मिना अरफ़ात मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा और जद्दा तक आपकी मुकम्मल देखभाल और सफ़र का इन्तिज़ाम क़ानूनी तौर पर मुअल्लिम के जिम्मे है और इसीलिए उसको मुअल्लिमी फ़ीस दी जाती है। मक्का मुअज़्ज़मा में रोज़ाना पीने के लिए ज़मज़म शरीफ़ मुहय्या करना मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी है। जब आप पहली दफ़ा मक्का मुअज़्ज़मा में मुअल्लिम के दफ़्तर पर उतरेंगे तो उस वक़्त का खाना खिलाना मुअल्लिम के ज़िम्मे होगा और अरफ़ात में दोपहर का खाना भी मुअल्लिम के ज़िम्मे है। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा में मुअल्लिम के यहाँ पहुँच जायें तो अपना सामान छोड़ दें और वुज़ू करके तवाफ़ और उमरा के लिए हरम शरीफ़ रवाना हो जायें। मुअल्लिम का आदमी आपके साथ जायेगा। उस वक़्त अपने साथियों का और ख़ासकर साथ में रहने वाली औरतों का बहुत ख़्याल रखें। ज़रा भी ग़फ़लत हुई तो भीड़ की वजह से साथ छूट सकता है। एहतियात के तौर पर औरतों और अनपढ़ मर्दों के एहराम में मुअल्लिम का कार्ड ज़रूर लगा दें ताकि ज़रूरत के वक़्त काम आये। टैक्सी वग़ैरा पर जो कुछ सामान रखवाना हो उसको उसके मालिक को दिखा लो और उसकी इजाज़त के बग़ैर उस से ज़्यादा कुछ न रखो। ड्राइवर के साथ नर्मी और अख़्लाक़ से पेश आओ बिला ज़रूरत उससे बात न करो सफ़र के दौरान ख़ास कर ड्राइवर की सीट के पास वाले मुसाफ़िर को सोने न दें कि उसकी वजह से ड्राइवर को नींद आ सकती है। बद्दुओं (अरब के दिहातियों)और तमाम अरब के लोगों से बहुत नर्मी से पेश आओ अगर वह सख़्ती करें तो अदब से बर्दाश्त करो उस पर शफ़ाअत नसीब होने का वादा फ़रमाया है। खुसूसन हरमैन शरीफ़ैन वाले. ख़ास कर मदीना मुनव्वरा वाले और अरब वालों के कामों पर एअ्तिराज़ न करे,न दिल में कुदूरत लाये इसी में दोनों जहान की भलाई है। जो शख़्स अपना ऐब उठाये हुए है दूसरों के ऐब पर तन्ज़ न करे। (29)जो अरबी नहीं जानता उसे बाज़ तेज़ मिज़ाज मजदूर वग़ैरा गालियाँ बल्कि मुग़ल्लज़ात (फूहड़ गालियाँ) तक देते हैं। ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो तो सुनी–अनसुनी कर दिया जाये और दिल पर भी मैल न लाया जाये। यूँही मक्का मुअज़्ज़मा के अवाम सख़्त मिज़ाज और तेज़ मिज़ाज हैं उनकी सख़्ती पर नरमी लाज़िम है। वहाँ के मज़दूरों को यहाँ की तरह किराये वाला न ज़ानें। बल्कि अपना मख़दूम (पेशवा) जानें और उनसे कंजूसी न करें कि

वह ऐसों ही से नाराज़ होते हैं और थोड़ी सी बात में बहुत खुश हो जाते हैं और उम्मीद से ज़्यादा काम आते हैं। (30) हज कबूल होने के लिए तीन शर्ते हैं।

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है :

وَ لَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ لَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ

तर्जमा : हज में न फ़ुहुश (बेहूदा)बात हो न हमारी नाफ़रमानी न किसी से झगड़ा लड़ाई"।

तो इन बातों से बहुत दूर रहना चाहिए। जब गुस्सा आये या झगड़ा हो या किसी गुनाह का ख़्याल हो तो फ़ौरन सर झुका कर दिल की तरफ़ मुतवज्जेह होकर इस आयते करीमा की तिलावत करे और दो-एक बार लाहौल शरीफ़ पढ़े। यह बात जाती रहेगी। यही नहीं कि उसकी तरफ़ से इब्तिदा (शुरूआत) हुई हो या उसके साथियों के साथ लड़ाई बल्कि बाज़ औक़ात राह चलतों को इम्तिहान के तौर पर पेश कर दिया जाता है कि बिला वजह उलझें बल्कि गाली-गलौज, लान- तान को तैयार होते हैं। इस से हर वक़्त ख़बरदार रहना चाहिए। ऐसा न हो कि एक-दो लफ़्ज़ में सारी मेहनत और रुपया बरबाद हो जाये।(31)जिस मन्ज़िल पर उतरे वहाँ यह दुआ पढ़े हर नुक़सान से बचेगा।

اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . اَللّٰهُمَّ اَعْطِنَا خَيْرَ هٰذَا الْمَنْزِلِ وَ خَيْرَ مَا فِيْهِ وَ اَكْفِنَا شَرَّ هٰذَا الْمَنْزِلِ وَ شَرَّ مَا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْنِیْ مَنْزِلًا مُّبَارَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

तर्जमा :- " अल्लाह के कलिमाते ताम्मा की पनाह माँगता हूँ उसके शर से जिसे उसने पैदा किया। इलाही तू हमको उस मन्ज़िल की ख़ैर अ़ता कर और उसकी ख़ैर जो कुछ इसमें है और इस के शर से और जो कुछ इस में है उसके शर से हमें बचा। इलाही तू हमे बरकत वाली जगह में उतार और तू बेहतर उतारने वाला है।"

बेहतर यह कि मौक़ा पाते ही वहाँ दो रकअ़त नमाज़ पढ़े (32) मन्ज़िल में रास्ते से बच कर उतरे कि अकसर गाड़ियों का किनारे से गुज़र होता है। (33)जब मन्ज़िल से कूच करे दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर रवाना हो। हदीस शरीफ़ में है " क़ियामत के दिन वह मन्ज़िल उसके हक़ में इस अम्र (बात) की गवाही देगी"। और अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं कि" रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब किसी मन्ज़िल पर उतरते दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर वहाँ से रुख़सत होते, (34) रास्ते में पेशाब वग़ैरा करना लानत उतरने का सबब है"।

तम्बीह :- ख़बरदार! ख़बरदार ! नमाज़ हरगिज़ न छोड़ना क्यूँकि यह हमेशा बहुत बड़ा गुनाह है। और इस हालत में और बहुत ज़्यादा गुनाह कि जिनके दरबार में जाते हो रास्ते में उन्हीं की नाफ़रमानी करते चलो तो बताओ कि तुमने उनको राज़ी किया या नाराज़। मैंने ख़ुद बहुत से हाजियों को देखा है कि नमाज़ की तरफ़ बिल्कुल तवज्जोह नहीं करते। थोड़ी तकलीफ़ पर नमाज़ छोड़ देते हैं। हालाँकि शरीअ़ते मुतहहरा ने जब तक आदमी होश में है नमाज़ माफ़ नहीं फ़रमाई। मदीना तय्यिबा के सफ़र में (35) बाज़ मरतबा क़ाफ़िला में न ठहरने की वजह से मजबूरी में ज़ोहर और अस्र मिलाकर पढ़नी होती है। इसके लिए लाज़िम है कि ज़ोहर के फ़र्ज़ों से फ़ारिग़ होने से पहले इरादा कर ले कि इसी वक़्त अ़स्र पढूँगा और ज़ोहर के फ़र्ज़ के बअ़द फ़ौरन अ़स्र की नमाज़ पढ़े यहाँ तक कि बीच में ज़ोहर की सुन्नतें भी न पढ़े। इसी तरह मग़रिब के बअ़द इशा भी इन्हीं शर्तो से जाइज़ है और अगर ऐसा मौक़ा हो कि अ़स्र के वक़्त ज़ोहर या इशा के वक़्त मग़रिब पढ़नी हो तो सिर्फ़ इतनी शर्त है कि ज़ोहर और मग़रिब के वक़्त में वक़्त निकलने से पहले इरादा कर ले

कि इनको अस्र और इशा के साथ पढूँगा। (36) जब वह बस्ती नज़र पड़े जिसमें ठहरना या जाना चाहता है यह कहे :—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ مَآ اَظْلَلْنَ وَ رَبَّ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَآ اَقْلَلْنَ وَ رَبَّ الشَّيٰطِيْنِ. وَ مَآ اَضْلَلْنَ وَ رَبَّ الْاَرْيَاحِ وَ مَا ذَرَيْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَ خَيْرَ اَهْلِهَا وَ خَيْرَ مَافِيْهَا وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَ شَرِّ اَهْلِهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا .

तर्जमा :— "ऐ अल्लाह ! सातों आसमानों के रब और उनके जिनको आसमानों ने साया किया और सातों ज़मीनों के रब और उनके जिनकी ज़मीनों ने उठाया और शैतानों के रब और उनके जिनको उन्होंने गुमराह किया और हवाओं के रब और उनके जिनको हवाओं ने उड़ाया। ऐ अल्लाह! हम तुझसे इस बस्ती की और बस्ती वालों की और जो कुछ इसमें है उनकी भलाई का सवाल करते हैं और इस बस्ती के और बस्ती वालों के शर से और जो कुछ इसमें है उसके शर से तेरी पनाह माँगते हैं"।

या सिर्फ़ पिछली दुआ पढ़े। हर बला से महफ़ूज़ रहेगा। जिस शहर में जाये वहाँ के सुन्नी आलिमों और शरीअ़त के पाबन्द फ़क़ीरों के पास अदब से हाज़िर हो, मज़ारात की ज़्यारत करे, बेकार सैर और तमाशे में वक़्त न गंवाये। (38) जिस आ़लिम की ख़िदमत में जाये वह मकान में हो तो आवाज़ न दे बाहर आने का इन्तिज़ार करे। उसके हुज़ूर बे—ज़रूरत गुफ़्तगू न करे। बेइजाज़त लिए मसअ्ला न पूछे उसकी कोई बात अपनी नज़र में शरीअ़त के ख़िलाफ़ मअ़लूम हो तो एअ़तिराज़ न करे और दिल में नेक गुमान रखे मगर यह सुन्नी आलिम के लिए है, बदमज़हब के साया से भी दूर भागे। (39) ज़िक्रे ख़ुदा से दिल बहलाये कि फ़रिश्ता साथ रहेगा। ग़लत शेर और बेहूदा बातों से दिल न बहलाये क्यूँकि शैतान साथ होगा। (40) रात को ज़्यादा चले कि सफ़र तय होता है। हर (41) सफ़र खुसूसन हज के सफ़र में अपने और अपने अ़ज़ीज़ों और दोस्तों के लिए दुआ से ग़ाफ़िल न रहे। इसलिए कि मुसाफ़िर की दुआ क़बूल है। (42) जब किसी मुश्किल में मदद की ज़रूरत हो तो तीन बार यह कहे :—

يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِیْ

तर्जमा : —" ऐ अल्लाह के नेक बन्दो ! मेरी मदद करो"। ग़ैब से मदद होगी। यह हुक्म हदीस में है। (43) जब रास्ता में गाड़ी ख़राब हो जाये और ख़राबी का पता न चलता हो तो इस आयते करीमा की तिलावत करे। इन्शाअल्लाह तआ़ला जल्द ठीक हो जायेगी।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ٥

तर्जमा :— " क्या अल्लाह के दीन के सिवा कुछ और तलाश करते हैं और उसी के फ़रमाँबरदार हैं खुशी और ना— ख़ुशी से वह जो आसमानों और ज़मीन में हैं। और उसी की तरफ़ तुमको लौटना है"।

(44) يَا صَمَدُ एक सौ चौंतीस बार रोज़ पढ़े, भूक—प्यास से बचेगा। अगर दुश्मन या डाकू का डर हो तो सूरए क़ुरैश पढ़े, हर बला से हिफ़ाज़त रहेगी। जब रात की तारीकी परेशान करने वाली आये यह दुआ पढ़े : —

يَا اَرْضُ رَبِّیْ وَ رَبُّكِ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَ شَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِيْكِ وَ شَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ وَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ اَسَدٍ وَّ اَسْوَدَ وَ مِنَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ مِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَ مِنْ وَّالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ.

तर्जमा :– " ऐ ज़मीन मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है, अल्लाह की पनाह माँगता हूँ तेरे शर से जो तुझमें है और उसके शर से जो तुझमें पैदा की। और जो तुझ पर चली और अल्लाह की पनाह शेर और काले साँप और बिच्छू और इस शहर के बसने वाले से और शैतान और उसकी औलाद से।

(45) जब कहीं दुश्मनों से ख़ौफ़ हो यह पढ़ ले :–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِیْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह ! मैं तुझको उनके सीनों के मुक़ाबिल करता हुँ और उनकी बुराईयों से तेरी पनाह माँगता हूँ।"

जब ग़म व परेशानी हो यह दुआ पढ़े :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِیْمُ الْحَلِیْمُ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ.

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیْمِ.

तर्जमा :– "अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो अ़ज़मत वाला, हिल्म वाला है। अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो बड़े अ़र्श का मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है और बुजुर्ग अ़र्श का मालिक है।"और ऐसे वक़्त لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ . और حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِیْلُ की कसरत करे।

अगर कोई चीज़ गुम हो जाये तो यह कहे:–

یَا جَامِعَ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ط اِجْمَعْ بَیْنِیْ وَ بَیْنَ ضَالَّتِیْ ٥

तर्जमा :– " ऐ लोगों को उस दिन जमा करने वाले जिस में शक नहीं, बेशक अल्लाह वअ़्दा का ख़िलाफ़ नहीं करता। मेरे और मेरी गुमी चीज़ के दरमियान जमअ़् कर दे"।

इन्शाअल्लाह तआ़ला गुमी चीज़ मिल जायेगी। (48) हर बलन्दी पर चढ़ते वक़्त अल्लाहु अकबर कहे और ढाल में उतरते वक़्त सुब्हानल्लाह कहे।

(49) सोते वक़्त एक बार आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़े कि चोर और शैतान से अमान में रहेगा।

(50) नमाज़ें दोनों सरकारों में वक़्त शुरूअ़् होते ही होती हैं। शुरूअ़् वक़्त अज़ान और थोड़ी देर बअ़्द तकबीर व जमाअ़त हो जाती है। जो शख़्स कुछ फ़ासिला पर ठहरा हो वह इतनी गुन्जाइश नहीं पाता कि अज़ान सुनकर वुज़ू करे फिर हाज़िर होकर जमाअ़त या पहली रकअ़त मिल सके और वहाँ की बड़ी बरकत यही, तवाफ़ और ज़्यारत और नमाज़ों की तकबीरे ऊला (पहली तकबीर)है। लिहाज़ा वक़्त पहचान रखें। अज़ान से पहले वुज़ू करके तैयार रहें। अज़ान सुनते ही फ़ौरन चल दें तो तकबीरे अव्वल मिलेगी और अगर पहली सफ़ चाहें जिसका सवाब बेइन्तिहा है जब तो अज़ान से पहले हाज़िर हो जाना ज़रूरी है।

(51) वापसी में भी उन्हीं तरीक़ों का लिहाज़ रखे जो यहाँ तक बयान हुए। (52) मकान पर आने की तारीख़ वक़्त से पहले बता दे। बिना इत्तिला हरगिज़ न जाये ख़ुसूसन रात में।

(53) लोगों को चाहिए कि हाजी का इस्तिक़बाल करें और उसके घर पहुँचने से पहले दुआ़ करायें कि हाजी जब तक अपने घर में क़दम नहीं रखता उसकी दुआ़ क़बूल है।

(54) सब से पहले अपनी मस्जिद में आकर दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े दो रकअ़त घर में आकर पढ़े। फिर सबसे ख़ुशी–ख़ुशी मिले।

(55) अज़ीज़ों दोस्तों के लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा ज़रूर लाये और हाजी का तोहफ़ा हरमैन शरीफ़ैन के तबर्रुकात से ज़्यादा क्या है और दूसरा तोहफ़ा दुआ का कि मकान में पहुँचने से पहले इस्तिक़बाल करने वालों और सब मुसलमानों के लिए करे।

मीक़ात का बयान

मीक़ात उस जगह को कहते हैं कि मक्कए मुअज़्ज़मा के जाने वाले को बग़ैर एहराम वहाँ से आगे जाना जाइज़ नहीं अगर्चे तिजारत वग़ैरा किसी और ग़रज़ से जाता हो। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– मीक़ात पाँच हैं :– (1)ज़ुलहुलैफ़ा : यह मदीना तय्यिबा की मीक़ात है। इस ज़माने में इस जगह का नाम अब्यारे अ़ली' है हिन्दुस्तानी या और मुल्क वाले हज से पहले अगर मदीना तय्यिबा को जायें और वहाँ से फिर मक्काए मुअ़ज़्ज़मा को आयें तो वह भी ज़ुलहुलैफ़ा से एहराम बाँधें। **(2) ज़ाते इर्क़** :– यह इराक वालों की मीक़ात है। **(3) जुहफ़ा** : यह शामियों की मीक़ात है मगर जुहफ़ा अब बिल्कुल ख़त्म सा हो गया वहाँ आबादी न रही सिर्फ़ बाज़–बाज़ निशान पाये जाते हैं। इसके जानने वाले अब कम होंगे लिहाज़ा मुल्के शाम वाले 'राबिग़' से एहराम बाँधते हैं कि जुहफ़ा 'राबिग़'के क़रीब है। **(4) क़र्न** : यह नज्द वालों की मीक़ात है यह जगह ताइफ़ के क़रीब है। **(5) यलमलम** : – यह यमन वालों के लिए हैं।

मसअ्ला :– यह मीक़ात उनके लिए भी है जिनका ज़िक्र हुआ और उनके अलावा जो शख़्स जिस मीक़ात से गुज़रे उसके लिए वही मीक़ात है और अगर मीक़ात से न गुज़रा तो जब मीक़ात के मुहाज़ी (बराबर में)आये उस वक़्त एहराम बाँध ले मसलन हिन्दुस्तानियों की मीक़ात यलमलम पहाड़ की मुहाज़ात(बराबरी)है और मुहाज़ात (बराबरी)में आना उसे ख़ुद मअ्लूम न हो तो किसी जानने वाले से पूछ कर मअ्लूम करे और अगर कोई ऐसा न मिले जिससे दरयाफ़्यत करे तो तहर्री (ग़ौर व फ़िक्र) करे अगर किसी तरह मुहाज़ात का इल्म न हो तो मक्कए मुअ़ज़्ज़मा जब दो मन्ज़िल बाक़ी रहे एहराम बाँध ले। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– जो शख़्स दो मीक़ात से गुज़रा मसलन शामी(मुल्के शाम का रहने वाला)कि मदीना मुनव्वरा की राह से ज़ुलहुलैफ़ा आया और वहाँ से जुहफ़ा को आया तो यह अफ़ज़ल है कि पहली मीक़ात पर एहराम बाँधे और दूसरी पर बाँधा जब भी हरज नहीं यूहीं अगर मीक़ात से न गुज़रा और मुहाज़ात में दो मीक़ात पड़ती हैं तो जिस मीक़ात की मुहाज़ात पहले हो वहाँ एहराम बाँधना अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– मक्कए मुअज़्ज़मा जाने का इरादा न हो बल्कि मीक़ात के अन्दर किसी और जगह मसलन जद्दा जाना चाहता है तो उसे एहराम की ज़रूरत नहीं फिर वहाँ से अगर मक्का मुअ़ज़्ज़मा जाना चाहे तो बग़ैर एहराम जा सकता है लिहाज़ा जो शख़्स हरम में बग़ैर एहराम जाना चाहता है वह यह हीला (शरई बहाना) कर सकता है बशर्ते कि वाक़ई उसका इरादा पहले मसलन जद्दा जाने का हो और मक्का मुअ़ज़्ज़मा हज और उ़मरा के इरादे से न जाता हो मसलन तिजारत के लिए जद्दा जाता है और वहाँ से फ़ारिग़ होकर मक्का मुअ़ज़्ज़मा जाने का इरादा है और अगर पहले ही से मक्का मुअ़ज़्ज़मा का इरादा है तो अब बग़ैर एहराम नहीं जा सकता। जो शख़्स दूसरे की तरफ़ से हज्जे बदल को जाता हो उसे यह हीला जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मीकात से पहले एहराम बाँधने में हरज नहीं बल्कि बेहतर है बशर्ते कि हज के महीनों में हो और शव्वाल से पहले हो तो मना है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– जो लोग मीकात के अन्दर के रहने वाले हैं मगर हरम से बाहर हैं उनके एहराम की जगह हिल यअ्नी हरम से बाहर की जगह है। हरम से बाहर जहाँ चाहे एहराम बाँधें और बेहतर यह है कि घर से एहराम बाँधें और यह लोग अगर हज या उमरा का इरादा न रखते हों तो बग़ैर एहराम मक्कए मुअज़्ज़मा जा सकते हैं। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– हरम के रहने वाले हज का एहराम हरम से बाँधें और बेहतर यह है कि मस्जिदे हराम शरीफ़ में एहराम बाँधें और उमरा का एहराम हरम शरीफ़ के बाहर बाँधें और बेहतर यह कि तनईम पहाड़ से उमरा का एहराम बाँधें। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मक्का वाले अगर किसी काम के लिए हरम से बाहर जायें तो उन्हें वापसी के लिए एहराम की हाजत (ज़रूरत) नहीं और मीक़ात से बाहर जायें तो अब बग़ैर एहराम वापस आना उन्हें जाइज़ नहीं। (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

एहराम का बयान

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

तर्जमा :– " हज के चन्द महीने मअ्लूम हैं जिसने उनमें हज(अपने ऊपर)लाज़िम किया (एहराम बाँधा)तो न फ़ुहुश है न फ़िस्क़ (गुनाह)है न झगड़ना हज में, और जो कुछ भलाई करो अल्लाह उसे जानता है और तोशा लो और बेशक सब से अच्छा तोशा तक़वा है और मुझी से डरो ऐ अक़्ल वालो"।

और अल्लाह फ़रमाता है :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۝ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ط

तर्जमा :–" ऐ ईमान वालो ! अक़्द (लेन–देन)पूरे करो तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल किये गये सो उनके जिनका तुम पर बयान होगा मगर हालते एहराम में शिकार का क़स्द (इरादा) न करो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म फ़रमाता है। ऐ ईमान वालो! अल्लाह के शआइर (निशानियों) और माहे हराम और हरम की कुर्बानी और जिन जानवरों के गलों में हार डाले गये (कुर्बानी की अलामत के लिए) उनकी बेहुरमती न करो और न उन लोगों की जो ख़ानए कअ्बा का क़स्द अपने रब के फ़ज़्ल और रज़ा तलब करने के लिए करते हैं और जब एहराम खोलो उस वक़्त शिकार कर सकते हो"।

हदीस न.1 :– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एहराम के लिए एहराम से पहले और एहराम खोलने के लिए तवाफ़ से पहले खुश्बू लगाती जिसमें मुश्क थी उसकी चमक हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँग में एहराम की हालत में गोया मैं अब देख रही हूँ।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद ज़ैद इब्ने साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एहराम बाँधने के लिए ग़ुस्ल फ़रमाया।

हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, कहते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हज को निकले अपनी आवाज़ हज के साथ ख़ूब बलन्द करते।

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा बैहक़ी सहल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि सल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान लब्बैक कहता है तो दाहिने बायें जो पत्थर पायें दरख़्त या ढेला ज़मीन की इन्तिहा तक है लब्बैक कहता है।

हदीस न.5,6 :– इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुहनी से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिब्रील ने आकर मुझसे यह कहा कि अपने असहाब (सहाबा)को हुक्म फ़रमा दीजिए लब्बैक में अपनी आवाज़ बलन्द करें कि यह हज का शिआर (निशानी)है। इसी के मिस्ल साइब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है।

हदीस न.7 :– तबरानी औसत में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि लब्बैक कहने वाला जब लब्बैक कहता है तो उसे बशारत(ख़ुशख़बरी)दी जाती है। अर्ज़ की गई जन्नत की बशारत दी जाती है, फ़रमाया हाँ।

हदीस न.8 :– इमाम अहमद व इब्ने माजा जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह और तबरानी व बैहक़ी आमिर इब्ने रबीआ रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुहरिम (एहराम बाँधने वाला)जब आफ़ताब (सूरज)डूबने तक लब्बैक कहता है तो आफ़ताब डूबने के साथ उसके गुनाह ग़ाइब हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है जैसा उस दिन कि पैदा हुआ।

हदीस न.9 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा अमीरुल मोमिनीन हज़रते सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया हज के अफ़ज़ल अअ्माल (काम)क्या हैं फरमाया बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहना और क़ुर्बानी करना।

हदीस न.10 :– इमाम शाफ़िई व ख़ुज़ैमा इब्ने साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब लब्बैक से फ़ारिग़ होते तो अल्लाह तआला से उसकी रज़ा और जन्नत का सवाल करते और दोज़ख़ से पनाह माँगते।

हदीस न.11 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्ललाहु तआला अन्हा से रावी कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जो मस्जिदे अक़सा से मस्जिदे हराम तक हज या उमरा का एहराम बाँध कर आया उसके अगले और पिछले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे या उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।

एहराम के अहकाम

(1) यह तो पहले मअ्लूम हो चुका है कि हिन्द या पाकिस्तान वालों के लिए मीक़ात (जहाँ से एहराम बाँधने का हुक्म है) **यलमलम पहाड़** की मुहाज़ात (बराबरी)है यह जगह **कामरान** से निकल कर समुन्दर में आती है जब जद्दा दो तीन मन्ज़िल रह जाता है, जहाज़ वाले इत्तिला(ख़बर)दे देते हैं पहले से एहराम का सामान तैयार रखें।(2)जब वह जगह क़रीब आये मिस्वाक करें और वुज़ू करें

और खूब मल कर नहायें न नहा सकें तो सिर्फ़ वुज़ू करें यहाँ तक कि हैज़ व निफ़ास वाली और बच्चे भी नहायें और तहारत (पाकी)के साथ एहराम बाँधें यहाँ तक कि अगर गुस्ल किया फिर बे–वुज़ू हो गया और एहराम बाँध कर वुज़ू किया तो फ़ज़ीलत का सवाब नहीं और पानी ज़रर (नुक़सान)करे तो उसकी जगह तयम्मुम नहीं हाँ अगर नमाज़े एहराम के लिए तयम्मुम करे तो हो सकता है।(3)मर्द चाहें तो सर मुन्डा लें कि एहराम में बालों की हिफ़ाज़त से नजात मिलेगी वरना कंघा करें ख़ुशबूदार तेल डालें। (4) गुस्ल से पहले नाखुन कतरें ख़त बनवायें और नाफ़ के नीचे के बाल और बग़ल के भी बाल साफ़ कर लें बल्कि पीछे के भी यअ्नी नाफ़ के नीचे आगे–पीछे दोनों तरफ़ औरत मर्द दोनों ही बाल बिल्कुल साफ़ कर लें ताकि ढेला लेते वक़्त बालों के टूटने उखड़ने का अन्देशा न रहे। (5) बदन, और कपड़ों पर ख़ुशबू लगायें कि सुन्नत है अगर ख़ुशबू ऐसी है कि उसका जिर्म यअ्नी बारीक–बारीक ज़र्रे बाक़ी रहेंगे जैसे मुश्क वग़ैरा तो कपड़ों पर न लगायें। (6)मर्द सिले कपड़े और मोज़े उतार दें एक चादर नई या धुली ओढ़ें और ऐसा ही एक तहबन्द बाँधें। यह कपड़े सफ़ेद और नये बेहतर हैं और अगर एक ही कपड़ा पहना जिस से सारा सत्र छुप गया जब भी जाइज़ है। बअ्ज़ अवाम यह करते हैं कि उसी वक़्त से चादर दाहिनी बग़ल के नीचे करके दोनों पल्लू बाये मोंढे पर डाल देते हैं यह ख़िलाफ़े सुन्नत है बल्कि सुन्नत यह है कि इस तरह चादर ओढ़ना तवाफ़ के वक़्त है और तवाफ़ के अलावा बाक़ी वक़्तों में आदत के मुवाफ़िक़ चादर ओढ़ी जाये यअ्नी दोनों मोंढे और पीठ और सीना सब छुपा रहे। (7) जब वह जगह आये और वक़्त मकरूह न हो तो दो रकअ्त एहराम की नीयत से पढ़ें पहली में सूरए फ़ातिहा के बअ्द सूरए काफ़िरून दूसरी में सूरए इख़्लास पढ़ें। (8) हज तीन तरह का होता है एक यह कि निरा हज करे इसे इफ़राद कहते हैं और हाजी को **मुफ़रिद**। इस में सलाम के बअ्द यूँ कहे :–

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْہُ لِیْ وَ تَقَبَّلْہُ مِنِّیْ نَوَیْتُ الْحَجَّ وَ اَحْرَمْتُ بِہٖ مُخْلِصًا لِلّٰہِ تَعَالٰی ۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मैं हज का इरादा करता हूँ इसे तू मेरे लिए आसान कर और इसे मुझ से क़बूल कर मैंने हज की नीयत की और ख़ास अल्लाह के लिए मैंने इसका एहराम बाँधा"।

दूसरा यह कि यहाँ से निरे उमरे की नीयत करे मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में हज का एहराम बाँधे इसे तमत्तोअ् कहते हैं और हाजी को मुतमत्तेअ् इसमें यहाँ सलाम के बअ्द यह कहे।

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْعُمْرَۃَ فَیَسِّرْ ھَا لِیْ وَ تَقَبَّلْھَا مِنِّیْ نَوَیْتُ الْعُمْرَۃَ وَ اَحْرَمْتُ بِہٖ مُخْلِصًا لِلّٰہِ تَعَالٰی ۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मैं उमरा का इरादा करता हूँ इसे तू मेरे लिए आसान कर और इसे मुझसे क़बूल कर मैंने उमरे की नीयत की और ख़ास अल्लाह के लिए मैंने इसका एहराम बाँधा।

तीसरा यह कि हज व उमरा दोनों की यहीं से नीयत करे और यह सब से अफ़ज़ल है इसे क़िरान कहते हैं और हाजी को क़ारिन कहते हैं। इसमें सलाम के बअ्द यूँ कहे :

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْعُمْرَۃَ وَ الْحَجَّ فَیَسِّرْ ھُمَا لِیْ وَ تَقَبَّلْھُمَا مِنِّیْ نَوَیْتُ الْعُمْرَۃَ وَالْحَجَّ وَ اَحْرَمْتُ بِہٖ مُخْلِصًا لِلّٰہِ تَعَالٰی

तर्जमा :– ऐ अल्लाह! मैं हज व उमरा का इरादा करता हूँ इसे तू मेरे लिए आसान कर और इसे मुझ से क़बूल कर मैंने हज व उमरा की नीयत की और ख़ास अल्लाह के लिए मैंने इसका एहराम बाँधा"।

और तीनों सूरतों में इस नीयत के बअ्द लब्बैक आवाज़ के साथ कहे, लब्बैक यह है : –

لَبَّیْکَ ط اَللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ ط لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ ط اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَۃَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ

तर्जमा :– " मैं तेरे पास हाज़िर हुआ। ऐ अल्लाह ! मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हुआ। तेरे हुज़ूर हाज़िर हुआ। तेरा कोई शरीक नहीं मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हुआ बेशक तअ्रीफ़ और नेअ्मत और मुल्क तेरे ही लिए है तेरा कोई शरीक नहीं" ।

जहाँ–जहाँ वक़्फ़ की अ़लामतें बनी हैं वहाँ वक़्फ़ करे लब्बैक तीन बार कहे और दुरूद शरीफ़ पढ़े फिर दुआ माँगे एक दुआ यहाँ पर यह मनकूल है :

ٱللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ.

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा और जन्नत का साइल हूँ और तेरे ग़ज़ब और जहन्नम से तेरी ही पनाह माँगता हूँ"

और यह दुआ भी बुजुर्गों से मन्कूल है:–

اَللّٰهُمَّ اَحْرَمَ لَكَ شَعْرِىْ وَ بَشَرِىْ وَ عَظْمِىْ وَ دَمِىْ مِنَ النِّسَآءِ وَ الطِّيْبِ وَ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمْتَهٗ عَلَى الْمُحْرِمِ
اَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَكَ الْكَرِيْمَ. لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ كُلُّهٗ بِيَدَيْكَ وَ الرَّغْبَآءُ اِلَيْكَ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ لَبَّيْكَ
ذَا النَّعْمَآءِ وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ لَبَّيْكَ مَرْغُوْبًا وَّ مَرْهُوْبًا اِلَيْكَ لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْخَلْقِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَّ رِقًّا لَبَّيْكَ عَدَدَ
التُّرَابِ وَالْحَصٰى لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مِنْ عَبْدٍ اَبَقَ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ فَرَّاجَ الْكُرُوْبِ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ اَنَا عَبْدُكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوْبِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى اَدَآءِ فَرْضِ الْحَجِّ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ وَاجْعَلْنِىْ
مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لَكَ وَ اٰمَنُوْا بِوَعْدِكَ وَ اتَّبَعُوْا اَمْرَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّفْدِكَ الَّذِيْنَ رَضِيْتَ عَنْهُمْ وَ اَرْضَيْتَهُمْ وَ قَبِلْتَهُمْ ٥

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! तेरे लिए एहराम बाँधा मेरे बाल और बशरा ने और मेरी हड्डी और मेरे ख़ून ने औरतों और ख़ुश्बू से और हर उस चीज़ से जिसको तूने मुहरिम पर हराम किया उस से मैं तेरे वजहे करीम का तालिब हूँ मैं तेरे हुज़ूर में हाज़िर हुआ और कुल ख़ैर तेरे हाथ में है और रग़बत व अच्छा अ़मल तेरी तरफ़ है मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हुआ। ऐ नेअ्मत और अच्छे फ़ज़्ल वाले ! मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हुआ तेरी तरफ़ रग़बत करता हुआ और डरता हुआ, तेरे हुज़ूर हाज़िर हुआ। ऐ मख़लूक़ के मअ्बूद! बार बार हाज़िर हूँ। ऐ बलन्दियों की गिनती के मुवाफ़िक़ लब्बैक बार–बार हाज़िर हूँ। ऐ बलन्दियों वाले! बार–बार हाज़िरी है भागे हुए ग़ुलाम की तेरे हुज़ूर। लब्बैक लब्बैक ऐ सख़्तियों के दूर करने वाले! लब्बैक लब्बैक मैं तेरा बन्दा हूँ लब्बैक ऐ गुनाहों के बख़्शने वाले! ऐ अल्लाह ! हज्जे फ़र्ज़ के अदा करने पर मेरी मदद कर और उसको मेरी तरफ़ से क़बूल कर और मुझको उन लोगों में कर जिन्होंने तेरी बात क़बूल की और तेरे वअ्दे पर ईमान लाये तेरे अम्र (हुक्म) का इत्तिबाअ् किया और मुझको अपने उस वफ़्द (जमाअ़त) में कर दे जिन से तू राज़ी है और जिन को तूने राज़ी किया और जिनको तूने मक़बूल बनाया" ।

और लब्बैक की कसरत करें जब शुरूअ् करें तीन बार कहें।

मसअला :– लब्बैक के अलफ़ाज़ जो मज़कूर हुए इनमें कमी न की जाये ज़्यादा कर सकते हैं बल्कि बेहतर है मगर ज़्यादती आख़िर में हो दरमियान में न हो। (जौहरा)

मसअला :– जो शख़्स बलन्द आवाज़ से लब्बैक कह रहा है तो उसको इस हालत में सलाम न किया जाये कि मकरूह है और अगर कर लिया तो ख़त्म करके जवाब दे हाँ अगर जानता हो कि ख़त्म करने के बअ्द जवाब का मौक़ा न मिलेगा तो इस वक़्त जवाब दे सकता है। (मुनसक)

मसअला :– एहराम के लिए एक मरतबा ज़बान से लब्बैक कहना ज़रूरी है और अगर उसकी जगह

سُبْحٰنَ اللّٰہ या اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ या لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ या कोई और ज़िके इलाही किया और एहराम की नियत की तो एहराम हो गया मगर सुन्नत लब्बैक कहना है। (आलमगीरी वग़ैरा)गूँगा हो तो उसे चाहिए कि होंट को जुम्बिश दे (हिलाये)

मसअ्ला :– एहराम के लिए नियत शर्त है अगर बग़ैर नीयत लब्बैक कहा एहराम न हुआ यूहीं तन्हा नियत भी काफ़ी नहीं जब तक लब्बैक या उसके क़ाइम मक़ाम कोई और चीज़ न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एहराम के वक़्त लब्बैक कहे तो उसके साथ नियत भी हो यह बारहा मअ्लूम हो चुका है कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं दिल में इरादा न हो तो एहराम ही न हुआ और बेहतर यह है कि ज़बान से भी कहे मसलन क़िरान में لَبَّیْكَ بِالْعُمْرَۃِ وَالْحَجِّ और तमत्तोअ् में لَبَّیْكَ بِالْعُمْرَۃِ और इफ़राद में لَبَّیْكَ بِالْحَجِّ कहे। (दुर्रे मुख़्तार)

तम्बीह :– हर मुसलमान को अरबी पढ़ने का ढंग सीखना बहुत ज़रूरी है।

मसअ्ला :– दूसरे की तरफ़ से हज को गया तो उसकी तरफ़ से हज करने की नियत करे और यअ्नी फुलाँ की जगह उसका नाम ले और अगर لَبَّیْكَ عَنْ فُلَانٍ बेहतर यह है कि लब्बैक में यूँ कहे नाम न लिया मगर दिल में इरादा है जब भी हरज नहीं। (मुनसक)

मसअ्ला :– सोने वाले या मरीज़ या बेहोश की तरफ़ से किसी और ने एहराम बाँधा तो वह मुहरिम हो गया जिसकी तरफ़ से एहराम बाँधा गया मुहरिम के अहकाम उस पर जारी होंगे अगर कोई ग़लत काम किया तो कफ़्फ़ारा वग़ैरा इसी पर यअ्नी जिसकी तरफ़ से बाँधा गया लाज़िम आयेगा उस पर नहीं जिसने उसकी तरफ़ से एहराम बाँध दिया और एहराम बाँधने वाला ख़ुद भी मुहरिम है और जुर्म किया तो एक ही जज़ा (बदला) वाजिब होगी दो नहीं कि उसका एक ही एहराम है। मरीज़ और सोने वाले की तरफ़ से एहराम बाँधने में यह ज़रूर है कि एहराम बाँधने का उन्होंने हुक्म दिया हो और बेहोशी में इजाज़त की ज़रूरत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हज के तमाम काम पूरा करने तक बेहोश रहा और एहराम के वक़्त होश में था और अप ने आप एहराम बाँधा था तो उसके साथ वाले तमाम मक़ामात में ले जायें और अगर एहराम के वक़्त भी बेहोश था उन्हीं लौगों ने एहराम बाँध दिया था तो ले जाना बेहतर है ज़रूर नहीं।(दुर्रे)

मसअ्ला :– एहराम के बअ्द मजनून (पागल)हुआ तो हज सही है और जुर्म करेगा तो जज़ा लाज़िम (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नासमझ बच्चे ने ख़ुद एहराम बाँधा या हज के सारे काम पूरे किये तो हज न हुआ बल्कि उसका वली उसकी तरफ़ से बजा लाये मगर तवाफ़ के बअ्द की दो रकअ्तें कि बच्चे की तरफ़ से वली न पढ़ेगा। उसके साथ बाप और भाई दोनों हों बाप अरकान अदा करे समझ वाला बच्चा ख़ुद हज के काम पूरा करे। रमी वग़ैरा बाज़ बातें छोड़ दें तो उन पर कफ़्फ़ारा वग़ैरा लाज़िम नहीं यूहीं नासमझ बच्चे की तरफ़ से उसके वली ने एहराम बाँधा और बच्चे ने कोई ग़लत काम किया तो बाप पर भी कुछ लाज़िम नहीं।(आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बच्चे की तरफ़ से एहराम बाँधा तो उसके सिले हुए कपड़े उतार लेने चाहिए चादर और तहबन्द पहनायें और उन तमाम बातों से बचायें जो मुहरिम के लिए नाजाइज़ हैं और हज को फ़ासिद कर दिया तो क़ज़ा वाजिब नहीं अगर्चे वह बच्चा समझ वाला हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– लब्बैक कहते वक़्त नियत क़िरान की है तो क़िरान है और इफ़राद की है तो इफ़राद अगर्चे ज़बान से न कहा हो। हज के इरादे से गया और एहराम के वक़्त नियत हाज़िर न रही तो हज है और अगर कुछ न थी तो जब तक तवाफ़ न किया हो उसे इख़्तियार है कि हज का एहराम क़रार दे या उ़मरे का और तवाफ़ का एक फेरा भी कर चुका तो यह एहराम उ़मरा का हो गया यूहीं तवाफ़ से पहले जिमा किया या रोक दिया गया (जिसको इह्सार कहते हैं)तो उ़मरा क़रार दिया जाये यअ्नी क़ज़ा में उ़मरा करना काफ़ी है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस ने हज्जतुल इस्लाम न किया हो और हज का एहराम बाँधा फ़र्ज़ व नफ़्ल की नियत न की तो हज्जतुल इस्लाम अदा हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो हज का एहराम बाँधा तो दो हज वाजिब हो गये और दो उ़मरे का बाँधा तो दो उ़मरे वाजिब हो गये। एहराम बाँधा और हज या उ़मरा किसी ख़ास को मुअ़य्यन न किया फिर हज का एहराम बाँधा तो पहला उ़मरा है और दूसरा उ़मरा का बाँधा तो पहला हज है और अगर दूसरे एहराम में भी कुछ नियत न की तो क़िरान है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– लब्बैक में हज कहा और नियत उ़मरा की है लफ़्ज़ का एअ्तिबार नहीं और लब्बैक में हज कहा और नियत दोनों की है तो क़िरान है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एहराम बाँधा और याद नहीं कि किस का बाँधा था तो दोनों वाजिब हैं यअ्नी क़िरान के अफ़आ़ल बजा लाये कि पहले उ़मरा करे फिर हज मगर क़िरान की कुर्बानी उसके ज़िम्मा नहीं। अगर दो चीज़ों का एहराम बाँधा और याद नहीं कि दोनों हज हैं या दोनों उ़मरे या हज व उ़मरा दोनों तो क़िरान है और कुर्बानी वाजिब। हज का एहराम बाँधा और यह नियत नहीं कि किस साल करेगा तो जिस साल एहराम बाँधा उस साल का मुराद लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मन्नत व नफ़्ल या फ़र्ज़ व नफ़्ल का एहराम बाँधा तो नफ़्ल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह नियत की कि फुलाँ ने जिसका एहराम बाँधा उसी चीज़ का मेरा एहराम है और बअ्द में मअ्लूम हो गया कि उसने किस चीज़ का एहराम बाँधा है तो उसका भी वही है और मअ्लूम न हुआ तो तवाफ़ के पहले फेरे से पेशतर (पहले)जो चाहे मुअ़य्यन कर ले और तवाफ़ का एक फेरा कर लिया तो उ़मरा का हो गया यूहीं तवाफ़ से पहले जिमाअ् किया या रोक दिया गया या वुक़ूफ़े अ़रफ़ा का वक़्त न मिला तो उ़मरा का है।(मुनसक)

मसअ्ला :– हज्जे बदल या मन्नत या नफ़्ल की नियत की तो जो नियत की वही है अगर्चे उसने अब तक फ़र्ज़ हज न किया हो और अगर एक ही हज में फ़र्ज़ व नफ़्ल दोनों की नियत की तो फ़र्ज़ अदा होगा और अगर यह गुमान करके एहराम बाँधा कि यह हज मुझ पर लाज़िम न था तो उस हज को पूरा करना ज़रूरी होगया फ़ासिद करेगा तो क़ज़ा लाज़िम होगी ब–ख़िलाफ़े नमाज़ कि फ़र्ज़ समझ कर शुरूअ् की थी बअ्द को मअ्लूम हुआ कि फ़र्ज़ पढ़ चुका है तो पूरी करना ज़रूरी नहीं फ़ासिद करेगा तो क़ज़ा नहीं। (मुनसक)

मसअ्ला :– लब्बैक कहने के अ़लावा एक दूसरी सूरत भी एहराम की है अगर्चे लब्बैक न कहना बुरा है कि सुन्नत का तर्क है वह यह कि बदना (यअ्नी ऊँट या गाय)के गले में हार डाल कर हज या उ़मरा या दोनों में एक ग़ैर मुअ़य्यन के इरादे से हाँकता हुआ ले चला तो मुहरिम हो गया अगर्चे लब्बैक न कहे ख़्वाह: वह बदना नफ़्ल का हो या नज़र का या शिकार का बदला या कुछ और अगर

दूसरे के हाथ बदना भेजा फिर खुद गया तो जब तक रास्तें में उसे पा न ले मुहरिम न होगा लिहाज़ा अगर मीक़ात तक न पाया तो लब्बैक के साथ एहराम बाँधना ज़रूरी है। हाँ अगर तमत्तोअ़ या क़िरान का जानवर है तो पा लेना शर्त नहीं मगर उसमें यह ज़रूरी है कि हज के महीनों में तमत्तोअ़ या क़िरान का बदना भेजा हो और उन्हीं महीनों में खुद भी चला हो पहले से भेजना काम न देगा और अगर बकरी को हार पहना कर भेजा या ले चला या ऊँट गाय को हार न पहनाया बल्कि निशानी के लिए कोहान चीर दिया या झूल उड़ा दिया तो मुहरिम न हुआ।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चन्द शख़्स बदना में शरीक हैं और उसे लिए जाते हैं सबके हुक्म से एक ने उसे हार पहनाया सब मुहरिम हो गये और बग़ैर उनके हुक्म के उसने पहनाया तो यह मुहरिम हुआ वह न हुए। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हार पहनाने के यह मअ्ना हैं कि ऊन या बाल की रस्सी में कोई चीज़ बाँध कर उसके गले में लटका दें कि लोगों को मअ्लूम हो जाये कि हरम शरीफ़ में कुर्बानी के लिए है ताकि उस से कोई छेड़छाड़ न करे और रास्ते में थक गया और ज़िबह कर दिया तो उसे मालदार शख़्स न खायें (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इस सूरत में भी सुन्नत यही है कि बदना को हार पहनाने से पहले लब्बैक कहे।(मुनसक)

वह बातें जो एहराम में हराम है

एहराम की हालत में यह बातें हराम हैं:–(1)औरत से सोहबत(हम्बिस्तरी)(2)बोसा यअ्नी चूमना(3)मसास यअ्नी गोद में लेना(4)गले लगाना(5) उसकी शर्मगाह पर नज़र करना जबकि यह चारों बातें शहवत के साथ हों (6) औरत के सामने जिमाअ् और बोसा वग़ैरा का नाम लेना (7) फुहुश यअ्नी बेहूदा बकवास (8)गुनाह हमेशा हराम थे अब और सख़्त हराम हो गये(9)किसी से दुनियवी लड़ाई झगड़ा(10)जंगल का शिकार खुद करना(11)जंगल के शिकार की तरफ शिकार करने को इशारा करना (12) या किसी तरह बताना (13)बन्दूक़ या बारूद या उसके ज़िबह करने की छुरी देना(14)शिकार के अन्डे तोड़ना(15)पर उखाड़ना(16)पाँव या बाज़ू तोड़ना(17)शिकार का दूध दुहना (18)शिकार का गोश्त या (19) अन्डे पकाना या भूनना(20) बेचना (21) ख़रीदना (22) खाना(23)और अपना या दूसरे का नाख़ून कतरना या दूसरे से अपना कतरवाना(24)सर से पाँव तक कहीं से कोई बाल किसी तरह अलग करना (25) मुँह या (26) सर किसी कपड़े वग़ैरा से छुपाना (27) बस्ता या कपड़े की पोटली या गठरी सर पर रखना (28) इमामा बाँधना (29) बुर्का, दस्ताने पहनना मोज़े या जुर्राबें जो पैर के दरमियानी हिस्से को छुपाये (जहाँ अ़रबी जूते का तस्मा होता है) पहनना अगर जूतियाँ न हों तो मोज़े काट कर पहनें कि वह तस्मा की जगह न छुपे (32)सिला कपड़ा पहनना (33)खुश्बू बालों या (34) बदन या (35) कपड़ों में लगाना(36)मल्लागीरी या कुसूम या ज़अ्फ़रान ग़रज़ किसी खुशबू के रंगे कपड़े पहनना जबकि अभी खुश्बू दे रहे हों(37)ख़ालिस खुश्बू मुश्क अम्बर, ज़अ्फ़रान, जावित्री, लौंग, इलायची, दारचीनी; सोंठ वग़ैरा खाना(38)ऐसी खुश्बू का आँचल में बाँधना जिसमें फ़िलहाल महक हो जैसे मुश्क,अम्बर ,ज़अ्फ़रान(39)सर या दाढ़ी को ख़त्मी या किसी खुश्बूदार ऐसी चीज़ से धोना जिससे जूएँ मर जायें(40) वसमा(एक तरह का रंग जो नील के पत्तों से बनाया जाता है)या मेहंदी का ख़िज़ाब लगाना(41)गोंद वग़ैरा से बाल जमाना(42)ज़ैतून या (43)तिल का तेल अगर्चे बेखुश्बू हो बालों या बदन में लगाना(44)किसी का सर मूँडना अगर्चे उसका एहराम न हो(45)जूँ मारना(46) जूँ फेंकना (47)किसी को जूँ मारने का इशारा करना

(48)कपड़ा उसके मारने को धोना या(49) धूप में डालना(50)बालों में पारा वग़ैरा उसके मारने को लगाना ग़रज़ जूँ के मार डालने पर किसी तरह की मदद करना या कराना।

एहराम के मकरूहात

मसअला :– एहराम में यह बातें मकरूह हैं।(1)बदन का मैल छुड़ाना (2) बाल या बदन खली या साबुन वग़ैरा बेखुश्बू की चीज से धोना (3)कंघी करना(4)इस तरह खुजाना कि बाल टूटने या जूँ के गिरने का अन्देशा हो(5)अंगरखा कुर्ता, चुग़ा पहनने की तरह कन्धों पर डालना (6) खुश्बू की धूनी दिया हुआ कपड़ा कि अभी जिस में खुश्बू बाक़ी हो उसे पहनना या ओढ़ना (7)जानबूझ कर खुश्बू सूँघना अगर्चे खुश्बुदार फल या पत्ता हों जैसे नींबू नारंगी पोदीना, इत्रदाना (8)इत्रफ़रोश की दुकान पर इस ग़रज़ से बैठना कि खुश्बू से दिमाग़ मुअ़त्तर होगा (9)सर(10)या मुँह पर पट्टी बाँधना (11)ग़िलाफ़े कअ़बा के अन्दर इस तरह दाख़िल होना कि ग़िलाफ़ शरीफ़ सर या मुँह से लगे (12)नाक वग़ैरा मुँह का कोई हिस्सा कपड़े से छुपाना (13)कोई ऐसी चीज़ खाना पीना जिसमें खुश्बू पड़ी हो और न वह पकाई गई हो न महक ख़त्म हो गई हो(14)बिना सिला कपड़ा रफ़ू किया हुआ या पैवन्द लगा हुआ पहनना(15) तकिया पर मुँह रख कर औंधा यअ़नी मुँह नीचे की तरफ़ करके लेटना(16)महकती खुश्बू हाथ से छूना जबकि हाथ में लग न जाये, और अगर खुश्बू हाथ में लग गई तो हराम है(17)बाजू या गले पर तावीज़ बाँधना अगर्चे बे–सिले कपड़े में लपेट कर बाँधे(18)बिला उज़्र बदन पर पट्टी बाँधना(19)सिंगार करना (20)चादर ओढ़ कर उसके आँचलों में गिरह दे देना जैसे गाँती बाँधते हैं उस तरह बाँधना या किसी और तरह पर बाँधना जबकि सर खुला हो और अगर सर छुपा होगा तो हराम है (21)यूँही तहबन्द के दोनों किनारों में गिरह(गाँठ)देना (22)तहबन्द बाँध कर कमरबन्द या रस्सी से कसना।

यह बातें एहराम में जाइज़ हैं

(1)अंगरखा, कुर्ता चुग़ा लेट कर ऊपर से इस तरह डाल लेना कि सर और मुँह न छुपे (2) इन चीज़ों या पाजामा का तहबन्द बाँध लेना (3)चादर के आँचलों को तहबन्द में घुरसना(4)हिमयानी यअ़नी वह थैली की तरह पट्टी जिसमें रुपया–पैसा रख कर सफ़र की हालत में कमर से बाँध लेते हैं या सिर्फ़ (5) पट्टी बाँधना या (6) हथियार बाँधना (7) बेमैल छुड़ाए लोटे वग़ैरा से नहाना(8)पानी में ग़ोता लगाना(9)कपड़े धोना जबकि जूँ मारने की ग़रज़ से न हो(10)मिस्वाक करना(11)किसी चीज़ के साया में बैठना(12)छतरी लगाना(13)अँगूठी पहनना(14)बे–खुश्बू का सुर्मा लगाना(15)दाढ़ उखाड़ना(16) टूटे हुए नाख़ुन का जुदा करना(17)दुम्बल (फ़ोड़ा)या फुन्सी तोड़ देना(18)ख़तना करना(19)फ़स्द खोलना यअ़नी ख़ून निकलवाना या निकालना(20)बग़ैर बाल मूँडे पछने कराना(21)आँख में जो बाल निकले उसे जुदा करना (22) सर या बदन इस तरह आहिस्ता खुजाना कि बाल न टूटे(23)एहराम से पहले जो खुश्बू लगाई उसका लगा रहना,(24)पालतू जानवर ऊँट,गाय बकरी, मुर्गी वग़ैरा जिबह करना (25)पकाना(26) खाना (27) उस का दूध दुहना (28) उस के अन्डे तोड़ना, भूनना, खाना (29)जिस जानवर को ग़ैर मुहरिम ने शिकार किया और किसी मुहरिम ने उसके शिकार या ज़िबह में किसी तरह की मदद न की हो उसका खाना इस शर्तों के साथ कि वह जानवर न हरम का हो न हरम में ज़बह किया गया हो (30) खाने के लिए मछली का शिकार करना (31) दवा के लिए किसी दरियाई जानवर का मारना, दवा या ग़िज़ा के लिए न हो सिर्फ़ दिल बहलाने के लिए हो जिस तरह लोगों में राइज है तो शिकार दरिया का हो या जंगल का खुद ही

हराम है और एहराम में और सख़्त हराम (32) हरम के बाहर की घास उखाड़ना या (33)दरख़्त काटना(34)चील,(35)कौआ चूहा, (37) गिरगिट, (38) छिपकली,(39)साँप,(40)बिच्छू (41) खटमल,(42) मच्छर,(43)पिस्सू (44) मक्खी वग़ैरा ख़बीस व मूज़ी(तकलीफ़ देने वाले)जानवरों का मारना अगर्चे हरम में हो(45)मुँह और सर के सिवा किसी और जगह ज़ख़्म पर पट्टी बाँधना (46)सर या (47)गाल के नीचे तकिया रखना(48)सर या(49)नाक पर अपना या दूसरे का हाथ रखना(50) कान कपड़े से छुपाना (51) ठोड़ी से नीचे दाढ़ी पर कपड़ा आना(52)सर पर सीनी(थाल) या बोरी उठाना(53)जिस खाने के पकने में मुश्क वग़ैरा पड़े हों अगर्चे खुश्बू दें या(54)बे–पकाये जिसमें कोई खुश्बू डाली और वह बू नहीं देती उसका खाना–पीना(55)घी या चर्बी या कड़वा तेल या नारियल या बादाम या लौकी का तेल कि अलग से इन चीज़ों में खुशबू न मिलाई गई हो,इनका बालों या बदन में लगाना(56) खुश्बू के रंगे हुए कपड़े पहनना जबकि उनकी खुश्बू जाती रही हो मगर कुसुम, ज़ाफ़रान का रंग मर्द को वैसे ही हराम है(57) दीन के लिए झगड़ना बल्कि इसबे हाजत यअ़नी ज़रूरत के वक़्त फ़र्ज़ व वाजिब है(58)जूता पहनना जो पाँव के जोड़ को न छुपाये (59) बिना सिले कपड़े में लपेट कर तअ़वीज़ गले में डालना(60)आईना देखना(61) ऐसी खुश्बू का छूना जिसमें फ़िलहाल महक नहीं जैसे अगर, लोबान, सन्दल या (62)उसका आँचल में बाँधना (63) निकाह करना।

एहराम में मर्द और औरत के फ़र्क़

इन ज़िक्र किये गये मसाइल में मर्द व औरत बराबर हैं मगर औरत को चन्द बातें जाइज़ हैं। (1)सर छुपाना बल्कि ना–महरम के सामने और नमाज़ में फ़र्ज़ है(2)सर पर बिस्तर या बुक़चा(गठरी) उठाना जाइज़ है(3)गोंद वग़ैरा से बाल जमाना (4) सर वग़ैरा पर पट्टी ख़्वाह बाज़ू या गले पर तावीज़ बाँधना अगर्चे सी कर(5) ग़िलाफ़े कअ़बा के अन्दर यूँ दाख़िल होना कि सर पर रहे मुँह पर न आये(6) दस्ताने, (7) मोज़े (8)सिले कपड़े पहनना (9) औरत इतनी आवाज़ से लब्बैक न कहे कि नामहरम सुने हाँ इतनी आवाज़ हर पढ़ने में हमेशा सबको ज़रूर है कि अपने कान तक आवाज़ आये।

तम्बीह :– एहराम में मुँह छुपाना औरत को भी हराम है ना–महरम के आगे कोई पंखा वग़ैरा मुँह से बचा हुआ सामने रखे।

जो बातें एहराम में नाजाइज़ हैं वह किसी उज़्र से या भूल कर हों तो गुनाह नहीं मगर उन पर जो जुर्माना मुक़र्रर है हर तरेह देना ज़रूरी है अगर्चे बे–ख़्याली में हों या सहवन(भूल से) या जबरन(जबरदस्ती)या सोते में। तवाफ़े क़ुदूम के सिवा एहराम के वक़्त से जुमरा की रमी तक जिस का ज़िक्र आयेगा अक्सर औक़ात लब्बैक की बे–शुमार कसरत रखे यअ़नी खूब कहता रहे,उठते –बैठते ,चलते–फ़िरते ,वुज़ू–बेवुज़ू हर हाल में खुसूसन चढ़ाई पर चढ़ते उतरते वक़्त दो क़ाफ़िलों के मिलते, सुब्ह शाम, पिछली रात पाँचों नमाज़ों के बाद ग़रज़ यह कि हर हालत बदलने पर मर्द बा आवाज़ कहें मगर न इतनी बुलन्द कि अपने आप या दूसरे को तकलीफ़ हो और औरतें पस्त(हल्की) आवाज़ से मगर न इतनी पस्त आवाज़ से कि ख़ुद भी न सुनें।

दाख़िले हरमे मुहतरम व मक्कए मुकर्रमा व मस्जिदे हराम

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ
وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ

إِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ o

तर्जमा : – ''और जब इब्राहीम ने कहा ,ऐ परवर्दिगार! इस शहर को अमन वाला कर दे और इसके अहल (रहने वालों) में से जो अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान लाये उन्हें फलों से रोज़ी दे। फ़रमाया अल्लाह ने और जिसने कुफ़्र किया उसे भी कुछ बरतने को दूँगा फिर उसे आग के अज़ाब की तरफ़ मुज़तरब (मजबूर) करूँगा और बुरा ठिकाना है वह। और जब इब्राहीम व इस्माईल ख़ानए कअ्बा की बुनियादें बलन्द करते हुए कहते थे ऐ परवर्दिगार! तू हम से (इस काम)को क़बूल फ़रमा बेशक तू ही है सुनने वाला और जानने वाला और हमें तू अपना फ़रमाँबरदार बना और हमारी ज़ुर्रियत (औलाद) से एक गिरोह को अपना फरमाँबरदार बना और हमारे इबादत के तरीक़े हम को दिखा और हम पर रुजूअ् फ़रमाँ बेशक तू ही बड़ा तौबा क़बूल फ़रमाने वाला रहम करने वाला है''।

और फ़रमाता है:–

o أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى إِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

तर्जमा :– क्या हमने उसे अमन वाले हरम में क़ुदरत न दी कि वहाँ हर क़िस्म के फल लाये जाते हैं जो हमारी जानिब से रिज़्क़ हैं मगर बहुत से लोग नहीं जानते।

और फ़रमाता है : –

o إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

तर्जमा :– '' मुझे तो यही हुक्म हुआ कि इस शहर के परवर्दिगार की इबादत करूँ जिसने इसे हरम किया और उसी के लिए हर शय है और मुझे हुक्म हुआ कि मैं मुसलमानों में से रहूँ''।

हदीस न.1व 2 : – सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़तहे मक्का के दिन यह इरशाद फ़रमाया इस शहर को अल्लाह तआला ने हरम (बुजुर्ग) कर दिया है जिस दिन आसमान व ज़मीन को पैदा किया तो वह रोज़े क़ियामत तक के लिए अल्लाह तआला के किये से हरम है मुझसे पहले किसी के लिए इसमें क़िताल हलाल (जाइज़)न हुआ और मेरे लिए सिर्फ़ थोड़े से वक़्त में हलाल हुआ और अब फिर वह क़ियामत तक के लिए हराम है न यहाँ का काटने वाला दरख़्त काटा जाये न इसका शिकार भगाया जाये और न यहाँ का पड़ा हुआ माल कोई उठाये मगर जो एअ्लान करना चाहता हो (उसे उठाना जाइज़ है)और न यहाँ की तर घास काटी जाये। हज़रते अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! मगर अज़ख़र (एक क़िस्म की घास है)उसके काटने की इजाज़त दे दीजिये कि लुहारों और घर के बनाने में काम आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दे दी। इसी की मिस्ल अबूशुरैह अदवी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है।

हदीस न.3 :– इब्ने माजा अयाश इब्ने अबी रबीआ मखज़ूमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह उम्मत हमेशा ख़ैर के साथ रहेगी

जब तक इस हुरमत की पूरी तअ़ज़ीम करती रहेगी और जब लोग उसे ज़ाए कर देंगे यअ़नी तअ़ज़ीम नहीं करेंगे तो हलाक (बर्बाद) हो जायेंगे।

हदीस न.4 :– तबरानी औसत में जाबिर रदियल्लल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कअ़बा के लिए ज़बान और होंट हैं उसने शिकायत की कि ऐ रब! मेरे पास आने वाले और मेरी ज़्यारत करने वाले कम हैं अल्लाह तआ़ला ने 'वही' की कि मैं खुशुअ़ करने वाले, सज्दा करने वाले आदमियों को पैदा करूँगा जो तेरी तरफ़ ऐसे माइल होंगे (दौड़ेंगे)जैसे कबूतरी अपने अन्डे की तरफ़ माइल होती है।

हदीस न. 5 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाते तो ज़ीतुवा (जगह का नाम है)में रात गुज़ारते जब सुबह होती ग़ुस्ल करते और नमाज़ पढ़ते और दिन में मक्का में दाख़िल होते और जब मक्का से तशरीफ़ ले जाते तो सुबह तक ज़ीतुवा में क़ियाम फ़रमाते।

दाख़िली हरम के अहकाम

(1) जब हरमे मक्का के मुत्तसिल(करीब) पहुँचे, सर झुकाये, आँखें गुनाह के शर्म से नीची किये, खुशअ़ व खुज़ूअ़ से दाख़िल हो और हो सके तो पैदल, नंगे पाँव और लब्बैक व दुआ़ की कसरत रखे और बेहतर यह कि दिन में नहा कर दाख़िल हो, हैज व निफ़ास वाली औ़रत को भी नहाना मुस्तहब है।

(2) मक्का मुअ़ज़्ज़मा के आसपास कई कोस तक हरम का जंगल है हर तरफ़ उसकी हदें बनी हुई हैं उन हदों के अन्दर तर(गीली)घास उखेड़ना, खुद से उगे हुए पेड़ का काटना वहाँ के वहशी (जंगली)जानवरों को तकलीफ़ देना हराम है, यहाँ तक कि अगर सख़्त धूप हो और एक ही पेड़ है उसके साये में हिरन बैठा है तो जाइज़ नहीं कि अपने बैठने के लिये उसे उठाये और अगर वहशी जानवर बेरूने हरम(हरम के बाहर)का उसके हाथ में था उसे लिए हुए हरम में दाख़िल हुआ अब वह जानवर हरम का हो गया फ़र्ज़ है कि फ़ौरन–फ़ौरन छोड़ दे। मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में जंगली कबूतर बहुत हैं। हर मकान में रहते हैं। ख़बरदार! हरगिज़–हरगिज़ न उड़ाये न डराये न कोई ईज़ा (तकलीफ़)पहुँचाये। बाज़ इधर–उधर के लोग जो मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में बसे हुए हैं उन कबूतरों का अदब नहीं करते उनकी बराबरी न करें मगर उन्हें बुरा भी न कहें कि जब वहाँ के जानवर का अदब है तो मुसलमान इन्सान का क्या कहना। यह बातें जो हरम के मुतअ़ल्लिक़ बयान की गई एहराम के साथ ख़ास नहीं एहराम हो या न हो बहरहाल यह बातें हराम हैं।

नोट :– कहा जाता है कि यह कबूतर उस मुबारक जोड़े की नस्ल से हैं जिसने हुज़ूर सय्यिदे आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की हिजरत के वक़्त ग़ारे सौर में अन्डे दिये थे। अल्लाह तआ़ला ने इस ख़िदमत के सिला(बदले) में उनको अपने हरमे पाक में जगह बख़्शी।

(3) जब मक्कए मुअ़ज़्ज़मा नज़र पड़े ठहर कर दुआ़ पढ़े

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ بِهَا قَرَارًا وَّ ارْزُقْنِيْ فِيْهَا رِزْقًا حَلَالًا .

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तू मुझे इसमें बरक़रार रख और मुझे इसमें हलाल रोज़ी दे"।

और दुरुद शरीफ़ की कसरत करे और अफ़ज़ल यह है कि नहा कर दाख़िल हो और जन्नतुल

मुअल्ला में दफ़न किये हुए मुसलमानों के लिए फ़ातिहा पढ़े और मक्कए मुअज़्ज़मा में दाख़िल होते वक़्त यह दुआ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُبَلَدُكَ جِئْتُكَ هَارِبًا مِّنْكَ اِلَيْكَ لِاُدِّیَ فَرَائِضَكَ وَ اَطْلُبَ رَحْمَتَكَ وَ اَلْتَمِسَ رِضْوَانَكَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّيْنَ اِلَيْكَ الْخَائِفِيْنَ عُقُوْبَتَكَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَقْبَلَنِیَ الْيَوْمَ بِعَفْوِكَ وَ تُدْخِلَنِیْ فِیْ رَحْمَتِكَ وَ تَتَجَاوَزَ عَنِّیْ بِمَغْفِرَتِكَ وَ تُعِيْنَنِیْ عَلٰی اَدَآءِ فَرَائِضِكَ اَللّٰهُمَّ نَجِّنِیْ مِنْ عَذَابِكَ وَافْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اَدْخِلْنِیْ فِيْهَا وَ اَعِذْنِیْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ط

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है और मैं तेरा बन्दा हूँ और यह शहर तेरा शहर है मैं तेरे पास तेरे अज़ाब से भाग कर हाज़िर हुआ कि तेरे फ़राइज़ को अदा करूँ और तेरी रहमत को तलब करूँ और तेरी रज़ा को तलाश करूँ मैं तुझ से इस तरह सवाल करता हूँ जैसे मुज़तर(बेक़रार,मजबूर)और तेरे अज़ाब से डरने वाले सवाल करते हैं मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि आज तू अपने अफ़्व के साथ मुझ को क़बूल कर और अपनी रहमत में मुझे दाख़िल कर अपनी मग़फ़िरत के साथ मुझसे दरगुज़र फ़रमा और फ़राइज़ की अदा पर मेरी इआनत(मदद)कर। ऐ अल्लाह! मुझको अपने अज़ाब से नजात (छुटकारा)दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे और उसमें मुझे दाख़िल कर और शैतान मरदूद से मुझे पनाह में रख।"

(4)जब मदआ में पहुँचे यह वह जगह है यहाँ से कअ़बए मुअज़्ज़मा नज़र आता था जबकि दरमियान में इमारतें हाइल न थीं। यह अज़ीम इजाबत व क़बूल का वक़्त है यहाँ ठहरे और सिद्क़े दिल (दिल की सच्चाई)से अपने और तमाम अज़ीज़ों, दोस्तों, तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत व आफ़ियत माँगे(माफ़ी चाहे)और बग़ैर हिसाब जन्नत में जाने की दुआ करे और दूरूद शरीफ़ की कसरत इस मौक़े पर बहुत अहम है। इस मक़ाम पर तीन बार **"अल्लाहु अकबर"**और तीन मरतबा **"लाइला–ह इल्लल्लाह"**कहे

और यह पढ़े :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا سَئَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی نَبِيُّكَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

तर्जमा :– " ऐ रब ! तू दुनिया में हमें भलाई दे और आख़िरत में भलाई दे और जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा। ऐ अल्लाह ! मैं उस ख़ैर में से सवाल करता हूँ जिसका तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने तुझसे सवाल किया और तेरी पनाह माँगता हूँ उन चीज़ों के शर से जिनसे तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पनाह माँगी" और यह दुआ भी पढ़े।

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَعْظِيْمًا وَّ تَشْرِيْفًا وَّ مَهَابَةً وَ زِدْ مِنْ تَعْظِيْمِهٖ وَ تَشْرِيْفِهٖ مَنْ حَجَّهٗ وَ اعْتَمَرَهٗ تَعْظِيْمًا وَّ مَهَابَةً

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तुझ पर ईमान लाया और तेरी किताब की तस्दीक़ की और तेरे अहद को पूरा किया और तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इत्तिबाअ़ (पैरवी)किया। ऐ अल्लाह! तू अपने इस घर की तअ्ज़ीम व शराफ़त व हैबत ज़्यादा कर और इस तअ्ज़ीम व तश्रीफ़ से उस शख़्स की अज़मत व शराफ़त व हैबत ज़्यादा कर जिसने इसका हज व उमरा किया"

और यह जामेअ़ दुआ कम से कम तीन बार इस जगह पढ़े :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا بَيْتُكَ وَ اَنَا عَبْدُكَ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا

وَ الْاٰخِرَةِ لِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لِعُبَيْدِكَ اَمْجَدْ عَلِى

اَللّٰهُمَّ انْصُرْهُ نَصْرًا عَزِيْزًا اٰمِيْن.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! यह तेरा घर है और मैं तेरा बन्दा हूँ अफ़्व आफ़ियत का सवाल तुझसे करता हूँ दीन व दुनिया व आख़िरत में मेरे लिए और मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए और तेरे हक़ीर बन्दे अमजद अ़ली के लिए, इलाही तू उसकी क़वी मदद कर।आमीन!

नोट :– दुआ पढ़ने वाला इस दुआ में अमजद अ़ली की जगह अपना नाम ले (क़ादरी)

मसअला :– जब मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में पहुँच जाये तो सबसे पहले मस्जिदे हराम में जाये। खाने, पीने, कपड़े बदलने ,मकान ,किराया पर लेने, वग़ैरा दूसरे कामों में मशग़ूल न हो। हाँ अगर उज़्र हो मसलन सामान को छोड़ता है तो ज़ाए होने का अन्देशा है तो महफ़ूज़ जगह रखवाने या किसी और ज़रूरी काम में मशग़ूल हुआ तो हरज नहीं और अगर चन्द शख़्स हों तो चले जायें। (मुनसक)

(5)ख़ुदा व रसूल का ज़िक्र और अपने तमाम मुसलमानों के लिए दोनों जहान की भलाई की दुआ करता हुआ और लब्बैक कहता हुआ बाबुस्सलाम तक पहुँचे और उस आस्तानए पाक को बोसा देकर पहले दाहिना पाँव रख कर दाख़िल हो और यह कहे। :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ

عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ . اَللّٰهُمَّ

اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

तर्जमा :– " मैं ख़ुदाए अ़ज़ीम की पनाह माँगता हूँ और उसके वजहे करीम की और क़दीम सल्तनत की मरदूद शैतान से। अल्लाह के नाम की मदद से। सब ख़ूबियाँ अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर सलाम। ऐ अल्लाह ! दूरूद भेज हमारे आक़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि, वसल्लम और उनकी आल और उनकी मुक़द्दस बीवियों पर। इलाही मेरे गुनाह बख़्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। "

यह दुआ ख़ूब याद रखे जब कभी मस्जिदे हराम शरीफ़ या और किसी मस्जिद में दाख़िल हो उसी तरह दाख़िल हो और यह दुआ पढ़ लिया करे और उस वक़्त ख़ुसूसियत के साथ इस दुआ के साथ इतना और मिलाये। :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ . وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ. حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ. وَ اَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ. تَبَارَكْتَ

رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَ مَوْضِعُ اَمْنِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَ بَشَرِىْ وَ دَمِىْ وَ

مُخِّیْ وَ عِظَامِیْ عَلَی النَّارِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह ! तू सलाम है और तुझी से सलामती है और तेरी तरफ़ सलामती लौटती है। ऐ हमारे रब! हमको सलामती के साथ ज़िन्दा रख। दारुस्सलाम (जन्नत) में दाख़िल कर। ऐ हमारे रब! तू बरकत वाला और बलन्द है। ऐ जलाल व बुजुर्गी वाले। इलाही यह तेरा हरम है और तेरी अमन की जगह है मेरे गोश्त और पोस्त और खून और. मग़ज़ और हड्डियों को जहन्नम पर हराम कर दे" और जब किसी मस्जिद से बाहर आये पहले बायाँ क़दम बाहर रखे और वही दुआ पढ़े मगर आख़िर में رَحْمَتِكَ की जगह فَضْلِكَ कहे और इतना और बढ़ाए

وَ سَہِّلْ لِیْ اَبْوَابَ رِزْقِكَ

तर्जमा :– " और मेरे लिए अपने रिज़्क के दरवाज़े आसान कर दे इसकी बरकत दीन व दुनिया में बेशुमार है। अल्हम्दुल्लिाह!

(6)जब कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा पर नज़र पड़े तीन बार" **लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर**" कहे और दुरूद शरीफ़ और यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰھُمَّ زِدْ بَیْتَكَ ھٰذَا تَعْظِیْمًا وَّ تَشْرِیْفًا وَّ تَكْرِیْمًا وَّ بِرًّا وَّ مَھَابَةً اَللّٰھُم اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ ط.اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَغْفِرَلِیْ وَ تَرْحَمَنِیْ وَ تُقِیْلَ عَثْرَتِیْ وَ تَضَعَ وِزْرِیْ بِرَحْمَتِكَ یَااَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ .اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَ زَائِرُكَ وَعَلٰی كُلِّ مَزُوْرٍ حَقٌّ وَّ اَنْتَ خَیْرُ مَّزُوْرٍ فَاَسْئَلُكَ اَنْ تَرْحَمَنِیْ وَ تَفُكَّ رَقَبَتِیْ مِنَ النَّارِ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! तू अपने इस घर की अज़मत व शराफ़त बुजुर्गी व नेकूई (अच्छाई)व हैबत ज़्यादा कर। ऐ अल्लाह! हम को जन्नत में बिला हिसाब दाख़िल कर। इलाही मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत कर दे और मुझ पर रहम कर और मेरी लग़ज़िश (ग़लती)दूर कर और अपनी रहमत से मेरे गुनाह दफ़अ़ कर (दूर कर) ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान! इलाही मैं तेरा बन्दा और तेरा ज़ाइर (ज़्यारत करने वाला)हूँ और जिसकी ज़्यारत की जाये उस पर हक़ होता है और तू सब से बेहतर ज़्यारत किया हुआ है, मैं यह सवाल करता हूँ कि मुझ पर रहम कर और मेरी गर्दन जहन्नम से आज़ाद कर।"

तवाफ़ व सई व सफ़ा व मरवा और उमरा का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا ط وَ اتَّخِذُوْا مِنْ
مَّقَامِ اِبْرَاھِمَ مُصَلًّی ط وَعَھِدْنَآ اِلٰٓی اِبْرٰھِمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ
طَھِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآئِفِیْنَ وَ الْعَاكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ٥

तर्जमा :– "और याद करो जबकि हमनें कअ़्बा को लोगों का मरजेअ़ (आने की जगह)और अमन किया और मक़ामे इब्राहीम से नमाज़ पढ़ने की जगह बनाओ और हमने इब्राहीम व इस्माईल की तरफ़ अ़हद किया कि मेरे घर का तवाफ़ करने वालों और एअ़्तिकाफ़ करने वालों और रुकूअ़ सुजूद करने वालों के लिए पाक करो।

और अल्लाह फ़रमाता है :–

وَ اِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِیْ شَيْئًا وَّ طَهِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْقَآئِمِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝ وَ اَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِیْۤ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ۝ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝ ذٰلِكَ وَ مَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ

तर्जमा :– " और जबकि हमने इब्राहीम को पनाह दी ख़ानए कअ़बा की जगह में यूँ कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न कर और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़ियाम करने वालों और रुकूअ़ सज्दा करने वालों के लिए पाक कर और लोगों में हज का एअ़लान कर दे लोग तेरे पास पैदल आयेंगे और कमज़ोर ऊँटनियों पर कि हर राहे बईद (दूर रास्ते) से आयेंगी ताकि अपने नफ़अ़ की जगह में हाज़िर हों और अल्लाह के नाम को याद करें मअ़लूम दिनों में, इस पर कि उन्हें चौपाये जानवर अ़ता किये तो उनमें से खाओ और नाउम्मीद फ़क़ीर को खिलाओ फिर अपने मैल कुचैल उतारें और अपनी मन्नतें पूरी करें और उस आज़ाद घर (कअ़बा) का तवाफ़ करें बात यह है और जो अल्लाह के घर की तअ़ज़ीम करे तो यह उसके लिए उसके रब के नज़दीक बेहतर है"।

और अल्लाह फ़रमाता है

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۝

तर्जमा :– " बेशक सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं जिसने कअ़बा का हज या उ़मरा किया उस पर इसमें गुनाह नहीं कि उन दोनों का तवाफ़ करे और जिस ने ज़्यादा ख़ैर किया तो अल्लाह बदला देने वाला इल्म वाला है"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी फ़रमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हज के लिए मक्का में तशरीफ़ लाये सब कामों से पहले वुज़ू करके बैतुल्लाह (कअ़बा शरीफ़)का तवाफ़ किया।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक तीन फेरों में रमल किया और चार फेरे चल कर किये और एक रिवायत में है फिर सफ़ा मरवा के दरमियान सई(दौड)फ़रमाई

हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ़ लाये तो हजरे असवद के पास आकर उसे बोसा दिया फिर दाहिने हाथ को चले और तीन फेरों में रमल किया यअ़नी कन्धा हिला–हिला कर बहादुरों की तरह चले।

हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम में अबू तुफ़ैल रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का तवाफ़ करते देखा और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक(मुबारक हाथ) में छड़ी थी उस छड़ी को हजरे असवद से लगा कर बोसा देते।

हदीस न.5:– अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला आलैहि वसल्लम मक्का में दाख़िल हुए तो हजरे असवद की तरफ़ मुतवज्जेह हुए उसे बोसा दिया, फिर तवाफ़ किया,फिर सफ़ा के पास आये उस पर चढ़े यहाँ तक कि बैतुल्लाह (कअ्बा शरीफ़)नज़र आने लगा फिर हाथ उठा कर ज़िक्रे इलाही में मशग़ूल रहे जब तक ख़ुदा ने चाहा और दुआ की।

हदीस न.6 :– इमाम अहमद ने उबैद इब्ने उमैर से रिवायत की है कि आप हजरे असवद व रुक्ने यमानी को बोसा देते हैं जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि इनका बोसा देना ख़ताओं (गुनाहों)को गिरा देता है और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना जिस ने सात फेरे तवाफ़ किया इस तरह कि अदब का लिहाज़ रखा और दो रकअ्त नमाज़ पढ़ी तो यह गर्दन (यअ्नी ग़ुलाम)आज़ाद करने की मिस्ल है और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि तवाफ़ में हर क़दम कि उठाता और रखता है उस पर दस नेकियाँ लिखी जाती हैं और दस गुनाह मिटाये जाते हैं और दस दर्जे बलन्द किये जाते हैं। इसी के क़रीब–क़रीब तिर्मिज़ी व हाकिम व इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैराहुमा ने भी रिवायत की।

हदीस न.7 :– तबरानी कबीर में मुहम्मद इब्ने मुनकदिर से रावी वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो बैतुल्लाह का सात फेरे तवाफ़ करे और उसमें कोई लग्व (बेहूदा) बात न करे तो ऐसा है जैसे गर्दन आज़ाद की।

हदीस न.8 :– असबहानी अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहते हैं जिसने कामिल वुज़ू किया फिर हजरे असवद के पास बोसा देने को आया वह रहमत में दाख़िल हुआ फिर जब बोसा दिया और यह पढ़ा।

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

उसे रहमत ने ढाँक लिया फ़िर जब बैतुल्लाह का तवाफ़ किया तो हर क़दम के बदले सत्तर हज़ार नेकियाँ लिखी जायेंगी और सत्तर हज़ार गुनाह मिटा दिये जायेंगे और सत्तर हज़ार दर्जे बलन्द किये जायेंगे और अपने घर वालों में सत्तर की शफ़ाअ़त करेगा फिर जब मक़ामे इब्राहीम पर आया और वहाँ दो रकअ्त नमाज़ ईमान की वजह से और सवाब हासिल करने के लिए पढ़ी तो उसके लिए औलादे इस्माईल में से चार ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब लिखा ज़ायेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जायेगा जैसे आज अपनी माँ से पैदा हुआ।

हदीस न.9 :– बैहक़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं बैतुलहराम के हज करने वालों पर हर रोज़ अल्लाह तआला एक

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

सौ बीस(120)रहमत नाज़िल फ़रमाता है,साठ तवाफ़ करने वालों के लिए और चालीस नमाज़ पढ़ने वालों के लिए और बीस (कअ्बा शरीफ़ की तरफ़)नज़र करने वालों के लिए।

हदीस न.10 :– इब्ने माजा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रुक्ने यमानी पर सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुवक्किल हैं जो यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ. رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

वह फ़रिश्ते आमीन कहते हैं और जो सात फेरे तवाफ़ करे और यह दुआ पढ़ता रहे:

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

उसके दस गुनाह मिटा दिये जायेंगे और दस नेकियाँ लिखी जायेंगी और दस दर्जे बलन्द किये जायेंगे और जिसने तवाफ़ में यही कलाम (दुआ)पढ़े वह रहमत में अपने पाँव से चल रहा है जैसे कोई पानी में पाँव से चलता है।

हदीस न.11:– तिर्मिज़ी में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया पचास मरतबा तवाफ़ किया गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी माँ से पैदा हुआ।

हदीस न.12 :– तिर्मिज़ी व नसई व दारिमी उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ नमाज़ की मिस्ल है फ़र्क़ यह है कि तुम उसमें कलाम (बातचीत)करते हो तो जो कलाम करे खै़र के सिवा हरगिज़ कोई बात न कहे।

हदीस न.13 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हजरे असवद जब जन्नत से नाज़िल हुआ दूध से ज़्यादा सफ़ेद था बनी आदम(इन्सान)की ख़ताओं (गुंनाहों) ने उसे सियाह (काला) कर दिया।

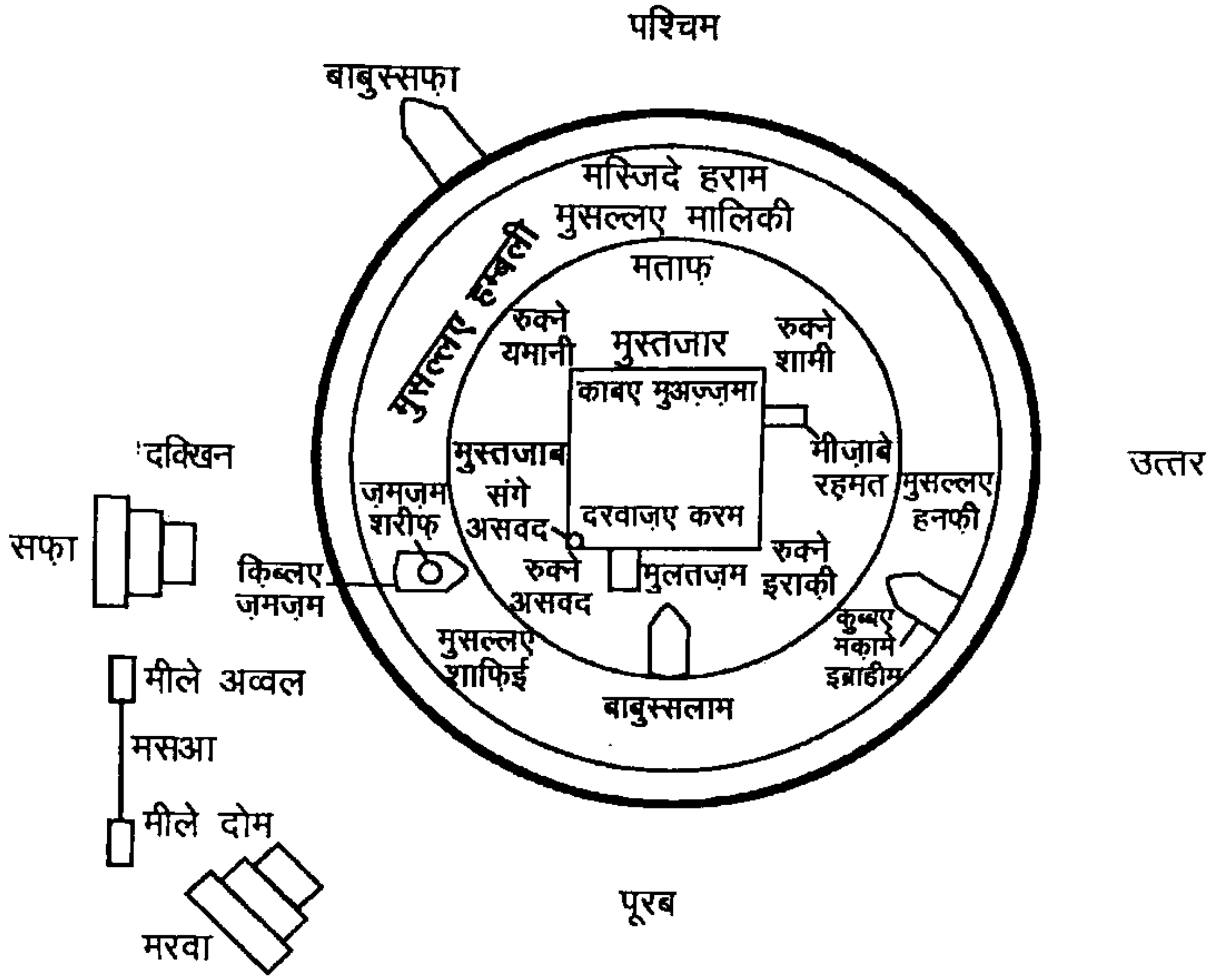
हदीस न.14 :– तिर्मिज़ी इब्ने उमर रदियल्ललाहु तआला अन्हुमा से रावी, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि हजरे असवद व मक़ामे इब्राहीम जन्नत के याकूत हैं अल्लाह ने उनके नूर को मिटा दिया और अगर न मिटाता तो जो कुछ मश्रिक़ व मग़रिब (पूरब व पच्छिम) के दरमियान है सब को रौशन कर देते।

हदीस न.15 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वल्लाह (खुदा की क़सम) हजरे असवद को क़ियामत के दिन अल्लाह तआला इस तरह उठायेगा कि उसकी आँखें होंगी जिनसे देखेगा और ज़बान होगी जिससे कलाम करेगा। जिसने हक़ के साथ उसे बोसा दिया है उसके लिए शहादत (गवाही) देगा।

अह़काम का बयान

मस्जिदे हराम शरीफ़ में दाख़िल होने तक के अहकाम मअ्लूम हो चुके अब कि मस्जिदे हराम शरीफ़ में दाख़िल हुआ अगर जमाअ़त क़ाइम हो या नमाज़े फ़र्ज़ या वित्र या नमाज़े जनाज़ा या सुन्नते मुअक्कदा के फ़ौत का खौ़फ़ हो तो पहले उनको अदा करे वरना सब कामों से पहले तवाफ़ में मशगूल हो। कअ्बा शमअ् है और तू परवाना। देखता नहीं कि परवाना शमअ् के गिर्द किस तरह

क़ुर्बान होता है तू भी उस शमअ़ पर क़ुर्बान होने के लिए मुस्तइद हो जा यअ़नी तैयार व होशियार होकर तवाफ़ करने के लिए जल्दबाज़ी दिखा। पहले इस मक़ामे करीम का नक़्शा देखिए कि जो बात कही जाये अच्छी तरह ज़हन में आ जाये।



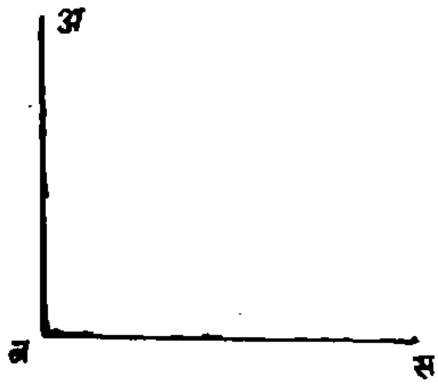
नोट :– मुसल्ले अब सऊदी हुकूमत ने कम कर दिये हैं। अब इमाम ख़ानए कअ़बा के दरवाज़े के क़रीब होता है।

तम्बीह :– बद अक़ीदा इमाम के पीछे नमाज़ जिस तरह अपने वतन में नहीं पढ़ते हैं वहाँ भी न पढ़ें।

मस्जिदे हराम :– एक गोल वसीअ़ (लम्बा–चौड़ा)इहाता है जिसके किनारे–किनारे बहुत से दालान और आने–जाने के दरवाज़े हैं और बीच में मताफ़(तवाफ़ करने की जगह) है।

मताफ़ :– एक गोल दाइरा है जिसमें संगमरमर बिछा है बीच में कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा है हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में मस्जिदे हराम इसी क़द्र थी। उसी की हद पर बाबुस्सलाम पूरब वाला पुराना दरवाज़ा वाक़ेअ़ है।

रुक्न :– मकान का गोशा जहाँ उसकी दो दीवारें मिलती हैं जिसे ज़ाविया कहते हैं इस तरह **अ. ब. स.** एक ज़ाविया है इसमें **ब. अ.** और **ब. स.** दोनों दीवारें **ब.** पर मिलती हैं यह रुक्न कोना है इस तरह कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा के चार कोने हैं, इनको रुक्न कहते हैं।



रुक्ने असवद :– दक्खिन और पूरब के गोशा (कोने)में है, इसी में ज़मीन से ऊँचा संगे असवद नसब है यअ़नी लगा हुआ है।

रुक्ने इराक़ी :– पूरब और उत्तर के गोशा में है।

रुक्ने इराक़ी :– पूरब और उत्तर के गोशा में है।

दरवाज़ए कअ्बा :– इन्ही दो रूक्नों के बीच की पूर्बी दीवार में ज़मीन से बहुत बुलन्द है **मुलतज़म** :– इसी पूरबी दीवार का वह टुकड़ा जो रुक्ने असवद से दरवाज़ए कअ्बा तक है।

रुक्ने शामी :– उत्तर और पच्छिम के गोशा में।

मीज़ाबे रहमत :– सोने का परनाला कि रुक्ने इराक़ी व रुक्ने शामी की बीच की उत्तरी दीवार में छत में नसब है।

हतीम :– यह भी इसी उत्तरी दीवार की तरफ़ है यह ज़मीन कअ्बए मुअज़्ज़मा ही की थी। ज़मानए जाहिलियत में जब कुरैश ने कअ्बा नये सिरें से तअ्मीर किया ख़र्च में कमी के सबब इतनी ज़मीन कअ्बए मुअज़्ज़मा से बाहर छोड़ दी, इसके आसपास एक क़ौसी अन्दाज़ की छोटी सी दीवार खींच दी और आने जाने का रास्ता है। और यह मुसलमानों की ख़ुशनसीबी है उस में दाख़िल होना कअ्बए मुअज़्ज़मा ही में दाख़िल होना है जो बिहम्दिल्लाहि तआला बिला रुकावट नसीब होता है। **नोट** :– दक्खिन और उत्तर छः हाथ कअ्बा की ज़मीन है और बाज़ कहते हैं सात हाथ और बाज़ का ख़्याल है कि पूरा हतीम कअ्बा है।

रुक्ने यमानी :– पच्छिम और दक्खिन के गोशा में है। **मुस्तजार** :– रुक्ने यमानी और रुक्ने शामी के बीच की पच्छिमी दीवार का वह टुकड़ा जो मुलतज़म के मुक़ाबिल(सामने)है। **मुस्तजाब** :– रुक्ने यमानी और रुक्ने असवद के बीच में जो दक्खिनी दीवार है यहाँ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिए मुक़र्रर हैं इसलिए इसका नाम मुस्तजाब रखा गया। **मक़ामे इब्राहीम** :– कअ्बा के दरवाज़ा के सामने एक कुब्बा (छोटे से गुम्बद) में वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर सय्यिदना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कअ्बा बनाया था उनके क़दमे पाक का उस पर निशान हो गया जो अब तक मौजूद हैं और जिसे अल्लाह तआला ने ءايٰتٌ بَيِّنٰتٌ(अल्लाह की खुली निशानियाँ) फ़रमाया।

नोट :– हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़दमे अक़दस के निशान में बेक़दरे और बे आदब लोग बकवास करते हैं यह हज़रते इब्राहीम का मोअ्जिज़ा जो हज़ारों बरस से महफ़ूज़ है वह इस से भी इन्कार कर दें।

ज़मज़म शरीफ़ :– ज़मज़म शरीफ़ का कुब्बा मक़ामे इब्राहीम से दक्खिन की तरफ़ मस्जिदे हराम शरीफ़ ही में वाक़ेअ् और उस कुब्बा के अन्दर ज़मज़म शरीफ़ का कुआँ है। अब पम्प के ज़रिए पानी खींचा जाता हैं। कुएँ के क़रीब बहुत से नल लगे हैं हाजी लोग इससे ज़मज़म शरीफ़ पीते हैं। **बाबुस्सफ़ा** :– मस्जिदे हराम शरीफ़ के दक्खिनी दरवाज़ों में एक दरवाज़ा है जिससे निकल कर सामने सफ़ा पहाड़ है। सफ़ा कअ्बए मुअज्ज़मा से दक्खिन को है यहाँ पुराने ज़माने में एक पहाड़ी थी कि अब ज़मीन में छुप,गई है। अब वहाँ क़िब्ला–रुख़ एक दालान–सा बना है और चढ़ने की सीढ़ियाँ बनी हैं सई यअ्नी दौड़ करने वालों के लिए दो तरफ़ा बराबर रास्ते हैं।

मरवा :– दूसरी पहाड़ी थी यह भी ज़मीन में छुप गई है। यहाँ भी अब क़िब्ला रुख़ दालान सा है और सीढ़ियाँ बनी हैं। इस वक़्त मामूली पहाड़ी का निशान है। सफ़ा से मरवा तक जो फ़ासिला है अब यहाँ बाजार है सफ़ा से चलते हुए दाहिने हाथ को दुकानें और बायें हाथ को। हरम शरीफ़ है सई करने की जगह में दूसरी मन्ज़िल पर भी सई का इन्तिज़ाम है।

मीलैन अख़ज़रैन :– सफ़ा से मरवा की तरफ़ चलने के बाद कुछ दूरी पर दो हरी टयूब लाइटें लगी हैं और उन दोनों खम्बों का रंग भी सब्ज़ (हरा)है। मीलैने अख़ज़रैन का मतलब "दो सब्ज़ निशान "है

मसअ्ला :– वह फ़ासिला कि उन दो मीलों के दरमियान में है यह सब सूरतें रिसाला में बार–बार देख कर खूब याद कर लें कि वहाँ पहुँच कर पूछने की हाजत न हो, नावाक़िफ़ आदमी अन्धे की तरह काम करता है और जो समझ लिया वह अँखियारा है। अब अपने रब तआ़ला का नामे पाक लेकर तवाफ़ कीजिए।

तवाफ़ का तरीक़ा और दुआएँ

(1) जब हजरे असवद के क़रीब पहुँचे तो यह दुआ पढ़े :–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

तर्जमा :–" अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं वह तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं उसने अपना वअ्दा सच्चा किया और अपने बन्दे की मदद की और तन्हा उसी ने कुफ़्फ़ार(काफ़िरों)की जमाअ़तों को शिकस्त दी अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं वह तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए हम्द है और वह हर शय पर क़ादिर है"।

(2) शुरूअ् तवाफ़ से पहले मर्द इज़्तिबाअ् कर लें यअ्नी चादर को दहनी बग़ल के नीचे से निकाले कि दहना मोंढा खुला रहे और दोनों किनारे बायें मोंढे पर डाल दे।

(3) अब कअ्बा की तरफ़ मुँह करके हजरे असवद की दहनी तरफ़ रुक्ने यमानी की जानिब संगे असवद के क़रीब यूँ खड़ा हो कि तमाम पत्थर अपने दहने हाथ को रहे फिर तवाफ़ की नीयत करे।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَسِّرْهُ لِیْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ .

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मैं तेरे इज़्ज़त वाले घर को तवाफ़ करना चाहता हूँ इसको तू मेरे लिए आसान कर और इसको मुझसे कबूल कर"। (4) इस नीयत के बअ्द कअ्बा को मुँह किये अपनी दहनी जानिब चलो जब संगे असवद के मुक़ाबिल(सामाने)हो (और यह बात थोड़ा सा बदन हिलाने से हासिल हो जायेगी)कानों तक हाथ इस तरह उठाओ कि हथेलियाँ हजरे असवद की तरफ़ रहें और कहो:

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ . وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ.

और नीयत के वक़्त हाथ न उठाओ जैसे बअ्ज़ मुतव्विफ़ (तवाफ कने वाले)करते हैं कि यह बिदअ़त है। (5) मयस्सर हो सके तो हजरे असवद पर दोनों हथेलियाँ और उनके बीच में मुँह रख कर यूँ बोसा दो कि आवाज़ न पैदा हो तीन बार ऐसा ही करो यह नसीब हो तो कमाले सआ़दत है यक़ीनन हमारे तुम्हारे महबूब व मौला मुहम्मदुर्रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बोसा दिया और चेहरए अनवर उस पर रखा क्या ही खुशनसीबी कि तुम्हारा मुँह वहाँ तक पहुँचे और भीड़भाड़ की वजह से न हो सके तो न औरों को तकलीफ़ दो न आप दबो–कुचलो बल्कि इसके बदले हाथ से छू कर उसे चूम लो और हाथ न पहुँचे तो लकड़ी से हजरे असवद को छू कर लकड़ी को चूम लो और यह भी न हो सके तो हाथों से उसकी तरफ़ इशारा करके हाथों को बोसा दे लो। हमारे सरदार मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के मुबारक मुँह रखने की जगह पर निगाहें पड़ रही हैं यही क्या कम है और हजरे असवद को बोसा देने या हाथ या

लकड़ी से छू कर चूम लेने से इशारा करके हाथों को बोसा देने को इस्तिलाम कहते हैं।

इस्तिलाम के वक़्त यह दुआ पढ़े :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَ طَهِّرْلِیْ قَلْبِیْ وَاشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَ يَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ وَ عَافِنِیْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ.

तर्जमा :– "इलाही तू मेरे गुनाह बख़्श दे और मेरे दिल को पाक कर और मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को आसान कर और मुझे आफ़ियत दे उन लोगों में जिनको तूने आफ़ियत दी"।

हदीस में है रोज़े क़ियामत यह पत्थर उठाया जायेगा इस की आँखें होंगी जिनसे देखेगा ज़बान होगी जिससे बात करेगा जिसने हक़ के साथ इस का बोसा दिया और इस्तिलाम किया उसके लिए गवही देगा।

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ .اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ.

(6) **तर्जमा** :– " ऐ अल्लाह! तुझ पर ईमान लाते हुए और तेरी किताब की तस्दीक़ करते हुए और तेरे अ़हद को पूरा करते हुए और तेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं अल्लाह पर ईमान लाया और बुत और शैतान से मैंने इन्कार किया"।

कहते हुए कअ़बा के दरवाज़ा की तरफ़ बढ़ो जब हजरे असवद के सामने से गुज़र जाओ,सीधे हो लो।ख़ानए कअ़बा को अपने बायें हाथ पर लेकर यूँ चलो कि किसी को ईज़ा (तकलीफ़)न दो।

(7)**पहले** तीन फेरों में मर्द 'रमल'करता हुआ चले यअ़नी जल्द–जल्द छोटे क़दम रखता शाने (कन्धे)हिलाता जैसे क़वी बहादुर लोग चलते हैं न कूदता न दौड़ता जहाँ ज़्यादा हुजूम (भीड़) हो जाये और रमल में अपनी या दूसरे की ईज़ा हो तो उतनी देर रमल तर्क करे मगर रमल की ख़ातिर रुके नहीं बल्कि तवाफ़ में मशगूल रहे फिर जब मौक़ा मिल जाये तो जितनी देर तक के लिए मौक़ा मिले उतनी देर तक के लिए रमल के साथ तवाफ़ करे।

(8)**तवाफ़** में जिस क़द्र ख़ानए कअ़बा से नज़दीक हो बेहतर है मगर न इतना कि पुश्तए दीवार (कअ़बा शरीफ़ की मुंडेर) पर जिस्म लगे या कपड़ा लगे और नज़दीकी में ज़्यादा भीड़ की वजह से रमल न हो सके तो दूरी बेहतर है।

(9) जब मुलतज़म के सामने आये यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْاَمْنُ اَمْنُكَ وَ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ .فَاَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ.اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِیْ بِمَا رَزَقْتَنِیْ وَ بَارِكْ لِیْ فِيْهِ وَ اخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ مِ بِخَيْرٍ.لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ.

तर्जमा :" ऐ अल्लाह ! यह घर तेरा घर है और हरम तेरा हरम है और अमन तेरी ही अमन है और जहन्नम से तेरी पनाह माँगने वाले की यह जगह है तू मुझको जहन्नम से पनाह दे। ऐ अल्लाह ! जो तूने मुझको दिया मुझे उस पर क़ानेअ़ (क़नाअ़त करने वाला)कर दे और मेरे लिए उसमें बरकत दे और हर ग़ाइब पर ख़ैर के साथ तू ख़लीफ़ा हो जा। अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो

अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क है उसी के लिए हम्द है और वह हर शय पर क़ादिर है।

और जब रुक्ने इराक़ी के सामने आये तो यह दुआ पढ़े:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ
وَ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِی الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह ! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ शक और शिर्क और इख़्तिलाफ़ व निफ़ाक़ से और माल व अहल व औलाद में वापस होकर बुरी बात देखने से"।

और जब मीज़ाबे रहमत के सामने आये तो यह दुआ पढ़े:

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَ لَا بَاقِیَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِیْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً لَّا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا.

तर्जमा :– " इलाही तू मुझको अपने अ़र्श के साये में रख जिस दिन तेरे साये के सिवा कोई साया नहीं और तेरी ज़ात के सिवा कोई बाक़ी नहीं और अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के हौज़ से मुझे खुशगवार पानी पिला कि उसके बाद कभी प्यास न लगे"।

और जब रुक्ने शामी के सामने आये यह दुआ पढ़े:–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّ تِجَارَةً
لَّنْ تَبُوْرَ. يَا عَالِمَ مَا فِی الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِیْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! तू हज को मबरूर(मक़बूल)कर और सई मशकूर कर(यअ़नी सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ने को कामयाब बना)और गुनाह को बख़्श दे और इसकी वह तिजारत कर दे जो हलाक(बर्बाद)न हो। ऐ सीनों की बातें जानने वाले मुझको तारीकियों से नूर की तरफ़ निकाल"।

(10) जब रुकने यमानी के पास आओ तो उसे दोनों हाथ या दहने हाथ से तबर्रुकन छूओ न सिर्फ़ बायें से और चाहो तो उसे बोसा भी दो और न हो सके तो यहाँ लकड़ी से छूना या इशारा करके हाथ चूमना नहीं।

और यह दुआ पढ़ो:–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِی الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे माफ़ी और आराम का सवाल करता हूँ दीन और दुनिया और आख़िरत में" और रुक्ने शामी या इराक़ी को बोसा देना या छूना कुछ नहीं।

(11) जब इससे बढ़ो तो यह, मुस्तजाब है जहाँ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दुआ पर आमीन कहेंगे वही जामेअ़ दुआ पढ़ो :– या

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

तर्जमा :– " ऐ रब हमारे हमको दुनिया में भलाई अ़ता कर और आख़िरत में भलाई अ़ता कर और हमको जहन्नम के अ़ज़ाब से बचा"।

या अपने और सब अहबाब व मुस्लिमीन. और इस हक़ीर व ज़लील की नीयत से सिर्फ़ दुरूद शरीफ़ पढ़े कि यह काफ़ी व वाफ़ी है। दुआयें याद न हों तो वह इख़्तियार करे कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे वअ्दे से तमाम दुआओं से बेहतर व अफ़ज़ल है यअ्नी यहाँ तमाम मौक़ों में अपने लिए दुआ के बदले हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐसा करेगा तो अल्लाह तेरे सब काम बना देगा और तेरे गुनाह माफ़ फ़रमा देगा। (12) तवाफ़ में दुआ या दुरूद शरीफ़ पढ़ने के लिए रुको नहीं बल्कि चलते में पढ़ो। (13)दुआ और दुरूद चिल्ला–चिल्ला कर न पढ़ो जैसे मुतव्विफ़ (तवाफ़ कराने वाले)पढ़ाया करते हैं बल्कि आहिस्ता पढ़ो इस क़द्र कि अपने कान तक आवाज़ आये (14)अब जो चारों तरफ़ घूम कर हजरे असवद के पास पहुँचा यह एक फेरा हुआ और इस वक़्त हजरे असवद को बोसा दे या वही तरीक़े बरते बल्कि हर फेरे के ख़त्म पर यह करे यूँहीं सात फेरे करे मगर बाक़ी फेरों में नीयत करना नहीं कि नीयत करना तो शुरूअ् में हो चुकी और रमल तो सिर्फ़ पहले तीन फेरों में है बाक़ी चार में आहिस्ता बग़ैर शाना (कन्धा)हिलाए मअ्मूली चाल चले। (15) जब सातों फेरे पूरे हो जायें आख़िर में फिर हजरे असवद को बोसा दे या वही तरीक़े हाथ या लकड़ी से बरते,इस तवाफ़ को **तवाफ़े आदाब** (तवाफ़े क़ुदूम) कहते हैं यअ्नी हाज़िरीए दरबार का मुजरा (दस्तूर के मुताबिक़ यअ्नी उनके लिए जो मीक़ात के बाहर से आये हैं मक्का वालों या मीक़ात के अन्दर रहने वालों के लिए यह तवाफ़ नहीं हाँ मक्का वाला मीक़ात से बाहर गया तो उसे भी तवाफ़े क़ुदूम मसनून है।

तवाफ़ के मसाइल

मसअला :– तवाफ़ में तवाफ़ की नीयत फ़र्ज़ है बग़ैर नीयत तवाफ़ नहीं मगर यह शर्त नहीं कि किसी मुअय्यन तवाफ़ की नीयत करे बल्कि हर तवाफ़ मुतलक़ यअ्नी सिर्फ़ तवाफ़ की नीयत से अदा हो जाता है बल्कि जिस तवाफ़ को किसी वक़्त में मुअय्यन कर दिया गया है अगर उस वक़्त किसी दूसरे तवाफ़ की नीयत से किया तो यह दूसरा न होगा बल्कि वह होगा जो मुअय्यन है मसलन उमरा का एहराम बाँध कर बाहर से आया और तवाफ़ किया यह उमरा का तवाफ़ है अगर्चे नीयत में यह न हो। यूहीं हज का एहराम बाँध कर बाहर वाला आया और तवाफ़ किया तो तवाफ़े क़ुदूम है या क़िरान का एहराम बाँध कर आया और तवाफ़ किये तो पहला उमरा का है दूसरा तवाफ़े क़ुदूम या दसवीं तारीख़ को तवाफ़ किया तो तवाफ़े ज़्यारत है अगर्चे इन सब में नीयत किसी और की हो।(मुनसक)

मसअला :– यह तरीक़ा तवाफ़ का जो ज़िक्र हुआ अगर किसी ने इसके ख़िलाफ़ तवाफ़ किया मसलन बायीं तरफ़ से शुरूअ् किया कि कअ्बए मुअज़्ज़मा तवाफ़ करने में सीधे हाथ को रहा या कअ्बए मुअज़्ज़मा को मुँह या पीठ करके तिरछे–तिरछे तवाफ़ किया या हजरे असवद से शुरूअ् न किया तो जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में है इस तवाफ़ का इआदा करे (लौटाये) और अगर इआदा न किया और वहाँ से चला आया तो दम वाजिब है। यूँहीं हतीम के अन्दर से तवाफ़ करना नाजाइज़ है लिहाज़ा इसका भी इआदा करे, चाहिए तो यह कि पूरे ही तवाफ़ का इआदा करे और अगर सिर्फ़ हतीम का सात बार तवाफ़ कर लिया कि रुक्ने इराक़ी से रुक्ने शामी तक हतीम के बाहर–बाहर गया और वापस आया यूहीं सात बार कर लिया तो भी काफ़ी है और इस सूरत में अफ़ज़ल यह है कि हतीम के बाहर–बाहर वापस आये और अन्दर से वापस हुआ जब भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तवाफ़ सात फेरों पर ख़त्म हो गया अब अगर आठवाँ फेरा जान–बूझ कर क़स्दन शुरूअ् कर दिया तो यह एक जदीद (नया)तवाफ़ शुरूअ् हुआ इसे भी अब सात फेरे करके ख़त्म करे यूहीं अगर महज़ (सिर्फ़)वहम व वसवसा की बिना पर आठवाँ फेरा शुरूअ् किया कि शायद अभी छः ही हुए हों जब भी उसे सात फेरे करके ख़त्म करे, हाँ अगर इस आठवें को सातवाँ गुमान किया बाद में मअ्लूम हुआ कि सात हो चुके हैं तो इसी पर ख़त्म कर दे सात पूरे करने की ज़रूरत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– तवाफ़ के फेरों में शक पड़ा कि कितने हुए तो अगर फ़र्ज़ या वाजिब है तो अब से सात फेरे करे और अगर किसी एक आ़दिल शख़्स ने बता दिया कि इतने फेरे हुए तो उस के क़ौल पर अ़मल कर लेना बेहतर है और दो आ़दिल ने बताया तो उनके क़हने पर ज़रूर अ़मल करे और तवाफ़ अगर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है तो ग़ालिब गुमान पर अ़मल करे। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा का तवाफ़ मस्जिदे हराम शरीफ़ के अन्दर होगा अगर मस्जिद के बाहर से तवाफ़ किया,न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो ऐसा बीमार है कि ख़ुद तवाफ़ नहीं कर सकता और सो रहा है उसके हमराहियों ने तवाफ़ कराया अगर सोने से पहले हुक्म दिया था तो सही है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने अपने साथियों से कहा मज़दूर लाकर मुझे तवाफ़ करा दों फिर सो गया अगर फ़ौरन मज़दूर लाकर तवाफ़ करादिया तो हो गया और अगर दूसरे काम में लग गये देर में मज़दूर लाये और सोते में तवाफ़ कराया तो न हुआ मगर मज़दूरी बहर हाल लाज़िम है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ को तवाफ़ कराया और अपने तवाफ़ की भी नीयत है तो दोनों के तवाफ़ हो गये अगर्चे दोनों के दो क़िस्म के तवाफ़ हों। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तवाफ़ करते–करते नमाज़े जनाज़ा या नमाज़े फ़र्ज या नया वुज़ू करने के लिए चला गया तो वापस आकर उसी पहले तवाफ़ पर बिना करे यअ्नी जिस फेरे पर और जिस जगह से तवाफ़ छोड़ा है वहीं से फिर शुरू करे तवाफ़ पूरा हो जायेगा सिरे से शुरूअ् करने की ज़रूरत नहीं और सिरे से किया जब भी हरज नहीं और इस सूरत में उस पहले को पूरा करना ज़रूरी नहीं और बिना की सूरत में जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरूअ् करे हजरे असवद से शुरू करने की ज़रूरत नहीं। यह सब उस वक़्त है जबकि पहले चार फेरे से कम किये थे और चार फेरे या ज़्यादा किये थे तो बिना ही करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– तवाफ़ कर रहा था कि जमाअ़त क़ाइम हुई और जानता है कि फेरा करेगा तो रकअ़्त जाती रहेगी या जनाज़ा आ गया है इन्तिज़ार न होगा तो वहीं से छोड़ कर नमाज़ में शरीक हो जाये और बिला ज़रूरत छोड़ कर चला जाना मकरूह है मगर तवाफ़ बातिल (बेकार)न होगा यअ्नी आकर पूरा कर ले। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– मअ्ज़ूर तवाफ़ कर रहा है चार फ़ेरों के बअ्द वक़्ते नमाज़ जाता रहा तो अब उसे हुक्म है कि वुज़ू करके तवाफ़ करे क्यूंकि वक़्ते नमाज़ ख़ारिज होने से मअ्ज़ूर का वुज़ू जाता रहता है और बग़ैर वुज़ू तवाफ़ हराम है। अब वुज़ू करने के बाद जो बाक़ी है पूरा करे और चार फेरे से पहले वक़्त ख़त्म हो गया जब भी वुज़ू करके पूरा करे और इस सूरत में अफ़ज़ल यह है कि सिरे से करे(मुनसक)

मसअ्ला :– रमल सिर्फ़ तीन पहले फेरों में सुन्नत है सातों में करना मकरूह है लिहाज़ा अगर पहले

में न किया तो दूसरे और तीसरे में करे और पहले तीन में न किया तो बाक़ी चार फेरों में न करे और अगर भीड़ की वजह से रमल का मौक़ा न मिले तो रमल की ख़ातिर न रुके बिला रमल तवाफ़ कर ले और जहाँ–जहाँ मौक़ा हाथ आये उतनी दूर रमल कर ले और अगर अभी शुरूअ् नहीं किया है और जानता है कि भीड़ की वजह से रमल नहीं कर सकेगा और यह भी मअ्लूम है कि ठहरने से मौक़ा मिल जायेगा तो इन्ति़ज़ार करे। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला :– रमल उस तवाफ़ में सुन्नत है जिस के बअ्द सई हो लिहाज़ा अगर तवाफ़े कुदूम (पहले वाले तवाफ़) के बअ्द की सई तवाफ़े ज़्यारत तक मुअख़्ख़र करे यअ्नी बअ्द में करे तो तवाफ़े कुदूम में रमल नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– तवाफ़ के सातों फेरों में इज़्तिबाअ् सुन्नत है और तवाफ़ के बअ्द इज़्तिबाअ् न करे यहाँ तक कि तवाफ़ के बअ्द की नमाज़ में अगर इज़्तिबअ् किया तो मकरूह है और इज़्तिबाअ् सिर्फ़ उसी तवाफ़ में है जिस के बअ्द सई हो और अगर तवाफ़ के बअ्द सई न हो तो इज़्तिबाअ् भी नहीं। (मुनसक)

मैंने बाज़ मुतव्विफ़(तवाफ़ कराने वालों)को देखा है कि ह़ाजियों को एहराम के वक़्त से हिदायत करते हैं कि इज़्तिबाअ् किये रहें यहाँ तक कि नमाज़ में भी इज़्तिबाअ् किये हुए थे ह़ालाँकि नमाज़ में मोंढ़ा खुला रहना मकरूह है।

इज़्तिबाअ् :– चादर को दाहिनी बग़ल के नीचे से निकाल कर दोनों किनारों को बाएं मोंढे पर डालना और दाहिना मोंढा खुला रखना इसको इज़्तिबाअ् कहते हैं।

मसअ्ल :– तवाफ़ की हालत में ख़ुसूसियत के साथ ऐसी बातों से परहेज़ रखें जिन्हें शरीअ़ते मुतह्हरा पसन्द नहीं करती मर्द औरतों की तरफ़ बुरी निगाह न करे किसी में अगर कुछ ऐब हो या वह ख़राब ह़ालत में हो नज़रे हिक़ारत (ज़िल्लत की निगाह)से उसे न देखे बल्कि उसे भी नज़रे हिक़ारत से न देखे जो अपनी नादानी के सबब अरकान ठीक अदा नहीं करता बल्कि ऐसे को निहायत नरमी के साथ समझा दे।

नमाज़े तवाफ़

तवाफ़ के बअ्द मक़ामे इब्राहीम में आकर وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ط पढ़ कर दो रकअ्त नमाज़े तवाफ़ पढ़े और यह नमाज़ वाजिब है। पहली में सूरए काफ़िरून दूसरी में सूरए इख़्लास पढ़े बशर्ते कि मकरूह वक़्त मसलन सूरज की पहली किरन चमकने से बीस मिनट बअ्द तक या दोपहर या नमाज़े उस्र के बअ्द ग़ुरूब तक न हो वरना वक़्ते कराहत (मकरूह वक़्त)निकल जाने पर पढ़े। हदीस में है जो मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअ़्तें पढ़े उसके अगले पिछले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे और क़ियामत के दिन अमन वालों के साथ उसका ह़श्र होगा। यह रकअ़्तें पढ़ कर दुआ माँगे यहाँ ह़दीस में एक दुआ इरशाद हुई जिसके फ़ायदों की अ़ज़मत उसका लिखना ही चाहती है।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّیْ وَ عَلَانِیَتِیْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِیْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِیْ فَاَعْطِنِیْ سُوَالِیْ وَ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اِیْمَانًا یُّبَاشِرُ قَلْبِیْ وَ یَقِیْنًا صَادِقًا حَتّٰی اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا یُصِیْبُنِیْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِیْ وَ رِضًی مِّنَ الْمَعِیْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِیْ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! तू मेरे पोशीदा और ज़ाहिर को जानता है तू मेरी मअ्ज़िरत कबूल कर और तू मेरी हाजत को जानता है मेरा सवाल मुझको अ़ता कर और जो कुछ मेरे नफ़्स में है तू उसे जानता है तू मरे गुनाहों को बख़्श दे। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे उस ईमान का सवाल क़रता हूँ जो मेरे कल्ब में सरायत कर जाये और यक़ीने सादिक़ माँगता हूँ ताकि मैं जान लूँ कि मुझे वही पहुँचेगा जो तूने मेरे लिए लिखा है और जो कुछ तूने मेरी किस्मत में किया है उस पर राज़ी रहूँ। ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान"!

हदीसे पाक में है अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है जो यह दुआ़ करेगा मैं उसकी ख़ता बख़्श दूँगा ग़म दूर करूँगा मोहताजी उससे निकाल लूँगा हर ताजिर से बढ़ कर उसकी तिजारत करूँगा दुनिया नाचार व मजबूर उसके पास आयेगी अगर्चे वह उसे न चाहे। इस मकाम पर बअ्ज़ और दुआ़यें ज़िक्र की गई हैं,

मसलनः–

اَللّٰھُمَّ اِنَّ ھٰذَا بَلَدُكَ الْحَرَامُ وَ مَسْجِدُكَ الْحَرَامُ وَ بَيْتُكَ الْحَرَامُ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ اَتَيْتُكَ بِذُنُوْبٍ كَثِيْرَةٍ وَّ خَطَايَا جَمَّةٍ وَ اَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ وَّ ھٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ اَللّٰھُمَّ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَآ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! यह तेरा इज़्ज़त वाला शहर है और तेरी इज़्ज़त वाली मस्जिद है और तेरा इज़्ज़त वाला घर है और मैं तेरा बन्दा हूँ और तेरे बन्दे और तेरी बाँदी का बेटा हूँ बहुत से गुनाहों और बड़ी ख़ताओं और बुरे अअ्माल के साथ तेरे हुज़ूर हाज़िर हुआ हूँ और जहन्नम से तेरी पनाह माँगने वाले की यह जगह है। ऐ अल्लाह! तू हमें आफ़ियत दे और हम से माफ़ कर और हमको बख़्श दे बेशक तू बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है"।

मसअला :– अगर भीड़ की वजह से मकामे इब्राहीम में नमाज़ न पढ़ सके तो मस्जिदे हराम शरीफ़ में किसी और जगह पढ़ ले और मस्जिदे हराम के अ़लावा कहीं और पढ़ी जब भी हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसअला :– मकामे इब्राहीम के बअ्द इस नमाज़ के लिए सबसे अफ़ज़ल कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा के अन्दर पढ़ना है फिर हतीम में मीज़ाबे रहमत के नीचे इसके बअ्द हतीम में किसी और जगह फिर कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा से क़रीब तर (ज्यादा से ज़्यादा करीब)जगह में फिर मस्जिदे हराम में किसी जगह फिर हरमे मक्का के अन्दर जहाँ भी हो। (लुबाब)

मसअला :– सुन्नत यह है कि वक़्ते कराहत न हो तो तवाफ़ के बअ्द फ़ौरन नमाज़ पढ़े बीच में फ़ासिला न हो और अगर न पढ़ी तो उम्र भर में जब पढ़ेगा अदा ही है क़ज़ा नहीं मगर बुरा किया कि सुन्नत फ़ौत हुई। (मुनसक)

मसअला :– फ़र्ज़ नमाज़ इन रकअ्तों के क़ाइम मक़ाम नहीं हो सकती। (आलमगीरी)

मुलतज़म से लिपटना

नमाज़ व दुआ से फ़ारिग़ हो कर मुलतज़म के पास जाये और हजरे असवद के करीब उससे लिपटे और अपना सीना और पेट और कभी दहना रुख़सार (गाल) और कभी बायाँ रुख़सार और कभी सारा चेहरा उस पर रखे और दोनों हाथ सर से ऊँचे करके दीवार पर फैलाये या दाहिना हाथ कअ्बा के दरवाजा की तरफ़ और बायाँ हजरे असवद की तरफ़ फैलाये। **यहाँ की दुआ यह है।**

يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لَا تُزِلْ عَنِّىْ نِعْمَةً اَنْعَمْتَهَا عَلَىَّ

तर्जमा :–"ऐ कुदरत वाले! ऐ बुज़ुर्ग! तूने मुझे जो नेअ्मत दी उस को मुझ से ज़ाइल(ख़त्म)न कर"। **हदीस न.** :– हदीस में फरमाया जब मैं चाहता हूँ जिब्रील को देखता हूँ कि मुलतज़म से लिपटे हुए यह दुआ कर रहे हैं। निहायत ख़ुज़ू व ख़ुशू व आजिज़ी व इन्किसारी के साथ दुआ करे और दुरूद शरीफ भी पढ़े और इस मकाम की एक दुआ यह भी है :–

اِلٰهِىْ وَ قَفْتُ بِبَابِكَ وَالْتَزَمْتُ بِاَعْتَابِكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ اَخْشٰى عِقَابَكَ. اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِىْ وَجَسَدِىْ عَلَى النَّارِ . اَللّٰهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِىْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِىْ عَنْ مَسْاَلَةِ غَيْرِكَ اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ. اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَ رِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ .يَا كَرِيْمُ يَا غَفَّارُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ .رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَ اَعِذْنَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. وَاكْفِنَا كُلَّ سُوْءٍ وَّ قَنِّعْنَا بِمَا رَزَقْتَنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَنَا .اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَكْرَمِ وَ فْدِكَ عَلَيْكَ .اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى نَعْمَائِكَ وَاَفْضَلُ صَلَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ اَنْبِيَائِكَ وَ جَمِيْعِ رُسُلِكَ وَ اَصْفِيَائِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَوْلِيَائِكَ اَجْمَعِيْنَ .

तर्जमा :–" इलाही मैं तेरे दरवाज़े पर खड़ा हूँ और तेरे आस्ताने से चिपटा हूँ तेरी रहमत का उम्मीदवार और तेरे अज़ाब से डरने वाला हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे बाल और जिस्म को जहन्नम पर हराम कर दे। ऐ अल्लाह ! जिस तरह तूने मेरे चेहरे को अपने ग़ैर के लिए सज्दा करने से महफ़ूज़ रखा इसी तरह इससे महफ़ूज़ रख कि तेरे ग़ैर से सवाल करूँ। ऐ अल्लाह ! ऐ इस आज़ाद घर के मालिक ! तू हमारी गरदनों को और हमारे बाप और दादा और हमारी माओं की गरदनों को जहन्नम से आज़ाद कर दे । ऐ करीम ! ऐ बख़्शने वाले! ऐ ग़ालिब! ऐ जब्बार! ऐ रब! तू हमसे क़बूल कर बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है और हमारी तौबा कबूल कर बेशक तू तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान है। ऐ अल्लाह ! ऐ इस आज़ाद घर के मालिक ! हमारी गरदनों को जहन्नम से आज़ाद कर और शैतान मरदूद से हम को पनाह दे और हर बुराई से हमारी किफ़ायत कर और जो कुछ तूने दिया उस पर क़ानेअ् (क़नाअ़त करने वाला)कर और जो दिया उस में बरकत दे और अपने इज़्ज़त वाले वफ़्द (ख़ास जेमाअ़त) में हमको कर दे. इलाही तेरे ही लिए हम्द है तेरी नेअ्मतों पर और अफ़ज़ल दुरूद अम्बिया के सरदार पर और तेरे सब रसूलों और चुने हुए लोगों पर और उनकी आल व असहाब और तेरे तमाम औलिया पर नाज़िल हो।"

मसअला :– मुलतज़म के पास नमाज़े तवाफ़ के बअ्द आना उस तवाफ़ में है जिसके बअ्द सई है

और जिसके बाद सई न हो उसमें नमाज़ से पहले मुलतज़म से लिपटे फिर मक़ामे इब्राहीम के पास जाकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़े। (मुनसक)

ज़मज़म की हाज़िरी

फिर ज़मज़म पर आओ हो सके तो ख़ुद नल से पियो वरना ज़मज़म पिलाने वालों से ले लो और कअ़बा को मुँह करके तीन साँसों मे पेट भर कर जितना पिया जाये खड़े होकर पियो। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ़ से शुरूअ़ करो और" अल्हदुलिल्लाह"पर ख़त्म करो और हर बार कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ निगाह उठा कर देख लो बाक़ी बदन पर डाल लो मुँह और सर और बदन उससे मसह करो और पीते वक़्त दुआ़ करो कि दुआ़ कबूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ज़मज़म जिस मुराद से पिया जाये उसी के लिए है।

इस वक़्त की दुआ़ यह है।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इल्मे नाफ़ेअ़ और कुशादा रिज़्क़ और अ़मले मक़बूल और हर बीमारी से शिफ़ा का सवाल करता हूँ" या वही जामेअ़ दुआ़ पढ़ो और हाज़िरीए मक्कए मुअ़ज़्ज़मा तक तो बारहा पीना नसीब होगा कभी क़ियामत की प्यास से बचने को पियो, कभी अ़ज़ाबे क़ब्र से महफ़ूज़ी के लिए कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की महब्बत बढ़ने के लिए, कभी रिज़्क़ बढ़ने के लिए, कभी बीमारियों से शिफ़ा के लिए, कभी इल्म हासिल हो जाने के लिए और ईमान पर ख़ात्मा वग़ैरा ख़ास–ख़ास मुरादों के लिए पियो।

वहाँ जब भी पियो पेट भर कर पियो। हदीस में है हम में और मुनाफ़िक़ों में यह फ़र्क़ है वह ज़मज़म कोख भर कर नहीं पीते। ज़मज़म के कूँए में भी नज़र करो कि हदीसे पाक के हुक्म के मुताबिक़ निफ़ाक़ को दूर करने वाला है।

सफ़ा व मरवा की सई

अब अगर कोई उ़ज़्र थकान वग़ैरा का न हो तो अभी वरना आराम लेकर सफ़ा व मरवा में सई के लिए फिर हजरे असवद के पास आओ और उसी तरह तकबीर वग़ैरा कह कर चूमो और न हो सके तो उसकी तरफ़ मुँह कर के اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ और दुरूद पढ़ते हुए फ़ौरन बाबे सफ़ा से सफ़ा की तरफ़ रवाना हो। मस्जिदे हराम के दरवाज़े से बायाँ पाँव पहले निकाले और दहना पहले जूते में डालो और इस का हर मस्जिद से बाहर आते हुए हमेशा लिहाज़ रखो और वही दुआ़ पढ़ो जो मस्जिद से निकलते वक़्त पढ़ने के लिए बताई जा चुकी है।

मसअ्ला :– बग़ैर उ़ज़्र इस वक़्त सई न करना मकरूह है क्यूँकि सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

मसअ्ला :– जब तवाफ़ के बअ़द सई करनी हो तो वापस आकर हजरे असवद का इस्तिलाम करके सई की जाये और सई न करनी हो तो इस्तिलाम की जरूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सई के लिए बाबे सफ़ा से जाना मुस्तहब है और यही आसान भी है और अगर किसी दूसरे दरवाज़े से जायेगा जब भी सई अदा हो जायेगी।

ज़िक्र व दुरूद में मशग़ूल रहते हुए सफ़ा की सीढ़ियों पर इतना चढ़ो कि कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा नज़र आये और यह बात यहाँ पहली ही सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल है यअ़नी अगर मकान और हरम

शरीफ़ की दीवारें दरमियान में न होतीं तो कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा यहाँ से नज़र आता इससे ऊपर चढ़ने की हाजत नहीं बल्कि मज़हबे अहलेसुन्नत व जमाअ़त के ख़िलाफ़ बदमज़हबों और नादानों का काम है कि बिल्कुल ऊपर की सीढ़ी तक चढ़ जाते हैं और सई शुरू करने से पहले यह दुआ़ पढ़ो।

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

तर्जमा :– "मैं उससे शुरूअ़ करता हूँ जिसका अल्लाह ने पहले ज़िक्र किया बेशक सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं जिस ने हज या उ़मरा किया उस पर उनके त़वाफ़ में गुनाह नहीं और जो शख़्स नेक काम करे तो बेशक अल्लाह बदला देने वाला जानने वाला है"।

फिर कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ मुँह करके दोनों हाथ मोंढ़ों तक दुआ़ की त़रह फैले हुए उठाओ और इतनी देर तक ठहरो जितनी देर में मुफ़स्सल यअ़्नी सूरए हुजरात से सूरए नास तक की कोई सूरत या सूरए बक़रह की पच्चीस आयतों की तिलावत की जाये और तस्बीह व तहलील व तकबीर (यअ़्नी सुब्हानल्लाह, लाइला–ह इल्लल्लाह व अल्लाहु अकबर) व दुरूद पढ़ो और अपने लिए और अपने दोस्तों और दीगर मुसलमानों के लिए दुआ़ करो कि यहाँ भी दुआ़ मक़बूल होती है। और यह पढ़ो :–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ. وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدٰنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوْ لَا نَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَ اَعَزَّ جُنْدَهٗ وَ هَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ. اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَسْأَلُكَ اَنْ لَّا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَ اَنَا مُسْلِمٌ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ. اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ عَلٰى سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. وَ تَوَفَّنِىْ عَلٰى مِلَّتِهٖ وَ اَعِذْنِىْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُّحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُوْلَكَ وَ اَنْبِيَائِكَ وَ مَلٰئِكَتِكَ وَ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ. اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىَ الْيُسْرٰى وَ جَنِّبْنِىَ الْعُسْرٰى. اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ عَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. وَ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ. وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ. وَاغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَّ قَلْبًا خَاشِعًا وَّ نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ يَقِيْنًا صَادِقًا وَّ دِيْنًا قَيِّمًا وَّ نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَّ نَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ نَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ نَسْأَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ. وَ بَارِكْ

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ عَدَدَ خَلْقِکَ وَ رِضَا نَفْسِکَ وَ زِنَۃَ عَرْشِکَ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِکَ کُلَّمَا ذَکَرَکَ الذَّاکِرُوْنَ. وَ غَفَلَ عَنْ ذِکْرِکَ الْغَافِلُوْنَ.

तर्जमा :– " हम्द है अल्लाह के लिए कि उसने हमको हिदायत की। हम्द है अल्लाह के लिए कि उसने हमको दिया। हम्द है अल्लाह के लिए कि उसने हमको इलहाम किया (अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से जो हक़ बात दिल में आये उसे इलहाम कहते हैं)हम्द है अल्लाह के लिए जिसने हमको इसकी हिदायत की और अगर अल्लाह हिदायत न करता तो हम हिदायत न पाते अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए हम्द है वही ज़िन्दा करता है और मारता है और वह खुद ज़िन्दा है और मरता नहीं उसके हाथ में ख़ैर है और वह हर शय पर क़ादिर है अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो अकेला है उसने अपना वअ़दा सच्चा किया अपने बन्दों की मदद की और अपने लश्कर को ग़ालिब किया और काफ़िरों की जमाअ़तों को तन्हा (अकेले) उसने शिकस्त दी। अल्ला के सिवा कोई मअ़बूद नहीं हम उसी की इबादत करते हैं उसी के लिए दीन को ख़ालिस करते हुए अगर्चे काफ़िर बुरा मानें अल्लाह की पाकी है शाम व सुबह और उसी के लिए हम्द है आसमानों और ज़मीन में और तीसरे पहर को और ज़ोहर के वक़्त। वह ज़िन्दा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दे को ज़िन्दे से निकालता है और ज़मीन को उसके मरने के बअ़द ज़िन्दा करता है और इसी तरह तुम निकाले जाओगे। इलाही तूने जिस तरह मुझे इस्लाम की तरफ़ हिदायत की तुझसे सवाल करता हूँ कि उसे मुझसे जुदा न करना यहाँ तक कि मुझे इस्लाम पर मौत दे। अल्लाह के लिए पाकी है और अल्लाह के लिए हम्द है और अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है और गुनाह से फिरना और नेकी की ताक़त नहीं मगर अल्लाह की मदद से जो बरतर व बुज़ुर्गतर है। इलाही तू मुझको नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िन्दा रख और उनकी मिल्लत (दीन)पर वफ़ात दे और फ़ितना की गुमराहियों से बचा। इलाही तू मुझको उन लोगों में कर जो तुझ से महब्बत रखते हैं और तेरे रसूल व अम्बिया व मलाइका और नेक बन्दों से महब्बत रखते हैं। इलाही मेरे लिए आसानी मयस्सर कर और मुझे सख़्ती से बचा। इलाही अपने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर मुझको ज़िन्दा रख–और मुसलमान मार, और नेकों के साथ मिला और जन्नतुन्नईम का वारिस कर और क़ियामत के दिन मेरी ख़ता बख़्श दे। इलाही तुझ से ईमाने कामिल और ख़शीयत (गिड़गिड़ाने)वाले क़ल्ब का हम सवाल करते हैं और हम तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म और सच्चे यक़ीन और सीधे रास्ते का सवाल करते हैं और हर बला से अ़फ़्व व आ़फ़ियत का सवाल करते हैं और पूरी आ़फ़ियत और आ़फ़ियत की हमेशगी और आ़फ़ियात पर शुक्र का सवाल करते हैं और आदमियों से बेनियाज़ी का सवाल करते हैं। इलाही तू दुरूद व सलाम व बरकत नाज़िल कर हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और उनकी आल व असहाब पर तेरी मख़लूक़ के शुमार की मिक़दार और तेरी रज़ा और तेरे अ़र्श के बराबर और तेरे कलिमात की ज़्यादती के मिक़दार जब तक ज़िक्र करने वाले तेरा ज़िक्र करते रहें और जब तक ग़ाफ़िल तेरे ज़िक्र से ग़ाफ़िल रहें"।

दुआ़ में हथेलियाँ आसमान की तरफ़ हों न उस तरह जैसा बाज़ जाहिल हथेलियाँ कअ़बा मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ करते हैं और अक्सर मुतव्विफ़(तवाफ़ करने वाले)हाथ कानों तक उठाते हैं फिर

छोड़ देते हैं यूहीं तीन बार करते हैं यह भी ग़लत तरीक़ा है बल्कि एक बार दुआ के लिए हाथ उठायें और जब तक दुआ माँगे उठाये रहे जब ख़त्म हो जाये हाथ छोड़ दें फिर सई की नीयत करें उसकी नीयत यूँ है :–

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَۃِ فَیَسِّرْہُ لِیْ وَ تَقَبَّلْہُ مِنِّیْ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! बेशक मैं नियत करता हूँ सफ़ा और मरवा के दरमियान सई का तो तू उसको आसान कर और उसको मेरी तरफ़ से कबूल फ़रमा"।

(23)फिर सफ़ा से उतर कर मरवा को चले, ज़िक्र व दुरूद बराबर जारी रखे जब पहला सब्ज़ निशान आये और यह सफ़ा से थोड़े ही फ़ासिले पर है कि बायें हाथ को सब्ज़ रंग का निशान मस्जिद शरीफ़ की दीवार से मुत्तसिल (मिला हुआ) है यहाँ से दौड़ना शुरूअ़ करें (मगर न हद से ज़्यादा न किसी को तकलीफ़ देते हुए) यहाँ तक कि दूसरे सब्ज़ निशान से निकल जायें।

यहाँ की दुआ यह है :–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ . وَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَکْرَمُ . اَللّٰھُمَّ اجْعَلْہُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْیًا مَّشْکُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا . اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ . یَا مُجِیْبَ الدَّعْوَاتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ . وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ . رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ .

तर्जमा :– " ऐ परवदिगार! बख़्श और रहम कर और दरगुज़र कर उससे जिसे तू जानता है और तू उसे भी जानता है जिसे हम नहीं जानते बेशक तू इज़्ज़त व करम वाला है। ऐ अल्लाह! तू उसे हज्जे मबरूर (मक़बूल हज) कर और सई मशकूर कर (सफ़ा और मरवा के दरमियान मेरी सई कामयाब कर)) और गुनाह बख़्श। ऐ अल्लाह! मुझको और मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को बख़्श दे। ऐ दुआओं के क़बूल करने वाले! ऐ रब हमसे तू क़बूल कर बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है और हमारी तौबा क़बूल कर बेशक तू तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान है। ऐ रब! तू हमको दुनिया में भलाई दे और आख़िरत में भलाई दे और हम को अज़ाबे जहन्नम से बचा"

(24)दूसरे मील से निकल कर आहिस्ता हो लो और यह दुआ बार बार पढ़ते हुए।

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ وَ ھُوَ حَیٌّ لَّا یَمُوْتُ بِیَدِہِ الْخَیْرُ . وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ .

तर्जमा :–" नहीं कोई मअ़बूद मगर अल्लाह! वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी का मुल्क है और उसी के लिए हम्द है वह जिलाता और मारता है और वह ज़िन्दा है कभी नहीं मरेगा उसके दस्ते कुदरत में सारी भलाईयाँ हैं और वह हर शय पर क़ादिर है"मरवा तक पहुँचो वहाँ पहली सीढ़ी पर चढ़ने बल्कि उसके क़रीब ज़मीन पर खड़े होने से मरवा पर चढ़ना हो गया लिहाज़ा बिल्कुल दीवार से मुत्तसिल न हो जाये यअ़नी मिल न जाये कि यह नादानों का तरीक़ा है। यहाँ भी अगर्चे इमारतें बन जाने से कअ़बा नज़र नहीं आता मगर कअ़बा की तरफ़ मुँह कर के जैसा सफ़ा पर किया था तस्बीह व तकबीर व हम्द व सना व दुरूद व दुआ यहाँ भी करो,यह एक फेरा हुआ।

(25)फिर यहाँ से सफ़ा को ज़िक्र व दुरुद और दुआयें पढ़ते हुए जाओ जब सब्ज़ निशान के पास पहुँचो उसी तरह दौड़ो और दोनों निशानियों से गुज़र कर आहिस्ता हो लो फिर आओ फिर जाओ यहाँ तक कि सातवाँ फेरा मरवा पर ख़त्म हो और हर फेरे में उसी तरह करो उस का नाम सई है। दोनों मीलों (हरे निशानों) के दरमियान अगर दौड़ कर न चला या सफ़ा से मरवा तक दौड़ कर गया तो यह बुरा किया कि सुन्नत तर्क हुई मगर दम या सदक़ा वाजिब नहीं और सई में इज़्तिबाअ् नहीं अगर हुजूम (भीड़) की वजह से दोनों निशानियें के दरमियान दौड़ने से आजिज़ (मजबूर) है तो कुछ ठहर जाये कि भीड़ कम हो जाये और दौड़ने का मौक़ा मिल जाये और अगर कुछ ठहरने से हुजूम कम न होगा तो दौड़ने वालों की तरह चले और अगर उज़्र की वजह से सवारी पर सवार होकर सई करता है तो इस दरमियान में सवारी को तेज़ चलाये मगर इसका ख़्याल रहे कि किसी को ईज़ा न हो कि यह हराम है।

मसअ्ला :– अगर मरवा से सई शुरूअ् की तो पहला फेरा कि मरवा से सफ़ा को हुआ शुमार न किया जायेगा अब कि सफ़ा से मरवा को जायेगा यह पहला फेरा हुआ। (दुर्रे मुख़्तार ,आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो शख़्स एहराम से पहले बेहोश हो गया है और उसके साथियों ने उसकी तरफ़ से एहराम बाँधा है तो उसकी तरफ़ से साथी नियाबतन यअ्नी उसकी तरफ़ से सई कर सकते हैं।(मुन्तसक)

मसअ्ला :– सई के लिए यह शर्त है कि पूरे तवाफ़ के अकसर हिस्से मसलन चार–पाँच फेरों के बाद हो लिहाज़ा अगर तवाफ़ से पहले या तवाफ़ के तीन फेरे के बअ्द सई की तो न हुई और सई के क़ब्ल एहराम होना भी शर्त है ख़्वाह हज का एहराम हो या उमरा का। एहराम से क़ब्ल सई नहीं हो सकती और हज की सई अगर वुक़ूफ़े अरफ़ा से पहले करे तो सई के वक़्त में भी एहराम होना शर्त है और वुक़ूफ़े अरफ़ा के बअ्द सई हो तो सुन्नत यह है कि एहराम खोल चुका हो और उमरा की सई में एहराम वाजिब है यअ्नी अगर तवाफ़ के बअ्द सर मुंडा लिया फिर सई की तो सई हो गई मगर चूँकि वाजिब तर्क हुआ लिहाज़ा दम वाजिब है। (लुबाब)

मसअ्ला :– सई के लिए तहारत शर्त नहीं हैज़ वाली औरत जुनुब भी सई कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सई में पैदल चलना वाजिब है जब कि उज़्र न हो लिहाज़ा अगर सवारी और डोली वग़ैरा पर सई को या पाँव से न चला बल्कि घिसटता हुआ गया तो हालते उज़्र में मुआफ़ है और बिग़ैर उज़्र ऐसा किया तो दम वाजिब (लुबाब)

मसअ्ला :– सई में सत्रे औरत सुन्नत है यअ्नी अगर्चे सत्र का छुपाना फ़र्ज़ है मगर इस हालत में फ़र्ज़ के अलावा सुन्नत भी है कि अगर सत्र खुला रहा तो उसकी वजह से कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं मगर एक गुनाह फ़र्ज़ के तर्क का हुआ दूसरा सुन्नत के तर्क का। (मुन्तसक)

एक ज़रूरी नसीहत :– बाज़ औरतों को मैंने ख़ुद देखा है कि निहायत बेबाकी से सई करती हैं कि उनकी कलाईयाँ और गला खुला रहता है और यह ख़्याल नहीं कि मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में मअ्सियत (गुनाह)करना निहायत सख़्त बात है कि यहाँ जिस तरह एक नेकी लाख के बराबर है यूहीं एक गुनाह लाख के बराबर बल्कि यहाँ कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा के सामने भी यह जाहिल औरतें इसी हालत से रहती हैं बल्कि इसी हालत में तवाफ़ करते देखा हालाँकि तवाफ़ में सत्र का छुपाना उस हमेशा फ़र्ज़ होने के अलावा वाजिब भी है तो एक फ़र्ज़ दूसरे वाजिब के तर्क से दो गुनाह किये वह भी कहाँ बैतुल्लाह के सामने और ख़ास तवाफ़ की हालत में बल्कि बाज़ बे हया औरतें तवाफ़ करने में

खुसूसन हजरे असवद को बोसा देने में मर्दों में घुस जाती हैं उनका बदन मर्दों के बदन से मस होता रहता है मगर उनको इसकी कुछ परवाह नहीं हालाँकि तवाफ़ या बोसए हजरे असवद वग़ैरहुमा सवाब के लिए किया जाता है मगर वह बे–ग़ैरत औरतें सवाब के बदले गुनाह मोल लेती हैं लिहाज़ा इन बातों की तरफ़ हाजियों को खुसूसियत के साथ तवज्जोह करनी चाहिए और उनके साथ जो औरतें हों सख़्ती के साथ ऐसी हरकतों से मना करना चाहिए वरना खुद मर्द भी गुनाहगार होंगे।

मसअला :– मुस्तहब यह है कि बा–वुजू सई करे और कपड़ा भी पाक हो और बदन भी हर क़िस्म की नजासत (नापाकी)से पाक हो और सई शुरू करते वक़्त नियत कर ले।

मसअला :– मकरूह वक़्त न हो तो सई के बाद दो रकअत नमाज़ मस्जिदे हराम शरीफ़ में पढ़ना बेहतर है (दुर्रे मुख़्तार) इमाम अहमद व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान मुत्तलिब इब्ने वदाआ से रावी,कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा कि जब सई से फ़ारिग़ हुए तो हजरे असवद के सामने तशरीफ़ लाकर मताफ़ के किनारे पर दो रकअत नमाज़ पढ़ी।

मसअला :– सई के सातों फेरे पय दर पय (एक के बाद एक)करे अगर मुतफ़र्रिक(अलग–अलग) तौर पर किये तो इआदा(दोबारा अदा) करे और अब सात फेरे करे कि पय दर पय न होने से सुन्नत तर्क हो गई, हाँ अगर सई करने में जमाअत क़ाइम हुई या जनाज़ा आया तो सई छोड़ कर नमाज़ में मशग़ूल हो फिर नमाज़ के बअ्द जहाँ से सई छोड़ी थी वहीं से पूरी कर ले। (आलमगीरी)

मसअला :– सई की हालत में फुजूल और बेकार बातें सख़्त नामुनासिब हैं कि यह तो वैसे भी न चाहिए न कि सई के वक़्त कि इबादत में मशग़ूल हो और फ़ुजूल बातें करे। खूब जान लो कि उमरा सिर्फ़ इन्हीं कामों यअ्नी तवाफ़ और सई का नाम है क़िरान व तमत्तोअ् वाले के लिए यही उमरा हो गया और इफ़राद वाले के लिए यह तवाफ़ तवाफ़े कुदूम यअ्नी हाज़िरीए दरबार का मुजरा (सलामी)है।

मसअला :– हज करने वाला मक्का में जाने से पहले अरफ़ात में पहुँचा तो **तवाफ़े कुदूम** साक़ित (ख़त्म) हो गया मगर बुरा किया कि सुन्नत फ़ौत हुई और दम वग़ैरा वाजिब नहीं। (जौहरा, रद्दुल मुहतार)

क़ारिन यअ्नी जिस ने क़िरान किया है इसके बअ्द तवाफ़े कुदूम की नीयत से एक तवाफ़ व सई और करे।

(27) **क़ारिन** व **मुफ़रिद** यअ्नी जिस ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था लब्बैक कहते हुए मक्का में ठहरे उनकी लब्बैक दसवीं तारीख़ रमीए जमरा के वक़्त ख़त्म होगी। और उसी वक़्त एहराम से निकलेंगे जिसका ज़िक्र इन्शाअल्लाह तआला आता है मगर मुतमत्तेअ् यअ्नी जिस ने तमत्तोअ् किया है वह और मुअ्तमिर यअ्नी निरा उमरा करने वाला कअ्बए मुअज़्ज़मा के शुरूअ् तवाफ़ से संगे असवद शरीफ़ का पहला बोसा लेते ही लब्बैक छोड़ दे।

सर मुंडाना या बाल कतरवाना

ज़िक्र किये गये तवाफ़ व सई के बअ्द 'हल्क़' करें यअ्नी सारा सर मुंडा दें या 'तक़सीर' यअ्नी बाल कतरवाये और एहराम से बाहर आयें। औरतों को बाल मुंडाना हराम है वह सिर्फ़ उंगली के एक पोरे बराबर बाल अपने शौहर या किसी सुन्नी औरत से कतरवायें और खुद ही काट लें तो और अच्छा है और मर्दों को इख़्तियार है कि हल्क़ करें या तक़सीर और बेहतर हल्क़ है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 'हज्जतुल वदाअ्' में हल्क़ कराया और सर मुंडाने

वालों के लिए दुआए रहमत तीन बार फ़रमाई और कतरवाने वालों के लिए एक बार और अगर मुतमत्तेअ् मिना की कुर्बानी के लिए जानवर साथ ले गया है तो उमरा के बाद एहराम खोलना उसे जाइज़ नहीं बल्कि क़ारिन की तरह एहराम में रहे और लब्बैक कहा करे यहाँ तक कि दसवीं की रमी के साथ लब्बैक छोड़े फिर कुर्बानी के बाद हल्क़ या तक़सीर करके एहराम से बाहर हो फिर मुतमत्तेअ् चाहे तो आठवीं ज़िलहिज्जा तक बे एहराम रहे मगर अफ़ज़ल यह है कि एहराम की क़ैदें न निभेंगी।

तम्बीह :– तवाफ़े क़ुदूम में इज़्तिबाअ् व रमल और इसके बाद सफ़ा व मरवा में सई ज़रूरी नहीं मगर अब न करेगा तो तवाफ़े ज़्यारत में कि हज का तवाफ़ फ़र्ज़ है जिसका ज़िक्र इन्शाअल्लाह तआला आता है यह सब काम करने होंगे और उस वक़्त हुजूम बहुत होता है अजब नहीं कि तवाफ़ में रमल और मसआ(सई करने की जगह) में दौड़ना न हो सके और इस वक़्त हो चुका तो उस तवाफ़ में इन चीज़ों की हाजत न होगी लिहाज़ा हमने उनको मुतलक़न तरकीब में दाख़िल कर दिया। मुफ़रिद व क़ारिन तो हज के रमल व सई से तवाफ़े क़ुदूम में फ़ारिग़ हो लिये मगर मुतमत्तेअ् ने जो तवाफ़ व सई किये वह उमरा के थे, हज के रमल व सई उस से अदा न हुए और उस पर तवाफ़े क़ुदूम है नहीं कि क़ारिन की तरह उसमें ये उमूर (काम)कर के फ़ारिग़ हो जाये लिहाज़ा अगर वह भी पहले से फ़ारिग़ हो लेना चाहे तो जब हज का एहराम बाँधे उसके बअ्द एक नफ़्ल तवाफ़ में रमल व सई कर ले अब उसे भी तवाफ़े ज़्यारत में इन उमूर की हाजत न होगी।

अय्यामे इक़ामत के अअ्माल

अब ये सब हाजी(क़ारिन, मुतमत्तेअ् मुफ़रिद कोई हो) मिना के जाने के लिए मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में आठवीं तारीख़ का इन्तिज़ार कर रहे हैं। अय्यामे इक़ामत (मक्का मुअ़ज़्ज़मा में ठहरने के दिनों)में जिस क़द्र हो सके इज़्तिबाअ् व रमल व सई के बग़ैर सिर्फ़ तवाफ़ करते रहें कि बाहर वालों के लिए यह सब से बेहतर इबादत है और हर सात फ़ेरों पर मक़ामे इब्राहीम अ़लैहिस्सलातु वत्तसलीम में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ें। ज़्यादा एहतियात यह है कि औरतों को तवाफ़ के लिए शब के दस–ग्यारह बजे जब हुजूम कम हो ले जायें यूहीं सफ़ा व मरवा के दरमियान सई के लिए भी।

औरतें नमाज़ अपने ठहरने की जगह ही में पढ़ें, नमाज़ों के लिए जो दोनों मस्जिदे करीम में हाज़िर होती हैं, नादानी है कि मक़सूद सवाब है और ख़ुद हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि औरत को मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा सवाब घर में पढ़ना है, हाँ औरतें मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में रोज़ाना एक बार रात में तवाफ़ कर लिया करें और मदीना तय्यिबा में सुबह व शाम सलात व सलाम के लिए हाज़िर होती रहें।

अब या मिना से वापसी के बअ्द जब कभी रात दिन में जितनी बार कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा पर नज़र पड़े **"लाइला – ह–इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर"** तीन बार कहें और नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और दुआ करें कि क़बूल होने का वक़्त है।

तवाफ़ में यह बातें हराम है

तवाफ़ अगर्चे नफ़्ल हो उसमें ये बातें हराम हैं–(1)बे–वुज़ू तवाफ़ करना। (2)कोई उज़्व (अंग) जो सत्र में दाख़िल है उसका चौथाई हिस्सा खुला होना मसलन रान या औरत का कान या कलाई वग़ैरा। (3)बग़ैर मजबूरी के सवारी या किसी की गोद में या कन्धों पर तवाफ़ करना। (4) बिला उज़्र बैठ कर सरकना या घुटनों के बल चलना। (5) कअ्बा को दाहिने हाथ पर लेकर उल्टा तवाफ़

करना। (6) तवाफ़ में हतीम के अन्दर होकर गुज़रना। (7)सात फेरों से कम करना

तवाफ़ में यह पन्द्रह बातें मकरूह हैं

(1)फुजूल बात करना (2) बेचना (3) ख़रीदना(4) हम्द व नात व मनक़बत के सिवा कोई शेअ्र पढ़ना (5)ज़िक या दुआ या तिलावत या कोई कलाम बुलन्द आवाज़ से करना (6)नापाक कपड़े में तवाफ़ करना(7)रमल(8)या इज़्तिबाअ् (9) या संगे असवद का बोसा जहाँ–जहाँ इनका हुक्म है तर्क करना (10) तवाफ़ के फेरों में ज़्यादा फ़स्ल देना यअ्नी कुछ फेरे कर लिये फिर देर तक ठहर गये या और किसी काम में लग गये बाक़ी फ़ेरे बाद को किये मगर वुज़ू जाता रहे तो कर आये या जमाअ़त क़ाइम हुई और इसने अभी नमाज़ न पढ़ी तो शरीक हो जाये बल्कि जनाज़े की नमाज़ में भी तवाफ़ छोड़ कर मिल सकता है बाक़ी जहाँ से छोड़ा था आकर पूरा कर ले यूहीं पेशाब पाख़ाने की ज़रूरत हो तो चला जाये वुज़ू करके बाक़ी पूरा करे एक तवाफ़ के बअ्द जब तक उसकी रकअ्तें न पढ़ ले दूसरा तवाफ़ शुरूअ् कर देना मगर जब कि नमाज़ की कराहत का वक़्त हो जैसे सुबहे सादिक़ से बलन्दीए आफ़ताब तक या नमाज़े अ़स्र पढ़ने के बअ्द से गुरूबे आफ़ताब तक कि उसमें मुतअ़द्दिद तवाफ़ बग़ैर नमाज़ के जाइज़ हैं वक़्ते कराहत निकल जाये तो हर तवाफ़ के बअ्द बग़ैर नमाज़ पढ़े दूसरा तवाफ़ शुरूअ् कर लिया है तो अगर अभी एक फेरा पूरा न किया हो तो छोड़ कर नमाज़ पढ़े और एक फेरा पूरा कर लिया है तो इस तवाफ़ को पूरा करके दोनों के बदले अलग–अलग दो–दो रकअ्त नमाज़ पढ़े। (12)इमाम के ख़ुतबा देते वक़्त तवाफ़ करना। (13)फ़र्ज़ नमाज़ की जमाअ़त के वक़्त करना हाँ अगर ख़ुद पहली जमाअ़त में पढ़ चुका है तो बाक़ी जमाअ़तों के वक़्त तवाफ़ करने में हरज नहीं, और नमाज़ियों के सामने गुज़र भी सकता है कि तवाफ़ है कि तवाफ़ भी नमाज़ ही की मिस्ल है।(14) तवाफ़ में कुछ खाना (15) पेशाब, पाख़ाना या रीह (गैस) के तक़ाज़े में तवाफ़ करना

यह बातें तवाफ़ व सई दोनों में जाइज़ है।

(1)सलाम करना (2)जवाब देना (3)हाजत के लिए कलाम करना (4) फ़तवा पूछना(5)फ़तवा देना(6)पानी पीना(7)हम्द व नात व मनक़बत के अशआर आहिस्ता पढ़ना और सई में खाना भी खा सकता है।

सई में ये बातें मकरूह है।

(1)बे–हाजत इसके फेरों में ज़्यादा फ़ासिला देना मगर जमाअ़त क़ाइम हो तो चला जाये यूहीं जनाज़ा की शिरकत या पेशाब–पाख़ाना या ताज़ा वुज़ू को जाना, अगर्चे सई में वुज़ू ज़रूरी नहीं।(2) ख़रीद (3)व फ़रोख़्त (4)फुजूल कलाम(5)सफ़ा(6)या मरवा पर न चढ़ना(7)मर्द का मसआ में बिला उज्र न दौड़ना(8)तवाफ़ के बअ्द बहुत ताख़ीर (देर)करके सई करना(9)सत्रे औरत न होना(10) परेशान–नज़री यानी इधर–उधर फुजूल देखना सई में भी मकरूह है और तवाफ़ में और ज़्यादा मकरूह।

तवाफ़ व सई के मसाइल में मर्द व औरत के फ़र्क़

(38)तवाफ़ व सई के सब मसाइल में औरतें भी शरीक हैं मगर 1.इज़्तिबाअ़ ,2. रमल, 3.मसआ में दौड़ना यह तीनों बातें औरतों के लिए नहीं। 4. मुज़ाहमत एक–दूसरे पर गिरने और धक्का देने के साथ संगे असवद का बोसा या 5. रुक्ने यमानी को छूना या 6. कअ्बा से क़रीब होना या 7.ज़मज़म

के अन्दर नज़र करना या 8. खुद पानी भरने की कोशिश करना यह बातें अगर यूँ हो सकें कि नामहरम से बदन न छूए तो खैर वरना अलग थलग रहना औरतों के लिए सब से बेहतर है।

मिना की रवानगी और अरफ़ा का वुकूफ़

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

ثُمَّ اَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

तर्जमा :– " फिर तुम भी वहाँ से लौटो जहाँ से और लोग वापस हुए(यअ़नी अ़रफ़ात से) और अल्लाह से मग़फ़िरत माँगो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला रहम फ़रमाने वाला है"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि कुरैश और जो लोग उनके तरीक़े पर थे मुज़दलेफ़ा में वुकूफ़ करते (ठहरते)और तमाम अ़रब अ़रफ़ात में वुकूफ़ करते जब इस्लाम आया अल्लाह तआ़ला ने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को हुक्म फ़रमाया कि अ़रफ़ात में जाकर वुकूफ़ करें फिर वहाँ से वापस हों।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से हज्जतुल वदअ़ शरीफ़ की हदीस मरवी उसी में है कि यौमे तरविया(आठवीं ज़िलहिज्जा)को लोग मिना को रवाना हुए और हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मिना में ज़ुहर व अ़स्र व मग़रिब व इशा व फ़ज्र की नमाज़ें पढ़ीं फिर थोड़ा तवक़्क़ुफ़ किया यअ़नी थोड़ी देर ठहरे रहे यहाँ तक कि आफ़ताब तुलूअ़ हुआ और हुक्म फ़रमाया कि नमरा (अ़रफ़ात में एक जगह का नाम)में एक कुब्बा(गुम्बद की तरह छोटा घर)नसब किया जाये उसके बअ़द हुज़ूर यहाँ से रवाना हुए और कुरैश का यह गुमान था कि मुज़दलेफ़ा में वुकूफ़ फ़रमायेंगे जैसा कि जाहिलियत में कुरैश किया करते थे मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मुज़दलेफ़ा से आगे चले गये यहाँ तक कि अ़रफ़ा में पहुँचे, यहाँ नमरा में कुब्बा नसब हो चुका था उसमें तशरीफ़ फ़रमा हुए यहाँ तक कि जब आफ़ताब ढल गया सवारी तैयार की गई फिर बतने वादी में तशरीफ़ लाये और ख़ुतबा पढ़ा फिर बिलाल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अज़ान व इक़ामत कही फिर हुज़ूर ने नमाज़े ज़ुहर पढ़ी फिर इक़ामत हुई और अ़स्र की नमाज़ पढ़ी और दोनों नमाज़ों के दरमियान कुछ न पढ़ा फिर मौक़फ़ (ठहरने की जगह) में तशरीफ़ लाये और वुकूफ़ किया (ठहरे) यहाँ तक कि आफ़ताब ग़ुरूब हो गया

हदीस न.3.:– सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने यहाँ वुकूफ़ किया और पूरा अ़रफ़ात जाए वुकूफ़ (ठहरने की जगह) है और मैंने इस जगह वुकूफ़ किया और पूरा मुज़दलेफ़ा वुकूफ़ की जगह है।

हदीस न.4 :– मुस्लिम व नसई व इब्ने माजा व रज़ीन उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अ़रफ़ा से ज़्यादा किसी दिन में अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता फिर उनके साथ मलाइका पर फ़ख़्र फ़रमाता है।

हदीस न. 5 :– तिर्मिज़ी में ब–रिवायते अ़म्र इब्ने शुऐब अ़न अबीहि अ़न जद्दिहि मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अ़रफ़ा की सबसे बेहतर दुआ और वह जो मैंने और मुझसे क़ब्ल अम्बिया ने की यह है :–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

हदीस न.6 :– इमाम मालिक तलहा इब्ने उबैदुल्लाह से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अरफ़ा के दिन से ज़्यादा किसी दिन में शैतान को ज़्यादा सग़ीर(छोटा)व ज़लील व हक़ीर और ग़ैज़(गुस्सा) में भरा हुआ नहीं देखा गया और उसकी वजह यह है कि इस दिन में रहमत का नुज़ूल और अल्लाह का बन्दों के बड़े–बड़े गुनाह मुआफ़ फ़रमाना शैतान देखता है।

हदीस न.7 :– इब्ने माजा व बैहक़ी अब्बास इब्ने मिरदास रदियल्लल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरफ़ा की शाम को अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ माँगी और वह दुआ मक़बूल हुई, फ़रमाया मैंने उन्हें बख़्श दिया सिवा हुक़ूक़ुल इबाद के कि मज़लूम के लिए ज़ालिम से मुवाख़ज़ा (पकड़) करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया ऐ रब अगर तू चाहे तो मज़लूम को जन्नत अता कर दे और ज़ालिम की मग़फ़िरत फ़रमा दे उस दिन यह दुआ मक़बूल न हुई। फिर मुज़दलफ़ा में सुबह के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दुआ का इआदा किया(यअ्नी दोबारा यही दुआ की)और उस वक़्त यह दुआ मक़बूल हुई। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फ़रमाया सिद्दीक़ व फ़ारूक़ रदियल्लल्लाहु तआला अन्हुमा ने अर्ज़ की हमारे माँ बाप हुज़ूर पर क़ुर्बान इस वक़्त तबस्सुम फ़रमाने का क्या सबब है?इरशाद फ़रमाया कि दुश्मने ख़ुदा इब्लीस को जब यह मअ्लूम हुआ कि अल्लाह तआला ने मेरी दुआ क़बूल की और मेरी उम्मत की बख़्शिश फ़रमाई तो अपने सर पर ख़ाक उड़ाने लगा और वावैला(अफ़सोस)करने लगा, उसकी यह घबराहट देख कर मुझे हँसी आई।

हदीस न.8 :– अबू यअ्ला व बज़्ज़ार व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़िलहिज्जा के दस दिनों से कोई दिन अल्लाह के नज़्दीक अफ़ज़ल नहीं। एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! यह अफ़ज़ल हैं या इतने दिनों में अल्लाह की राह में जिहाद करना इरशाद फ़रमाया अल्लाह की राह में इस तअ्दाद में जिहाद करने से भी यह अफ़ज़ल है और अल्लाह के नज़्दीक अरफ़ा से ज़्यादा कोई दिन अफ़ज़ल नहीं। अरफ़ा के दिन अल्लाह तआला आसमाने दुनिया की तरफ़ ख़ास तजल्ली फ़रमाता है और ज़मीन वालों के साथ आसमान वालों पर मुबाहात (फ़ख़्र) करता है उनसे फ़रमाता है मेरे बन्दों को देखो कि परागन्दा सर, गर्द आलूदा, धूप खाते हुए दूर दूर से मेरी रहमत के उम्मीदवार हाज़िर हुए तो अरफ़ा से ज़्यादा जहन्नम से आज़ाद होने वाले किसी दिन में देखे न गये और बैहक़ी की रिवायत में यह भी है कि अल्लाह तआला मलाइका से फ़रमाता है मैं तुमको गवाह करता हूँ कि मैंने उन्हें बख़्श दिया। फ़रिश्ते कहते हैं इनमें फुलाँ व फुलाँ हराम काम करने वाले हैं अल्लाह तआला फ़रमाता है मैंने सबको बख़्श दिया।

हदीस न.9 :– इमाम अहमद व तबरानी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख़्स ने अरफ़ा के दिन औरतों की तरफ़ नज़र की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आज वह दिन है कि जो शख़्स कान और आँख और ज़बान को क़ाबू में रखे उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी।

हदीस न.10 :– बैहक़ी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी है कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान अ़रफ़ा के दिन पिछले पहर को मौक़फ़ में वुक़ूफ़ करे फिर सौ बार कहे :

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَ لَہُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَ
یُمِیْتُ وَ ھُوَ حَیٌّ لَّا یَمُوْتُ بِیَدِہِ الْخَیْرِ .وَ ھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ .

और सौ बार सूरए इख़्लास पढ़े और फिर सौ बार यह दुरूद पढ़े :

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَ
عَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ وَ عَلَیْنَا مَعَھُمْ.

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों ! मेरे इस बन्दे को क्या सवाब दिया जाये जिसने मेरी तस्बीह व तहलील की और तकबीर व तअ़्ज़ीम की मुझे पहचाना और मेरी सना की और मेरे नबी पर दुरूद भेजा, ऐ मेरे फ़रिश्तो! गवाह रहो कि मैंने इसे बख़्श दिया और इसकी शफ़ाअ़त खुद इसके हक़ मे कबूल की और अगर यह मेरा बन्दा मुझसे सवाल करे तो इसकी शफ़ाअ़त जो यहाँ हैं सबके हक़ में कबूल करूँ।

हदीस न.11 : — बैहक़ी अबू सुलैमान दारानी से रावी कि अमीरुल मोमिनीन मौला अ़ली कर्रमल्लाहु तआ़ला वजहहुल करीम से वुक़ूफ़ के बारे में सवाल हुआ कि उस पहाड़ में क्यों मुक़र्रर हुआ ह़रम शरीफ़ में क्यों न हुआ फ़रमाया कअ़्बा बैतुल्लाह(अल्लाह का घर) है और ह़रम उसका दरवाज़ा तो जब लोग उस की ज़्यारत के इरादे से आये दरवाज़े पर खड़े किये गये कि गिरिया व ज़ारी करें । अ़र्ज़ की, ऐ अमीरुल मोमिनीन ! फिर मुज़दलफ़ा के वुक़ूफ़ का क्या सबब है फ़रमाया कि जब उन्हें आने की इजाज़त मिली तो अब उस दूसरी ड्योढ़ी पर रोके गये फिर जब गिरिया व ज़ारी ज़्यादा हुआ तो हुक्म हुआ कि मिना में क़ुर्बानी करें फिर जब अपने मैल कुचैल उतार चुके और क़ुर्बानियाँ कर चुके और गुनाहों से पाक हो चुके तो अब तहारत (पाकी के साथ)ज़्यारत की उन्हें इजाज़त मिली। अ़र्ज़ की गई ऐ अमीरुल मोमिनीन! अय्यामे तशरीक़ (क़ुर्बानी के दिनों)में रोज़े क्यूँ ह़राम हैं फ़रमाया कि वह लोग अल्लाह के ज़व्वार(ज़्यारत करने वाले)व मेहमान हें और मेहमान को बग़ैर मेज़बान की इजाज़त के रोज़ा रखना ज़ाइज़ नहीं। अ़र्ज़ की गई ऐ अमीरुल मोमिनीन! ग़िलाफ़े कअ़्बा से लिपटना किस लिए है फ़रमाया उसकी मिसाल यह है कि किसी ने दूसरे का गुनाह किया है वह उसके कपड़ों से लिपटता और आजिज़ी करता है कि यह उसे बख़्श दे जब **वुक़ूफ़** के सवाब से आगाह हुए तो अब गुनाहों से पाक व साफ़ होने का वक़्त क़रीब आया उसके लिए तैयार हो जाओ और हिदायत पर अ़मल करो।

(1)**सातवीं तारीख़** :— मस्जिदे हराम शरीफ़ में ज़ुहर के बाद इमाम खुतबा पढ़ेगा उसे सुनो उस खुतबा में मिना जाने और अ़रफ़ात में नमाज़ और वुक़ूफ़ और वहाँ से वापस होने के मसाइल बयान किये जायेंगे। (2)यौमे तरविया में कि **आठवीं तारीख़** का नाम है जिसने एहराम न बाँधा हो बाँध ले और एक नफ़्ल तवाफ़ में रमल व सई कर ले जैसा कि ऊपर गुज़रा और एहराम के मुतअ़ल्लिक़ जो आदाब पेशतर बयान किये गये मसलन गुस्ल करना खुश्बू लगाना उनका यहाँ भी लिहाज़ रखे और नहा धोकर मस्जिदे हराम शरीफ़ में आये और तवाफ़ करे उसके बअ़्द तवाफ़ की नमाज़ ब—दस्तूर अदा करे फिर दो रकअ़त सुन्नत एहराम की नीयत से पढ़े उसके बअ़्द हज की नीयत करे और

लब्बैक कहे। (3) जब आफ़ताब निकल आये मिना को चलो अगर आफ़ताब निकलने के पहले ही चला गया जब भी जाइज़ है मगर बअ्द में बेहतर है और ज़वाल के बाद भी जा सकता है मगर जुहर की नमाज़ मिना में पढ़े और हो सके तो प्यादा (पैदल)जाओ कि जब तक मक्कए मुअज़्ज़मा पलट कर आओगे हर क़दम पर सात करोड़ नेकियाँ लिखी जायेंगी यह नेकियाँ तख़मीनन (अन्दाज़े के मुताबिक़) अट्हत्तर खरब चालीस अरब आती हैं और अल्लाह का फ़ज़्ल इस नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के सदक़े में इस उम्मत पर बेशुमार है।

(4)रास्ते भर लब्बैक व दुआ़ व दुरूद व सना की कसरत करो (ज़्यादा पढ़ो)।

(5) जब मिना नज़र आये यह दुआ़ पढ़ो :

اَللّٰهُمَّ هٰذِىْ مِنىً فَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَآئِكَ.

तर्जमा :— इलाही यह मिना है मुझ पर तू वह एहसान कर जो अपने औलिया पर तूने किया"

(6) यहाँ रात को ठहरो आज जुहर से नवीं की सुबह तक की पाँचों नमाज़ें यहीं मस्जिदे ख़ैफ़ में पढ़ो आज कल बाज़ तवाफ़ करने वालों ने यह निकाली है कि आठवीं को मिना में नहीं ठहरते सीधे अ़रफ़ात पहुँचते हैं उनकी न मानें और इस सुन्नते अ़ज़ीमा को हरगिज़ न छोड़ो क़ाफ़िले के इसरार से उनको भी मजबूर होना पड़ेगा।

(7) अ़रफ़ा की रात मिना में ज़िक्र व इबादत से जाग कर सुबह करो। सोने के बहुत दिन पड़े हैं और न हो सके तो कम से कम इशा व फ़ज्र पहली जमाअ़त से पढ़ो कि शब बेदारी (रात भर जाग कर इबादत करने) का सवाब मिलेगा और बा–वुज़ू सोओ कि रूह अ़र्श तक बलन्द होगी अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से बैहक़ी व तबरानी वग़ैरहुमा ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स अ़रफ़ा की रात में यह दुआयें हज़ार मरतबा पढ़े तो जो कुछ अल्लाह तआ़ला से माँगेगा पायेगा जबकि गुनाह या क़तए रह्म (रिश्ता तोड़ने)का सवाल न करे:—

سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ عَرْشُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْاَرْضِ مَوْطِئُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى النَّارِ سُلْطَانُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْقَبْرِ قَضَاؤُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِىْ فِى الْهَوَآءِ رُوْحُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَآءَ سبحان الَّذِىْ وَضَعَ الْاَرْضَ سبحان الَّذِىْ لَا مَلْجَاً وَ لَا مَنْجَاً مِنْهُ اِلَّا اِلَيْهِ.

तर्जमा :— "पाक है वह जिसका अ़र्श बलन्दी में है पाक है वह जिसकी हुकूमत ज़मीन में है, पाक है वह कि दरिया में उसका हुक्म है पाक है वह कि हवा में जो रूहें हैं उसकी मिल्क हैं, पाक है वह जिसने आसमान को बलन्द किया, पाक है वह जिसने ज़मीन को पस्त किया, पाक है वह कि उसके अ़ज़ाब से पनाह व नजात की कोई जगह नहीं मगर उसी की तरफ़"।

सुबह :— मुस्तहब वक़्त में नमाज़ पढ़ कर लब्बैक व ज़िक्र व दुरूद शरीफ़ में मशग़ूल रहो यहाँ तक कि आफ़ताब कोहे सुबैर पर जो मस्जिदे ख़ैफ़ शरीफ़ के सामने है चमके ,अब अ़रफ़ात को चलो दिल को ग़ैर के ख़्याल से पाक करने में कोशिश करो कि आज वह दिन है कि कुछ का हज क़बूल करेंगे और कुछ को उनके सदक़े में बख़्श देंगे महरूम वह जो आज महरूम रहा। वसवसे आयें तो

उनसे लड़ाई न बाँधो कि यूँ भी दुश्मन का मतलब हासिल है वह तो यही चाहता है कि तुम और ख़्याल में लग जाओ लड़ाई बाँधी जब भी तो और ख़्याल में पड़े बल्कि वसवसों की तरफ़ ध्यान ही न करो यह समझ लो कि कोई और वुजूद है जो ऐसे ख़्यालात ला रहा है मुझे अपने रब से काम है यूँ इन्शा अल्लाह तआला वह मरदूद नाकाम वापस जायेगा।

मसअला :– अगर अ़रफ़ा की रात मक्का में गुज़ारी और नवीं को फ़ज्र पढ़ कर मिना होता हुआ अ़रफ़ात में पहुँचा तो हज हो जायेगा मगर बुरा किया कि सुन्नत को तर्क किया यूहीं अगर रात को मिना में रहा मगर सुबहे सादिक़ होने से पहले या नमाज़े फ़ज्र से पहले या आफ़ताब निकलने से पहले अ़रफ़ात को चला गया तो बुरा किया और अगर आठवीं को जुमा का दिन है जब भी ज़वाल से पहले मिना को जा सकता है कि इस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं और जुमा का ख़्याल हो तो मिना में भी जुमा हो सकता है जबकि अमीरे मक्का वहाँ हो या उसके हुक्म से जुमा क़ाइम किया जाये।

(9) रास्ते भर ज़िक्र व दुरूद में बसर करो बे–ज़रूरत कुछ बात न करो लब्बैक की बेशुमार बार–बार कसरत करते चलो और मिना से निकल कर यह दुआ पढ़ो :–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَرَدْتُّ فَاجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَ حَجِّىْ مَبْرُوْرًا وَّارْحَمْنِىْ وَ لَا تُخَيِّبْنِىْ وَ بَارِكْ لِىْ فِىْ سَفَرِىْ وَ اقْضِ بِعَرَفَاتِ حَاجَتِىْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا اَقْرَبَ غَدْوَةٍ غَدَوْتُهَا مِنْ رِّضْوَانِكَ وَ اَبْعَدَهَا مِنْ سَخَطِكَ. اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ غَدَوْتُ وَ عَلَيْكَ اعْتَمَدْتُّ وَ وَجْهَكَ اَرَدْتُّ فَاجْعَلْنِىْ مِمَّنْ تُبَاهِىْ بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ وَ اَفْضَلُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّآئِمَةَ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! मैं तेरी तरफ़ मुतवज्जेह हुआ और तुझ पर मैंने तवक्कुल (भरोसा) किया और तेरे वजहे करीम का इरादा किया मेरे गुनाह बख़्श और मेरे हज को मबरूर (मक़बूल) कर और मुझ पर रहम कर और मुझे टोटे (घाटे)में न डाल और मेरे लिए मेरे सफ़र में बरकत दे और अ़रफ़ात में मेरी हाजत पूरी कर बेशक तू हर शय पर क़ादिर है ऐ अल्लाह मेरा चलना अपनी ख़ुशनूदी से क़रीब कर और अपनी नाख़ुशी से दूर कर इलाही मैं तेरी तरफ़ चला और तुझी पर एअ़तिमाद (भरोसा)किया और तेरी ज़ात का इरादा किया तू मुझको उनमें से कर जिनके साथ क़यामत के दिन तू मुबाहात(फ़ख़्र)करेगा जो मुझसे बेहतर व अफ़ज़ल हैं। इलाही मैं तुझसे अ़फ़्व (माफ़ी) व आफ़ियत (माफ़ करने)का सवाल करता हूँ और उस आफ़ियत का जो दुनिया व आख़िरत में हमेशा रहने वाली है और अल्लाह दुरूद भेजे बेहतरीन मख़लूक़ मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम और उनकी आल व असहाब सब पर।

(10)जब निगाह **जबले रहमत** पर पड़े इन कामों यअ़नी ज़िक्र व दुरूद व दुआ में और ज़यादा कोशिश करो कि इन्शा अल्लाह तआला क़बूल का वक़्त है।

(11)अ़रफ़ात में उस पहाड़ के पास या जहाँ जगह मिले आ़म रास्ते से बच कर उतरो।

(12) आज के हुजूम(भीड़)में कि लाखों आदमी, हज़ारों डेरे ख़ेमे होते हैं अपने डेरे से जाकर वापसी

में उसका मिलना दुश्वार होता है इसलिए पहचान का निशान उस पर लगा दो कि दूर से नज़र आये।

(13)मसतूरात (औरतें) साथ हों तो उनके बुरक़े पर भी कोई कपड़ा ख़ास अलामत चमकते रंग का लगा दो कि दूर से देखकर पहचान सको और दिल में तशवीश (बेचैनी) न रहे।

(14)दोपहर तक ज़्यादा वक़्त अल्लाह के हुज़ूर ज़ारी यअ्नी आजिज़ी के साथ रोते हुए और ख़ालिस नियत से ताक़त भर सदक़ा व ख़ैरात व ज़िक्र व लब्बैक व दुरूद व दुआ व इस्तिग़फ़ार व कलिमए तौहीद में मशग़ूल रहे। हदीस में है नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सब में बेहतर वह चीज़ जो आज के दिन मैंने और मुझ से पहले अम्बिया ने कही यह है :–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيٖ وَ

يُمِيْتُ وَهُوَ حَیٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ,وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ .

और चाहे ते उसके साथ आगे लिखी दुआ भी पढ़े :–

لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَ لَا نَعْرِفُ رَبًّا سِوَاهُ ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَّ فِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَّ فِیْ بَصَرِیْ نُوْرًا . اَللّٰهُمَّ

اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَ يَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَ تَشْتِيْتِ الْاَمْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ . اَللّٰهُمَّ

اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِی اللَّيْلِ وَ شَرِّ مَا يَلِجُ فِی النَّهَارِ وَّ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيْحُ وَ مِنْ شَرِّ بَوَائِقِ

الدَّهْرِ . اَللّٰهُمَّ هٰذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِيْرِ الْعَائِذِ مِنَ النَّارِ . اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِكَ وَ اَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ اِذْ هَدَيْتَنِی الْاِسْلَامَ فَلَا تَنْزِعْهُ عَنِّیْ حَتّٰى تَقْبِضَنِیْ وَ اَنَا عَلَيْهِ .

तर्जमा :– " उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते और उसके सिवा किसी को रब नहीं जानते। ऐ अल्लाह! तू मेरे दिल में नूर कर और मेरे कान और निगाह में नूर कर। ऐ अल्लाह! मेरे सीने को खोल दे और मेरे अम्र (काम)को आसान कर और तेरी पनाह माँगता हूँ सीने के वसवसों और काम की परागन्दगी और अज़ाबे क़ब्र से। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ उसके शर से जो रात में दाख़िल होती है और दिन में दाख़िल होती है और उसके शर से जिसके साथ हवा चलती है और आफ़ाते ज़माना के शर से। ऐ अल्लाह! यह अमन के तालिब और जहन्नम से पनाह माँगने वाले के खड़े होने की जगह है अपने अफ़्व के साथ मुझको जहन्नम से बचा और अपनी रहमत से जन्नत में दाख़िल कर। ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान! ऐ अल्लाह! जब तूने इस्लाम की तरफ़ मुझे हिदायत की तो इसको मुझसे जुदा न करना यहाँ तक कि मुझे इसी इस्लाम पर वफ़ात देना,आमीन!

(15) दोपहर से पहले खाने पीने वग़ैरा ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो ले कि दिल किसी तरफ़ लगा रहे आज के दिन जैसे हाजी को रोज़ा मुनासिब नहीं कि दुआ में कमज़ोरी होगी यूहीं पेट भर खाना सख़्त ज़हर और ग़फ़लत व सुस्ती की वजह है तीन रोटी की भूक वाला एक ही खाये नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा के लिए यही हुक्म दिया है और खुद दुनिया से तशरीफ़ ले गये और जौ की रोटी कभी पेट भर न खाई हालाँकि अल्लाह के हुक्म से तमाम जहान इख़्तियार में था और है। अनवार व बरकात लेना चाहो तो न सिर्फ़ आज बल्कि हरमैन शरीफ़ैन में जब तक हाज़िर रहो, तिहाई पेट से ज़्यादा हरगिज़ न खाओ मानोगे तो उसका फ़ायदा,और न मानोगे तो उसका नुक़सान आँखो से देख लोगे, हफ़्ता भर इस पर अमल करके देखो पहली हालत

फ़र्क़ न पाओ तो कहना जी बचे तो खाने–पीने के बहुत से दिन हैं यहाँ तो नूर व ज़ौक़ के लिए जगह ख़ाली रखो। इसी के मुतअ़ल्लिक़ कहे गए एक फ़ारसी शेर का तर्जमा यह है : "पेट खाने से ख़ाली रख ताकि तू उस में मारिफ़त का नूर देखे वरना, भरा बर्तन दोबारा क्या भरेगा।

(16) जब दोपहर क़रीब आये नहाओ कि सुन्नते मुअक्कदा है और न हो सके तो सिर्फ़ वुज़ू करो।

अ़रफ़ात में ज़ुहर व अ़स्र की नमाज़

(17) दोपहर ढलते ही बल्कि इस से पहले कि इमाम के क़रीब जगह मिले **मस्जिदे नमरा** जाओ सुन्नतें पढ़ कर ख़ुतबा सुन कर इमाम के साथ ज़ुहर पढ़ो उस के बअ़द बिना देर किए अ़स्र की तकबीर होगी फ़ौरन जमाअ़त से अ़स्र पढ़ो बीच में सलाम व कलाम तो क्या मअ़ना सुन्नतें भी न पढ़ो और अ़स्र के बअ़द भी नफ़्ल नहीं। यह ज़ुहर व अ़स्र मिला कर पढ़ना जभी जाइज़ है कि नमाज़ या तो सुल्तान(बादशाह)पढ़ाये या वह जो हज में उसका नाइब होकर आता है, जिस ने ज़ुहर अकेले या अपनी ख़ास जमाअ़त से पढ़ी उसे वक़्त से पहले अ़स्र पढ़ना जाइज़ नहीं और जिस हिकमत के लिए शरीअ़त ने यहाँ ज़ुहर के साथ अ़स्र मिलाने का हुक्म फ़रमाया है यअ़नी ग़ुरूबे आफ़ताब तक दुआ के लिए वक़्त ख़ाली मिलना वह जाती रहेगी।

मसअ्ला :– मिला कर दोनों नमाज़ें जो यहाँ एक वक़्त में पढ़ने का हुक्म है उस में पूरी जमाअ़त मिलना शर्त नहीं बल्कि मसलन ज़ुहर के आख़िर में शरीक हुआ और सलाम के बअ़द जब अपनी पूरी करने लगा इतने में इमाम अ़स्र की नमाज़ ख़त्म करने के क़रीब हुआ यह सलाम के बअ़द अ़स्र की जमाअ़त में शामिल हुआ जब भी हो गई। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मिला कर पढ़ने में यह भी शर्त है कि दोनों नमाज़ों में एहराम के साथ हो अगर ज़ुहर पढ़ने के बअ़द एहराम बाँधा तो अ़स्र मिला कर नहीं पढ़ सकता। और यह भी शर्त है कि वह एहराम हज का हो अगर ज़ुहर में उमरा का था अ़स्र में हज का हुआ जब भी नहीं मिला सकता।(दुर्रे मुख़्तार)

वुक़ूफ़े अ़रफ़ा का बयान :– ख़्याल करो जब शरीअ़त का यह वक़्त दुआ के लिए फ़ारिग़ करने का इस क़द्र एहतिमाम है कि अ़स्र को ज़ुहर के साथ मिला कर पढ़ने का हुक्म दिया तो इस वक़्त और काम में मशग़ूली किस क़द्र बेहूदा है बअ़ज़ अहमक़ों (बेवक़ूफ़ों)को देखा है कि इमाम तो नमाज़ में है या नमाज़ पढ़ कर मौक़फ़ को गया और वह बेवक़ूफ़ खाने–पीने हुक़्क़ा चाय उड़ाने में हैं। ख़बरदार ! ऐसा न करो इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन **मौक़फ़** यअ़नी वह जगह कि नमाज़े अ़स्र के बअ़द से सूरज डूबने तक वहाँ खड़े होकर ज़िक्र व दुआ का हुक्म है उस जगह को रवाना हो जाओ और मुमकिन हो तो ऊँट पर सवार हो कर रवाना हो जाओ कि सुन्नत भी है और हुजूम में बदन कुचलने से मुहाफ़ज़त (हिफ़ाज़त)

(19) बअ़ज़ मुतव्विफ़ (तवाफ़ कराने वाले)उस मजमा में जाने से मना करते और तरह तरह डराते हैं उनकी न सुनो बल्कि मौक़फ़ ज़रूर–ज़रूर जाओ क्यूँकि वह ख़ास, आम रहमत नाज़िल होने की जगह है हाँ औरतें और कमज़ोर मर्द यहीं से खड़े हुए दुआ में शामिल हों कि बतने उ़रना (बतने उ़रना अ़रफ़ात में हरम के नालों में से एक नाला है मस्जिदे नमरा के पश्छिम की तरफ़ यअ़नी कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ वहाँ वुक़ूफ़ नाजाइज़ है)के सिवा यह सारा मैदान मौक़फ़ है और यह

लोग भी यही तसव्वुर व ख़्याल करें कि हम उस मजमा में हाज़िर हैं अपनी डेढ़ ईंट की अलग न समझें उस मजमा में यकीनन बहुत से औलिया बल्कि हज़रते इलयास व हज़रते ख़िज़्र अलैहिस्सलाम दो नबी भी मौजूद हैं यह तसव्वुर करें कि अनवार व बरकात जो इस मजमा में उन पर उतर रहे हैं उनका सदका हम भिकारियों को भी पहुँचता है यूँ अलग होकर भी शामिल रहेंगे और जिस से हो सके तो वहाँ की हाज़िरी छोड़ने की चीज़ नहीं।

(20) अफ़ज़ल यह है इमाम से नज़्दीक जबले रहमत के करीब जहाँ छोटी सी मस्जिद है (जहाँ स्याह पत्थर का फ़र्श है) क़िब्ला की जानिब मुँह करके इमाम के पीछे खड़ा हो जब कि इन फ़ज़ाइल के हासिल करने में दिक़्क़त या किसी को तकलीफ़ न हो वरना जहाँ और जिस तरह हो सके **वुकूफ़** करे(ठहरे)। इमाम के दाहिने जानिब और बाईं जानिब सामने होने से अफ़ज़ल है यह वुकूफ़ ही हज की जान और उसका बड़ा रुक्न है वुकूफ़ के लिए खड़ा रहना अफ़ज़ल है,शर्त या वाजिब नहीं, बैठा रहा जब भी वुकूफ़ हो गया वुकूफ़ में नियत और क़िब्ला की तरफ़ मुँह करना अफ़ज़ल है।

वुक़ूफ़ की सुन्नतें

वुकूफ़ में ये काम सुन्नत हैं :1–गुस्ल 2–दोनों ख़ुतबों की हाज़िरी 3–दोनों नमाज़ें मिला कर पढ़ना 4–बे रोज़ा होना 5–बा–वुज़ू होना 6–नमाज़ों के बअ़्द फ़ौरन वुकूफ़ करना।

(21) बअ़्ज़ जाहिल यह करते हैं कि पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ खड़े होकर रुमाल हिलाते रहते हैं, इससे बचो और उनकी तरफ़ भी बुरा ख़्याल न करो यह वक़्त औरों के ऐब देखने का नहीं अपने ऐबों पर शर्मसारी और गिरया व ज़ारी का है।

(22)अब वह लोग कि यहाँ हैं और वह कि डेरों में हैं सब मुकम्मल सिद्क़ दिल से अपने करीम मेहरबान रब की तरफ़ मुतवज्जेह हो जायें और मैदाने क़ियामत में हिसाबे आमाल के लिए उसके हुज़ूर हाज़िरी का तसव्वुर करें निहायत खुशूअ़ व खुज़ूअ़ के साथ लरज़ते, काँपते ,डरते, उम्मीद करते आँखें बन्द किये गरदन झुकाये, दस्ते दुआ आसमान की तरफ़ सर से ऊँचा फैलाये, तकबीर व तहलील व तस्बीह व लब्बैक व हम्द व ज़िक्र व दुआ व तौबा व इस्तिग़फ़ार में डूब जाये कोशिश करे कि एक क़तरा आँसू का टपके कि क़बूल होने और खुश्नसीबी की दलील है वरना रोने की तरह मुँह बनाये कि अच्छों की सूरत भी अच्छी। दुआ व ज़िक्र के दरमियान लब्बैक की बार–बार तकरार करे आज के दिन की बहुत सी दुआयें बुज़ुर्गों से नक़ल की गई हैं और दुआए जामे कि ऊपर गुज़री काफ़ी है चन्द बार उसे कह लो और सब से बेहतर यह कि सारा वक़्त दुरूद व ज़िक्र व तिलावते कुर्आन में गुज़ार दो कि हदीस के वअ़्दे के मुताबिक़ दुआ वालों से ज़्यादा पाओगे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ो ,गौसे अअ़्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से तवस्सलु करो, अपने गुनाह और उसकी क़हहारी याद करके बेद की तरह लरज़ो और यक़ीन जानो कि उसकी मार से उसी के सिवा कहीं ठिकाना नहीं लिहाज़ा शफ़ीओं का दामन पकड़े उसके अज़ाब से उसी की पनाह माँगो और उसी हालत में रहो कि कभी उसके ग़ज़ब की याद से जी काँपा जाता है और कभी उसकी रहमते आम की उम्मीद से मुरझाया दिल निहाल (खुश) हो जाता है यूहीं तज़र्रो व ज़ारी में रहो यानी रोओ और आजिज़ी करो यहाँ तक कि आफ़ताब डूब जाये और

रात का एक लतीफ़ (हल्का) जुज़ हिस्सा आ जाये इससे पहले चला जाना मना है बाज़ जल्दबाज़ दिन ही से चल देते हैं उनका साथ न दो ग़ुरूब तक ठहरने की ज़रूरत न होती तो अस्र की ज़ुहर से मिला कर क्यों पढ़ने का हुक्म होता और क्या मअ्लूम कि रहमते इलाही किस वक़्त तवज्जोह फ़रमाये अगर तुम्हारे चल देने के बअ्द उतरी तो मआज़ल्लाह कैसा ख़सारा(नुक़सान) है और अगर ग़ुरूब से पहले अ़रफ़ात की हदों से निकल गये जब तो पूरा–पूरा जुर्म है बाज़ मुतव्विफ़ यहाँ यूँ डराते हैं कि रात में ख़तरा है यह दो एक के लिए ठीक है और जब सारा क़ाफ़िला ठहरेगा तो इन्शाअल्लाह तआ़ला कुछ अन्देशा नहीं। इस मक़ाम पर पढ़ने के लिए बाज़ दुआयें लिखी जाती हैं। اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ. तीन बार फिर कलिमए तौहीद उसके बाद

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ بِالْهُدٰی وَ نَقِّنِیْ وَ اعْصِمْنِیْ بِالتَّقْوٰی وَ اغْفِرْلِیْ فِی الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰی

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! मुझको हिदायत के साथ रहनुमाई कर और पाक कर और परहेज़गारी के साथ गुनाह से महफ़ूज़ रख और दुनिया व आख़िरत में मेरी मग़फ़िरत फ़रमा" तीन बार

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِیْ نَقُوْلُ وَ خَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْيَایَ وَ مَمَاتِیْ وَ اِلَيْكَ مَاٰبِیْ وَ لَكَ رَبِّ تُرَاثِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَ شِتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِیْءُ بِهِ الرِّيْحُ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَجِیْءُ بِهِ الرِّيْحُ اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدٰی وَ زَيِّنَّا بِالتَّقْوٰی وَ اغْفِرْ لَنَا فِی الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَمَرْتَ بِالدُّعَآءِ وَ قَضَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ بِالْاِجَابَةِ وَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ. لَا تَنْكُثُ عَهْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَآ اَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ اِلَيْنَا وَ يَسِّرْهُ لَنَا وَ مَا كَرِهْتَ مِنْ شَرٍّ فَكَرِّهْهُ اِلَيْنَا وَ جَنِّبْنَاهُ وَ لَا تَنْزِعْ مِنَّا الْاِسْلَامَ بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا . اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَرٰی مَكَانِیْ وَ تَسْمَعُ كَلَامِیْ وَ تَعْلَمُ سِرِّیْ وَ عَلَانِيَتِیْ وَ لَا يَخْفٰی عَلَيْكَ شَیْءٌ مِنْ اَمْرِیْ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ. اَلْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهٖ اَسْاَلُكَ مَسْاَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَ اَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَ اَدْعُوْكَ دُعَآءَ الْخَائِفِ الْمُضْطَرِّ دُعَآءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهٗ وَ فَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ وَ نَحِلَ لَكَ جَسَدُهٗ وَ رَغِمَ اَنْفُهٗ . اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِیْ بِدُعَائِكَ رَبِّیْ شَقِيًّا وَّ كُنْ بِیْ رَؤُفًا رَّحِيْمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَ خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! इसको हज्जे मबरूर कर और गुनाह बख़्श दे इलाही तेरे लिए हम्द है जैसी हम कहते हैं और उससे बेहतर जो हम कहें। ऐ अल्लाह! मेरी नमाज़ व इबादत और मेरा जीना और मरना तेरे ही लिए है और तेरी ही तरफ़ मेरी वापसी है और ऐ परवर्दिगार! तू ही मेरा वारिस है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ अज़ाबे क़ब्र और सीने के वसवसे और काम की परागन्दगी से, इलाही मैं सवाल करता हूँ उस चीज़ की ख़ैर का जिस को हवा लाती है और उस चीज़ के शर से पनाह माँगता हूँ जिसे हवा लाती है। इलाही हिदायत की तरफ़ हमको रहनुमाई कर और तक़वा से हमको मुज़य्यन कर और आख़िरत व दुनिया में हमको बख़्श दे। इलाही मैं रिज़्क़े पाकीज़ा व मुबारक का तुझसे सवाल करता हूँ। इलाही तूने दुआ करने का हुक्म दिया और क़बूल

करने का ज़िम्मा तूने ख़ुद लिया। और बेशक तू वअ़्दे के ख़िलाफ़ नहीं करता और अपने अ़हद को नहीं तोड़ता, इलाही जो अच्छी बातें तुझे महबूब हैं उन्हें हमारी महबूब कर दे और हमारे लिए मयस्सर कर और जो बुरी बातें तुझे ना–पसन्द हैं उन्हें हमारी ना–पसन्द कर और हम को उन से बचा और इस्लाम की तरफ़ तूने हम को हिदायत फ़रमाई तू उस को हम से जुदा न कर इलाही तू मेरे मकान को देखता है। और मेरा कलाम सुनता है और मेरे पोशीदा वा ज़ाहिर को जानता है, मेरे काम में से कोई शय तुझ पर मख़फ़ी(छुपी)नहीं मैं ना–मुराद, मोहताज फ़रियाद करने वाला,पनाह चाहने वाला, ख़ौफ़नाक(बहुत डरने वाला)अपने गुनाह का मुकि़र(इक़रार करने वाला) व मोअ़्तरिफ़(मानने वाला)हूँ मिस्कीन की तरह तुझसे सवाल करता हूँ और गुनाहगार ज़लील की तरह तुझसे आजिज़ी करता हूँ और डरे मुज़तर (बेक़रार, बेचैन)की तरह तुझसे दुआ़ करता हूँ, उसकी मिस्ल दुआ़ जिसकी गरदन तेरे लिए झुक गई और आँखें जारी और बदन लाग़र और नाक ख़ाक में मिली है। ऐ परवरदिगार! तू अपनी हिदायत से मुझे बदबख़्त न कर और मुझ पर बहुत मेहरबान हो जा, ऐ बेहतर सवाल किये गये और ऐ बेहतर देने वाले"।

और बैहक़ी की रिवायत जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से ऊपर मज़कूर हो चुकी उसमें जो दुआ़यें हैं उन्हें भी पढ़े यअ़्नी :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

सौ बार पढ़े, सूरए इख़्लास सौ बार पढ़े और नीचे लिखी दुरूद शरीफ़ सौ बार पढ़े।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا

اِبْرَاهِيْمَ. وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ.

इब्ने अबी शैबा वग़ैरा अमीरुल मोमिनीन मौला अ़ली कर्रमल्लाहु तआ़ला वजहहुल करीम से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी और अम्बिया की दुआ़ अ़रफ़ा के दिन यह है।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ .وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا. اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَ يَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّ سَاوِسِ الصَّدْرِ وَ تَشْتِيْتِ الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى اللَّيْلِ وَ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ وَ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيْحُ وَ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ.

तर्जमा :– " नहीं है कोई मअ़्बूद मगर अल्लाह जो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है, और उसी के लिए ह़म्द है, और वह जिलाता है, और मारता है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। ऐ अल्लाह! मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर और मैं तेरी पनाह माँगता हूँ सीने के वसवसों और काम की परागन्दगी और अ़ज़ाबे क़ब्र से। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ उसकी बुराई से जो रात में दाख़िल होती है और उसकी बुराई से जो दिन में दाख़िल होती है और उसकी बुराई से जिसे हवा उड़ा लाती है और आफ़ाते दहर की बुराई से।"

इस मकाम पर पढ़ने की बहुत दुआयें किताबों में मज़कूर हैं मगर इतनी ही में किफ़ायत है और दुरूद शरीफ़ व तिलावते क़ुर्आन मजीद सब दुआओं से ज़्यादा मुफ़ीद है।

(23) इस रोज़ एक अदब जिसका याद रखना वाजिब है बहुत ज़रूरी है वह यह है कि अल्लाह तआ़ला के सच्चे वअ़्दों पर भरोसा करके यक़ीन करे कि आज मैं गुनाहों से ऐसा पाक हो गया जैसा जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ था अब कोशिश करूँगा कि आइन्दा गुनाह न हों और जो दाग़ अल्लाह तआ़ला ने महज़ अपनी रहमत से मेरी पेशानी से धोया है फिर न लगे।

वुकूफ़ के मकरूहात

(24) यहाँ यह बातें मकरूह हैं :1—गुरूबे आफ़ताब से पहले वुकूफ़ छोड़ कर रवानगी जबकि गुरूब तक अ़रफ़ात की हदों से बाहर न हो जाये वरना हराम है। 2—नमाज़े अ़स्र व ज़ुहर मिलाने के बाद मौकफ़ को जाने में देर करना। 3—उस वक़्त से गुरूब तक खाने पीने 4—या ख़ुदा की तरफ़ तवज्जोह के सिवा किसी काम में मशग़ूल होना। 5—कोई दुनियावी बात करना। 6—गुरूब पर यक़ीन हो जाने के बअ़्द रवानगी में देर करना। 7—मग़रिब या इशा अ़रफ़ात में पढ़ना।

तम्बीह :— मौकफ़ में छतरी लगाने या किसी तरह साया चाहने से ताक़त भर बचो, हाँ जो मजबूर है माज़ूर है।

ज़रूरी नसीहत : तम्बीहे ज़रूरी ,ज़रूरी अशद ज़रूरी! बदनिगाही(बुरी नज़र से देखना) हमेशा हराम है न कि मौकफ़ या मस्जिदे हराम में न कि कअ़्बाए मुअ़ज़्ज़मा के सामने न कि तवाफ़े बैतुलहराम में यह तुम्हारे बहुत इम्तिहान का मौक़ा है औरतों को हुक्म दिया गया है कि यहाँ मुँह न छुपाओ और तुम्हें हुक्म दिया गया है कि उनकी तरफ़ निगाह न करो। यक़ीन जानो कि यह बड़े ग़ैरत वाले बादशाह की बांदियाँ हैं और उस वक़्त तुम और वह ख़ास दरबार में हाज़िर हो बिला तश्बीह शेर का बच्चा उसकी बग़ल में हो उस वक़्त कौन उस की तरफ़ निगाह उठा सकता है तो अल्लाह वाहिदे क़हहार की कनीज़ें कि उसके ख़ास दरबार में हाज़िर हैं उन पर बदनिगाही किस क़द्र सख़्त होगी। وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی हाँ, हाँ होशियार! ईमान बचाये हुए क़ल्ब व निगाह सँभाले हुए, हरम वह जगह है जहाँ गुनाह के इरादे पर पकड़ा जाता एक गुनाह लाख गुनाह के बरबार ठहरता है। इलाही ख़ैर की तौफ़ीक़ दे। आमीन!

वुकूफ़ के मसाइल

मसअ्ला :— वुकूफ़ का वक़्त नवीं ज़िलहिज्जा के आफ़ताब ढलने से दसवीं की तुलूए फ़ज्र (सुबहे सादिक यअ़्नी फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त शुरूअ़ होने) तक है ,इस वक़्त के अ़लावा किसी और वक़्त वुकूफ़ किया तो हज न मिला मगर एक सूरत में, वह यह कि ज़िलहिज्जा का चाँद दिखाई न दिया ज़ीक़अ़्दा के तीस दिन पूरे करके ज़िलहिज्जा का महीना शुरूअ़ किया और इस हिसाब से आज नवीं है बअ़्द को साबित हुआ कि उन्तीस का चाँद हुआ तो इस हिसाब से दसवीं होगी और वुकूफ़ दसवीं तारीख़ को हुआ मगर ज़रूरतन यह जाइज़ माना जायेगा। और अगर धोका हुआ कि आठवीं को नवीं समझ कर वुकूफ़ किया फिर मअ़्लूम हुआ तो यह वुकूफ़ सही न हुआ। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :— अगर गवाहों ने रात के वक़्त गवाही दी कि नवीं तारीख़ आज थी और यह दसवीं रात है तो अगर इस रात में सब लोगों या अकसर के साथ इमाम वुकूफ़ कर सकता है तो वुकूफ़

लाज़िम है वुकूफ़ न करें तो हज फ़ौत हो जायेगा यअ्नी हज फिर से करना फ़र्ज़ होगा और अगर इतना वक़्त बाक़ी न हो कि अकसर लोगों के साथ इमाम वुकूफ़ करे अगर्चे ख़ुद इमाम और जो थोड़े लोग जल्दी करके जायें तो सुबह से पहले पहुँच जायेंगे मगर जो लोग पैदल हैं और जिनके साथ बाल बच्चे हैं और जिनके पास सामान ज़्यादा है उनको वुकूफ़ न मिलेगा तो उस शहादत के मुवाफ़िक़ अमल न करे। (मुनसक)

मसअ्ला :– जिन लोगों ने ज़िलहिज्जा के चाँद की गवाही दी और उनकी गवाही क़बूल न हुई वह लोग अगर इमाम से एक दिन पहले वुकूफ़ करेंगे तो उनका हज न होगा बल्कि उन पर भी ज़रूरी है कि उसी दिन वुकूफ़ करें जिस दिन इमाम वुकूफ़ करे अगर्चे उनके हिसाब से अब दसवीं तारीख़ है। (मुनसक)

मसअ्ला :– थोड़ी देर ठहरने से भी वुकूफ़ हो जाता है चाहे उसे मअ्लूम हो कि अ़रफ़ात है या मअ्लूम न हो, बा–वुज़ू हो या बे–वुज़ू, जुनुब(नापाक)हो या हैज़ व निफ़ास वाली औ़रत, सोता हो या बेदार हो, होश में हो या जुनून व बेहोशी में, यहाँ तक कि अ़रफ़ात से हो कर जो गुज़र गया उसे हज मिल गया यअ्नी अब हज उसका फ़ासिद (बेकार) न होगा जबकि यह सब एहराम से हों। बेहोशी में एहराम की सूरत यह है कि पहले होश में था और उसी वक़्त एहराम बाँध लिया था और अगर एहराम बाँधने से पहले बेहोश हो गया और उसके साथियों में से किसी ने या किसी और ने उसकी तरफ़ से एहराम बाँध दिया अगर्चे इस एहराम बाँधने वाले ने ख़ुद अपनी तरफ़ से भी एहराम बाँधा हो कि उसका एहराम इसके एहराम के मुनाफ़ी ख़िलाफ़ नहीं तो इस सूरत में भी वह मुहरिम हो गया। दूसरे के एहराम बाँधने का यह मतलब नहीं कि उसके कपड़े उतार कर तहबन्द बाँध दे बल्कि यह कि उसकी तरफ़ से नीयत करे और लब्बैक कहे। (आलमगीरी जौहरा)

मसअ्ला :– जिसका हज फ़ौत हो गया यअ्नी उसे वुकूफ़ न मिला तो अब हज के बाक़ी अफ़आल साक़ित(ख़त्म)हो गये उसका एहराम उ़मरा की तरफ़ मुन्तक़िल हो गया लिहाज़ा उ़मरा करके एहराम खोल डाले और आइन्दा साल हज करे। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– आफ़ताब डूबने से पहले इज़्दिहाम(भीड़–भाड़)के ख़ौफ़ से अ़रफ़ात की हदों से बाहर हो गया उस पर दम वाजिब है फिर अगर आफ़ताब डूबने से पहले वापस आया और ठहरा रहा यहाँ तक कि आफ़ताब ग़ुरूब हो गया तो दम माफ़ हो गया और अगर सूरज डूबने के बअ्द वापस आया तो दम माफ़ न हुआ और अगर सवारी पर था और जानवर उसे लेकर भाग गया जब भी दम वाजिब है यूहीं अगर उसका ऊँट भाग गया यह उसके पीछे चल दिया जब भी दम वाजिब है। (मुनसक)

मसअ्ला :– मुहरिम ने नमाज़े इशा नहीं पढ़ी है और वक़्त सिर्फ़ इतना बाक़ी है कि चार रकअ्त पढ़े मगर पढ़ता है तो वुकूफ़े अ़रफ़ा जाता रहेगा तो नमाज़ छोड़े और अ़रफ़ात को जाये (जौहरा)और बेहतर यह कि चलते में पढ़ ले बाद को इआदा करे यअ्नी दोहराये। (मुनसक)

मुज़दलेफ़ा की रवानगी और उसका वुकूफ़

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है : –

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ
وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۝

तर्जमा :– "जब अरफ़ात से तुम वापस आओ तो मशअ़रे हराम (मुज़दलेफ़ा) के नज़दीक अल्लाह का ज़िक करो और उसको याद करो जैसे उसने तुम्हें बताया और बेशक इससे पहले तुम गुमराहों से थे।"

सही मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि हज्जतुलवदअ़ में नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अ़रफ़ात से मुज़दलेफ़ा में तशरीफ़ लाये यहाँ मग़रिब व इशा की नमाज़ पढ़ी फिर लेटे यहाँ तक कि नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरूअ़ हुआ जब सुबह हुई उस वक़्त अज़ान व इक़ामत के साथ नमाज़े फ़ज्र पढ़ी फिर अपनी ऊँटनी क़ुस्वा पर सवार होकर मशअ़रे हराम में आये और क़िब्ला की जानिब मुँह करके दुआ़ व तकबीर व तहलील व तौहीद में मशग़ूल रहे और वुक़ूफ़ किया यहाँ तक कि ख़ूब उजाला हो गया और सूरज निकलने से पहले यहाँ से रवाना हुए। बैहक़ी मुहम्मद इब्ने क़ैस इब्ने मख़रिमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ख़ुत्बा पढ़ा और फ़रमाया कि अहले जाहिलियत अ़रफ़ात से उस वक़्त रवाना होते थे जब आफ़ताब,(सूरज) निकले आफ़ताब चेहरे के सामने होता गुरूब से पहले और मुज़दलेफ़ा से आफ़ताब निकलने के बाद रवाना होते जब आफ़ताब चेहरे के सामने होता और हम अ़रफ़ात से न जायेंगे जब तक आफ़ताब डूब न जाये और मुज़दलेफ़ा से सूरज निकलने से पहले रवाना होंगे हमारा तरीक़ा बुतपरस्तों और मुशरिकों के तरीक़े के ख़िलाफ़ है।

(1) जब गुरूबे आफ़ताब का यक़ीन हो जाये फ़ौरन मुज़दलेफ़ा को चलो और इमाम के साथ जाना अफ़ज़ल है मगर वह देर करे तो उसका इन्तिज़ार न करो। (2) रास्ते भर ज़िक व दुरूद व दुआ़ व लब्बैक व ज़ारी व बुका (रोने–धोने)में मसरूफ़ रहो। इस वक़्त की बअ़ज़ दुआयें यह हैं :–

اَللّٰھُمَّ اِلَیْکَ اَفَضْتُ وَ فِیْ رَحْمَتِکَ رَغِبْتُ وَمِنْ سَخَطِکَ رَھِبْتُ وَ مِنْ عَذَابِکَ اَشْفَقْتُ فَاقْبَلْ نُسُکِیْ وَ اَعْظِمْ اَجْرِیْ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِیْ وَارْحَمْ تَضَرُّعِیْ وَاسْتَجِبْ دُعَآئِیْ وَ اَعْطِنِیْ سُؤْلِیْ.اَللّٰھُمَّ لَا تَجْعَلْ ھٰذَا اٰخِرَ عَھْدِنَا مِنْ ھٰذَا الْمَوْقِفِ الشَّرِیْفِ الْعَظِیْمِ.وَارْزُقْنَا الْعَوْدَ اِلَیْہِ مَرَّاتٍ کَثِیْرَۃً بِلُطْفِکَ الْعَمِیْمِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मैं तेरी तरफ़ वापस हुआ और तेरी रहमत में रग़बत की और तेरी नाख़ुशी से डरा और तेरे अ़ज़ाब से ख़ौफ़ किया तू मेरी इबादत क़बूल कर और मेरा अज्र अ़ज़ीम कर और मेरी तौबा क़बूल कर और मेरी आ़जिज़ी पर रहम कर और मेरी दुआ़ क़बूल कर और मुझे मेरा सवाल अ़ता कर ऐ अल्लाह! इस शरीफ़ बुज़ुर्ग जगह में मेरी यह हाज़िरी आख़िरी हाज़िरी न कर और तू अपनी मेहरबानी से यहाँ बहुत मरतबा आना नसीब कर"।

(3) रास्ते में जहाँ गुन्जाइश पाओ और अपनी या दूसरे की ईज़ा का ख़तरा न हो तो इतनी देर तेज़ चलो पैदल हो चाहे सवार। (4) जब मुज़दलेफ़ा नज़र आये अगर पैदल चल सको तो पैदल हो लेना बेहतर है और नहा कर दाख़िल होना अफ़ज़ल मुज़दलेफ़ा में दाख़िल होते वक़्त यह दुआ़ पढ़ो :–

اَللّٰھُمَّ ھٰذَا جَمْعٌ اَسْاَلُکَ اَنْ تَرْزُقَنِیْ جَوَامِعَ الْخَیْرِ کُلِّہٖ.اَللّٰھُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.وَ رَبَّ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ.وَ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ.وَ رَبَّ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ .اَسْاَلُکَ بِنُوْرِ وَجْھِکَ الْکَرِیْمِ.اَنْ تَغْفِرَلِیْ ذُنُوْبِیْ وَ تَرْحَمَنِیْ وَ تَجْمَعَ عَلَی الْھُدٰی اَمْرِیْ وَتَجْعَلَ التَّقْوٰی زَادِیْ وَ ذُخْرِیْ وَ الْاٰخِرَۃَ مَاٰبِیْ وَھَبْ لِیْ رِضَاکَ غِنًی فِی الدُّنْیَا

وَالْاٰخِرَةِ يَا مَنْ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهٗ اَعْطِنِي الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَاصْرِفْ عَنِّي الشَّرَّ كُلَّهٗ. اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ لَحْمِيْ وَ عَظْمِيْ وَ
شَحْمِيْ وَ شَعْرِيْ وَ سَائِرَ جَوَارِحِيْ عَلَى النَّارِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! यह जमअ् (मुज़दलेफ़ा)है,मैं तुझसे तमाम ख़ैर के मजमूआ का सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह! मशअ़रे हराम के रब और रुक्न व मक़ाम के रब और इज़्ज़त वाले शहर और इज़्ज़त वाली मस्जिद के रब मैं तुझ से तेरे वजहे करीम के नूर के वसीले से सवाल करता हूँ कि तू मेरे गुनाह बख़्श दे और मुझ पर रहम कर और हिदायत पर मेरे काम को जमा कर दे और तक़्वा को मेरा तोशा और ज़ख़ीरा कर और आख़िरत मेरा मरजअ् कर और दुनिया और आख़िरत में तू मुझसे राज़ी रह। ऐ वह ज़ात जिसके हाथ में तमाम भलाई है मुझको हर क़िस्म की ख़ैर अ़ता कर और हर क़िस्म की बुराई से बचा। ऐ अल्लाह! मेरे गोश्त और हड्डी और चर्बी और बाल और तमाम अअ्ज़ा (जिस्म के हिस्सों) को जहन्नम पर हराम कर दे, ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान!

मुज़दलेफ़ा में नमाज़े मग़रिब व इशा

(5) वहाँ पहुँच कर जहाँ तक हो सके **जबले क़ुज़ह** के पास रास्ते से बचकर उतरो वरना जहाँ जगह मिले। (6) ग़ालिबन वहाँ पहुँचते–पहुँचते शफ़क़ (सूरज डूबने के बअ्द जो लाली ज़ाहिर होती है) डूब जायेगी मग़रिब का वक़्त निकल जायेगा सवारी से असबाब (सामान) उतारने से पहले इमाम के साथ मग़रिब व इशा पढ़ो और अगर वक़्त मग़रिब का बाक़ी भी रहे जब भी अभी मग़रिब हरगिज़ न पढ़ो न अ़रफ़ात में पढ़ो न राह में कि इस दिन यहाँ नमाज़े मग़रिब वक़्ते मग़रिब में पढ़ना गुनाह है और अगर पढ़ लोगे तो इशा के वक़्त फिर पढ़नी होगी ग़रज़ यहाँ पहुँच कर मग़रिब वक़्ते इशा में अदा की नीयत से पढ़ो न कि क़ज़ा की नीयत से जहाँ तक हो सके इमाम के साथ पढ़ो मग़रिब का सलाम फेरते ही फ़ौरन इशा की जमाअ़त होगी इशा के फ़र्ज़ पढ़ लो उसके बाद मग़रिब व इशा की सुन्नतें और वित्र पढ़ो और अगर इमाम के साथ जमाअ़त न मिल सके तो अपनी जमाअ़त कर लो और अपनी जमाअ़त भी न हो सके तो तन्हा पढ़ो।

मसअ्ला :– अगर मुज़दलेफ़ा के आने वाले ने मग़रिब की नमाज़ रास्ते में पढ़ी या मुज़दलेफ़ा पहुँच कर इशा का वक़्त आने से पहले पढ़ ली तो उसे हुक्म यह है कि इआ़दा करे। (दुबारा पढ़े) मगर न किया और फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त हो गया तो वह नमाज़ अब सही हो गई। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मुज़दलेफ़ा में मग़रिब से पहले इशा पढ़ी तो मग़रिब पढ़ कर इशा को दोबारा पढ़े और अगर तुलूए फ़ज्र (सुबहे सादिक़) तक इआ़दा न किया तो अब सही हो गई चाहे वह शख़्स साहिबे तर्तीब हो या न हो। (दुर्रे मुख़्तार,तहतावी)

मसअ्ला :– अगर रास्ते में इतनी देर हो गई कि नमाज़े फ़ज्र का वक़्त हो जाने का अन्देशा है तो अब रास्ते ही में दोनों नमाज़ें यअ्नी मग़रिब व इशा पढ़ ले, मुज़दलेफ़ा पहुँचने का इन्तिज़ार न करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अ़रफ़ात में ज़ुहर व अ़स्र के लिए एक अज़ान और दो इक़ामतें हैं और मुज़दलेफ़ा में मग़रिब व इशा के लिए एक अज़ान और एक इक़ामत। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दोनो नमाज़ों के दरमियान में सुन्नत व नवाफ़िल न पढ़ें मग़रिब की सुन्नतें भी इशा के बाद पढ़े अगर दरमियान में सुन्नतें पढ़ीं या कोई और काम किया तो एक इक़ामत और कही जाये यअ्नी इशा के लिए। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तुलूए फ़ज्र (फ़ज्र का वक़्त होने) के बाद मुज़दलेफ़ा में आया तो सुन्नत तर्क हुई मगर दम वग़ैरा उस पर वाजिब नहीं। (आलमगीरी) (7) नमाज़ों के बाद बाक़ी रात ज़िक्र व लब्बैक व दुरूद व दुआ व ज़ारी (रोने)में गुज़ारो कि यह बहुत अफ़ज़ल जगह और बहुत अफ़ज़ल रात है बाज़ उलमा ने इस रात को शबे क़द्र से भी अफ़ज़ल कहा है। ज़िन्दगी है तो सोने को और बहुत रातें मिलेंगी और यहाँ यह रात ख़ुदा जाने दोबारा किसे मिले। और न हो सके तो बा–तहारत (बा–वुज़ू) सो रहो कि फ़ुज़ूल बातों से सोना बेहतर, और इतने पहले उठ बैठो कि सुबहे चमकने से पहले ज़रूरियात व तहारत से फ़ारिग़ हो लो आज **नमाज़े सुबह** बहुत अँधेरे से पढ़ी जायेगी, कोशिश करो कि जमाअत से पढ़ो बल्कि पहली तकबीर फ़ौत न हो कि इशा व सुबह जमाअत से पढ़ने वाला भी पूरी शब बेदारी (रात भर जाग कर इबादत करने)का सवाब पाता है। (8) अब दरबारे अअ्ज़म की दूसरी हाज़िरी का वक़्त आया हाँ हाँ करम के दरवाज़े खोले गये हैं, कल अरफ़ात में हुक़ूक़ुल्लाह माफ़ हुए थे र ँ हुक़ूक़ुलइबाद माफ़ फ़रमाने का वअ्दा है।

मुज़दलेफ़ा का वुक़ूफ़ और दुआयें

मशअ्रुलहराम में यअ्नी ख़ास पहाड़ी पर और जगह न मिले तो उसके दामन में और यह भी न हो सके तो वादीए मुहस्सर (कि इसमें वुक़ूफ़ जाइज़ नहीं) के सिवा जहाँ पाओ वुक़ूफ़ करो और तमाम बातें कि वुक़ूफ़े अरफ़ात में ज़िक्र हुई उनका लिहाज़ रखो यानी लब्बैक की कसरत करो और ज़िक्र व दुरूद व दुआ में मशग़ूल रहो। यहाँ के लिए बाज़ दुआयें यह हैं :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ خَطِیْئَتِیْ وَ جَهْلِیْ وَ اِسْرَافِیْ فِیْ اَمْرِیْ وَ مَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ جِدِّیْ وَ هَزْلِیْ وَ خَطَآئِیْ وَ عَمْدِیْ وَ کُلُّ ذٰلِکَ عِنْدِیْ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْکُفْرِ وَ الْعَجْزِ وَ الْکَسْلِ وَ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ ضَلْعِ الدَّیْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ .وَ اَسْاَلُکَ اَنْ تَقْضِیَ عَنِّی الْمَغْرِمِ وَ اَنْ تَعْفُوَ عَنِّیْ مَظَالِمَ الْعِبَادِ.وَاَنْ تُرْضِیَ عَنِّیِ الْخُصُوْمَ وَ الْغُرَمَآءَ وَ اَصْحٰبَ الْحُقُوْقِ .اَللّٰهُمَّ اَعْطِ نَفْسِیْ تَقْوٰهَا وَ زَکِّهَآ اَنْتَ خَیْرُ مَنْ زَکّٰهَآ اَنْتَ وَلِیُّهَآ وَ مَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَمِنْ بَوَارِالْاَیِّمِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ .اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوْا وَ اِذَا اَسَاؤُا اسْتَغْفَرُوْا .اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِیْنَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِیْنَ الْوَفْدِ الْمُتَقَبَّلِیْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُکَ فِیْ هٰذَا الْجَمْعِ اَنْ تَجْمَعَ لِیْ جَوَامِعَ الْخَیْرِ کُلِّهٖ وَ اَنْ تُصْلِحَ لِیْ شَانِیْ کُلَّهٗ وَ اَنْ تَصْرِفَ عَنِّی السُّوْءَ کُلَّهٗ فَاِنَّهٗ لَا یَفْعَلُ ذٰلِکَ غَیْرُکَ وَلَا یَجُوْدُ بِهٖ اِلَّا اَنْتَ.اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی بَطْنِهٖ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی رِجْلَیْنِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی اَرْبَعٍ .اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ اَخْشٰکَ کَاَنِّیْ اَرٰاکَ اَبَداً حَتّٰی اَلْقٰکَ وَ اَسْعِدْ نِیْ بِتَقْوٰکَ وَ لَا تَشْقِنِیْ بِمَعْصِیَّتِکَ وَ خِرْلِیْ مِنْ قَضَآئِکَ وَ بَارِکْ لِیْ فِیْ قَدْرِکَ حَتّٰی لَآ اُحِبَّ تَعْجِیْلَ مَا اَخَّرْتَ وَ لَا تَاخِیْرَ مَا عَجَّلْتَ وَاجْعَلْ غِنَایَ فِیْ نَفْسِیْ وَ مَتِّعْنِیْ بِسَمْعِیْ وَ بَصَرِیْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّیْ وَانْصُرْنِیْ عَلٰی مَنْ ظَلَمَنِیْ وَ اَرِنِیْ فِیْهِ ثَارِیْ وَ اَقِرَّ بِذٰلِکَ عَیْنِیْ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! मेरी ख़ता और जहल और ज़्यादती और जिसको तू मुझसे ज़्यादा जानता है सबको बख़्श दे। ऐ अल्लाह! मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दे कोशिश से जिसको मैंने किया या बिला कोशिश और ख़ता से किया या क़स्द से और वह सब ग़लतियाँ जो मैंने कीं। ऐ अल्लाह तेरी पनाह माँगता हूँ मोहताजी और कुफ़्र और आजिज़ी और सुस्ती से और तेरी पनाह रंज व मलाल से और तेरी पनाह बुज़दिली और बुख़्ल और दैन(क़र्ज़)की गिरानी और मर्दों के ग़लबा से और सवाल करता हूँ कि मुझसे तावान अदा कर दे और हुक़ूक़ुलइबाद मुझसे माफ़ कर और ख़ुसूम (मुख़ालफ़ीन) व ग़ुरमा(कर्ज़ख़्वाहों) और हक़दारों को राज़ी कर दे। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को तक़वा दे और उसको पाक कर, तू बेहतर पाक करने वाला है तू उसका वली और मौला है। ऐ अल्लाह! तेरी पनाह क़र्ज़ के ग़लबा और दुश्मन के ग़लबा से और उस हलाकत से जो मलामत में डालने वाली है और मसीह दज्जाल के फ़ितने से। ऐ अल्लाह! मुझे उन लोगों में कर जो नेकी कर के ख़ुश होते हैं और बुराई करके इस्तिग़फ़ार करते हैं। ऐ अल्लाह हमको अपने नेक बन्दों में कर जिनकी पेशानियाँ और हाथ पाँव चमकते हैं जो मक़बूले वफ़्द हैं। ऐ अल्लाह! इस मुज़दलेफ़ा में मेरे लिए हर ख़ैर को जमा कर दे और मेरी हर हालत को दुरुस्त कर दे और हर बुराई को मुझ से फेर दे कि तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता और तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। ऐ अल्लाह! तेरी पनाह उसके शर से जो पेट पर चलता है और दो पाँवों और चार पाँवों पर चलने वाले के शर से। ऐ अल्लाह! तू मुझको ऐसा कर दे कि हमेशा तुझसे डरता रहूँ गोया जैसे तुझको देखता हूँ यहाँ तक कि तुझसे मिलूँ और तक़वा के साथ मुझको बहरामन्द (नसीबे वाला)कर और गुनाह करके बदबख़्त न बनूँ और अपनी क़ज़ा (फ़ैसला)मेरे लिए बेहतर कर और जो तूने मुक़द्दर किया है उसमें बरकत दे यहाँ तक कि जो तूने मुअख़्ख़र किया है उसकी जल्दी को पसन्द न करूँ और जो तूने जल्द कर दिया उसकी ताख़ीर को दोस्त न रखूँ और मेरी तवंगरी मेरे नफ़्स में कर और कान आँख से मुझको मुतमत्तेअ् (फ़ाएदा हासिल करने वाला)कर और उनको मेरा वारिस कर और जो मुझ पर ज़ुल्म करें उन पर मुझे फ़तहमन्द कर और उस में मेरा बदला दिखा दे और उससे मेरी आँख ठन्डी कर"।

मसअला :– वुक़ूफ़े मुज़दलेफ़ा का वक़्त नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरू होने से उजाला होने तक है यअ्नी सूरज निकलने से पहले तक है इस दरमियान में वुक़ूफ़ न किया तो फ़ौत हो गया और अगर इस वक़्त में यहाँ से हो कर गुज़र गया तो वुक़ूफ़ हो गया और वुक़ूफ़े अरफ़ात में जो बातें थीं वह यहाँ भी हैं। (आलमगीरी)

मसअला :– तुलूए फ़ज्र यअ्नी सुबहे सादिक़ से पहले जो यहाँ से चला गया उस पर दम वाजिब है मगर जब बीमार हो या औरत कमज़ोर कि भीड़ में ज़रर (तकलीफ़) का अन्देशा है इस वजह से पहले चला गया तो उस पर कुछ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– नमाज़े फ़ज्र से क़ब्ल मगर तुलूए फ़ज्र के बाद यहाँ से चला गया या तुलूए आफ़ताब के बअ्द गया तो बुरा किया मगर उस पर दम वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मिना के अअ्माल और हज के बक़िया अफ़आल

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى

الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْۤ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

तर्जमा :– " फिर जब हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो जैसे अपने बाप दादा का ज़िक्र करते थे बल्कि उससे ज़्यादा और बअ्ज़ आदमी यूँ कहते हैं कि ऐ रब हमारे हमें दुनिया में दे और आख़िरत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं और बअ्ज़ कहते हैं कि ऐ रब हमारे हमें दुनिया में भलाई दे और और आख़िरत में भलाई दे और हम को दोज़ख़ के अ़ज़ाब से बचा यही लोग वह हैं कि उनकी कमाई से उनका हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में तो जल्दी कर के दो दिन में चला जाये उस पर कुछ गुनाह नहीं और जो रह जाये तो उस पर कुछ गुनाह नहीं परहेज़गार के लिए और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम को उसी की तरफ़ उठना है"।

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मुज़दलेफ़ा से रवाना हुए यहाँ तक कि बत़ने मुहस्सर में पहुँचे और यहाँ जानवरों को तेज़ कर दिया फिर वहाँ से बीच वाले रास्ते से चले जो जमरए कुबरा को गया है जब उस जमरा के पास पहुँचे तो उस पर सात कंकरियाँ मारीं हर कंकरी पर तकबीर कहते और बत़ने वादी से रमी की फिर मनहर (कुर्बानी की जगह)में आकर तिरेसठ (63) ऊँट अपने दस्ते मुबारक से नहर फरमाये यअ्नी एक ख़ास तरीक़ा से कुर्बानी की फिर अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को दे दिया बक़िया को उन्होंने नहर किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी में उन्हें शरीक कर लिया फिर हुक्म फ़रमाया कि हर ऊँट में से एक–एक टुकड़ा हाँडी में डाल कर पकाया जाये दोनों साहिबों ने उस गोश्त में से खाया और शोरबा पिया फिर रसूलुल्लाह सल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सवार होकर बैतुल्ला (कअ्बा शरीफ़)की तरफ़ रवाना हुए और जुहर की नमाज़ मक्का में पढ़ी।

हदीस न.2 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में उन्हीं से मरवी है कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मुज़दलेफ़ा से सुकून के साथ रवाना हुए और लोगों को हुक्म फ़रमाया कि इत़्मीनान के साथ चलें और वादीए मुहस्सर में सवारी को तेज़ कर दिया और लोगों से फरमाया कि छोटी–छोटी कंकरियों से रमी करें और यह फरमाया कि शायद इस साल के बअ्द अब मैं तुन्हें न देखूँगा।

हदीस न.3 :– सहीहैन में उन्हीं से मरवी है कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने यौमे नहर (ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़) में चाश्त के वक़्त रमी की (कंकरी मारी) और उसके बाद के दिनों में आफ़ताब ढलने के बअ्द।

हदीस न.4 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में है कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु जमरए कुबरा के पास पहुँचे तो कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा को बाईं जानिब किया और मिना को दहनी तरफ़ और सात कंकरियाँ मारीं हर कंकरी पर तकबीर कही फिर फ़रमाया इसी तरह उन्होंने रमी की जिन

पर सूरए बक़र नाज़िल हुई (यअ्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने)

हदीस न.5 :– इमाम मालिक नाफ़ेअ् से रावी हैं कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा दोनों पहले जमरों के पास देर तक ठहरते तकबीर व तस्बीह व हम्द व दुआ करते और जमरए अ़क़बा के पास न ठहरते।

हदीस न.6 :– त़बरानी इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया कि रमीए जिमार में क्या सवाब है ? इरशाद फ़रमाया तू अपने रब के नज़्दीक इसका सवाब उस वक़्त पायेगा कि तुझे उसकी ज़्यादा हाजत होगी।

हदीस न.7 :– इब्ने ख़ुज़ैमा व हाकिम इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम मनासिक (हज के अरकान अदा करने की जगह) में आये जमरए अ़क़बा के पास शैतान सामने आया उसे सात कंकरियाँ मारीं यहाँ तक कि ज़मीन में धँस गया फिर दूसरे जमरा के पास आया फिर उसे सात कंकरियाँ यहाँ तक कि ज़मीन में धँस गया फिर तीसरे जमरा के पास आया तो उसे सात कंकरियाँ मारीं यहाँ तक कि ज़मीन में धँस गया इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा फ़रमाते हैं कि तुम शैतान को रज्म (पत्थर मारना)करते और हज़रते इब्राहीम के दीन का इत्तिबाअ् करते हो।

हदीस न.8 :– बज़्ज़ार उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जमरों की रमी करना तेरे लिए क़ियामत के दिन नूर होगा।

हदीस न.9 :– त़बरानी व हाकिम अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं हमने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! यह जमरो पर जो कंकरियाँ हर साल मारी जाती हैं हमारा गुमान है कि कम हो जाती हैं फ़रमाया जो क़बूल होती हैं उठा ली जाती हैं ऐसा न होता तो पहाड़ों की मिस्ल तुम देखते।

हदीस न.10से12 :– सहीह मुस्लिम में उम्मुलहसीन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज्जतुलवदअ् में सर मुंडाने वालों के लिए तीन बार दुआ़ की और कतरवाने वालों के लिए एक बार। इसी की मिस्ल अबूहुरैरा व मालिक इब्ने रबीआ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है।

हदीस न.13 :– इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बाल मुंडवाने में हर बाल के बदले एक नेकी है और एक गुनाह मिटाया जात है।

हदीस न.14 :– उ़बादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सर मुँडाने से जो बाल ज़मीन पर गिरेगा वह तेरे लिए क़ियामत के दिन नूर होगा।

(1) **जब तुलूए आफ़ताब** (सूरज निकलने) में दो रकअ़त पढ़ने का वक़्त बाक़ी रह जाये इमाम के साथ मिना को चलो और यहाँ से सात छोटी छोटी कंकरियाँ खजूर की गुठली बराबर की पाक जगह से उठा कर तीन बार धो लो किसी पत्थर को तोड़ कर कंकरियाँ न बनाओ और यह भी हो सकता है कि तीनों दिन जमरों पर मारने के लिए यहीं से कंकरियाँ ले लो या सब किसी और जगह से लो मगर न नजिस (नापाक) जगह की हों न मस्जिद की न जमरा के पास की।(2)रास्ते में फिर

बे-दस्तूर ज़िक करो दुआ व दुरूद व कसरत से लब्बैक में मशगूल रहो यह दुआ पढ़ो

اَللّٰھُمَّ اِلَیْکَ اَفَضْتُ وَ مِنْ عَذَابِکَ اَشْفَقْتُ وَ اِلَیْکَ رَجَعْتُ وَ مِنْکَ رَھِبْتُ فَاقْبَلْ نُسُکِیْ وَ عَظِّمْ اَجْرِیْ وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِیْ وَاقْبَلْ تَوْبَتِیْ وَ اسْتَجِبْ دُعَآئِیْ۔

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! मैं तेरी तरफ़ वापस हुआ और तेरे अज़ाब से डरा और तेरी तरफ़ रुजूअ़ किया और तुझ से ख़ौफ़ किया तू मेरी इबादत क़बूल कर और मेरा अज्र ज़्यादा कर और मेरी आजिज़ी पर रहम कर और मेरी तौबा क़बूल कर और मेरी दुआ मुस्तजाब कर"।

(3) जब वादीए मुहस्सर पहुँचो (यह वादी मिना व मुज़दलेफ़ा के बीच में एक नाला है दोनों की हदों से ख़ारिज मुज़दलेफ़ा से मिना को जाते हुए बायें हाथ को जो पहाड़ पड़ता है उसकी चोटी से शुरूअ़ होकर 545 हाथ तक है) यहाँ असहाबे फ़ील आकर ठहरे और उन पर अबाबील का अ़ज़ाब उतरा था लिहाज़ा इस जगह से जल्द गुज़रना और अ़ज़ाबे इलाही से पनाह माँगना चाहिए 545 हाथ बहुत जल्द तेज़ी के साथ चल कर निकल जाओ मगर ऐसी तेज़ी के साथ नहीं जिस से किसी को तकलीफ़ हो और इस दरमियान में यह दुआ पढ़ते जाओ:

اَللّٰھُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِکَ وَ لَا تُھْلِکْنَا بِعَذَابِکَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذٰلِکَ ۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! अपने ग़ज़ब से हमें क़त्ल न कर और अपने अज़ाब से हमें हलाक न कर और इस से पहले हम को आफ़ियत दे"

(4) जब मिना नज़र आये वही दुआ पढ़ो जो मक्का से आते मिना को देख कर पढ़ी थी।

जमरतुल अ़क़बा की रमी:– (5)जब मिना पहुँचो सब कामों से पहले जमरतुल अ़क़बा को जाओ जो इधर से पिछला जमरा है और मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से पहला जमरा है,दोमन्ज़िला सड़क के ऊपर या नीचे जमरा से कम से कम पाँच हाथ हटे हुए यूँ खड़े हो कि मिना दहने हाथ पर और कअ़्बा बायें हाथ को और जमरा की तरफ़ मुँह हो सात कंकरियाँ अलग–अलग हों हर एक पर

بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَرُ۔ رَغْمًا لِّلشَّیْطَانِ رِضًا لِّلرَّحْمٰنِ ۔

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْہُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْیًا مَّشْکُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا۔

तर्जमा :– " अल्लाह के नाम से अल्लाह बहुत बड़ा है शैतान के ज़लील करने के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए ऐ अल्लाह! इसको हज्जे मबरूर कर और सई मशकूर कर और गुनाह बख़्श दे") कह कर मारो, या सिर्फ़ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर कह कर मारो बेहतर यह है कि कंकरियाँ जमरा तक पहुँचें वरना तीन हाथ के फ़ासिले तक गिरें इस से ज़्यादा फ़ासिले पर गिरीं तो वह कंकरी शुमार में न आयेगी पहली कंकरी से लब्बैक मौक़ूफ़ कर दो यअ़नी छोड़ दो अल्लाहु अकबर के बदल سُبْحَانَ اللّٰہِ या لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ कहा जब भी हरज नहीं।

(6) जब सात पूरी हो जायें वहाँ न ठहरो फ़ौरन ज़िक व दुआ करते पलट आओ।

रमी के मसाइल

मसअ्ला :– सात से कम जाइज़ नहीं अगर सिर्फ़ तीन मारीं या बिल्कुल नहीं तो दम लाज़िम होगा और अगर चार मारीं तो बाक़ी हर कंकरी के बदले सदक़ा दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कंकरी मारने में पय दर पय होना शर्त नहीं मगर वक़्फ़ा ख़िलाफ़े सुन्नत है मसलन

एक कंकरी मार कर रुक गया फिर कुछ देर बाद दूसरी या तीसरी मारी। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सब कंकरियाँ एक साथ फेंकी तो यह सातों एक के क़ाइम मक़ाम(जगह) हुईं।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कंकरियाँ ज़मीन की जिन्स (क़िस्म) से हों और ऐसी चीज़ की जिस से तयम्मुम जाइज़ है कंकर, पत्थर, मिट्टी यहाँ तक कि अगर ख़ाक फेंकी जब भी रमी हो गई मगर एक कंकरी फेंकने के क़ाइम मक़ाम हुई। मोती, अम्बर, मुश्क, वग़ैरा से रमी जाइज़ नहीं यूहीं जवाहिर और सोने चाँदी से भी रमी नहीं हो सकती कि यह तो निछावर हुई, मारना न हुआ। मिंगनी से भी रमी जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– जमरा के पास से कंकरियाँ उठाना मकरूह है कि वहाँ वही कंकरियाँ रहती हैं जो मक़बूल नहीं होतीं और मरदूद हो जाती हैं और जो मक़बूल हो जाती हैं उठा ली जाती हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मअ्लूम हो कि कंकरियाँ नजिस (नापाक) हैं तो उनसे रमी करना मकरूह है और मअ्लूम न हो तो नहीं मगर धो लेना मुस्तहब है।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इस रमी का वक़्त आज की फ़ज्र (सुब्हे सादिक़) से ग्यारहवीं की फ़ज्र तक है मगर मसनून (सुन्नत) यह है कि तुलुए आफ़ताब से ज़वाल तक हो और ज़वाल से गुरूब तक मुबाह और गुरूब से फ़ज्र तक मकरूह यूहीं दसवीं की नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरूअ् होने से तुलुए आफ़ताब तक मकरूह और अगर किसी उज़्र के सबब हो मसलन चरवाहों ने रात में रमी की तो कराहत नहीं।

हज की क़ुर्बानी

(7) अब रमी से फ़ारिग़ होकर क़ुर्बानी में मशग़ूल हो यह क़ुर्बानी वह नहीं जो बक़रईद में हुआ करती है कि वह तो मुसाफ़िर पर बिल्कुल नहीं और मुक़ीम मालदार पर वाजिब है अगर्चे हज में हो बल्कि यह हज का शुक्राना है क़ारिन और मुतमत्तेअ् पर वाजिब अगर्चे फ़क़ीर हो और मुफ़रिद के लिए मुस्तहब अगर्चे ग़नी हो, जानवर की उम्र व आज़ा में वही शर्तें हैं जो ईद की क़ुर्बानी में हैं।

मसअ्ला :– मोहताजे महज़ यअ्नी जिसकी मिल्क में न क़ुर्बानी के लाइक़ कोई जानवर हो न उसके पास इतना नक़्द या असबाब कि उसे बेच कर ले सके वह अगर क़िरान या तमत्तोअ् की नियत कर लेगा तो उस पर क़ुर्बानी के बदले दस रोज़े वाजिब होंगे, तीन तो हज के महीनों में यअ्नी पहली शव्वाल् से नवीं ज़िलहिज्जा तक एहराम बाँधने के बाद, इस बीच में जब चाहे रख ले एक साथ, चाहे जुदा–जुदा और बेहतर यह है कि 7, 8, 9, को रखे और बाक़ी सात तेरहवीं ज़िलहिज्जा के बअ्द जब चाहे रखे और बेहतर यह है कि यह सात रोज़े घर पहुँच कर हों।

(8) ज़िबह करना आता हो तो ख़ुद ज़िबह करे कि सुन्नत है वरना ज़िबह के वक़्त हाज़िर रहे।

(9) जानवर को क़िब्ला की जानिब लिटा कर और ख़ुद भी क़िब्ला को मुँह कर के यह पढ़ो–

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ. اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ. لَا شَرِیْکَ لَهٗ وَ بِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ.

तर्जमा :– मैंने अपनी ज़ात को उसकी तरफ़ मुतवज्जेह किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं बातिल से हक़ की तरफ़ माइल हूँ और मैं मुशरिकों से नहीं बेशक मेरी नमाज़ व क़ुर्बानी और मेरा जीना और मरना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहान का रब है उसका कोई शरीक नहीं और मुझे उसी का हुक्म हुआ और मैं मुसलमानों में हूँ।

इस के बअ्द بِسۡمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکۡبَر कहते हुए निहायत तेज़ छुरी से बहुत जल्द ज़िबह कर दो कि चारों रगें कट जायें ज़्यादा हाथ न बढ़ाओ कि बेवजह की तकलीफ़ है। (10) बेहतर यह है कि ज़िबह के वक़्त जानवर के दोनों हाथ एक पाँव बाँध लो ज़िबह कर के खोल दो। (11) ऊँट हो तो उसे खड़ा करके सीना में गले की इन्तिहा पर तकबीर कह कर नेज़ा मारो कि सुन्नत यूहीं है इसे नहर कहते हैं और ऊँट का ज़िबह करना मकरूह मगर हलाल ज़िबह से भी हो जायेगा अगर ज़िबह करे तो गले पर एक ही जगह उसे भी ज़िबह करे जाहिलों में जो मशहूर है कि ऊँट तीन जगह ज़िबह होता है ग़लत व सुन्नत के ख़िलाफ़ है और मुफ़्त की अज़ीय्यत (तकलीफ़) व मकरूह है। (12) जानवर जो ज़िबह किया जाये जब तक सर्द (ठन्डा) न हो ले उसकी खाल न खींचो न अअ्ज़ा काटो कि ईज़ा है। (13) यह कुर्बानी करके अपने और तमाम मुसलमानों के हज व कुर्बानी क़बूल होने की दुआ माँगो।

हल्क व तक़सीर (बाल मुँडाना व क़तरवाना)

(14) कुर्बानी के बअ्द क़िब्ला मुँह बैठ कर मर्द हल्क़ करें यअ्नी तमाम सर मुंडायें कि अफ़ज़ल है या बाल कतरवायें कि रुख़्सत (छूट) है। औरतों को बाल मुंडाना हराम है एक पोरा बराबर बाल कतरवा दें बल्कि खुद अपने बाल एक पोरा बराबर काट दें। मुफ़रिद अगर कुर्बानी करे तो उसके लिए मुस्तहब यह है कि कुर्बानी की जब भी हरज नहीं और तमत्तोअ् व क़िरान वाले पर कुर्बानी के बअ्द हल्क़ करना वाजिब है यअ्नी अगर कुर्बानी से पहले सर मुंडायेगा तो दम वाजिब होगा।

मसअ्ला :– बाल कतरवायें तो सर में जितने बाल हैं। उनमें के चौथाई बालों में से क़तरवाना ज़रूरी है यअ्नी सर के हर–हर बाल से चौथाई हिस्सा बाल कटवाना ज़रूरी है लिहाज़ा एक पोरे से ज़्यादा कतरवायें कि बाल छोटे बड़े होते हैं मुमकिन है कि चौथाई बालों में सब एक–एक पोरा न कटें।

मसअ्ला :– सर मुंडाने या बाल कतरवाने का वक़्त अय्यामे नहर है यअ्नी 10,11,12, और अफ़ज़ल पहला दिन यअ्नी दसवीं ज़िलहिज्जा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जब एहराम से बाहर होने का वक़्त आ गया तो अब मुहरिम अपना या दूसरे का सर मूंड सकता है अगर्चे यह दूसरा भी मुहरिम हो। (मुनसक)

मसअ्ला :– जिस के सर पर बाल न हों उसे उस्तरा फिरवाना वाजिब है और अगर बाल हैं मगर सर में फुड़ियाँ है जिन की वजह से मुँडा नहीं सकता और बाल इतने बड़े भी नहीं कि कतरवाये तो इस उज़्र के सबब उस से मुंडाना और कतरवाना साक़ित हो गया यअ्नी मआफ़ हो गया उसे भी मुंडाने वालों और कतरवाने वालों की तरह सब चीज़ें हलाल हो गई मगर बेहतर यह है कि अय्यामे नहर के ख़त्म होने तक ब–दस्तूर रहे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर वहाँ से किसी गाँव वग़ैरा में ऐसी जगह चला गया कि न हज्जाम (नाई) मिलता है न उस्तरा या कैंची पास है कि मुंडाले या कतरवाले तो यह कोई उज़्र नहीं मुंडाना या कतरवाना ज़रूरी है।(आलमगीरी) और यह भी ज़रूरी है कि हरम से बाहर मुंडाना या कतरवाना न हो बल्कि हरम के अन्दर हो कि इस के लिए यह जगह मख़सूस है, हरम से बाहर करेगा तो दम ज़रूरी होगा। (मुनसक)

मसअ्ला :– इस मौक़े पर सर मुंडाने के बअ्द मूंछे तरशवाना नाफ़ के नीचे के बाल दूर करना

मुस्तहब है और दाढ़ी के बाल न ले और लिये तो दम वगै़रा वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर न मुंडाये न कतरवाये तो कोई चीज़ जो एहराम में हराम थी हलाल न हुई अगर्चे तवाफ़ भी कर चुका हो। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर बारहवीं तारीख तक हल्क़ व क़स्र (बाल मुँडाना व कतरवाना) न किया तो दम लाज़िम आयेगा कि इसके लिए यह वक़्त मुक़र्रर है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– (15) हल्क़ या तक़सीर दाहिनी तरफ़ से शुरूअ़ करो यअ़नी मुंडाने वाले की दाहिनी जानिब यही हदीस से साबित और इमाम अअ़ज़म ने भी ऐसा ही किया (लिहाज़ा बअ़ज़ किताबों में जो हज्जाम की दाहिनी जानिब से शुरूअ़ करने को बताया सही नहीं) और उस वक़्त اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ कहते जाओ और फ़ारिग़ होने के बअ़द भी कहो और हल्क़ और तक़सीर के वक़्त यह दुआ़ पढ़ो यअ़नी सर मुंडाने या बाल कतरवाने से पहले यह दुआ़ पढ़ो फिर सर मुंडाना या बाल करतवाना अपनी दाहिनी तरफ़ से शुरूअ़ कराओ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا وَ اَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ قَضٰى عَنَّا نُسُكَنَا . اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ فَاجْعَلْ لِّىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوْرًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَ امْحُ عَنِّىْ سَيِّئَةً وَّ ارْفَعْ لِىْ بِهَا دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ نَفْسِىْ وَ تَقَبَّلْ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَ الْمُقَصِّرِيْنَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اٰمِيْنَ.

तर्जमा :– "हम्द है अल्लाह के लिए इस पर कि उसने हमें हिदायत की और इनआ़म किया और हमारी इबादत पूरी करा दी। ऐ अल्लाह! यह मेरी चोटी तेरे हाथ में है मेरे लिए हर बाल के बदले में कियामत के दिन नूर और उसकी वजह से मेरा गुनाह मिटा दे और जन्नत में दर्जा बलन्द कर इलाही मेरे लिए नफ़्स में बरकत कर और मुझसे क़बूल कर। ऐ अल्लाह मुझको और सर मुंडाने वालों और बाल करतवाने वालों को बख़्श दे, ऐ बड़ी मग़फ़िरत वाले! आमीन"।

और सब मुसलमानों की बख़्शिश की दुआ़ करो।

मसअला :– अगर मुंडाने या करतवाने के सिवा किसी और तरह से बाल दूर करें मसलन चूना हड़ताल (एक दवा) वग़ैरा से जब भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– (16) बाल दफ़न कर दें और हमेशा बदन से जो चीज़ बाल नाखुन खाल जुदा हो दफ़न कर दिया करें। (17) यहाँ हल्क़ या तक़सीर से पहले नाखुन न कतरवाओ न ख़त बनवाओ वरना दम लाज़िम आयेगा।

(18) अब औरत से सोहबत करने, शहवत से उसे हाथ लगाने बोसा लेने, शर्मगाह देखने के सिवा जो कुछ एहराम ने हराम किया था सब हलाल हो गया।

तवाफ़े फ़र्ज़

(19) अफ़ज़ल यह है कि आज दसवीं ही तारीख़ फ़र्ज़ तवाफ़ के लिए जिसे तवाफ़े ज़्यारत व तवाफ़े इफ़ाज़ा कहते हैं मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में जाओ और ज़िक्र किये गये तरीक़े के मुताबिक़ पैदल बा-वुज़ू और सत्र ढक कर तवाफ़ करो मगर इस तवाफ़े इफ़ाज़ा में इज़्तिबाअ़ नहीं (दाहिना मूँढा खुला रखना नहीं)

मसअला :– यह तवाफ़ हज का दूसरा रुक्न है इसके सात फेरे किये जायेंगे जिनमें चार फेरे फ़र्ज़ हैं कि बग़ैर उनके तवाफ़ होगा ही नहीं। और न हज होगा और पूरे सात करना वाजिब तो अगर

चार फेरों के बअ्द जिमा किया तो हज हो गया मगर दम वाजिब होगा कि वाजिब तर्क हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इस तवाफ़ के सही होने के लिए यह शर्त है कि पहले एहराम बाँधा हो और वुकूफ़ कर चुका हो और ख़ुद करे और अगर किसी और ने इसे कन्धे पर उठा कर तवाफ़ किया तो इसका तवाफ़ न हुआ मगर जबकि यह मजबूर हो ख़ुद न कर सकता हो मसलन बेहोश है।(जौहरा, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– बेहोश को पीठ पर लाद कर या किसी और चीज़ पर उठा कर तवाफ़ कराया और उसमें अपने तवाफ़ की भी नियत कर ली तो दोनों के तवाफ़ हो गये अगर्चे दोनों के दो क़िस्म के तवाफ़ हों।

मसअ्ला :– इस तवाफ़ का वक़्त दसवीं की तुलुए फ़ज्र (यानी नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरूअ् होने)से है इससे क़ब्ल नहीं हो सकता (जौहरा)

मसअ्ला :– इसमें बल्कि मुतलक़ हर तवाफ़ में नीयत शर्त है अगर नीयत न हो तवाफ़ न हुआ मसलन दुश्मन या दरिन्दे से भाग कर फेरे किये तवाफ़ न हुआ ब–ख़िलाफ़े वुकूफ़े अरफ़ा कि वह बग़ैर नीयत भी हो जाता है मगर यह नीयत शर्त नहीं कि यह तवाफ़े ज़्यारत है। (जौहरा)

मसअ्ला :– ईदे अज़्हा की नमाज़ वहाँ नहीं पढ़ी जायेगी। (रद्दुल मुहतार)

(20) क़ारिन व मुफ़रिद तवाफ़े क़ुदूम में और मुत्मत्तेअ् हज के एहराम के बअ्द किसी नफ़्ल तवाफ़ में हज के रमल व सई दोनों या सिर्फ़ सई कर चुके हों तो इस तवाफ़ में रमल व सई कुछ न करें और अगर उसमें [1]रमल व सई कुछ न किया हो या [2]सिर्फ़ रमल किया हो या [3]जिस तवाफ़ में किये थे वह उमरा था जैसे क़ारिन व मुतमत्तेअ् का या [4]वह तवाफ़ बे–तहारत किया था या [5]शव्वाल से पेश्तर के तवाफ़ में किये थे तो इन पाँचों सूरतों में रमल व सई दोनों इस तवाफ़े फ़र्ज़ में करें।

(21)कमज़ोर और औरतें अगर भीड़ के सबब दसवीं को न जायें तो उसके बाद ग्यारहवीं को अफ़ज़ल है और उस दिन यह बड़ा नफ़ा है कि मताफ़ (तवाफ़ करने की जगह) ख़ाली मिलता है गिनती के 20–30 आदमी होते हैं औरतों को भी पूरे इत्मीनान के साथ हर फेरे में संगे असवद का बोसा मिलता है।

(22) जो ग्यारहवीं को न जाये बारहवीं को कर ले इसके बाद बिला उज़्र ताख़ीर गुनाह है जुर्माने में एक क़ुर्बानी करनी होगी हाँ मसलन औरत को हैज़ या निफ़ास आ गया तो हैज या निफ़ास ख़त्म होने के बअ्द तवाफ़ करे मगर हैज़ या निफ़ास से अगर ऐसे वक़्त पाक हुई कि नहा धोकर बारहवीं तारीख़ में आफ़ताब डूबनें से पहले चार फेरे कर सकती है तो करना वाजिब है, न करेगी गुनाहगार होगी। यूँही अगर इतना वक़्त उसे मिला था कि तवाफ़ कर लेती और न किया अब हैज़ या निफ़ास आ गया तो गुनाहगार हुई। (रद्दुल मुहतार)

(23) बहरहाल तवाफ़ के बअ्द दो रकअ्त ब–दस्तूर पढ़ें इस तवाफ़ के बाद औरतें हलाल हो जायेंगी और हज पूरा हो गया कि उसका दूसरा रुक्न यह तवाफ़ था।

मसअ्ला :– अगर यह तवाफ़ न किया तो औरतें हलाल न होंगी अगर्चे बरसें गुज़र जायें।

मसअ्ला :– बे–वुज़ू या जनाबत में तवाफ़ किया तो एहराम से बाहर हो गया यहाँ तक कि उसके बअ्द जिमाअ् करने से हज फ़ासिद न होगा और अगर उल्टा तवाफ़ किया यअ्नी कअ्बा के बाईं जानिब से तो औरतें हलाल हो गईं मगर जब तक मक्का में है इस तवाफ़ का इआदा करे और

अगर नजिस कपड़ा पहन कर तवाफ़ किया तो मकरूह हुआ और इतना सत्रे औरत खुला रहा जिससे नमाज़ न हो तो तवाफ़ हो जायेगा मगर दम लाज़िम है। (आलमगीरी, जौहरा)

(24) दसवीं, ग्यारवहीं, बारहवीं की रातें मिना ही में बसर करना सुन्नत है न मुज़्दलफ़ा में न मक्का में न राह में लिहाज़ा जो शख़्स दस या ग्यारह को तवाफ़ के लिए गया वापस आकर रात मिना ही में गुज़ारे।

मसअ्ला :– अगर अपने आप मिना में रहा और असबाब(सामान) वग़ैरा मक्का को भेज दिया या मक्का ही में छोड़ कर अरफ़ात को गया तो अगर ज़ाए होने का अन्देशा नहीं है तो कराहत है वरना नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

बाक़ी दिनों की रमी

(25) ग्यारहवीं तारीख़ ज़ुहर की नमाज़ के बाद इमाम का ख़ुतबा सुन कर फिर रमी को चलो। इन अय्याम में रमी जमरए ऊला से शुरूअ् करो जो मस्जिदे ख़ैफ़ से क़रीब है इसकी रमी को राहे मक्का की तरफ़ से आकर चढ़ाई पर चढ़ो कि यह जगह ब–निस्बत जमरतुलअ़क़बा के बलन्द है यहाँ क़िब्ला की जानिब मुँह करके सात कंकरियाँ ज़िक्र किये गये तरीक़े के मुताबिक़ मार कर जमरा से कुछ आगे बढ़ जाओ और क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके दुआ में यूँ हाथ उठाओ कि हथेलियाँ क़िब्ला को रहें, क़ल्ब की हाज़िरी के साथ ह़म्द व दुरूद व दुआ व इस्तिग़फ़ार में कम से कम बीस आयतें पढ़ने की क़द्र मशग़ूल रहो वरना पौन पारा या सूरए बक़रह की मिक़दार तक। **(26)**फिर **जमरए वुस्ता** पर जाकर ऐसा ही करो। **(27)**फिर **जमरतुलअ़क़बा** पर, मगर यहाँ रमी करके न ठहरो फ़ौरन पलट आओ और पलटते में दुआ करो। **(28)**बिल्कुल इसी तरह **बारहवीं** तारीख़ ज़वाल के बअ़्द तीनों जमरे की रमी करो बाज़ लोग दोपहर से पहले आज रमी करके मक्कए मुअ़ज़्ज़मा को चल देते हैं यह हमारे अस्ल मज़हब के ख़िलाफ़ है और एक ज़ईफ़ रिवायत है तुम इस पर अमल न करो।

(29)बारहवीं की रमी करके ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले–पहले इख़्तियार है कि मक्कए मुअ़ज़्ज़मा को रवाना हो जाओ मगर ग़ुरूब के बाद चला जाना मअ़यूब (बुरा)है अब एक दिन और ठहरना और तेरहवीं को ब–दस्तूर दोपहर ढले रमी करके मक्का जाना होगा और यही अफ़ज़ल है मगर आम लोग बारहवीं को चले जाते हैं तो एक रात दिन यहाँ और क़ियाम में क़लील जमाअ़(थोड़े लोगों) को दिक़्क़त होगी और अगर तेरहवीं की सुबह यअ़नी फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त हो गया तो अब बग़ैर रमी किये जाना जाइज़ नहीं, जायेगा तो दम वाजिब होगा दसवीं की रमी का वक़्त ऊपर ज़िक्र हुआ ग्यारहवीं, बारहवीं का वक़्त आफ़ताब ढलने यअ़नी ज़ुहर का वक़्त शुरूअ् होने से सुबह यअ़नी तेरहवीं के सूरज की पहली किरन चमकने तक है मगर रात में यअ़नी आफ़ताब डूबने के बअ़्द मकरूह है और तेरहवीं की रमी का वक़्त सुबह यअ़नी फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त शुरूअ् होने से आफ़ताब डूबने तक है मगर सुबह से आफ़ताब ढलने तक मकरूह वक़्त है उसके बअ़्द ग़ुरूबे आफ़ताब तक मसनून(सुन्नत)लिहाज़ा अगर पहली तीन तारीख़ों 10,11,12 की रमी दिन में न की हो तो रात में कर ले फिर अगर बग़ैर उ़ज़्र है तो कराहत है वरना कुछ नहीं और अगर रात में भी न की तो क़ज़ा हो गई अब दूसरे दिन उसकी क़ज़ा दे और उसके ज़िम्मे कफ़्फ़ारा वाजिब और इस क़ज़ा का भी वक़्त तेरहवीं के आफ़ताब डूबने तक है अगर तेरहवीं को आफ़ताब डूब गया और रमी न की तो अब रमी नहीं हो सकती और दम वाजिब। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर बिलकुल रमी न की जब भी एक ही दम वाजिब होगा। (मुनसक)

मसअ्ला :– कंकरियाँ चारों दिन के वास्ते ली थीं यअ्नी सत्तर और बारहवीं की रमी करके मक्का जाना चाहता है तो अगर और को ज़रूरत हो उसे दे दे वरना किसी पाक जगह डाल दे ,जमरों पर बची हुई कंकरियाँ फेंकना मकरूह है और दफ़न करने की भी हाजत नहीं। (मुनसक)

मसअ्ला :– रमी पैदल भी जाइज़ है और सवार होकर भी मगर अफ़ज़ल यह है कि पहले और दूसरे जमरों पर पैदल रमी करे और तीसरे की सवारी पर। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर कंकरी किसी शख़्स की पीठ या किसी और चीज़ पर पड़ी और छिलगी रह गई तो उसके बदले की दूसरी मारे और अगर गिर पड़ी और वहाँ गिरी जहाँ उसकी जगह है यअ्नी जमरा से तीन हाथ के फ़ासले के अन्दर तो जाइज़ हो गई।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर कंकरी किसी शख़्स पर पड़ी और उस पर से जमरा को लगी तो अगर मालूम हो कि उसके दफ़अ् करने से जमरा पर पहुँची तो उसके बदले की दूसरी कंकरी मारे और मालूम न हो जब भी एहतियात यही है कि दूसरी मारे यूँहीं अगर शक हो कि कंकरी अपनी जगह पर पहुँची या नहीं तो इआदा कर ले यअ्नी दुबारा मारे। (मुनसक)

मसअ्ला :– तरतीब के ख़िलाफ़ रमी की तो बेहतर यह है कि इआदा कर ले और अगर पहले जमरा की रमी न की और दूसरे तीसरे की की तो पहले पर मार कर फिर दूसरे और तीसरे पर मार लेना बेहतर है और अगर तीन–तीन कंकरियाँ मारी हैं तो पहले पर चार और मारे और दूसरे तीसरे पर सात–सात और अगर चार–चार मारी हैं तो हर एक पर तीन–तीन और मारे। और बेहतर यह है कि सिरे से रमी करे और अगर यूँ किया कि एक–एक कंकरी तीनों पर मार आया फिर एक–एक यूहीं सात बार में सात–सात कंकरियाँ पूरी कीं तो पहले जमरा की रमी हो गई और दूसरे पर तीन और मारे और तीसरे पर छः तो रमी पूरी होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो शख़्स मरीज़ हो कि जमरा तक सवारी पर भी न जा सकता हो वह दूसरे को हुक्म कर दे कि इसकी तरफ़ से रमी करे और उसको चाहिए कि पहले अपनी तरफ़ से सात कंकरियाँ मारने के बाद मरीज़ की तरफ़ से रमी करे यअ्नी जबकि खुद रमी न कर चुका हो और अगर यूँ किया कि एक कंकरी अपनी तरफ़ से मारी फिर एक मरीज़ की तरफ़ से मारी यूहीं सात बार किया तो मकरूह है और मरीज़ के बग़ैर हुक्म रमी कर दी तो जाइज़ न हुई और अगर मरीज़ में इतनी ताक़त नहीं कि रमी करे तो बेहतर यह है कि उसका साथी उसके हाथ पर कंकरी रख कर रमी कराये यूहीं बेहोश या मजनून या ना–समझ की तरफ़ से उसके साथ वाले रमी कर दें और बेहतर यह कि उनके हाथ पर कंकरी रख कर रमी करायें। (मुनसक)

मसअ्ला :– गिन कर इक्कीस (21) कंकरियाँ ले गया और रमी करने के बाद देखते हैं कि चार बची हैं और यह याद नहीं कि कौन से जमरा पर कमी की तो पहले पर यह चार कंकरियाँ मारे और दोनों पिछलों पर सात–सात मारे और अगर तीन बची हैं तो हर एक पर एक–एक मारे और अगर एक या दो हों जब भी हर जमरा पर एक–एक मारे। (फ़तहुलक़दीर) (30)रमी से पहले हल्क़ यअ्नी सर मुंडाना जाइज़ नहीं।(31)ग्यारहवीं बारहवीं की रमी दोपहर से पहले बिल्कुल सही नहीं।

रमी में बारह चीज़ें मकरूह हैं

(32) रमी में यह चीज़ें मकरूह हैं:– 1.दसवीं की रमी गुरूबे आफ़ताब के बाद करना। 2.तेरहवीं की रमी दोपहर से पहले करना। 3. रमी में बड़ा पत्थर मारना। 4. बड़े पत्थर की तोड़ कर कंकरियाँ बनाना। 5. मस्जिद की कंकरियाँ मारना 6. जमरा के नीचे जो कंकरियाँ पड़ी हैं उठा कर मारना कि यह मरदूद कंकरियाँ हैं जो क़बूल होती हैं वह उठा ली जातीं हैं कि क़ियामत के दिन नेकियों के पल्ले में रखी जायेंगी वरना जमरों के गिर्द पहाड़ हो जाते। 7. नापाक कंकरियाँ मारना। 8. सात से ज़्यादा मारना। 9. रमी के लिये जो जिहत (दिशा)ज़िक्र की गई है उसके ख़िलाफ़ करना। 10. जमरा से पाँच हाथ से कम फ़ासिले पर खड़ा होना, ज़्यादा का मुज़ाइक़ा (हरज) नहीं। 11. जमरों में तरतीब के ख़िलाफ़ करना। 12. मारने के बदले कंकरी जमरा के पास डाल देना।

मक्कए मुअ़ज़्ज़मा को रवानगी

(33) आख़िर दिन यानी बारहवीं या तेरहवीं को जब मिना से रुख़सत होकर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा चलो **वादीए मुहस्सब**[1] में कि जन्नतुल मुअ़ल्ला के क़रीब है सवारी से उतर लो या बे उतरे कुछ देर ठहर कर दुआ करो और अफ़ज़ल यह है कि इशा तक नमाज़ें यहीं पढ़ो, एक नींद लेकर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में दाख़िल हो।

(34) अब तेरहवीं के बाद जब तक मक्का में ठहरो अपने और अपने पीर, उस्ताद माँ,बाप ख़ुसूसन हुज़ूर पुरनूर सय्यदे आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और उनके असहाब व अहलेबैत व हुज़ूर ग़ौसे अअ़ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम की तरफ़ से जितने हो सकें उ़मरे करते रहो। तनईम को कि मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से शिमाल (उत्तर)यअ़नी मदीना तय्यिबा की तरफ़ तीन मील फ़ासिले पर है जाओ ,वहाँ से उ़मरा का एहराम जिस तरह ऊपर बयान हुआ बाँध कर आओ और तवाफ़ व सई कर चुका और मसलन उसी दिन दूसरा उ़मरा लाया वह सर पर उस्तरा फिरवा ले काफ़ी है यूहीं वह शख़्स जिस के सर पर क़ुदरती बाल न हों।

(35) मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में कम से कम एक ख़त्म क़ुर्आन मजीद से महरूम न रहे।

मक़ामाते मुतबर्रका की ज़्यारत

(36) जन्नतुल मुअ़ल्ला हाज़िर होकर उम्मुल मोमिनीन ख़दीजतुल कुबरा व दीगर मदफ़ूनीन की ज़्यारत करे।

(37) हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह और हज़रते ख़दीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा का मकान और हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु

1.जन्नतुल मुअ़ल्ला कि मक्का मुअ़ज़्ज़मा का क़ब्रिस्तान है उस के पास एक पहाड़ है और दूसरा पहाड़ उस पहाड़ के सामने मक्का को जाते हुए दाहिने हाथ पर नाले के पेट से जुदा है उन दोनों पहाड़ों के बीच का नाला "वादिए मुहस्सब"है जन्नतुल मुअ़ल्ला मुहस्सब में दाख़िल नहीं आला हज़रत क़ुद्दिसा सिर्रहू।

की पैदाइश की जगह और जबले सौर (एक पहाड़)व ग़ारे हिरा व मस्जिदे जिन्न व मस्जिदे जबले अबी कुबैस वग़ैरहा मकानाते मुतबर्रका की भी ज़्यारत से भी फ़ैज़ हासिल करे। (38)हज़रते अ़ब्दुल मुत्तलिब की क़ब्र की ज़्यारत करें और अबूतालिब की क़ब्र पर न जायें यूँहीं जद्दा में जो लोगों ने हज़रते उम्मुना(हमारी माँ) हव्वा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा का मज़ार कई सौ हाथ का बना रखा है वहाँ भी न जायें कि बेअस्ल है। (39) उ़लमा की ख़िदमत से बरकत हासिल करो।

कअ़्बा मुअ़ज़्ज़मा की दाख़िली

(40) कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा की दाख़िली बहुत बड़ी सआ़दत है अगर जाइज़ तौर पर नसीब हो मुहर्रम में आम दाख़िली होती है मगर सख़्त कशमकश रहती है कमज़ोर मर्द का तो काम ही नहीं न औ़रतों को ऐसे हुजूम में बेशर्मी के साथ जाने की इजाज़त है,ज़बरदस्त मर्द अगर ख़ुद ईज़ा से बच भी गया तो औरों को धक्के देकर ईज़ा देगा और यह जाइज़ नहीं, न ही इस तरह की हाज़िरी में कुछ ज़ौक़ (मज़ा)मिले और ख़ास दाख़िली बे लेन-देन मयस्सर नहीं और इस पर लेना भी हराम देना भी हराम, हराम के ज़रिए एक मुस्तहब मिला भी तो वह भी हराम हो गया। इस मफ़ासिद (बेकार कामों) से नजात न मिले तो ह़तीम की हाज़िरी ग़नीमत (काफ़ी),जाने ऊपर गुज़रा कि वह भी कअ़्बा ही की ज़मीन है और अगर शायद बन पड़े यूँ कि ख़ुद्दामे कअ़्बा से साफ़ ठहर जाये कि दाख़िली के इवज़ कुछ न देंगे इसके बाद या क़ब्ल चाहे हज़ारों रुपये दे दे तो बड़ा अदब है। फिर ज़ाहिर व बातिन की रिआ़यत से आँखें नीची किये गर्दन झुकाये गुनाहों पर शरमाते रब्बुलइज़्ज़त के ग़ज़ब से लरज़ते काँपते बिस्मिल्लाह कह कर पहले सीधा पाँव बढ़ा कर दाख़िल हो और सामने की दीवार तक इतना बढ़े कि तीन हाथ का फ़ासिला रहे अगर मकरूह वक़्त न हो तो वहाँ दो रकअ़त नफ़्ल नमाज़ पढ़े कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस जगह नमाज़ पढ़ी है फिर दीवार पर रुख़सारा (गाल)और मुँह रख कर हम्द व दुरूद व दुआ़ में कोशिश करे यूँही निगाह नीचे किये चारों गोशों पर जाये और दुआ़ करे और सुतूनों से चिमटे और फिर इस दौलत के मिलने और हज व ज़्यारत के कबूल की दुआ़ करे और यूँही आँखें नीचे किये वापस आये ऊपर या इधर उधर हरगिज़ न देखे और बड़े फ़ज़्ल की उम्मीद करो कि वह फ़रमाता है।

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا

" जो इस घर में दाख़िल हुआ वह अमान में है। वलहम्दुलिल्लाह!

हरमैन शरीफ़ैन के तबर्रूकात

(41) बची हुई बत्ती वग़ैरा जो यहाँ या मदीना तय्यिबा में ख़ुद्दामे हरम देते हैं हरगिज़ न ले बल्कि अपने पास से बत्ती वहाँ रौशन करे बाक़ी उठा ले।

मसअ्ला :- कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा का ग़िलाफ़ जो साल भर बाद बदला जाता है और जो उतारा गया वह फ़ुक़रा पर तक़सीम कर दिया जाता है उस को उन फ़ुक़रा से ख़रीद सकते हैं और जो ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ है उसमें से लेना जाइज़ नहीं बल्कि अगर कोई टुकड़ा जुदा होकर गिर पड़े तो उसे भी न ले और ले तो किसी सुन्नी फ़क़ीर को दे दे!

मसअ्ला :- कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा में ख़ुश्बू लगी हो उसे भी लेना जाइज़ नहीं और और ली तो वापस कर दे और ख़्वाहिश हो तो अपने पास से ख़ुशबू ले जाकर मस कर लाये यअ़्नी अपनी ख़ुशबू मसलन रूई में लगा कर कअ़्बा शरीफ़ या उसके ग़िलाफ़ से उस रूई को लगाये फिर उस रूई को ख़ुद रख ले।

तवाफ़े रुख़सत

(42) जब इरादा रुख़सत का हो **तवाफ़े वदाअ़** रमल व सई व इज़्तिबाअ़ के बग़ैर करे कि बाहर वालों पर वाजिब है। हाँ वक़्ते रुख़सत औरत हैज़ या निफ़ास से हो तो उस पर तवाफ़ नहीं,जिसने सिर्फ़ उमरा किया है उस पर यह तवाफ़ वाजिब नहीं फिर तवाफ़ के बअ़्द बदस्तूर दो रकअ़त मक़ामे इब्राहीम में पढ़े।

मसअ्ला :– सफ़र का इरादा था तवाफ़े रुख़सत कर लिया मगर किसी वजह से ठहर गया अगर इक़ामत की नियत न की तो वही तवाफ़ काफ़ी है मगर मुस्तहब यह है कि फिर तवाफ़ करे कि आख़िरी काम तवाफ़ रहे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मक्का वाले और मीक़ात के अन्दर रहने वाले पर तवाफ़े रुख़सत वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– बाहर वाले ने मक्का में या मक्का के आसपास मीक़ात के अन्दर किसी जगह रहने का इरादा किया यअ़्नी यह कि अब यहीं रहेगा तो अगर बारहवीं तारीख़ तक यह नियत कर ली तो अब उस पर यह तवाफ़ वाजिब नहीं और बारहवीं तारीख़ के बअ़्द नियत की तो वाजिब हो गया और पहली सूरत मे अगर अपने इरादे को तोड़ दिया और वहाँ से रुख़सत हुआ तो उस वक़्त भी वाजिब नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तवाफ़े रूख़सत में सिर्फ़ तवाफ़ की नियत ज़रूरी है वाजिब व रूख़सत नियत में होने की हाजत नहीं यहाँ तक कि अगर नफ़्ल की नियत से किया वाजिब अदा हो गया।

मसअ्ला :– हैज़ वाली मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से जाने के क़ब्ल पाक हो गई तो उस पर यह तवाफ़ वाजिब है और अगर जाने के बअ़्द पाक हुई तो उसे यह ज़रूरी नहीं कि वापस आये और वापस आई तो तवाफ़ वाजिब हो गया जबकि मीक़ात से बाहर न हुई थी और अगर जाने से पहले हैज़ ख़त्म हो गया मगर न गुस्ल किया था और न नमाज़ का एक वक़्त गुज़रा था तो उस पर भी वापस आना वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो बग़ैर तवाफ़े रुख़सत के चला गया तो जब तक मीक़ात से बाहर न हुआ वापस आये और मीक़ात से बाहर होने के बअ़्द याद आया तो वापस होना ज़रूरी नहीं बल्कि दम दे दे और अगर वापस हो तो उमरा का एहराम बाँध कर वापस हो और उमरा से फ़ारिग़ होकर तवाफ़े रुख़सत अदा करे और इस सूरत में दम वाजिब न होगा।(आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– तवाफ़े रुख़सत के तीन फेरे छोड़ गया तो हर फेरे के बदले सदक़ा दे। (आलमगीरी)

(43) तवाफ़े रुख़सत के बअ़्द ज़म ज़म पर आकर उसी तरह पानी पिये और बदन पर डाले।

(44) फिर दरवाज़ा–ए–कअ़बा के सामने खड़ा होकर आस्तानए पाक को बोसा दे और क़बूले हज व ज़्यारत और बार–बार हाज़िरी की दुआ माँगे और वही दुआए जामेअ़ पढ़े या यह पढ़े।

اَلسَّائِلُ بِبَابِكَ يَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ مَعْرُوْفِكَ وَ يَرْجُوْرَ حْمَتَكَ.

तर्जमा :– "तेरे दरवाज़े पर साइल तेरे फ़ज़्ल व एहसान का सवाल करता है और तेरी रहमत का उम्मीदवार है।" (45) फिर **मुलतज़म** पर आकर गिलाफ़े कअ़बा थाम कर उसी तरह चिमटो ज़िक्र व दुआ व दुरूद की कसरत करो इस वक़्त यह दुआ पढ़ो

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. اَللّٰهُمَّ فَلَمَّا هَدَيْتَنَا لِهٰذَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا وَ لَا نَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ ارْزُقْنِى الْعَوْدَ اِلَيْهِ حَتّٰى تَرْضٰى بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰاحِمِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– "ह़म्द है अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत की अल्लाह हमको हिदायत न करता तो हम हिदायत न पाते इलाही जिस त़रह़ हमें तूने इसकी हिदायत की है तो तू हमसे इसको क़बूल फ़रमा और बैतुल ह़राम में यह हमारी आख़िरी ह़ाज़िरी न कर और इसकी त़रफ़ फिर लौटना हमें नसीब करना ताकि तू अपनी रह़मत के सबब राज़ी हो जाये सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान ! और ह़म्द है अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहान का और अल्लाह दुरूद भेजे हमारे सरदार मुह़म्मद और उनकी आल व असह़ाब सब पर"।

(46) फिर हजरे पाक को बोसा दो और जो आँसू रखते हो गिराओ और यह पढ़ो।

يَا يَمِيْنَ اللّٰهِ فِيْ اَرْضِهٖ اِنِّيْ اُشْهِدُكَ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا. اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ. وَ اَنَا اُوَدِّعُكَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ لِتَشْهَدَ لِيْ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُشْهِدُكَ عَلٰى ذٰلِكَ وَ اُشْهِدُ مَلٰٓئِكَتَكَ الْكِرَامَ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ ज़मीन में अल्लाह के यमीन मैं तुझे गवाह करता हूँ और अल्लाह की गवाही काफ़ी है बेशक मैं इसकी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं और मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं तेरे पास इस गवाही को अमानत रखता हूँ ताकि तू अल्लाह के नज़दीक क़ियामत के दिन जिस दिन बड़ी घबराहट होगी तू मेरे लिए इसकी शहादत दे। ऐ अल्लाह! मैं तुझको और तेरे मलाइका को इस पर गवाह करता हूँ अल्लाह दुरूद भेजे हमारे सरदार मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और उनकी आल व असह़ाब सब पर"।

(47)फिर उल्टे पाँव कअ्बा की त़रफ़ मुँह करके या सीधे चलने में फिर–फिर कर कअ्बा को ह़सरत से देखते उसकी जुदाई पर रोते या रोने का मुँह बनाते मस्जिदे करीम के दरवाज़े से बायाँ पाँव पहले बढ़ा कर निकलो और ज़िक्र की गई दुआ़ पढ़ो और इसके लिए ज़्यादा अच्छा **बाबे हज़वरा** है। (48)हैज़ व निफ़ास वाली औ़रत दरवाज़ए मस्जिद पर खड़ी होकर ह़सरत की निगाह से देखे और दुआ़ करती पलटे। (49)फिर बक़द्रे क़ुदरत मक्कए मुअ़ज़्ज़मा के सुन्नी फ़क़ीरों पर स़दक़ा करके सरकारे अअ़्ज़म मदीना त़य्यिबा की त़रफ़ मुतवज्जेह हो। और तौफ़ीक़ अल्लाह ही की त़रफ़ से है!

क़िरान का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

तर्जमा : " और अल्लाह के लिए हज व उ़मरा पूरा करो "।

अबूदाऊद व नसई व इब्ने माजा सुबई इब्ने मअ्बद तग़लबी से रावी कहते हैं मैंने हज व उ़मरा का एक साथ एहराम बाँधा अमीरुल मोमिनीन उ़मर फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया तूने अपने नबी मुह़म्मद मुस्त़फ़ा स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की पैरवी की। सह़ीह़ बुख़ारी व सह़ीह़ मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को सुना हज व उ़मरा दोनों को लब्बैक में ज़िक्र फ़रमाते हैं। इमाम अह़मद ने अबू त़लह़ा अन्सारी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज व उ़मरा को जमा फ़रमाया।

मसअ्ला :– क़िरान के यह मअ्ना हैं कि हज व उ़मरा दोनों का एहराम एक साथ बाँधे या पहले उ़मरा का एहराम बाँधा था और अभी त़वाफ़ के चार फेरे न किये थे कि हज को शामिल कर लिया या पहले हज का एहराम बाँधा था उसके साथ उ़मरा भी शामिल कर लिया चाहे त़वाफ़े क़ुदूस से पहले उ़मरा शामिल किया या बअ्द में, त़वाफ़े क़ुदूम से पहले इसाअत (बुरा) है कि ख़िलाफ़े सुन्नत है मगर दम वाजिब नहीं और त़वाफ़े क़ुदूम के बअ्द शामिल किया तो वाजिब है कि उ़मरा तोड़ दे और दम दे उ़मरा की क़ज़ा करे और उ़मरा न तोड़ा जब भी दम देना वाजिब है।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– क़िरान के लिए शर्त यह है कि उ़मरा के त़वाफ़ का अक्सर हिस्सा वुक़ूफ़े अ़रफ़ा से पहले हो लिहाज़ा जिसने तवाफ़ के चार फेरों से पहले वुक़ूफ़ किया उसका क़िरान बात़िल हो गया। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– सब से अफ़ज़ल क़िरान है फिर तमत्तोअ् फिर इफ़राद। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा) क़िरान के एहराम का त़रीक़ा एहराम के बयान में ज़िक्र हुआ।

मसअ्ला :– क़िरान का एहराम मीक़ात से पहले भी हो सकता हे आर शव्वाल से पहले भी मगर उसके अफ़आ़ल हज के महीनों में किये जायें शव्वाल से पहले अफ़आ़ल नहीं कर सकते। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़िरान में वाजिब है कि पहले सात फेरे त़वाफ़ करे और उन में पहले तीन फेरों में रमल सुन्नत है फिर सई करे अब क़िरान का एक जुज़ यानी उ़मरा पूरा हो गया मगर अभी हल्क़ नहीं कर सकता और किया भी तो एहराम से बाहर न होगा और उसके जुर्माने में दो दम लाज़िम हैं। उ़मरा पूरा करने के बाद त़वाफ़े क़ुदूम करे और चाहे तो अभी सई भी कर ले वरना त़वाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई करे अगर अभी सई करे तो त़वाफ़े क़ुदूम के तीन पहले फेरों में भी रमल करे और दोनों त़वाफ़ों में इज़्तिबाअ् भी करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक साथ दो तवाफ़ किये फिर दो सई जब भी जाइज़ है मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है और दम लाज़िम नहीं चाहे पहला त़वाफ़ उ़मरा की नियत से और दूसरा क़ुदूम की नियत से हो या दोनों में से किसी में तअ़य्युन न की या इसके सिवा किसी और त़रह की नीयत की बहर ह़ाल पहला उ़मरा का होगा और दूसरा त़वाफ़े क़ुदूम का।(दुर्रे मुख़्तार,मुनसक)

मसअ्ला :– पहले त़वाफ़ में अगर त़वाफ़े हज की नीयत की जब भी उ़मरा ही का त़वाफ़ है (जौहरा)उ़मरा से फ़ारिग़ होकर बदस्तूर मुह़रिम रहे और तमाम अफ़आ़ल बजा लाये दसवीं को सर मुंडाने के बाद फिर त़वाफ़े इफ़ाज़ा के बाद जैसे हज करने वाले के लिए चीज़ें ह़लाल होती हैं उसके लिए भी ह़लाल होंगी।

मसअ्ला :– क़ारिन पर दसवीं की रमी के बाद क़ुर्बानी वाजिब है और यह क़ुर्बानी किसी जुर्माने में नहीं बल्कि इसका शुक्रिया है कि अल्लाह तआ़ला ने उसे दो इबादतों की तौफ़ीक़ बख़्शी क़ारिन के लिए अफ़ज़ल यह है कि अपने साथ क़ुर्बानी का जानवर ले जाये। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– इस क़ुर्बानी के लिए यह ज़रूर है कि ह़रम में हो बैरूने ह़रम (ह़रम के बाहर)नहीं हो सकती और सुन्नत यह कि मिना में हो और इसका वक़्त दसवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र तुलुअ् (नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरूअ्) होने से बारहवीं के ग़ुरूबे आफ़ताब तक है। मगर यह ज़रूर है कि रमी के बाद हो रमी से पहले करेगा तो दम लाज़िम आयेगा और अगर बारहवीं तक न की तो ज़िम्मे से

ख़त्म न होगी जब तक ज़िन्दा है कुर्बानी उस के ज़िम्मे है। (मुनसक)

मसअ्ला :– अगर कुर्बानी पर क़ादिर था और अभी कुर्बानी न की थी कि इन्तिक़ाल हो गया तो कुर्बानी की वसियत कर जाना वाजिब है और अगर वसियत न की मगर वारिसों ने खदु कर दी जब भी सही है। (मुनसक)

मसअ्ला :– क़ारिन को अगर कुर्बानी मयस्सर न आये कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल नहीं, न इतना सामान कि उसे बेच कर जानवर ख़रीदे तो दस रोज़े रखे इनमें तीन तो वहीं यअ्नी पहली शव्वाल से ज़िलहिज्जा की नवीं तक एहराम बाँधने के बाद रखे, चाहे सात,आठ नौ को रखे या उसके पहले, और बेहतर यह है कि नवीं से पहले ख़त्म कर दे और यह भी इख़्तेयार है कि मुतफ़र्रिक़(अलग–अलग)तौर पर रखे तीनों का पय दर पय (लगातार)रखना ज़रूर नहीं और सात रोज़े हज का ज़माना गुज़रने के बाद यअ्नी तेरहवीं के बाद रखे तेरहवीं को या उससे पहले नहीं हो सकते इन सात रोज़ों में इख़्तियार है कि वहीं रखे या मकान वापस आकर और बेहतर मकान पर वापस होकर रखना है और इन दसों रोज़ों में रात से नियत ज़रूर है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– अगर पहले के तीन रोज़े नवीं तक नहीं रखे तो अब रोज़े काफ़ी नहीं बल्कि दम वाजिब होगा। दम देकर एहराम से बाहर हो जाये और अगर दम देने पर क़ादिर नहीं तो सर मुंडाकर या बाल कतरवा कर एहराम से जुदा हो जाये और दो दम वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ादिर न होने की वजह से रोज़े रख लिये फिर हल्क़ से पहले दसवीं को जानवर मिल गया तो अब वह रोज़े काफ़ी नहीं लिहाज़ा कुर्बानी करे और हल्क़ के बाद जानवर पर कुदरत हुई तो वह रोज़े काफ़ी हैं चाहे कुर्बानी के दिनों में कुदरत पाई गई या बाद में। यूँही अगर कुर्बानी के दिनों में सर न मुंडाया तो अगर्चे हल्क़ से पहले जानवर पर क़ादिर हो वह रोज़े काफ़ी हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ारिन ने तवाफ़े उ़मरा के तीन फेरे करने के बाद वुकूफ़े अ़रफ़ा किया तो वह तवाफ़ जाता रहा और चार फेरे के बाद वुकूफ़े अ़रफ़ा किया तो बातिल न हुआ अगर्चे तवाफ़े कुदूम या नफ़्ल की नियत से किये लिहाज़ा यौमुन्नहर(कुर्बानी के दिन) में तवाफ़े ज़्यारत से पहले उस की तकमील करे और पहली सूरत में चुँकि उस ने उ़मरा तोड़ डाला लिहाज़ा एक दम वाजिब हुआ और वह कुर्बानी कि शुक्रिया के लिए वाजिब थी साक़ित (ख़त्म) हो गई और अब क़ारिन न रहा और अय्यामे तशरीक़ (दसवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं ज़िलहिज्जा की अ़स्र तक)के बाद इस उ़मरा की क़ज़ा दे यअ्नी फ़िर से उ़मरा करे। (दुर्रे मुख़्तार)

तमत्तोअ् का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है : –

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥ ط

तर्जमा :– " जिसने उ़मरा से हज की तरफ तमत्तोअ् किया उस पर कुर्बानी है जैसी मयस्सर आये फिर जिसे कुर्बानी की कुदरत न हो तो तीन रोज़े हज के दिनों में रखे और सात वापसी के बाद,यह दस पूरे हैं यह उनके लिए हैं जो मक्का का रहने वाला न हो और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह का अज़ाब सख़्त है"।

तमत्तोअ़ इसे क़हते हैं कि हज के महीनों में उ़मरा करे फिर उसी साल हज का एहराम बाँधे या पूरा उ़मरा न किया सिर्फ चार फेरे किये फिर हज का एहराम बाँधा।

मसअला :– तमत्तोअ़ के लिए यह शर्त नहीं कि मीक़ात से एहराम बाँधे मीक़ात से पहले भी हो सकता है बल्कि अगर मीक़ात के बाद एहराम बाँधा जब भी हो सकता है अगर्चे बिला एहराम मीक़ात से गुजरना गुनाह है और दम लाज़िम है या फिर मीक़ात को वापस जाये यानी अगर हाजी चाहता है कि दम देना न पड़े तो उसे ज़रूरी है कि किसी मीक़ात पर जाकर एहराम बाँधे और फिर आकर उ़मरा करे यूँही तमत्तोअ़ के लिए यह शर्त नहीं कि उ़मरा का एहराम हज के महीने में बाँधा जाये बल्कि शव्वाल से पेशतर भी एहराम बाँध सकते हैं अलबत्ता यह ज़रूरी है कि उ़मरा के तमाम अफ़आल या अक्सर त़वाफ़ हज के महीने में हों मसलन तीन फेरे त़वाफ़ के रमज़ान में किये फिर शव्वाल में बाक़ी चार फेरे कर लिये फिर उसी साल हज कर लिया तो यह भी तमत्तोअ़ है और अगर रमज़ान में चार फेरे कर लिये थे और शव्वाल में तीन बाक़ी तो यह तमत्तोअ़ नहीं और यह भी शर्त नहीं कि जिस साल एहराम बाँधा उसी साल तमत्तोअ़ कर ले मसलन इस रमज़ान में एहराम बाँधा और एहराम पर क़ाइम रहा दूसरे साल उ़मरा फिर हज किया तो तमत्तोअ़ हो गया।(आलमगीरी)

तमत्तोअ़ के शराइत

तमत्तोअ़ की दस शर्ते हैं :–

1. हज के महीने मे पूरा त़वाफ़ करना या अक्सर हिस्सा यानी चार फेरे करना।
2. उ़मरा का एहराम हज के एहराम से मुक़द्दम (पहले)होना ।
3. हज के एहराम से पहले उ़मरा का पूरा त़वाफ़ या अक्सर हिस्सा कर लिया हो।
4. उ़मरा फ़ासिद यानी बेकार न किया हो।
5. हज फ़ासिद न किया हो।
6. इलमामे स़ही न किया हो, इलमामे स़ही के यह मअ़ना हैं कि उ़मरा के बाद एहराम खोल कर अपने वत़न को वापस जाये और वत़न से मुराद वह जगह है जहाँ रहता है,पैदाइश का मक़ाम अगर्चे दूसरी जगह हो लिहाज़ा अगर उ़मरा करने के बाद वत़न गया फिर वापस आकर हज किया तो तमत्तोअ़ न हुआ और अगर उ़मरा करने से पेशतर गया या उ़मरा करके बग़ैर हल्क़ किये यानी एहराम ही में वत़न गया फिर वापस आकर उसी साल हज किया तो तमत्तोअ़ है। यूँही अगर उ़मरा करके एहराम खोल दिया फिर हज का एहारम बाँध कर वत़न गया तो यह भी इलमामे स़ही नहीं लिहाज़ा अगर वापस आकर हज करेगा तो तमत्तोअ़ होगा।
7. हज व उ़मरा दोनों एक ही साल में हों।
8. मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में हमेशा के लिए ठहरने का इरादा न हो, लिहाज़ा अगर उ़मरा के बाद पक्का इरादा कर लिया है कि यहीं रहेगा तो तमत्तोअ़ नहीं और दो एक महीने का हो तो है।
9. मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में हज का महीना आ जाये तो बे–एहराम के न हो और न ऐसा हो कि एहराम है मगर चार फेरे त़वाफ़ के हज के महीने से पहले कर चुका है हाँ अगर मीक़ात से बाहर वापस जाये फिर उ़मरा का एहराम बाँध कर आये तो तमत्तोअ़ हो सकता है।
10. मीक़ात से बाहर का रहने वाला हो,मक्का का रहने वाला तमत्तोअ़ नहीं कर सकता।(रद्दुलमुहतार)

मसअला :– तमत्तोअ् की दो सूरतें हैं एक यह कि अपने साथ कुर्बानी का जानवर लाया दूसरी सूरत यह कि जानवर न लाये, जो जानवर न लाया वह मीक़ात से उमरा का एहराम बाँधे और मक्कए मुअज़्ज़मा में आकर तवाफ़ व सई करे और सर मुंडाये अब उमरा से फ़ारिग़ हो गया और तवाफ़ शुरूअ् करते ही यानी संगे असवद को बोसा देते वक़्त लब्बैक ख़त्म कर दे अब मक्का में बग़ैर एहराम रहे, आठवीं ज़िलहिज्जा को मस्जिद हराम शरीफ़ से हज का एहराम बाँधे और हज के तमाम अफ़आल बजा लाये मगर इसके लिए तवाफ़े कुदूम नहीं और तवाफ़े ज़्यारत में या हज का एहराम बाँधने के बाद इसी तवाफ़े नफ़्ल में रमल करे और उसके बाद सई करे और अगर हज का एहराम बाँधने के बाद तवाफ़े कुदूम कर लिया है तो अगर्चे इसके लिए यह तवाफ़ मसनून (सुन्नत)न था और उसके बाद सई कर ली है तो अब तवाफ़े ज़्यारत में रमल नहीं, चाहे तवाफ़े कुदूम में रमल किया हो या नहीं और तवाफ़े ज़्यारत के बाद अब सई भी नहीं उमरा से फ़ारिग़ होकर हल्क़ भी ज़रूरी नहीं। उसे यह भी इख़्तियार है कि सर न मुंडाये वैसे ही मुहरिम रहे यूँही मक्कए मुअज़्ज़मा ही में रहना उसे ज़रूर नहीं, चाहे वहाँ रहे या वतन के सिवा कहीं और मगर जहाँ रहे वहाँ वाले जहाँ से एहराम बाँधते हैं यह भी वहीं से एहराम बाँधे अगर मक्का मुकर्रमा में है तो यहाँ वालों की तरह एहराम बाँधे। अगर हरम से बाहर और मीक़ात के अन्दर है तो हिल (मक्का मुअज़्ज़मा की वह जगह जो हरम शरीफ़ से बाहर है) में एहराम बाँधे और मीक़ात से भी बाहर हो गया तो मीक़ात से बाँधे यह उस सूरत में है जब कि किसी और ग़रज़ से हरम या मीक़ात से बाहर जाना हो और अगर एहराम बाँधने के लिए हरम से बाहर गया तो उस पर दम वाजिब है। मगर जबकि वुकूफ़ से पहले मक्का में आ गया तो साक़ित हो गया और मक्कए मुअज़्ज़मा में रहा तो हरम में एहराम बाँधे और बेहतर यह है कि मक्का मुअज़्ज़मा में हो और उस से बेहतर यह है कि मस्जिदे हरम में हो और सब से बेहतर यह कि हतीम शरीफ़ में एहराम का बाँधना हो यूँही आठवीं को एहराम बाँधना ज़रूर नहीं। नवीं को भी हो सकता है और आठवीं से पहले भी बल्कि आठवीं से पहले एहराम बाँधना अफ़ज़ल है। तमत्तोअ् करने वाले पर वाजिब है कि दसवीं तारीख़ को शुक्राना में कुर्बानी करे उसके बाद सर मुंडाये अगर कुर्बानी की इस्तिताअत न हो तो उसी तरह रोज़े रखे जो क़िरान वाले कि लिए हैं यअ्नी तीन रोज़े एहराम की हालत में और हज के महीने में रखे और सात रोज़े ज़िलहिज्जा की तेरहवीं तारीख़ के बाद रखे। (जौहरा,आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– अगर अपने साथ जानवर ले जाये तो एहराम बाँध कर ले चले और खींच कर ले जाने से हाँकना अफ़ज़ल है। हाँ अगर पीछे से हाँक कर नहीं चलता तो आगे से खींचे और उसके गले में हार डाल दे कि लोग यह समझें कि यह हरम में कुर्बानी को जाता है और हार डालना झूल डालने से बेहतर है और यह भी हो सकता है कि उस जानवर के कोहान में दाहिनी या बाईं जानिब हल्का–सा शिगाफ़ कर दे यानी चमड़ा चीर दे कि गोश्त तक ज़ख़्म न पहुँचे अब मक्कए मुअज़्ज़मा में पहुँच कर उमरा करे और उमरा से फ़ारिग़ होकर भी मुहरिम रहे जब तक कुर्बानी न कर ले। उसे सर मुंडाना जाइज़ नहीं जब तक कुर्बानी न कर ले वरना दम लाज़िम आयेगा फिर वह तमाम अफ़आल करे जो उसके लिए बताये गये कि जानवर न लाया था और दसवीं तारीख़ को रमी कर के सर मुंडाये अब दोनों एहराम से एक साथ फ़ारिग़ हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो जानवर लाया और जो न लाया दोनों में फ़र्क़ यह है कि अगर जानवर न लाया और उ़मरा के बाद एह़राम खोल डाला अब ह़ज का एह़राम बाँधा और कोई जनायत यानी गुनाह हुआ तो जुर्माना मुफ़रिद की त़रह है और वह एह़राम बाक़ी था तो जुर्माना क़ारिन की त़रह है और जानवर लाया तो बहरहा़ल क़ारिन की मिस्ल है। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– मीक़ात के अन्दर वालों के लिए क़िरान व तमत्तोअ् नहीं अगर करें तो दम दें।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो जानवर लाया है उसे रोज़ा रखना काफ़ी न होगा अगर्चे नादार हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जानवर नहीं ले गया और उ़मरा करके घर चला आया तो यह इलमाम स़ही है उसका तमत्तोअ् जाता रहा अब ह़ज करेगा तो मुफ़रिद है और जानवर ले गया और उ़मरा करके घर वापस आया फिर मुह़रिम रहा और ह़ज को गया तो यह इलमाम स़ही नहीं लिहाज़ा उसका तमत्तोअ् बाक़ी है यूँही अगर घर न आया उ़मरा कर के कहीं और चला गया तो तमत्तोअ् न गया। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– तमत्तोअ् करने वाले ने ह़ज या उ़मरा फ़ासिद कर दिया तो उसकी क़ज़ा दे और जुर्माने में दम दे और तमत्तोअ् की क़ुर्बानी उसके ज़िम्मे नहीं कि तमत्तोअ् रहा ही नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तमत्तोअ् के लिए यह ज़रूरी नहीं कि ह़ज व उ़मरा दोनों एह ही त़रफ़ से हों बल्कि यह हो सकता है कि एक अपनी त़रफ़ से हो और दूसरा किसी और की जानिब से या एक शख़्स ने उसे ह़ज का हुक्म दिया और दूसरे ने उ़मरा का और दोनों ने तमत्तोअ् की इजाज़त दे दी तो कर सकता है मगर क़ुर्बानी ख़ुद उसके ज़िम्मे है और अगर नादार है तो रोज़े रखे। (मुनसक)

मसअ्ला :– ह़ज के महीने में उ़मरा किया मगर उसे फ़ासिद कर दिया फिर घर वापस गया फिर आकर उ़मरा की क़ज़ा की और उसी साल ह़ज किया तो यह तमत्तोअ् हो गया और अगर मक्का ही में रह गया या मक्का से चला गया मगर मीक़ात के अन्दर रहा या मीक़ात से भी बाहर हो गया मगर घर न गया और आकर उ़मरा की क़ज़ा की और उसी साल ह़ज भी किया तो इन सब सूरतों में तमत्तोअ् न हुआ। (जौहरा)

जुर्म और उनके कफ़्फ़ारा का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

तर्जमा :– "ऐ ईमान वालो! एह़राम की हा़लत में शिकार न करो और जो तुम में से क़स्दन जानवर को क़त्ल करेगा तो बदला दे उस जानवर की त़रह जो क़त्ल हुआ तुम में के दो आ़दिल जो हुक्म करें वह बदला क़ुर्बानी होगी जो कअ्बा को जाये या कफ़्फ़ारा मिस्कीन का खाना या उसके बराबर रोज़े ताकि अपने किये का वबाल चखे अल्लाह ने उसे माफ़ फ़रमाया जो पेशतर हो चुका और जो फिर करेगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा और अल्लाह ग़ालिब बदला लेने वाला है। दरिया का शिकार और उसका खाना तुम्हारे लिए ह़लाल किया गया तुम्हारे और मुसाफ़िरों के बरतने के लिए

और खुश्की का शिकार तुम पर हराम है जब तक तुम मुहरिम हो और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ़ तुम उठाये जाओगे"।

और फ़रमाता है :–

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْبِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ

तर्जमा :– "जो तुम में से बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो (और सर मुंडा ले) तो फ़िदिया दे रोज़े या सदक़ा या क़ुर्बानी"।

सहीहैन वग़ैराहुमा में कअ़ब इब्ने अ़जरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाये और यह मुहरिम थे और हांडी के नीचे आग जला रहे थे और जूँए उनके चेहरे पर गिर रही थीं इरशाद फ़रमाया क्या यह कीड़े तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया सर मुंडवा डालो और तीन साअ़् खाना छह मिस्कीनों को दे दो या तीन रोज़े रखो या क़ुर्बानी करो।

तम्बीह :– मुहरिम अगर बिलक़स्द (जानबूझ कर)बिला उ़ज़्र जुर्म करे तो कफ़्फ़ारा भी वाजिब है और गुनाहगार भी हुआ लिहाज़ा इस सूरत में तोबा वाजिब कि महज़ कफ़्फ़ारा से पाक न होगा जब तक तोबा न करे और अगर जान बूझकर या उ़ज़्र से है तो कफ़्फ़ारा काफ़ी है। जुर्म में कफ़्फ़ारा बहर हाल लाज़िम है याद से हो या भूल–चूक से उसका जुर्म होना जानता हो या मालूम न हो,ख़ुशी से हो या मजबूरन सोते में हो या बेदारी में, नशा या बेहोशी में हो या होश में, उसने अपने आप किया हो या दूसरे ने उसके हुक्म से किया।

तम्बीह :– इस बयान में जहाँ दम कहेंगे उससे मुराद एक बकरी या भेड़ होगी, और बदना से मुराद ऊँट या गाय है। ये सब जानवर उन्हीं शराइत़ के हों जो क़ुर्बानी में हैं। और सदक़ा से मुराद अंग्रेज़ी रुपये से एक सौ पचहत्तर रुपये आठ आने (175.50रुपये)भर गेहूँ कि सौ रुपये के सेर से पौने दो सेर अठन्नी भर ऊपर हुए या इसके दूने जौ या खजूर या इनकी क़ीमत यानी जितना सदक़ए फ़ित्र में देते हैं। (नई तोल से 2 कि 45 ग्रा0) (क़ादरी)

मसअ्ला :– जहाँ दम का हुक्म है वह जुर्म अगर बीमारी या सख़्त गर्मी या शदीद सर्दी या ज़ख़्म या फ़ोड़े या जुओं की सख़्त ईज़ा (तकलीफ़) के सबब होगा तो उसे जुर्मे ग़ैर इख़्तियार कहते हैं। इसमें इख़्तियार होगा कि दम के बदले छह मिस्कीनों को एक–एक सदक़ा दे दे या दोनों वक़्त पेट भर कर खिलाये या तीन रोज़े रख ले अगर छहं सदक़े एक मिस्कीन को दे दिये या तीन या सात मिसकीनों पर तक़सीम कर दिये तो कफ़्फ़ारा अदा न होगा बल्कि शर्त़ यह है कि छह मिस्कीनों को दे और अफ़ज़ल यह है कि ह़रम के सुन्नी मिस्कीन हों और अगर उसमें सदक़ा का हुक्म है और मजबूरी में किया तो इख़्तियार होगा कि सदक़ा के बदले एक रोज़ा रख ले। कफ़्फ़ारा इसलिए है कि भूल–चूक से या सोते में या मजबूरी से जुर्म हों तो कफ़्फ़ारा से पाक हो जायें न इसलिए कि जानबूझ कर बिला उ़ज़्र जुर्म करो और कहो कि कफ़्फ़ारा दे देंगे,देना तो जब भी आयेगा मगर क़स्दन हुक्मे इलाही की मुख़ालफ़त बहुत सख़्त है।

मसअ्ला :– जहाँ एक दम या सदक़ा है क़ारिन पर दो हैं। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– कफ़्फ़ारा की क़ुर्बानी या क़ारिन व मुतमत्तेअ़् के शुक्राने की क़ुर्बानी ह़रम के अ़लावा

दूसरी जगह नहीं हो सकती। हरम के बाहर की तो अदा न हुई। हाँ जुर्मे ग़ैर इख़्तियारी में अगर उसका गोश्त छह मिस्कीनों पर सदक़ा किया और हर मिस्कीन को एक-एक सदक़ा की क़ीमत का गोश्त पहुँचा तो अदा हो गया।

मसअ्ला :– शुक्राने की क़ुर्बानी से ख़ुद खाये ग़नी को खिलाये मिस्कीनों को दे और कफ़्फ़ारा की क़ुर्बानी सिर्फ़ मोहताजों का हक़ है।

मसअ्ला :– अगर क़फ़्फ़ारे के रोज़े रखे तो उसमें शर्त यह है कि रात से यानी सुब्हे सादिक़ से पहले नीयत कर ले और यह भी नियत कि फ़लाँ कफ़्फ़ारे का रोज़ा है। मुतलक़ रोज़े की नियत या नफ़्ल या कोई और नियत की तो कफ़्फ़रा अदा न हुआ और पय दर पय (लगातार) होना या हरम में रखना ज़रूरी नहीं। (मुनसक) अब अहकाम सुनिये :

1. ख़ुश्बू और तेल लगाना

मसअ्ला :– ख़ुश्बू अगर बहुत सी लगाई जिसे देख कर लोग बहुत बतायें अगर्चे उज़्व(अंग) के थोड़े हिस्से पर या किसी बड़े उज़्व जैसे सर, मुँह, रान, पिंडली को पूरा सान दिया अगर्चे ख़ुश्बू थोड़ी है तो इन दोनों सूरतों में दम है और अगर थोड़ी सी ख़ुश्बू उज़्व के थोड़े से हिस्से में लगाई तो सदक़ा है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– कपड़े या बिछौने पर ख़ुश्बू मली तो ख़ुद ख़ुशबू की मिक़दार देखी जायेगी, ज़्यादा है तो दम और कम है तो सदक़ा। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– ख़ुश्बू सूँघी फल हो या फूल जैसे नींबू नारंगी, गुलाब, चंबेली, बेला जूही, बग़ैरा के फुल तो कुछ कफ़्फ़ारा नहीं अगर्चे मुहरिम को ख़ुश्बू सूँघना मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एहराम से पहले बदन पर ख़ुश्बू लगाई थी एहराम के बाद फैल कर और आज़ा को लगी तो कफ़्फ़ारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुहरिम ने दूसरे के बदन पर ख़ुश्बू लगाई मगर इस तरह कि उसके हाथ वग़ैरा किसी उज़्व में ख़ुशबू न लगी या उसको सिला हुआ कपड़ा पहनाया तो कुछ कफ़्फ़ारा नहीं मगर जबकि मुहरिम को ख़ुश्बू लगाई या सिला हुआ कपड़ा पहनाया तो गुनाहगार हुआ और जिसको लगाई या पहनाया उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– थोड़ी सी ख़ुश्बू बदन के मुतफ़र्रिक़(अलग-अलग) हिस्सों पर लगाई अगर जमा करने से पूरे बड़े उज़्व की मिक़दार को पहुँच जाये तो दम है वरना सदक़ा और ज़्यादा ख़ुश्बू मुतफ़र्रिक़ जगह लगाई तो बहरहाल दम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक जलसा यानी एक बार में क़ितने ही अअ्ज़ा पर ख़ुश्बू लगाये बल्कि सारे बदन पर लगाये तो एक ही जुर्म है और एक कफ़्फ़ारा वाजिब और कई जलसों यानी कई बार में लगाई तो हर बार दूसरी बार के लिए अलग-अलग कफ़्फ़ारा है चाहे पहली बार का कफ़्फ़ारा देकर दूसरी बार लगाई या अभी किसी का कफ़्फ़ारा न दिया हो। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी श़ाय(चीज़) में ख़ुश्बू लगी थी उसे छुआ अगर उस से ख़ुश्बू छूट कर बड़े उज़्व (अंग) के मिक़दार बदन को लगी तो दम दे और कम हो तो सदक़ा और कुछ नहीं तो कुछ नहीं मसलन संगे असवद शरीफ़ पर ख़ुश्बू मली जाती है अगर एहराम की हालत में बोसा लेते में

बहुत सी लगी तो दम दे और थोड़ी सी तो सदक़ा (आलमगीरी)

मसअला :– खुश्बूदार सुर्मा एक या दो बार लगाया तो सदक़ा दे इससे ज़्यादा में दम और जिस सुर्मा में खुश्बू न हो उसके इस्तेमाल में हरज नहीं जबकि ज़रूरत से हो और बिला ज़रूरत मकरूह। (मुनसक,आलमगीरी)

मसअला :– अगर ख़ालिस खुश्बू जैसे मुश्क,ज़ाफ़रान लौंग, इलायची,दारचीनी इतनी खाई कि मुँह के अक्सर हिस्से में लग गई तो दम है वरना सदक़ा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– खाने में पकते वक़्त खुश्बू पड़ी या फ़ना (ख़त्म)हो गई तो कुछ नहीं वरना अगर खुश्बूदार चीज़ के हिस्से ज़्यादा हों तो वह ख़ालिस खुश्बू के हुक्म में है और खाना ज़्यादा हो तो कफ़्फ़ारा कुछ नहीं मगर खुश्बू आती हो तो मकरूह है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– पीने की चीज़ में खुश्बू मिलाई अगर खुश्बू ग़ालिब (ज़्यादा)है या तीन बार या ज़्यादा पिया तो दम है वरना सदक़ा (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– तम्बाकू खाने वाले इसका ख़्याल रखें कि एहराम में खुशबूदार तम्बाकू न खायें कि पत्तियों में तो वैसे ही कच्ची खुशबू मिलाई जाती है और किवाम(शीरा)में भी अक्सर पकाने के बाद मुश्क वग़ैरा मिलाते हैं।

मसअला :– ख़मीरा तम्बाकू न पीना बेहतर है कि उसमें खुश्बू होती है मगर पिया तो कफ़्फ़ारा नहीं।

मसअला :– अगर ऐसी जगह गया जहाँ खुश्बू सुलग रही है और उसके कपड़े भी बस गये तो कुछ नहीं और सुलग कर उसने खुद बसाये तो क़लील(थोड़े)में सदक़ा और कसीर (ज़्यादा)में दम और न बसे तो कुछ नहीं और अगर एहराम से पहले बसाया था और एहराम में पहना तो मकरूह है मगर कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी,मुनसक)

मसअला :– सर पर मेहंदी का पतला ख़िज़ाब किया कि बाल न छुपे तो एक दम और गाढ़ी थोपी कि बाल छुप गये और चार पहर गुज़रे तो मर्द पर दो दम और चार पहर से कम में एक दम और एक सदक़ा और औरत पर बहरहाल एक दम, चौथाई सर छुपने का भी यही हुक्म है और चौथाई से कम में सदक़ा है और सर पर वसमा पतला–पतला लगाया तो कुछ नहीं और गाढ़ा हो तो मर्द को कफ़्फ़ारा देना होगा। (जौहरा,आलमगीरी)

मसअला :– दाढ़ी में मेंहदी लगाई जब भी दम वाजिब है पूरी हथेली या तलवे में लगाई तो दम दे मर्द हो या औरत और चारों हाथ–पाँव में एक ही जलसा में लगाई जब भी एक ही दम है वरना हर जलसा पर एक दम और हाथ–पाँव के किसी हिस्से में लगाई तो सदक़ा (जौहरा,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअला :– ख़तमी (दवा का नाम)से सर या दाढ़ी धोई तो दम है। (आलमगीरी)

मसअला :– इत्रफ़रोश की दुकान पर खुश्बू सूंघने के लिए बैठा तो कराहत है वरना हरज नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– चादर या तहबन्द के किनारे में मुश्क अम्बर, ज़ाफ़रान बाँधा अगर ज़्यादा है और चार पहर गुज़रे तो दम है और कम है तो सदक़ा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– खुश्बू इस्तेमाल करने में जानबूझ कर या अनजाने में होना,याद करके या भूले से होना मजबूरन या खुशी से होना,मर्द व औरत दोनों के लिए सब का बराबर हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअला :– खुश्बू लगाना जब जुर्म करार पाया तो बदन या कपड़े से दूर करना वाजिब है और

कफ़्फ़ारा देने के बाद ज़ाइल (ख़त्म)न किया तो फिर दम वग़ैरा वाजिब होगा इसलिए खुश्बू कफ़्फ़ारा देने से पहले दूर कर दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– खुश्बू लगाने से बहरहाल कफ़्फ़ारा वाजिब है अगर्चे फ़ौरन ज़ाइल कर दी हो और अगर कोई ग़ैर मुहरिम मिले तो उससे धुलवाये और अगर सिर्फ़ पानी बहाने से धुल जाये तो यूँही करे। (मुनसक)

मसअ्ला :– रोग़ने चंबेली वग़ैरा खुश्बूदार तेल लगाने का वही हुक्म है जो खुश्बू इस्तेमाल करने में था।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– तिल और ज़ैतून का तेल खुश्बू के हुक्म में है अगर्चे इनमें खुश्बू न हो अलबत्ता इन तेलों के खाने और नाक में चढ़ाने और ज़ख़्म पर लगाने और कान में टपकाने से सदक़ा वाजिब नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– मुश्क, अम्बर, ज़ाफ़रान वग़ैरा जो ख़ुद ही खुश्बू हैं उनके इस्तेमाल से मुतलक़न कफ़्फ़ारा लाज़िम है अगर्चे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया हो यह उस सूरत में है जबकि इनको ख़ालिस इस्तेमाल करें और अगर दूसरी चीज़ जो खुश्बूदार न हो उसके साथ मिला कर इस्तेमाल किया तो ग़ालिब (ज़्यादा होने)का एअ्तिबार है और दूसरी चीज़ में मिला कर पका लिया हो तो कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़ख़्म का इलाज ऐसी दवा से किया जिसमें खुश्बू है फिर दूसरा ज़ख़्म हुआ उसका इलाज पहले के साथ किया तो जब तक पहला अच्छा न हो उस दूसरे की वजह से कफ़्फ़ारा नहीं और पहले के अच्छे होने के बाद भी दूसरे में वह खुश्बूदार दवा लगाई तो कफ़्फ़रार वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कुसुम (एक क़िस्म का फूल जिस से कपड़े रंगे जाते हैं)या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा चार पहर पहना तो दम दे और इस से कम पहना तो सदक़ा दे अगर्चे फ़ौरन उतार डाला। (आलमगीरी)

2. सिले कपड़े पहनना

मसअ्ला :– मुहरिम ने सिला कपड़ा मुकम्मल चार पहर तक पहना तो दम वाजिब है और इससे कम पहना तो सदक़ा वाजिब है अगर्चे थोड़ी देर पहना और लगातार कई दिन तक पहने रहा जब भी एक दम वाजिब है जबकि यह लगातार पहनना एक तरह का हो यानी उज़्र से या बिला उज़्र और अगर मसलन एक दिन बिला उज़्र था दूसरे दिन उज़्र से था या इसका उल्टा किया तो दो कफ़्फ़ारे वाजिब होंगे। (आलमगरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर दिन में पहना रात में गर्मी के सबब उतार डाला या रात में सर्दी की वजह से पहना दिन में उतार डाला, ग़लती न करने की नियत से न उतारा तो एक कफ़्फ़ारा वाजिब होगा यूँही किसी दिन कुर्ता पहना था और उतार डाला फिर पाजामा पहना उसे भी उतार कर टोपी पहनी तो यह सब एक ही पहनना है और अगर एक दिन एक पहना दूसरे दिन दूसरा पहना तो दो कफ़्फ़ारे वाजिब हैं। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बीमारी के सबब पहना तो जब तक वह बीमारी रहेगी एक जुर्म है और बीमारी बिल्कुल जाती रही और न उतारा तो यह दूसरा जुर्म इख़्तियारी है और अगर वह बीमारी बिल्कुल जाती रही मगर दूसरी बीमारी फ़ौरन शुरूअ् हो गई और उसमें भी पहनने की ज़रूरत है जब भी यह दूसरा जुर्म ग़ैर इख़्तियारी है। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बारी के साथ बुख़ार आता है और जिस दिन बुख़ार आया कपड़े पहन लिये दूसरे दिन उतार डाले तीसरे दिन फिर पहने तो जब तक बारी वाला बुख़ार आये एक ही जुर्म है। (मुनसक)

मसअ्ला :– अगर सिला कपड़ा पहना और उसका कफ़्फ़ारा अदा कर दिया मगर उतारा नहीं दूसरे दिन भी पहने ही रहा तो अब दूसरा कफ़्फ़ारा वाजिब है यूँही अगर एहराम बाँधते वक़्त सिला हुआ कपड़ा उतारा तो सदक़ा दे और अगर पूरे चार पहर तक पहनने के बाद उतारा तो दम दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बीमारी वग़ैरा के सबब अगर सर से पाँव तक सब कपड़े पहनने की ज़रूरत हुई तो एक ही जुर्म ग़ैर इख़्तियारी है और बिला उज़्र सब कपड़े पहने तो एक जुर्म इख़्तियारी है यानी चार पहर पहने तो दोनों सूरतों में दम है और इससे कम में सदक़ा और अगर ज़रूरत एक कपड़े की थी इसने दो पहने तो अगर उसी ज़रूरत की जगह पर भी दूसरा पहने तो एक कफ़्फ़ारा है और गुनाहगार हुआ मसलन एक कुर्ते की ज़रूरत थी दो पहन लिये या टोपी की ज़रूरत थी इमामा भी बाँध लिया और अगर दूसरा कपड़ा उस जगह के सिवा दूसरी जगह पहना मसलन ज़रूरत सिर्फ़ इमामे की है उसने कुर्ता भी पहन लिया तो दो जुर्म हैं इमामे का ग़ैर इख़्तियारी और कुर्ते का इख़्तियारी। खुलासा यह कि ज़रूरत की जगह मे ज़्यादती की तो एक जुर्म है और ज़रूरत की जगह के इलावा और जगह भी पहना तो दो जुर्म हैं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– बग़ैर ज़रूरत सब कपड़े एक साथ पहन लिये तो एक जुर्म है दो जुर्म उस वक़्त हैं जब एक ज़रूरत से हो और दूसरा बे–ज़रूरत। (मुनसक)

मसअ्ला :– दुश्मन की वजह से कपड़े पहने हथियार बाँधे और वह भागा उसने उतार डाले वह फिर आ गया उसने फिर पहने तो यह एक ही जुर्म है यूँही दिन में दुश्मन से लड़ना पड़ता है यह दिन में हथियार बाँध लेता है और रात में उतार डालता है तो यह हर रोज़ का बाँधना एक ही जुर्म है जब तक उज़्र बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुहरिम ने दूसरे मुहरिम को सिला हुआ या ख़ुश्बूदार कपड़ा पहनाया तो इस पहनाने वाले पर कुछ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मर्द या औरत ने मुँह की टकली सारी या चहारुम (चौथाई)छुपा ली या मर्द ने पूरा या चहारुम सर छुपाया तो चार पहर या ज़्यादा लगातार छुपाने में दम है और कम में सदक़ा और चहारुम से कम को चार पहर तक छुपाया तो सदक़ा है और चार पहर से कम में कफ़्फ़ारा नहीं मगर गुनाह है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुहरिम ने सर पर कपड़े की गठरी रखी तो कफ़्फ़ारा है और ग़ल्ले की गठरी या तख़्ता या लगन वग़ैरा कोई बर्तन रख लिया तो कफ़्फ़ारा नहीं और अगर सर पर मिट्टी थोप ली तो कफ़्फ़ारा है। (मुनसक, आलमगीरी)

मसअ्ला :– सिला हुआ कपड़ा पहनने में यह शर्त नहीं कि क़स्दन (जानबूझ कर)पहने बल्कि भूलकर हो या नादानी में बहरहाल वही हुक्म यूँही सर और मुँह छुपाने में यहाँ तक कि मुहरिम ने सोते में सर या मुँह छुपा लिया तो कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कान और गुद्दी के छुपाने में हरज नहीं यूँही नाक पर ख़ाली हाथ रखने में, और अगर हाथ में कपड़ा है और कपड़े समेत नाक पर हाथ रखा तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर मकरूह व गुनाह है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पहनने का मतलब यह है कि वह कपड़ा इस तरह पहने जैसे आदतन पहना जाता है वरना अगर कुर्ते का तहबन्द बाँध लिया या पाजामे को तहबन्द की तरह लपेटा पाँव पांयचे में न

डाले तो कुछ नहीं, यूँही अंगरखा फैलाकर दोनों कन्धों पर रख लिया आस्तीनों में हाथ न डाले तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर मकरूह है और मोंढो पर सिले कपड़े डाल लिये तो कुछ नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)

मसअला :– जूते न हों तो मोज़े को वहाँ से काट कर पहने जहाँ अरबी जूते का तसमा होता है और बग़ैर काटे हुए पहन लिया तो पूरे चार पहर पहनने में दम है और उससे कम में सदका है, और जूते मौजूद हों तो मोज़े काट कर पहनना जाइज़ नहीं कि माल को ज़ाए (बरबाद)करना है फिर भी अगर ऐसा किया तो कफ़्फ़रा नहीं। (मुनसक) यहाँ से यह भी मालूम हुआ कि एहराम में अंग्रेज़ी जूते पहनना जाइज़ नहीं कि वह उस जोड़ को छुपाते हैं जिसका एहराम में खुला होना वाजिब है, पहनेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा।

3. बाल दूर करना

मसअला :– सर या दाढ़ी के चौथाई बाल या ज़्यादा किसी तरह दूर किये तो दम है और कम में सदका और अगर चन्दला है या दाढ़ी में कम बाल हैं तो अगर चौथाई की मिकदार हैं तो कुल में दम वरना सदका। चन्द जगह से थोड़े–थोड़े बाल लिये तो सबका मजमुआ अगर चौथाई को पहुँचता है तो दम है वरना सदका। (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– पूरी गर्दन या पूरी एक बग़ल में दम है और कम में सदका अगर्चे आधा या ज़्यादा हो। यही हुक्म नाफ़ के नीचे के बालों का है दोनों बग़लें पूरी मुंडवाये जब भी एक ही दम है(दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअला :– पूरा सर चन्द जलसों (बार)में मुंडवाया तो एक ही दम वाजिब है मगर जबकि पहले कुछ हिस्सा मुंडवाकर उसका कफ़्फ़ारा अदा कर दिया फिर दूसरे जलसे में मुंडवाया तो अब नया कफ़्फ़ारा देना होगा यूँही दोनों बग़लें दो जलसों में मुंडवायीं तो एक ही कफ़्फ़ारा है(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सर मुंडाया और दम दे दिया फिर उसी जलसा में दाढ़ी मुंडाया तो अब दूसरा दम दे।(आलमगीरी)

मसअला :– सर और दाढ़ी और बग़लें और सारे बदन के बाल एक ही जलसा में मुंडाये तो एक ही कफ़्फ़ारा है और अगर एक–एक उज़्व (अंग)के बाल अलग–अलग जलसे में मुंडाये तो उतने ही कफ़्फ़ारे देने हैं। (आलमगीरी)

मसअला :– सर और दाढ़ी और गर्दन और बग़ल और नाफ़ के नीचे के सिवा बाक़ी अअ्ज़ा के मुंडाने में सिर्फ़ सदका है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मूँछ अगर्चे पूरी मुंडवाये या कतरवाये सदका है (रद्दुल मुहतार,)

मसअला :– रोटी पकाने में कुछ बाल जल गये तो सदका है। वुज़ू करने या खुजाने या कंघा करने में बाल गिरे उस पर भी पूरा सदका है और बाज़ ने कहा कि दो–तीन बाल तक हर बाल के लिए एक मुट्ठी अनाज या एक टुकड़ा रोटी या एक छुआरा है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अपने आप बे–हाथ लगाये बाल गिर जायें या बीमारी से तमाम बाल गिर पड़ें तो कुछ नहीं। (मुनसक)

मसअला :– मुहरिम ने दूसरे मुहरिम का सर मूंडा तो मूंडने वाले पर भी सदका है ख़्वाह उसने इसे हुक्म दिया हो या नहीं, खुशी से मूँडा या मजबूर होकर और ग़ैर मुहरिम का मूँडा कुछ ख़ैरात कर दे। (आलमगीरी)

मसअला :– ग़ैर मुहरिम ने मुहरिम का सर मुंडा उसके हुक्म से या बिला हुक्म तो मुहरिम पर कफ़्फ़ारा है और मूंडने वाले पर सदका और वह मुहरिम उस मूँडने वाले से अपने कफ़्फ़ारा का

तावान (बदला)नहीं ले सकता और अगर मुहरिम ने ग़ैर मुहरिम की मूँछ ली या नाख़ून तराशे तो मिस्कीनों को कुछ सदका दे। (आलमगीरी)

मसअला :– मूँडना,कतरना, मूचने से बाल उखाड़ना या किसी चीज़ से बाल उड़ाना सबका एक हुक्म है (रद्दुलमुहतार वग़ैरा)

मसअला :– औरत पूरे या चौथाई सर के बाल एक पोरे बराबर कतरे तो दम दे और कम में सदका(मुनसक)

मसअला :– बाल मुंडा कर पछने लिये तो दम है वरना सदका (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– आँख में बाल निकल आये तो उनके उखाड़ने में सदका नहीं। (मुनसक)

4. नाख़ून कतरना

मसअला :– एक हाथ एक पाँव के पाँचों नाख़ून काटे या बीसों एक साथ काटे तो एक दम है और अगर किसी हाथ या पाँव के पूरे पाँच न काटे तो हर नाख़ून पर एक सदका यहाँ तक कि अगर चारों हाथ–पाँव के चार–चार–कतरे तो सोलह सदके दे मगर यह कि सदकों की कीमत एक दम के बराबर हो जाये तो कुछ कम कर ले या दम दे और अगर एक हाथ या पाँव के पाँचों एक जलसे (बार) में और दूसरे के पाँचों दूसरे जलसे (बार) में काटे तो दो दम लाज़िम हैं और चारों हाथ –पाँव के चार जलसों (बार)में काटे तो चार दम हैं। (आलमगीरी)

मसअला :– कोई नाख़ून टूट गया कि बढ़ने के काबिल न रहा उसका बकिया उसने काट लिया तो कुछ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– एक ही जलसे (बार) में एक हाथ के पाँचों नाख़ून तराशे और चौथाई सर मुंडाया और किसी उज़्व पर ख़ुश्बू लगाई तो हर एक पर एक–एक दम यानी तीन दम वाजिब हैं। (आलमगीरी)

मसअला :– मुहरिम ने दूसरे के नाख़ून तराशे तो वही हुक्म है जो दूसरे के बाल मूंडने का है। (मुनसक)

मसअला :– चाकू और नाख़ूनगीर से तराशना और दाँत से ख़ुटकना सब का एक हुक्म है।

5. बोस व कनार वग़ैरा

मसअला :– मुबाशरते फ़ाहिशा यानी शौहर या मालिक का अपने ज़कर (लिंग)को जिमा की ख़्वाहिश की हालत में कपड़ा हटा कर बीवी या लौंडी की शर्मगाह से सिर्फ़ लगाने और शहवत के साथ चूमने और गोद में लेने और बदन छूने में दम है अगर्चे मनी न निकले और बिला शहवत में कुछ नहीं यह अफ़आल(काम)औरत के साथ हों या मर्द के साथ दोनों का एक हुक्म है।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मर्द के इन अफ़आल से औरत को लज़्ज़त आये तो वह भी दम दे।(जौहरा)

मसअला :– अन्दामे निहानी यानी शर्मगाह पर निगाह करने से कुछ नहीं अगर्चे मनी निकल जाये अगर्चे बार–बार निगाह की हो यूँही ख़्याल जमाने से भी कुछ नहीं (रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअला :– जिल्क यानी हाथ से मनी निकालने में अगर मनी निकल जाये तो दम दे वरना मकरूह है और एहतिलाम से कुछ नहीं। (आलमगीरी)

नोट :– हाथ से मनी निकालना किसी भी हालत में सख़्त हराम है और इबादत के मौके पर तो और ज़्यादा हराम है।

6. जिमाअ (हमबिस्तरी)

मसअला :– वुकूफ़े अरफ़ा से पहले जिमाअ किया तो हज फ़ासिद हो गया उसे हज की तरह पूरा

करके दम दे और आने वाले पहले ही साल में उसकी क़ज़ा कर ले। औरत भी हज के एहराम में थी तो उस पर भी यही लाज़िम है और अगर इस बला में फिर पड़ जाने का ख़ौफ़ हो तो मुनासिब है कि क़ज़ा के एहराम से ख़त्म तक दोनों ऐसे जुदा रहें कि एक दूसरे का न देखें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वुकूफ़ के बाद जिमाअ् से हज तो न जायेगा मगर हल्क़ व तवाफ़ से पहले किया तो बदना दे और हल्क़ के बाद किया तो दम दे और बेहतर अब भी बदना है और हल्क़ व तवाफ़ दोनों के बाद किया तो कुछ नहीं, तवाफ़ से मुराद अकसर है यानी चार फेरे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़स्दन जिमाअ् हो या भूले से या सोते में या ज़बरदस्ती सब का एक हुक्म है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– वुकूफ़ से पहले औरत से ऐसे बच्चे ने वती (जिमाअ्)की जिसका मिस्ल जिमाअ् करता है या मजनू (पागल)ने जिमाअ् की तो औरत का हज फ़ासिद हो जायेगा यूँही मर्द ने मुश्तहात लड़की या मजनू (पगली) से वती की हज फ़ासिद हो गया मगर बच्चा और मजनून पर न दम वाजिब है न क़ज़ा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वुकूफ़े अ़रफ़ा से पहले चन्द बार जिमाअ् किया अगर एक ही मजलिस में है तो एक दम वाजिब है और दो मुख़तलिफ़ मजलिसों में जिमाअ् किया तो दो दम वाजिब हैं और अगर दूसरी बार एहराम तोड़ने के क़स्द से जिमाअ् किया तो बहर हाल एक ही दम वाजिब है चाहे एक ही मजलिस में हो या कई मजलिसों में। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वुकूफ़े अ़रफ़ा के बाद सर मुंडाने से पहले चन्द बार जिमाअ् किया अगर एक मजलिस में है तो एक बदना और दो मजलिसों में है तो एक बदना और एक दम, और अगर दूसरी बार एहराम तोड़ने के इरादे से जिमाअ् किया तो इस बार कुछ नहीं। (रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर या मुर्दा या बहुत छोटी लड़की से जिमाअ् किया तो हज फ़ासिद न होगा इन्ज़ाल हो या नहीं मगर इन्ज़ाल हुआ तो दम लाज़िम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत ने जानवर से वती कराई या किसी आदमी या जानवर का कटा हुआ आला अपनी शर्मगाह के अन्दर रख लिया तो हज फ़ासिद हो गया। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– उ़मरा में चार फेरे से क़ब्ल जिमाअ् किया उ़मरा जाता रहा दम दे और उ़मरा की क़ज़ा दे और चार फेरों के बाद किया तो दम दे उ़मरा सही है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उ़मरा करने वाले ने चन्द बार कई मजलिसों में जिमाअ् किया तो हर बार दम वाजिब है और तवाफ़ व सई के बाद हल्क़ से पहले किया जब भी दम वाजिब है और हल्क़ के बाद तो कुछ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़िरान वाले ने उ़मरा के तवाफ़ से पहले जिमाअ् किया तो हज व उ़मरा दोनों फ़ासिद हो गये मगर दोनों के तमाम अफ़आल बजा लाये(पूरा करे) और दो दम दे और आइन्दा साल हज व उ़मरा करे और अगर उ़मरा का तवाफ़ कर चुका है और वुकूफ़े अ़रफ़ा से पहले जिमाअ् किया तो उ़मरा फ़ासिद न हुआ हज फ़ासिद हो गया दो दम दे और आइन्दा साल हज की क़ज़ा दे और अगर वुकूफ़ के बाद जिमाअ् किया तो न हज फ़ासिद हुआ न उ़मरा एक बदना और एक दम दे और कुर्बानी। (मुनसक)

मसअ्ला :– हज फ़ासिद होने के बाद दूसरे हज का एहराम उसी साल बाँधा तो दूसरा नहीं है बल्कि वही है जिसे उस ने फ़ासिद कर दिया इस तरकीब से आइन्दा साल की क़ज़ा से नहीं बच सकता। (रद्दुल मुहतार)

7. तवाफ़ में ग़लतियाँ

मसअला :– तवाफ़ फ़र्ज़ कुल या अकसर यानी चार फेरे जनाबत (नापाकी)या हैज़ व निफ़ास में किया तो बदना है और–बे वुज़ू किया तो दम है और पहली सूरत में तहारत (पाकी)के साथ इआ़दा यानी फिर से तवाफ़ करना वाजिब है और अगर मक्का से चला गया हो तो वापस आकर इआ़दा करे अगर्चे मीक़ात से भी आगे बढ़ गया हो मगर बारहवीं तारीख़ तक अगर कामिल तौर पर इआ़दा कर लिया तो जुर्माना साक़ित हो गया और बारहवीं के बाद किया तो दम लाज़िम है बदना साक़ित हो गया लिहाज़ा अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बारहवीं के बाद किया है तो बदना साक़ित न होगा कि बारहवीं तो गुज़र गई और अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बे–वुज़ू किया था तो इआ़दा मुस्तहब है फिर इआ़दा से दम साक़ित हो गया अगर्चे बारहवीं के बाद किया हो। (जौहरा, आलमगीरी)

मसअला :– चार फेरे से कम बे तहारत किया तो हर फेरे के बदले सदक़ा और जनाबत (नापाकी)में किया तो दम दे फिर अगर बारहवीं तक इआ़दा कर लिया तो दम साक़ित और बारहवीं के बाद इआ़दा किया तो हर फेरे के बदले एक सदक़ा दे। (आलमगीरी)

मसअला :– तवाफ़े फ़र्ज़ कुल या अकसर बिला उ़ज़्र चल कर न किया बल्कि सवारी पर या गोद में या घसिट कर या बग़ैर सत्र के किया मसलन औरत की चौथाई कलाई या चौथाई सर के बाल खुले थे या उल्टा तवाफ़ किया या हतीम के अन्दर से तवाफ़ में गुज़रा या बारहवीं के बाद किया तो इन सब सूरतों में दम दे और सही तौर पर इआ़दा कर लिया तो दम साक़ित हो गया और बग़ैर इआ़दा किये चला आया तो बकरी या उसकी क़ीमत भेज दे कि हरम में ज़िबह कर दी जाये वापस आने की ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जनाबत में तवाफ़ करके घर चला गया तो फिर से नया एहराम बाँध कर वापस आये और वापस न आया बल्कि बदना भेज दिया तो भी काफ़ी है मगर अफ़ज़ल वापस आना है और बे–वुज़ू किया था तो वापस आना भी जाइज़ है और बेहतर यह है वहीं से बकरी या क़ीमत भेज दे।(आलमगीरी)

मसअला :– तवाफ़े फ़र्ज़ चार फेरे करके चला गया यानी तीन या दो या एक फेरा बाक़ी है तो दम वाजिब है अगर खुद न आया भेज दिया तो काफ़ी है (आलमगीरी)

मसअला :– फ़र्ज़ के सिवा कोई और तवाफ़ कुल या अकसर जनाबत में किया तो दम दे और बे–वुज़ू किया तो सदक़ा और तीन फेरे या इससे से कम जनाबत में किये तो हर फेरे के बदले एक सदक़ा दे फिर अगर मक्कए मुअज़्ज़मा में है तो सब सूरतों में इआ़दा कर ले कफ़्फ़ारा साक़ित हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअला :– तवाफ़े रुख़सत कुल या अक्सर तर्क किया (छोड़ दिया)तो दम लाज़िम है और चार फेरों से कम छोड़ा तो हर फेरे के बदले में एक सदक़ा दे और तवाफ़े कुदूम छोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर बुरा किया और तवाफ़े उ़मरा का एक फेरा भी तर्क करेगा तो दम लाज़िम होगा और बिल्कुल न किया या अकसर तर्क किया तो कफ़्फ़ारा नहीं बल्कि उसका अदा करना लाज़िम है। (मुनसक)

मसअला :– क़ारिन ने तवाफ़े कुदूम व तवाफ़े उ़मरा दोनों बे–वुज़ू किये तो दसवीं से पहले तवाफ़े उ़मरा का इआ़दा करे और अगर इआ़दा न किया यहाँ तक कि दसवीं तारीख़ की फ़ज्र तुलूअ़ हो गई तो दम वाजिब और तवाफ़े फ़र्ज़ में रमल व सई करे। (मुनसक)

मसअ्ला :– नजिस (नापाक) कपड़ों में तवाफ़ मकरूह है कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– तवाफ़े फ़र्ज़ जनाबत में किया था और बारहवीं तक उसका इआदा भी न किया अब तेरहवीं को तवाफ़े रुख़सत तहारत(पाकी) के साथ किया तो यह तवाफ़े रुख़सत तवाफ़े फ़र्ज़ के क़ाइम मक़ाम हो जायेगा और तवाफ़े रुख़सत के छोड़ने और तवाफ़े फ़र्ज़ में देर करने की वजह से उस पर दो दम लाज़िम हैं और अगर बारहवीं को तवाफ़े रुख़सत किया है तो यह तवाफ़े फ़र्ज़ की जगह होगा और चूँकि तवाफ़े रुख़सत न किया लिहाज़ा एक दम लाज़िम है और अगर तवाफ़े रुख़सत दोबारा कर लिया तो यह दम भी साक़ित हो गया और अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बे–वुज़ू किया था और यह तवाफ़ बा–वुज़ू तो एक दम है और अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बे–वुज़ू किया था और तवाफ़े रुख़सत जनाबत में तो दो दम हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तवाफ़े फ़र्ज़ के तीन फेरे किये और तवाफ़े रुख़सत पूरा किया तो इसमें के चार फेरे तवाफ़े फ़र्ज़ में शुमार हो जायेंगे और दो दम लाज़िम होंगे एक तवाफ़े फ़र्ज़ में देर करने का दूसरा तवाफ़े रुख़सत के चार फेरे छोड़ने का और अगर हर एक के तीन–तीन फेरे किये तो कुल फ़र्ज़ में शुमार होंगे और दो दम वाजिब होंगे। (आलमगीरी) इस मसअ्ला में फ़ुरूअ् बहुत हैं मसअ्ला के बढ़ जाने के ख़ौफ़ से ज़िक्र न किये।

8.सई में ग़लतियाँ

मसअ्ला :– सई के चार फेरे या ज़्यादा बिला उज़्र छोड़ दिये या सवारी पर किये तो दम दे और हज हो गया और चार से कम में हर फेरे के बदले सदक़ा दे और इआदा कर लिया तो दम व सदक़ा साक़ित हो गये और उज़्र के सबब ऐसा हुआ तो माफ़ है यही हर वाजिब का हुक्म है कि सही उज़्र से तर्क कर सकता है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तवाफ़ से पहले सई की और इआदा न किया तो दम दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जनाबत में या बे–वुज़ू तवाफ़ करके सई की तो सई के इआदा की हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सई में एहराम या ज़मानए हज शर्त नहीं,न की हो तो जब चाहे कर ले अदा हो जाएगी।(जौहरा)

9. वुक़ूफ़े अ़रफ़ा में ग़लती

मसअ्ला :– जो शख़्स ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले अ़रफ़ात से चला गया दम दे फिर अगर ग़ुरूब से पहले वापस आया तो दम साक़ित हो गया और ग़ुरूब के बाद वापस हुआ तो दम साक़ित नहीं हुआ और अ़रफ़ात से चला आना चाहे इख़्तियार से हो या बिला इख़्तियार मसलन ऊँट पर सवार था वह उसे ले भागा दोनों सूरत में दम है। (आलमगीरी, जौहरा)

10.वुक़ूफ़े मुज़दलेफ़ा में ग़लती

मसअ्ला :– दसवीं की सुबह को मुज़दलेफ़ा में बिला उज़्र वुक़ूफ़ न किया तो दम दे हाँ कमज़ोर या औरत भीड़ के ख़ौफ़ से वुक़ूफ़ तर्क करे तो जुर्माना नहीं।(जौहरा)

11.रमी की ग़लतियाँ

मसअ्ला :– किसी दिन भी रमी नहीं की या एक दिन की बिल्कुल या अकसर तर्क कर दी मसलन दसवीं को तीन कंकरियाँ तक मारी या ग्यारहवीं वग़ैरा को दस कंकरियाँ तक मारीं या किसी दिन की बिल्कुल या अकसर रमी दूसरे दिन की तो इन सब सूरतों में दम है और अगर किसी दिन की

आधी से कम छोड़ीं मसलन दसवीं को चार कंकरियाँ मारीं,तीन छोड़ दीं या और दिनों की ग्यारह मारीं दस छोड़ दीं या दूसरे दिन रमी की तो हर कंकरी पर एक सदका दे और अगर सदकों की कीमत दम के बराबर हो जाये तो कुछ कम कर दे। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

12.कुर्बानी और हल्क़ में ग़लतियाँ

मसअला :– हरम में हल्क़ न किया हुदूदे हरम से बाहर किया या बारहवीं के बाद किया या रमी से पहले किया या क़ारिन व मुतमत्तेअ़ ने कुर्बानी से पहले हल्क़ किया या इन दोनों ने रमी से पहले कुर्बानी की तो इन सब सूरतों में दम है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– उमरा का हल्क़ भी हरम ही में होना ज़रूरी है इसका हल्क़ भी हरम से बाहर हुआ तो दम है मगर इसमें वक़्त की शर्त नहीं ज़िन्दगी में जब चाहे दम दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– हज करने वाले ने बारहवीं के बाद हरम से बाहर सर मुंडाया तो दो दम है एक हरम से बाहर हल्क़ करने का दूसरा बारहवीं के बाद होने का। (रद्दुलमुहतार)

13.शिकार करना

मसअला :– खुश्की का वहशी जानवर यानी वह जानवर जो इन्सानों से डरकर भागते हों जैसे हिरन वग़ैरा का शिकार करना या उस की तरफ़ शिकार करने को इशारा करना या और किसी तरह बताना यह सब काम हराम हैं और सब में कफ़्फ़ारा वाजिब है अगर्चे उसके खाने में मुज़्तर (मजबूर) हो यानी भूक से मरा जाता हो और कफ़्फ़ारा उसकी कीमत है यानी दो आ़दिल वहाँ के हिसाब से जो कीमत बता दें वह देनी होगी और अगर वहाँ उसकी कोई कीमत न हो तो वहाँ से क़रीब जगह में जो कीमत हो वह है और अगर एक ही आ़दिल ने बता दिया जब भी काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– पानी के जानवर का शिकार करना जाइज़ है पानी के जानवर से मुराद वह जानवर है जो पानी में पैदा हुआ हो अगर्चे खुश्की में भी कभी–कभी रहता हो और खुश्की का जानवर वह है जिसकी पैदाइश खुश्की की हो अगर्चे पानी में रहता (मुनसक)

मसअला :– शिकार की कीमत में इख़्तियार है कि उससे भेड़ बकरी वग़ैरा अगर ख़रीद सकता है तो ख़रीद कर हरम में ज़िबह करके फ़ुक़रा (फ़क़ीरों) को तक़सीम कर दे या उसका ग़ल्ला ख़रीद कर मिस्कीनों पर सदका कर दे इतना–इतना कि हर मिस्कीन को सदकए फ़ित्र की क़द्र पहुँचे और यह भी हो सकता है कि उस कीमत के ग़ल्ले में जितने सदके हो सकते हों हर सदका के बदले एक रोज़ा रखे और अगर कुछ ग़ल्ला बच जाये जो पूरा सदका नहीं तो इख़्तियार है वह किसी मिस्कीन को दे दे या उसके बदले एक रोज़ा रखे और अगर पूरी कीमत एक सदका के लाइक़ भी नहीं तो भी इख़्तियार है कि उतने का ग़ल्ला ख़रीद कर एक मिस्कीन को दे दे या उसके बदले एक रोज़ा रखे। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– कफ़्फ़ारा का जानवर हरम के बाहर ज़िबह किया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ और अगर उस में से खुद भी खा लिया तो उतने का तावान (दण्ड) दे और अगर इस कफ़्फ़रा के गोश्त को एक मिस्कीन पर सदका किया जब भी जाइज़ है यूँही तावान की कीमत भी एक मिस्कीन को दे सकता है और अगर जानवर को हरम से बाहर ज़िबह किया और उसका गोश्त उतनी कीमत का है जितनी कीमत का ग़ल्ला ख़रीदा जाता तो अदा हो गया। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कफ़्फ़ारा का जानवर चोरी गया या ज़िन्दा जानवर ही सदक़ा कर दिया तो नाकाफ़ी है और अगर ज़िबह कर दिया और गोश्त चोरी हो गया तो अदा हो गया। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़ीमत का ग़ल्ला सदक़ा करने की सूरत में हर मिस्कीन को सदक़ा की मिक़दार देना ज़रूरी है कम व बेश देगा तो अदा न होगा कम–कम दिया तो कुल नफ़्ल सदक़ा है और ज़्यादा–ज़्यादा दिया तो एक सदक़ा से जितना ज़्यादा दिया नफ़्ल सदक़ा है यह उस सूरत में है कि एक ही दिन में दिया हो और अगर कई दिन में दिया और हर रोज़ पूरा सदक़ा तो यूँ एक मिस्कीन को कई सदक़े दे सकता है और यह भी हो सकता है कि हर मिस्कीन को एक–एक सदक़ा की क़ीमत दे दे। (रद्दुल मुहतार दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुहरिम ने जंगल के जानवर को ज़िबह किया तो हलाल न हुआ बल्कि मुर्दार है तो ज़िबह करने के बाद उसे खा भी लिया तो अगर कफ़्फ़ारा देने के बाद खाया तो अब फिर खाने का कफ़्फ़ारा दे और अगर नहीं दिया था तो एक ही कफ़्फ़ारा काफ़ी है। (जौहरा)

मसअला :– जितनी क़ीमत उस शिकार की तजवीज़ हुई (बताई गई)उसका जानवर ख़रीद कर ज़िबह किया और क़ीमत में से बच रहा तो बक़िया का ग़ल्ला ख़रीद कर सदक़ा करे या हर सदक़े के बदले एक रोज़ा रखे या कुछ रोज़े रखे कुछ सदक़ा दे सब जाइज़ है यूँही अगर वह क़ीमत दो जानवरों के ख़रीदने के लाइक़ है तो चाहे दो जानवर ज़िबह करे या एक ज़िबह करे और एक के बदले का सदक़ा दे या रोज़े रखे हर तरह का इख़्तियार है। (आलमगीरी)

मसअला :– एहराम वाले ने हरम का जानवर शिकार किया तो उसका भी यही हुक्म है हरम की वजह से दोहरा कफ़्फ़ारा वाजिब न होगा और अगर बग़ैर एहराम के हरम में शिकार किया तो उसका भी वही कफ़्फ़ारा है जो मुहरिम के लिये है मगर इसमें रोज़ा काफ़ी नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– जंगल के जानवर से मुराद वह है जो ख़ुश्की में पैदा होता है अगर्चे पानी में रहता हो लिहाज़ा मुर्ग़ाबी और वहशी बतख़ का शिकार करने का भी यही हुक्म है और पानी का जानवर वह है जिसकी पैदाइश पानी में होती है अगर्चे कभी–कभी ख़ुश्की में रहता हो घरेलू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी अगर जंगल में रहने के सबब इन्सान से वहशत करें तो वहशी नहीं और वहशी जानवर किसी ने पाल लिया तो अब भी जंगल ही का जानवर शुमार किया जायेगा अगर पालतू हिरन शिकार किया तो उसका भी वही हुक्म है जंगल का जानवर अगर किसी की मिल्क हो जाये मसलन पकड़ लाया या पकड़ने वाले से मोल लिया तो उसके शिकार करने का भी वही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअला :– हराम और हलाल जानवर दोनों के शिकार का एक हुक्म है मगर हराम जानवर के क़त्ल करने में कफ़्फ़ारा एक बकरी से ज़्यादा नहीं है अगर्चे उस जानवर की क़ीमत एक बकरी से बहुत ज़्यादा हो मसलन हाथी को क़त्ल किया तो सिर्फ़ एक बकरी कफ़्फ़ारे में वाजिब है।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सिखाया हुआ जानवर क़त्ल किया तो कफ़्फ़ारा में वही क़ीमत वाजिब है जो बे–सिखाये की है अलबत्ता अगर वह किसी की मिल्क है तो कफ़्फ़ारे के अलावा उसके मालिक को सिखाये हुए की क़ीमत दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कफ़्फ़ारा लाज़िम आने के लिए क़स्दन क़त्ल करना शर्त नहीं भूल–चूक से क़त्ल हुआ जब भी कफ़्फ़ारा है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जानवर को ज़ख़्मी कर दिया मगर मरा नहीं या उसके बाल या पर नोचे या कोई उ़ज़्व काट डाला तो इसकी वजह से जो कुछ उस जानवर में कमी हुई वह कफ़्फ़ारा है और अगर ज़ख़्म की वजह से मर गया तो पूरी क़ीमत वाजिब है। (आ़म्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ज़ख़्म खाकर भाग गया और मालूम है कि मर गया या मालूम नहीं कि मर गया या ज़िन्दा है तो क़ीमत वाजिब है और अगर मालूम है कि मर गया मगर इस ज़ख़्म के सबब से नहीं बल्कि किसी और सबब से मरा तो ज़ख़्म की जज़ा (बदला) दे और बिल्कुल अच्छा हो गया जब भी कफ़्फ़ारा साक़ित न होगा। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– जानवर को ज़ख़्मी किया फिर उसे क़त्ल कर डाला तो ज़ख़्म व क़त्ल दोनों का अलग–अलग कफ़्फ़ारा दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर जाल में फँसा हुआ था या किसी दरिन्दे ने उसे पकड़ा था इसने छुड़ाना चाहा तो अगर मर भी जाये जब भी कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– परिन्द के पर नोच डाले कि उड़ न सके या चौपाया के हाथ–पाँव काट डाले कि भाग न सके तो पूरे जानवर की क़ीमत वाजिब है और अन्डा तोड़ा या भूना तो उसकी क़ीमत दे मगर जबकि गन्दा हो तो कुछ वाजिब नहीं अगर्चे उसका छिलका क़ीमती हो जैसे शुतुरमुर्ग का अन्डा कि लोग उसे ख़रीद कर ब–त़ौरे नुमाइश रखते हैं अगर्चे गन्दा हो। अन्डा तोड़ा उसमें से बच्चा मरा हुआ निकला तो बच्चे की क़ीमत दे और जंगल के जानवर का दूध दूहा तो दूध की क़ीमत दे और बाल कतरे तो बालों की क़ीमत दे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– परिन्द के पर नोच डाले या चौपाया के हाथ–पाँव काट डाले फिर कफ़्फ़ारा देने से पहले उसे क़त्ल कर डाला तो एक ही कफ़्फ़ारा अदा करने के बाद क़त्ल किया तो दो कफ़्फ़ारे हैं एक ज़ख़्म वग़ैरा का दूसरा क़त्ल का और अगर ज़ख़्मी किया फिर वह जानवर ज़ख़्म के सबब मर गया तो एक ही कफ़्फ़ारा है चाहे मरने से पहले दिया हो या बाद में। (मुनसक, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जंगल के जानवर का अन्डा भूना या दूध दूहा और कफ़्फ़ारा अदा कर दिया तो अब उसका खाना ह़राम नहीं और बेचना भी जाइज़ है मगर मकरूह है और जानवर का कफ़्फ़ारा दिया और खाया तो फिर कफ़्फ़ारा दे और दूसरे मुह़रिम ने खा लिया तो उस पर कफ़्फ़ारा नहीं अगर्चे खाना ह़राम था कि वह मुर्दार है। (जौहरा, रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– जंगल के जानवर का अन्डा उठा लाया और मुर्ग़ी के नीचे रख दिया अगर गन्दा हो गया तो उसकी क़ीमत दे और उससे बच्चा निकला और बड़ा होकर उड़ गया तो कुछ नहीं और अगर अन्डे पर से जानवर को उड़ा दिया और अन्डा गन्दा हो गया तो कफ़्फ़ारा वाजिब है। (मुनसक)

मसअ्ला :– हिरनी को मारा उसके पेट में बच्चा था वह मरा हुआ गिरा तो उस बच्चे की क़ीमत का कफ़्फ़ारा दे और हिरनी बाद को मर गई तो उसकी क़ीमत भी दे और अगर न मरी तो उसकी वजह से जितना उसमें नुक़सान आया वह कफ़्फ़ारा में दे और अगर बच्चा नहीं मरा मगर हिरनी मर गई तो ह़ालते ह़मल में जो उसकी क़ीमत थी वह दे। (जौहरा)

मसअ्ला :– कौआ, चील, भेड़िया, बिच्छू, साँप, घूँस, छछूँदर, कटखना कुत्ता, पिस्सू, मच्छर, किल्ली, कछुआ, केकड़ा, पतिंगा, काटने वाली चींटी, मक्खी छिपकली, बर और तमाम ह़शरातुल अर्द (ज़मीनी

कीड़े मकोड़े) बिज्जू, लोमड़ी, गीदड़ जबकि यह दरिन्दे हमला करें या जो दरिन्दे ऐसे हों जिनकी आदत अकसर पहले हमला करने की होती है जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, इन सबके मारने में कुछ नहीं यूँही पानी के तमाम जानवरों के क़त्ल में कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– हिरन व बकरी से बच्चा पैदा हुआ तो उसके क़त्ल में कुछ नहीं, हिरनी और बकरे से बच्चा पैदा हुआ तो कफ़्फ़ारा वाजिब। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ग़ैर मुहरिम ने शिकार किया तो मुहरिम उसे खा सकता है अगर्चे उसने इसी मुहरिम के लिए किया हो जबकि इस मुहरिम ने न उसे बताया न हुक्म किया न किसी और तरह उस काम में मदद की हो और यह शर्त भी है कि हरम से बाहर उसे ज़िबह किया हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बताने वाले, इशारा करने वाले पर कफ़्फ़ारा उस वक़्त लाज़िम है कि(1)जिसे बताया वह उसकी बात झूटी न जाने(2)और बे उसके बताये वह जानता भी न हो (3)और उसके बताने पर फ़ौरन उसने मार भी डाला हो (4)और वह जानवर वहाँ से भाग न गया हो (5)और यह बताने वाला जानवर के मारे जाने तक एहराम में हो अगर इन पाँचों शर्तो में एक न पाई जाये तो कफ़्फ़ारा नहीं,रहा गुनाह वह हर हाल में है। (दुर्रे मुख़्तार,जौहरा)

मसअ्ला :– एक मुहरिम ने किसी को शिकार का पता दिया मगर उसने न उसे सच्चा जाना न झूटा फिर दूसरे ने ख़बर दी अब उसने शिकार को ढूँढा और जानवर को मारा तो दोनों बताने वालों पर कफ़्फ़ारा है और अगर पहले को झूटा समझा तो सिर्फ़ दूसरे पर है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुहरिम ने शिकार का हुक्म दिया तो कफ़्फ़ारा बहरहाल लाज़िम है अगर्चे जानवर खुद मारने वाले के इल्म में है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक मुहरिम ने दूसरे मुहरिम को शिकार करने का हुक्म दिया और दूसरे ने खुद न किया बल्कि उसने तीसरे मुहरिम को हुक्म दिया अब तीसरे ने शिकार किया तो पहले पर कफ़्फ़ारा नहीं और दूसरे और तीसरे पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है और अगर पहले ने दूसरे से कहा कि तू फ़लाँ को शिकार का हुक्म दे और उसने हुक्म दिया तो तीनों पर जुर्माना लाज़िम है। (मुनसक)

मसअ्ला :– ग़ैर मुहरिम ने मुहरिम को शिकार बताया या हुक्म किया तो गुनाहगार हुआ, तोबा करे उस ग़ैर मुहरिम पर कफ़्फ़ारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुहरिम ने जिसे बताया वह मुहरिम हो या न हो बहरहाल बताने वाले मुहरिम पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कई शख़्सों ने मिलकर शिकार किया तो सब पर पूरा–पूरा कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– टिड्डी भी खुश्की का जानवर है उसे मारे तो कफ़्फ़ारा दे और एक खजूर काफी है। (जौहरा)

मसअ्ला :– मुहरिम ने जंगल का जानवर ख़रीदा या बेचा तो बैअ् (ख़रीदना–बेचना)बातिल है फिर बाए (बेचने वाले)और मुश्तरी (ख़रीदने वाले)दोनों मुहरिम हैं और जानवर हलाक हुआ तो दोनों पर कफ़्फ़ारा है यह हुक्म उस वक़्त है कि एहराम की हालत में पकड़ा और एहराम ही में बेचा और अगर पकड़ने के वक़्त मुहरिम न था और बेचने के वक़्त है तो बैअ् फ़ासिद है और अगर पकड़ने के वक़्त मुहरिम था और बेचने के वक़्त नहीं है तो बैअ् जाइज़ है। (जौहरा)ग़ैर मुहरिम ने ग़ैर मुहरिम के हाथ जंगल का जानवर बेचा और मुश्तरी ने अभी क़ब्ज़ा न किया था कि दोनों में से एक ने एहराम बाँध लिया तो अब वह बैअ् बातिल हो गई। (जौहरा)

मसअला :– एहराम बाँधा और उसके हाथ में जंगल का जानवर है तो हुक्म है कि छोड़ दे और न छोड़ा यहाँ तक कि मर गया तो ज़मान (दण्ड)दे मगर छोड़ने से उसकी मिल्क से नहीं निकलता जबकि एहराम से पहले पकड़ा था और यह भी शर्त है कि हरम के बाहर पकड़ा हो लिहाज़ा अगर उसे किसी ने पकड़ लिया तो मालिक उससे ले सकता है जबकि एहराम से निकल चुका हो और अगर किसी और ने उसके हाथ से छुड़ा दिया तो यह छुड़ाने वाला तावान दे और अगर जानवर उसके घर है तो कुछ मुज़ाइक़ा (हरज) नहीं या पास ही है मगर पिंजरे में है तो जब तक हरम से बाहर है छोड़ना ज़रूरी नहीं लिहाज़ा अगर मर गया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (जौहरा, आलमगीरी)

मसअला :– मुहरिम ने जानवर पकड़ा तो उसकी मिल्क न हुआ हुक्म है कि छोड़ दे अगर्चे पिंजरे में हो या घर पर हो और उसे कोई पकड़ ले तो एहराम के बाद उस से नहीं ले सकता और अगर किसी दूसरे ने छोड़ दिया तो उस से तावान नहीं ले सकता और दूसरे मुहरिम ने मार डाला तो दोनों पर कफ़्फ़ारा है मगर पकड़ने वाले ने जो कफ़्फ़ारा दिया है वह मारने वाले से वुसूल कर सकता है (जौहरा, आलमगीरी)

मसअला :– मुहरिम ने जंगल का जानवर पकड़ा तो उस पर लाज़िम है कि जंगल में या किसी ऐसी जगह छोड़े जहाँ वह पनाह ले सके अगर शहर में लाकर छोड़ा जहाँ उसे पकड़ने का अन्देशा है तो जुर्माना देना होगा। (मुनसक)

मसअला :– किसी ने ऐसी जगह शिकार देखा कि मारने के लिए तीर कमान, गुलैल, बन्दूक़ वग़ैरा की ज़रूरत है और मुहरिम ने यह चीज़ें उसे दीं तो उस मुहरिम पर पूरा कफ़्फ़ारा लाज़िम है और शिकार ज़िबह करना है इसके पास ज़िबह करने की चीज़ नहीं मुहरिम ने छुरी दी तो कफ़्फ़ारा है और अगर इसके पास ज़िबह करने की चीज़ है और मुहरिम ने छुरी दी तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर कराहत है। (आलमगीरी)

मसअला :– मुहरिम ने जानवर पर अपना कुत्ता या सिखाया हुआ बाज़ छोड़ा उसने शिकार को मार डाला तो कफ़्फ़ारा वाजिब और अगर एहराम की वजह से शरीअत के हुक्म की तामील के लिए बाज़ छोड़ दिया उस ने जानवर को मार डाला या सुखाने के लिए जाल फैलाया उसमें जानवर फँस कर मर गया या कुँआ खोदा था उसमें गिर कर मरा तो इन सूरतों में कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)

14. हरम के जानवर को ईज़ा देना

मसअला :– हरम के जानवर को शिकार करना या उसे किसी तरह ईज़ा (तकलीफ़)देना सब को हराम है। मुहरिम और ग़ैर मुहरिम दोनों इस हुक्म में बराबर हैं ग़ैर मुहरिम ने हरम के जंगल का जानवर ज़िबह किया तो उसकी क़ीमत वाजिब है। और उस क़ीमत के बदले रोज़ा नहीं रख सकता और मुहरिम है तो रोज़ा भी रख सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुहरिम ने अगर हरम का जानवर मारा तो एक ही कफ़्फ़ारा वाजिब होगा दो नहीं और अगर वह जानवर किसी का है तो मालिक को उसकी क़ीमत भी दे फिर अगर सिखाया हुआ हो मसलन तोती तो मालिक को वह क़ीमत दे जो सीखे हुए की है और कफ़्फ़ारा में बे–सिखाए हुए की क़ीमत दे। (मुनसक)

मसअला :– जो हरम में दाखिल हुआ और उसके पास कोई वहशी जानवर हो अगर्चे पिंजरे में हो

तो हुक्म है कि उसे छोड़ दे फिर अगर वह शिकारी जानवर बाज़, शिकरा, बहरी वग़ैरा है और उसने शरीअ़त के इस हुक्म पर अ़मल करने के लिए उसे छोड़ा उस जानवर ने खुद शिकार किया तो उसके ज़िम्मे तावान नहीं और शिकार पर छोड़ा तो तावान है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे का वहशी जानवर ग़सब करके हरम में लाया तो वाजिब है कि छोड़ दे और मालिक को क़ीमत दे और न छोड़ा बल्कि मालिक को वापस दिया तो तावान दे। ग़सब के बाद एहराम बाँधा जब भी यही हुक्म है। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– दो ग़ैर मुहरिम ने हरम के जानवर को एक ज़र्ब में मार डाला तो दोनों आधी–आधी क़ीमत दें यूँही अगर बहुत से लोगों ने मारा तो सब पर वह क़ीमत तक़सीम हो जायेगी और अगर उनमें कोई मुहरिम भी है तो अ़लावा उसके जो मुहरिम के हिस्से में पड़ा अलग से पूरी क़ीमत भी कफ़्फ़ारा में दे और एक ने पहले ज़र्ब लगाई फिर दूसरे ने लगाई तो हर एक की ज़र्ब से उसकी क़ीमत में जो कमी हुई वह दे फिर बाक़ी क़ीमत दोनों पर तक़सीम हो जायेगी इस बक़िया का आधा–आधा दोनों दें। (आलमगीरी,मुनसक)

मसअ्ला :– एक ने हरम का जानवर पकड़ा दूसरे ने मार डाला तो दोनों पूरी पूरी क़ीमत दें और पकड़ने वाले को इख़्तियार है कि दूसरे से तावान वुसूल कर ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– चन्द शख़्स मुहरिम मक्का के किसी मकान में ठहरे उस मकान में कबूतर रहते थे सब ने एक से कहा दरवाज़ा बन्द कर दे उसने दरवाज़ा बन्द कर दिया और सब मिना को चले गये वापस आये तो कबूतर प्यास से मरे हुए मिले तो सब पूरा–पूरा कफ़्फ़ारा दें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर का कुछ हिस्सा हरम में हो और कुछ बाहर तो अगर खड़ा हो और उसके सब पाँव हरम में हों या एक ही पाँव हरम में हो तो वह हरम का जानवर है उस को मारना हराम है अगर्चे सर हरम से बाहर है और अगर सिर्फ़ सर हरम में है और पाँव सब के सब बाहर तो क़त्ल पर जुर्माना लाज़िम नहीं और अगर लेटा सोया है और कोई हिस्सा भी हरम से बाहर था इसने तीर छोड़ा वह जानवर भागा और तीर उसे उस वक़्त लगा कि हरम में पहुँच गया था तो जुर्माना लाज़िम और अगर तीर लगने के बाद भाग कर हरम में गया और वहीं मर गया तो जुर्माना नहीं मगर उसका खाना हलाल नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जानवर हरम में नहीं मगर यह शिकार करने वाला हरम में है और हरम ही से तीर छोड़ा तो जुर्माना वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर और शिकारी दोनों हरम से बाहर हैं मगर तीर हरम से होता गुज़रा तो इसमें भी बाज़ उ़लमा तावान वाजिब करते हैं दुर्रे मुख़्तार में यही लिखा है मगर बहरुर्राइक़ व लुबाब में तसरीह है कि इसमें तावान नहीं और अ़ल्लामा शामी ने फ़रमाया कलामे उ़लमा से यह साबित। कुत्ता या बाज़ वग़ैरा शिकारी जानवर छोड़ा और हरम से होता हुआ गुज़रा उसका भी यही हुक्म है।

मसअ्ला :– जानवर हरम से बाहर था उस पर कुत्ता छोड़ा और कुत्ते ने हरम में जाकर पकड़ा तो उस पर तावान नहीं। मगर शिकार न खाया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– घोड़े वग़ैरा किसी जानवर पर सवार जा रहा था या उसे हांकता या खींचता लिये जा रहा था उसके जानवर के हाथ–पाँव से कोई जानवर दब कर मर गया या उसके जानवर ने किसी

जानवर को दाँत से काटा और वह जानवर मर गया तो जानवर वाला तावान दे। (आलमगीरी)

मसअला :– भेड़िया पर कुत्ता छोड़ा उसने जाकर शिकार पकड़ा या भेड़िया पकड़ने के लिए जाल ताना उसमें शिकार फँस गया तो दोनों सूरतों में तावान कुछ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– जानवर को भगाया वह कुँए में गिर पड़ा या फिसल कर गिरा और मर गया या किसी चीज़ की ठोकर लगी वह मर गया तो तावान दे। (आलमगीरी)

मसअला :– हरम का जानवर पकड़ लाया और उसे हरम के बाहर छोड़ दिया अब किसी ने मार डाला तो पकड़ने वाले पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है और अगर किसी ने न भी मारा तो जब तक अमन के साथ हरम की ज़मीन में पहुँच जाना मालूम न हो कफ़्फ़ारा से बरी न होगा। (मुनसक)

मसअला :– जानवर हरम से बाहर था और उसका बहुत छोटा बच्चा हरम के अन्दर ग़ैर मुहरिम ने उस जानवर को मारा तो उसका कफ़्फ़ारा नहीं मगर बच्चा भूक से मर जायेगा तो बच्चे का कफ़्फ़ारा देना होगा। (मुनसक)

मसअला :– हिरनी को हरम से निकाला वह बच्चे जनी फिर वह मर गई और बच्चे भी मर गये तो सब का तावान दे और अगर तावान देने के बाद जनी तो बच्चों का तावान लाज़िम नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– परिन्द दरख़्त पर बैठा हुआ है और वह दरख़्त हरम से बाहर है मगर जिस शाख़ पर बैठा है वह हरम में है तो उसे मारना हराम है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

15.हरम के पेड़ काटना

मसअला :– हरम के दरख़्त चार क़िस्म के हैं (1)किसीने उसे बोया है और वह ऐसा दरख़्त है जिसे लोग बोया करते हैं। (2)बोया है मगर उस क़िस्म का नहीं जिसे लोग बोया करते हैं ।(3)किसी ने उसे बोया नहीं मगर दरख़्त उस क़िस्म से है जिसे लोग बोया करते हैं। (4)बोया नहीं न उस क़िस्म से है जिसे लोग बोते हैं । पहली तीन क़िस्मों के काटने वग़ैरा में कुछ तावान नहीं यानी उस पर जुर्माना नहीं। रहा यह कि वह अगर किसी की मिल्क है तो मालिक तावान लेगा चौथी क़िस्म में जुर्माना देना पड़ेगा और किसी की मिल्क है तो मालिक तावान भी लेगा और जुर्माना उसी वक़्त है कि तर हो और टूटा या उखड़ा हुआ न हो। जुर्माना यह है कि उसकी क़ीमत का ग़ल्ला लेकर मिस्कीनों पर सदक़ा करे हर मिस्कीन को एक सदक़ा दे और अगर क़ीमत का गल्ला पूरे सदक़े से कम है तो एक ही मिस्कीन को दे और इसके लिए हरम के मिस्कीन होना ज़रूरी नहीं और यह भी हो सकता है कि क़ीमत ही सदक़ा कर दे और यह थी हो सकता है कि उस क़ीमत का जानवर ख़रीद कर हरम में ज़िबह कर दे रोज़ा रखना काफ़ी नहीं। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– दरख़्त उखेड़ा और उसकी क़ीमत भी दे दी जब भी उस से किसी क़िस्म का नफ़ा लेना जाइज़ नहीं और अगर बेच डाला तो बैअ़ हो जायेगी मगर उसकी क़ीमत सदक़ा कर दे। (आलमगीरी)

मसअला :– जो दरख़्त सूख गया उसे उखाड़ सकता है और उससे नफ़ा भी उठा सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– दरख़्त उखाड़ा और तावान भी अदा कर दिया फिर उसे वहीं लगा दिया और वह जम गया फिर उसी को उखाड़ा तो अब तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– दरख़्त के पत्ते तोड़े अगर उस दरख़्त को नुक़सान न पहुँचा तो कुछ नहीं यूँही जो

दरख़्त हिलता है उसे भी काटने में तावान नहीं जबकि मालिक से इजाज़त ले ली हो या उसे क़ीमत दे दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– चन्द शख़्सों ने मिल कर दरख़्त काटा तो एक ही तावान है जो सब पर तक़सीम हो जायेगा चाहे सब मुहरिम हों या ग़ैर मुहरिम या बाज़ मुहरिम और बाज़ ग़ैर मुहरिम हों। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हरम के पीलू या किसी दरख़्त की मिस्वाक बनाना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस दरख़्त की जड़ हरम से बाहर है और शाख़ें हरम में हैं वह हरम का दरख़्त नहीं और अगर तने का बाज़ हिस्सा हरम में है और बाज़ बाहर तो वह हरम का है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अपने या जानवर के चलने में या ख़ेमा नसब करने में कुछ दरख़्त जाते रहे तो कुछ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़रूरत की वजह से फ़तवा इस पर है कि वहाँ की घास जानवरों को चराना जाइज़ है बाक़ी काटना,उखाड़ना इसका वही हुक्म है जो दरख़्त का है सिवा अज़ख़र दरख़्त के और सूखी घास के कि उनसे हर तरह का फ़ायदा लेना जाइज़ है, खुम्बी के तोड़ने, उखाड़ने में कुछ मुज़ाइक़ा (हरज) नहीं (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

16. जूँ मारना

मसअ्ला :– अपनी जूँ अपने बदन या कपड़े में मारी या फेंक दी तो एक में रोटी का टुकड़ा और दो या तीन हों तो एक मुट्ठी अनाज़ और इससे ज़्यादा में सदक़ा दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जूँए मारने को सर या कपड़ा धोया या धूप में डाला जब भी यही कफ़्फ़ारे हैं जो मारने में थे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दूसरे ने उसके कहने या इशारा करने से इसकी जूँ मारी जब भी इस पर कफ़्फ़ारा है अगर्चे दूसरा एहराम में न हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़मीन वग़ैरा पर गिरी हुई जूँ या दूसरे के बदन या कपड़ों की मारने में इस पर कुछ नहीं अगर्चे वह दूसरा भी एहराम में हो। (बहर)

मसअ्ला :– कपड़ा भीग गया था सुखाने के लिए धूप में रखा उससे जूँएं मर गईं मगर यह मक़सद न था तो कुछ हरज नहीं। (मुनसक,मुतवस्सित)

मसअ्ला :– हरम की ख़ाक या कंकरी लाने में हरज नहीं। (आलमगीरी)

17. बग़ैर एहराम मीक़ात से गुज़रना

मसअ्ला :– मीक़ात के बाहर से जो शख़्स आया और बग़ैर एहराम मक्कए मुअज़्ज़मा को गया तो अगर्चे न हज का इरादा हो न उमरा का मगर हज या उमरा वाजिब हो गया फिर अगर मीक़ात को वापस न गया यहीं एहराम बाँध लिया तो दम वाजिब है और मीक़ात को वापस जाकर एहराम बाँध कर आया तो दम साक़ित हो गया और मक्कए मुअज़्ज़मा में दाख़िल होने से जो उस पर हज या उमरा वाजिब हुआ था उस का एहराम बाँधा और अदा किया तो बरीउज़्ज़िम्मा हो गया यूँही हज्जतुलइस्लाम (फ़र्ज़ हज)या नफ़्ल या मन्नत का उमरा या वह हज जो उस पर था उसका एहराम बाँधा और उसी साल अदा किया जब भी बरीउज़्ज़िम्मा हो गया और अगर उस साल अदा न किया तो उससे बरीउज़्ज़िम्मा न हुआ जो मक्का में जाने से वाजिब हुआ था। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– चन्द बार बग़ैर एहराम मक्कए मुअज़्ज़मा को गया। पिछली बार मीक़ात को वापस आकर हज या उ़मरा का एहराम बाँध कर अदा किया तो सिर्फ़ इस बार जो हज या उ़मरा वाजिब हुआ था उस से बरीउज़्ज़िम्मा हुआ पहलों से नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– हज या उ़मरा का इरादा है और बग़ैर एहराम मीक़ात से आगे बढ़ा तो अगर यह अन्देशा है कि मीक़ात को वापस जायेगा तो हज फ़ौत हो जायेगा तो वापस न हो वहीं से एहराम बाँध ले और दम दे और अगर यह अन्देशा न हो तो वापस आये फिर अगर मीक़ात को बग़ैर एहराम आया तो दम साक़ित हो गया यूँही अगर एहराम बाँध कर आया और लब्बैक कह चुका है तो दम साक़ित हो गया और नहीं कहा तो दम साक़ित नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअला :– मीक़ात से बग़ैर एहराम गया फिर उ़मरा का एहराम बाँधा और उ़मरा को फ़ासिद कर दिया फिर मीक़ात से एहराम बाँध कर उ़मरा की क़ज़ा की तो मीक़ात से बे–एहराम गुज़रने का दम साक़ित हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुतमत्तेअ़ ने ह़रम के बाहर से हज का एहराम बाँधा उसे हुक्म है कि जब तक वुक़ूफ़े अ़रफ़ा न किया और हज फ़ौत होने का अन्देशा न हो तो ह़रम को वापस आये अगर वापस न आया तो दम वाजिब है और अगर वापस हुआ और लब्बैक कह चुका है तो दम साक़ित है,नहीं तो दम साक़ित नहीं। और बाहर जाकर एहराम नहीं बाँधा था और वापस आया और यहाँ से एहराम बाँधा तो कुछ नहीं। मक्का में जिसने इक़ामत कर ली है उसका भी यही हुक्म है और अगर मक्का वाला किसी काम से ह़रम के बाहर गया था और वहीं से हज का एहराम बाँध कर वुक़ूफ़ कर लिया तो कुछ नहीं और अगर उ़मरा का एहराम ह़रम में बाँधा तो लाज़िम आया। (आलमगीरी,रद्दुल मुह़तार)

मसअला :– नाबालिग़ बग़ैर एहराम मीक़ात से गुज़रा फिर बालिग़ हो गया और वहीं से एहराम बाँध लिया तो दम लाज़िम नहीं और गुलाम अगर बग़ैर एहराम गुज़रा फिर उसके आक़ा ने एहराम की इजाज़त दे दी और उसने एहराम बाँध लिया तो दम लाज़िम है जब आज़ाद हो अदा करे।(आलमगीरी)

मसअला :– मीक़ात से बग़ैर एहराम गुज़रा फिर उ़मरा का एहराम बाँधा उसके बाद हज का एहराम बाँधा या क़िरान किया तो दम लाज़िम है और अगर पहले हज का बाँधा फिर ह़रम में उ़मरा का तो दो दम दे। (आलमगीरी)

18. एह़राम होते हुए दूसरा एह़राम बाँधना

मसअला :– जो शख़्स मीक़ात के अन्दर रहता है उसने हज के महीनों में उ़मरा का त़वाफ़ एक फेरा भी कर लिया उसके बाद हज का एहराम बाँधा तो उसे तोड़ दे और दम वाजिब है इस साल उ़मरा कर ले आइन्दा साल हज करे और उ़मरा तोड़ कर हज किया तो उ़मरा साक़ित हो गया और दम दे और दोनों कर लिय तो हो गये मगर गुनाहगार हुआ और दम वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हज का एहराम बाँधा फिर अ़रफ़ा के दिन या रात में दूसरे हज का एहराम बाँधा तो उसे तोड़ दे और दम दे और हज व उ़मरा उस पर वाजिब हैं और अगर दसवीं को दूसरे हज का एहराम बाँधा और हल्क़ कर चुका है तो ब–दस्तूर एहराम में रहे और दूसरे को आइन्दा साल में पूरा करे और दम वाजिब नहीं और हल्क़ नहीं किया है तो दम वाजिब है। (रद्दुलमुह़तार)

मसअला :–उ़मरा के तमाम अफ़आल कर चुका था सिर्फ़ हल्क़ बाक़ी था कि दूसरे उ़मरा का एहराम बाँधा तो दम वाजिब है और गुनाहगार हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बाहर के रहने वाले ने पहले हज का एहराम बाँधा और तवाफ़े कुदूम से पेशतर उमरा का एहराम बाँध लिया तो क़ारिन हो गया मगर इसाअत (बुरी बात)हुई और शुक्राना की कुर्बानी करे और उमरा के अकसर तवाफ़ यानी चार फेरे से पहले वुकूफ़ कर लिया तो उमरा बातिल हो गया।

मसअला :– तवाफ़े कुदूम का एक फेरा भी कर लिया तो उमरा का एहराम बाँधना जाइज़ नहीं फिर भी अगर बाँध लिया तो बेहतर यह है कि उमरा तोड़ दे और कज़ा करे और दम दे और अगर नहीं तोड़ा और दोनों कर लिये तो दम दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दसवीं से तेरहवीं तक हज करने वाले को उमरा का एहराम बाँधना मना है अगर बाँधा तो तोड़ दे और उसकी कज़ा करे और दम दे और कर लिया तो हो गया मगर दम वाजिब है।(दुर्रे मुख़्तार)

मुहसर का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ط

तर्जमा :– "अगर हज व उमरा से तुम रोक दिये जाओ तो जो कुर्बानी मयस्सर आये करो और अपने सर न मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह हरम में न पहुँच जाये"।

और फ़रमाता है :–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ
وَالْبَادِ ط وَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ٥

तर्जमा :– " बेशक वह जिन्होंने कुफ़्र किया और रोकते हैं अल्लाह की राह से और मस्जिदे हराम से जिसको हमने सब लोगों के लिए मुक़र्रर किया उसमें वहाँ के रहने वाले और बाहर वाले बराबर हक़ रखते हैं और जो उसमें ना–हक़ ज़्यादती का इरादा करे हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखायेंगे"।

सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ चले कुफ़्फ़ारे कुरैश कअ़बा तक जाने से मानेअ़ हुए, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ की और सर मुंडाया और सहाबा ने बाल कतरवाये। नीज़ बुख़ारी में मिसवर इब्ने मख़रमा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हल्क़ से पहले कुर्बानी की और सहाबा को भी इसी का हुक्म फ़रमाया। अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारिमी हज्जाज इब्ने अम्र अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसकी हड्डी टूट जाये या लंगड़ा हो जाये तो एहराम खोल सकता है और आइन्दा साल उसको हज करना होगा। और अबूदाऊद की एक रिवायत में है या बीमार हो जाये।

मसअला :– जिसने हज या उमरा का एहराम बाँधा मगर किसी वजह से पूरा न कर सका उसे मुहसर कहते हैं जिन वजहों से हज या उमरा न कर सके वह यह हैं :(1) दुश्मन (2) दरिन्दा (3) मरज़ कि सफ़र करने और सवार होने में उस के ज़्यादा होने का गुमान ग़ालिब है। (4) हाथ–पाँव टूट जाना (5) क़ैद (6) औरत के महरम या शौहर जिस के साथ जा रही थी उस का इन्तिकाल हो

जाना (7) इद्दत (8) मसारिफ़ या सवारी का हलाक हो जाना (9)शौहर नफ़्ल हज में औरत को और मौला लौंडी, गुलाम को मना कर दे।

मसअला :– मसारिफ चोरी गये या सवारी का जानवर हलाक हो गया तो पैदल नहीं चल सकता तो मुहसर है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– ज़िक्र की गई सूरत में फ़िलहाल तो पैदल चल सकता है मगर आइन्दा मजबूर हो जायेगा तो उसे एहराम खोल देना जाइज़ है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत का शौहर या महरम मर गया और वहाँ से मक्कए मुअज़्ज़मा मसाफ़ते सफ़र यानी तीन दिन की राह से कम है तो मुहसर नहीं और तीन दिन या ज़्यादा की राह है तो अगर वहाँ ठहरने की जगह है तो मुहसरा है वरना नहीं। (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत ने बग़ैर शौहर या महरम के एहराम बाँधा तो वह भी मुहसर है कि उसे बग़ैर उनके सफ़र हराम है। (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने नफ़्ल हज का एहराम बग़ैर शौहर की इजाज़त बाँधा तो शौहर मना कर सकता है लिहाज़ा अगर मना कर दे तो मुहसरा है अगर्चे उसके साथ महरम भी हो और फ़र्ज़ हज को मना नहीं कर सकता अलबत्ता अगर वक़्त से पहले एहराम बाँधा तो शौहर खुलवा सकता है।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मौला ने गुलाम को इजाज़त दे दी फिर भी मना करने का इख़्तियार है अगर्चे बग़ैर ज़रूरत मना करना मकरूह है और लौंडी को मौला ने इजाज़त दे दी तो उसके शौहर को रोकने का हक़ हासिल नहीं है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत ने एहराम बाँधा उसके बाद शौहर ने तलाक़ दे दी तो मुहसरा है अगर्चे महरम भी हमराह मौजूद हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुहसर को यह इजाज़त है कि हरम को क़ुर्बानी भेज दे जब क़ुर्बानी हो जायेगा उसका एहराम खुल जायेगा या क़ीमत भेज दे कि वहाँ जानवर ख़रीद कर ज़बह कर दिया जाये बग़ैर इसके एहराम नहीं खुल सकता जब तक मक्कए मुअज़्ज़मा पहुँच कर तवाफ़ व सई व हल्क़ न कर ले रोज़ा रखने या सदक़ा देने से काम नहीं चलेगा अगर्चे क़ुर्बानी की इस्तिताअत (ताक़त) न हो। एहराम बाँधते वक़्त अगर शर्त लगाई है कि किसी वजह से वहाँ तक न पहुँच सकूँ तो एहराम खोल दूँगा जब भी यही हुक्म है इस शर्त का कुछ असर नहीं। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– यह ज़रूरी अम्र है कि जिस के हाथ क़ुर्बानी भेजे उससे ठहरा ले कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक़्त क़ुर्बानी ज़बह हो और वह वक़्त गुज़रने के बाद एहराम से बाहर होगा फिर अगर उसी वक़्त क़ुर्बानी हुई जो ठहरा था या उससे पहले तो ठीक है, और अगर बाद में हुई और उसे अब मालूम हुआ तो ज़िबह से पहले चूँकि एहराम से बाहर हुआ लिहाज़ा दम दे। मुहसर को एहराम से बाहर आने के लिए हल्क़ शर्त नहीं मगर बेहतर है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– मुहसर अगर मुफ़रिद हो यानी सिर्फ़ हज या सिर्फ़ उमरा का एहराम बाँधा है तो एक क़ुर्बानी भेजे और दो भेजीं तो पहली ही के ज़िबह से एहराम खुल गया और क़ारिन हो तो दो भेजे एक से काम न चलेगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– इस क़ुर्बानी के लिए हरम शर्त है हरम के बाहर नहीं हो सकती। दसवीं ग्यारहवीं,

बारहवीं तारीख़ों की शर्त नहीं पहले और बाद को भी हो सकती है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़ारिन ने अपने ख़्याल से दो क़ुर्बानियों के दाम भेजे और वहाँ उन दामों की एक ही मिली और ज़िबह कर दी तो यह नाकाफ़ी है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़ारिन ने दो क़ुर्बानियाँ भेजीं और यह मुअय्यन न किया कि यह हज की है और यह उमरा की तो भी कुछ मुज़ाइका (हरज) नहीं मगर बेहतर यह है कि मुअय्यन कर दे कि यह हज की है और यह उमरा की। (आलमगीरी)

मसअला :– क़ारिन ने उमरा का तवाफ़ किया और वुक़ूफ़े अरफ़ा से पहले मुहसर हुआ तो एक क़ुर्बानी भेजे और हज के बदले एक हज और एक उमरा करे दूसरा उमरा उस पर नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– अगर एहराम में हज या उमरा किसी की नियत नहीं थी तो एक जानवर भेजना काफ़ी है और एक उमरा करना होगा और अगर नियत थी मगर यह याद नहीं कि काहे की नियत थी तो एक जानवर भेज दे आर एक हज और एक उमरा करे और अगर दो हज का एहराम बाँधा तो दो दम देकर एहराम खोले और दो उमरे का एहराम बाँधा और अदा करने के लिए मक्कए मुअज़्ज़मा को चला मगर न जा सका तो एक दम दे और चला न था कि मुहसर हो गया तो दो दम दे और उसको दो उमरे करने होंगे। (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने नफ़्ल हज का एहराम बाँधा था अगर्चे शौहर की इजाज़त से फिर शौहर ने एहराम खुलवा दिया तो उसका एहराम खुलने के लिए क़ुर्बानी का ज़िबह हो जाना ज़रूरी नहीं बल्कि हर ऐसा काम जो एहराम में मना था उसके करने से एहराम से बाहर हो गई मगर उस पर भी क़ुर्बानी या उसकी क़ीमत भेजना ज़रूर है और अगर हज का एहराम था तो एक हज और एक उमरा क़ज़ा करना होगा और अगर शौहर या महरम के मर जाने से मुहसरा हुई या फ़र्ज़ हज का एहराम था और बग़ैर महरम जा रही थी शौहर ने मना कर दिया तो उसमें बग़ैर क़ुर्बानी ज़िबह हुए एहराम से बाहर नहीं हो सकती। (मुनसक)

मसअला :– मुहसर ने क़ुर्बानी नहीं भेजी वैसे ही घर को चला आया और एहराम बाँधे हुए रह गया तो यह भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वह मानेअ् (रुकावट)जिसकी वजह से रुकना हुआ था जाता रहा और वक़्त इतना है कि हज और क़ुर्बानी दोनों पा लेगा तो जाना फ़र्ज़ है अब अगर गया और हज पा लिया तो ठीक है वरना उमरा करके एहराम से बाहर हो जाये और क़ुर्बानी का जानवर जो भेजा था मिल गया तो जो चाहे करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– मानेअ् जाता रहा और इसी साल हज किया तो क़ज़ा की नियत न करे और अब मुफ़रिद पर उमरा भी वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– वुक़ूफ़े अरफ़ा के बाद इहसार नहीं हो सकता और अगर मक्का ही में है मगर तवाफ़ और वुक़ूफ़े अरफ़ा दोनों पर क़ादिर न हो तो मुहसर है और दोनों में से एक पर क़ादिर है तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– मुहसर क़ुर्बानी भेजकर जब एहराम से बाहर हो गया अब उसकी क़ज़ा करना चाहता है तो अगर सिर्फ़ हज का एहराम था तो एक हज और एक उमरा करे और क़िरान था तो एक हज दो उमरे करे और यह इख़्तियार है कि क़ज़ा में क़िरान करे फिर एक उमरा या तीनों अलग–अलग करे और अगर एहराम उमरा का था तो सिर्फ़ एक उमरा करना होगा। (आलमगीरी वग़ैरा)

हज फ़ौत होने का बयान

अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी अब्दुर्रहमान इब्ने यामर दैली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि हज अरफ़ा है जिसने मुज़दलेफ़ा की रात में फज्र की नमाज़ का वक़्त शुरू होने से पहले वुक़ूफ़े अरफ़ा पा लिया उसने हज पा लिया। दारक़ुतनी ने इब्ने उमर व इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसका वुक़ूफ़े अरफ़ा रात तक में फ़ौत हो गया उसका हज फ़ौत हो गया तो अब उसे चाहिए कि उमरा करके एहराम खोल दे और आइन्दा साल हज करे।

मसअ्ला :– जिस का हज फ़ौत हो गया यानी वुक़ूफ़े अरफ़ा उसे न मिला तो तवाफ़ व सई करके सर मुंडा कर या बाल कतरवा कर एहराम से बाहर हो जाये और आइन्दा साल हज करे और उस पर दम वाजिब नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– क़ारिन का हज फ़ौत हो गया तो उमरा के लिए सई व तवाफ़ करे फिर एक और तवाफ़ व सई करके हल्क़ करे और क़िरान का दम जाता रहा और पिछला तवाफ़ जिसे करके एहराम से बाहर होगा उसे शुरूअ् करते ही लब्बैक मौक़ूफ़ कर दे यानी छोड़ दे और अगले साल हज की क़ज़ा करे उमरा की क़ज़ा नहीं क्यूँकि उमरा कर चुका। (मुनसक, आलमगीरी)

मसअ्ला :– तमत्तोअ् वाला क़ुर्बानी का जानवर लाया था और तमत्तोअ् बातिल हो गया तो जानवर को जो चाहे करे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– उमरा फ़ौत नहीं हो सकता कि उस का वक़्त उम्र भर है और जिस का हज फ़ौत हो गया उस पर तवाफ़े सद्र नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– जिसका हज फ़ौत हुआ उसने तवाफ़ व सई करके एहराम न खोला और इसी एहराम से आइन्दा साल हज किया तो यह हज सही न हुआ। (मुनसक)

हज्जे बदल का बयान

हदीस न.1 :– दारक़ुतनी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपनी वालिदा या वालिद की तरफ़ से हज करे या उनकी तरफ़ से तावान अदा करे रोज़े क़ियामत अबरार (अच्छों) के साथ उठाया जायेगा।

हदीस न.2 :– नीज़ जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अपने माँ–बाप की तरफ़ से हज करे तो उनका हज पूरा कर दिया जायेगा और इसके लिए दस हज का सवाब है।

हदीस न.3 :– नीज़ ज़ैद इब्ने अरक़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई अपने वालिदैन की तरफ़ से हज करेगा तो मक़बूल होगा और उनकी रूहें ख़ुश होंगी और यह अल्लाह के नज़दीक नेक लोगों में लिखा जायेगा।

हदीस न.4 :– अबू हफ़्स कबीर अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि उन्होंने रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हम अपने मुर्दों की तरफ़ से सदक़ा करते और उनकी तरफ़ से हज करते और उनके लिए दुआ करते हैं क्या यह उनको पहुँचता है? फ़रमाया हाँ बेशक उनको पहुँचता है और बेशक यह इससे खुश होते हैं जैसे तुम्हारे पास तबक़(थाल)में कोई चीज़ हदिया की जाये तो तुम खुश होते हो।

हदीस न.5 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि एक औरत ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! मेरे बाप पर हज फ़र्ज़ है और वह बहुत बूढ़े हैं कि सवारी पर बैठ नहीं सकते क्या मैं उनकी तरफ़ से हज करूँ ? फ़रमाया, हाँ।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई अबी रज़ीन अक़ैली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि यह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं हज व उमरा नहीं कर सकते और हौदज पर भी नहीं बैठ सकते, फ़रमाया अपने बाप की तरफ़ से हज व उमरा करो।

मसअ्ला :– इबादत तीन क़िस्म की है (1) बदनी (2) माली (3)मुरक्कब। इबादते बदनी में नियाबत नहीं हो सकती यानी एक की तरफ़ से दूसरा अदा नहीं कर सकता जैसे नमाज़ रोज़ा। माली में नियाबत बहरहाल जारी हो सकती है जैसे ज़कात व सदक़ा। मुरक्कब में आजिज़ हो तो दूसरा उसकी तरफ़ से कर सकता है वरना नहीं जैसे हज । रहा सवाब पहुँचाना कि जो कुछ इबादत की उसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे इसमें किसी इबादत की तख़सीस नहीं हर इबादत का सवाब दूसरे को पहुँचा सकता है ,नमाज़, रोज़ा, ज़कात, सदक़ा, हज तिलावते कुर्आन, ज़िक्र, ज़्यारते कुबूर, फ़र्ज़ व नफ़्ल सब का सवाब ज़िन्दा या मुर्दा को पहुँचा सकता है और यह न समझना चाहिए कि फ़र्ज़ का सवाब पहुँचा दिया तो अपने पास क्या रह गया कि सवाब पहुँचाने से अपने पास से कुछ न गया लिहाज़ा फ़र्ज़ का सवाब पहुँचाने से फिर वह फ़र्ज़ अदा करने का हुक्म न आयेगा। कि यह तो अदा कर चुका इसके ज़िम्मे से साक़ित हो चुका वरना सवाब किस शय का पहुँचता है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)इससे मालूम हो गया कि मुरव्वजा फ़ातिहा जाइज़ बल्कि महमूद (पसन्दीदा)अलबत्ता किसी मुआवज़ा (बदला)पर ईसाले सवाब करना मसलन बाज़ लोग कुछ ले कर कुर्आन मजीद का सवाब पहुँचाते हैं यह नाजाइज़ है कि यह पहले जो पढ़ चुका है उसका मुआवज़ा लिया तो यह बैअ्(ख़रीद–फ़रोख़्त)हुई और यह बैअ् क़तअ़न बातिल व हराम है और अगर अब पढ़ेगा उस का सवाब पहुँचायेगा तो यह इजारा(एक तरह का बदला)हुआ और ताअ़त (इबादत)पर इजारा बातिल है सिवा उन तीन चीजों के जिनका बयान आयेगा। (रद्दुल मुहतार)

हज्जे बदल के शराइत

मसअ्ला :– हज्जे बदल के लिए चन्द शर्तें हैं :

(1) जो हज्जे बदल कराता हो उस पर हज फ़र्ज़ हो यानी अगर फ़र्ज़ न था और हज्जे बदल कराया तो हज्जे फ़र्ज़ अदा न हुआ लिहाज़ा अगर बाद में हज उस पर फ़र्ज़ हुआ तो यह हज उसके लिए काफ़ी न होगा बल्कि अगर आजिज़ हो तो फिर हज कराये और क़ादिर हो तो खुद करे

(2) जिसकी तरफ़ से हज किया जाये वह आजिज़ हो यानी वह खुद हज न कर सकता हो अगर

इस काबिल हो कि ख़ुद कर सकता हो तो उसकी तरफ़ से नहीं हो सकता अगर्चे बाद में आजिज़ हो गया तो अब वह दोबारा हज कराये।

(3) वक़्ते हज से मौत तक उज़्र बाकी रहे अगर दरमियान में इस काबिल हो गया कि ख़ुद हज करे तो पहले जो हज़ किया जा चुका है वह नाकाफ़ी है हाँ अगर वह कोई ऐसा उज़्र था जिसके जाने की उम्मीद ही न थी और इत्तिफ़ाकन जाता रहा तो वह पहला हज जो उसकी तरफ़ से किया गया काफ़ी है मसलन वह नाबीना (अन्धा) है और हज कराने के बाद अंख़ियारा हो गया तो अब दोबारा हज कराने की ज़रूरत नही रही।

(4)जिसकी तरफ़ से हज किया जाये उसने हुक्म दिया हो बग़ैर उसके हुक्म के हज नहीं हो सकता हाँ वारिस ने मूरिस की तरफ़ से किया तो इसमें हुक्म की ज़रूरत नहीं

(5)मसारिफ उसके माल से हों। जिसकी तरफ़ से हज किया जाये लिहाज़ा अगर मामूर यानी जिससे हज्जे बदल कराया उसने अपना माल ख़र्च किया तो हज्जे बदल न हुआ यानी जब कि तबर्रुअन यानी फ़ायदा पहुँचाने की नियत से ऐसा किया हो और अगर कुल या अकसर अपना माल सर्फ़ (ख़र्च) किया और जो कुछ उसने दिया है इतना है कि ख़र्च उसमें से वुसूल कर लेगा तो हो गया और अगर इतना नहीं कि जो कुछ अपना ख़र्च किया है वुसूल कर ले तो अगर ज़्यादा हिस्सा उसका है जिसने हुक्म दिया है तो हो गया वरना नहीं।

मसअला :– अपना और उसका माल एक में मिला दिया और जितना उसने दिया था उतना या उसमें से ज़्यादा हिस्से के बराबर ख़र्च किया तो हज्जे बदल हो गया और इस मिलाने की वजह से इस पर तावान लाज़िम न आयेगा बल्कि अपने साथियों के माल के साथ भी मिला सकता है।(रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)

मसअला :– वसीयत की थी कि मेरे माल से हज करा दिया जाये और वारिस ने अपने माल से तबर्रुअन कराया तो हज्जे बदल न हुआ और अगर अपने माल से हज किया यूँ कि जो ख़र्च होगा तर्के में से ले लेगा तो हो गया और लेने का इरादा न हो तो नहीं ,और अजनबी ने हज्जे बदल अपने माल से करा दिया तो न हुआ अगर्चे वापस लेने का इरादा हो अगर्चे यह ख़ुद उसी को हज्जे बदल करने के लिए कह गया हो और अगर यूँ वसीयत की कि मेरी तरफ़ से हज्जे बदल करा दिया जाये और यह न कहा कि मेरे माल से और वारिस ने अपने माल से हज करा दिया अगर्चे लेने का इरादा भी न हो तो हज हो गया। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मय्यत की तरफ़ से हज करने के लिए माल दिया और वह काफ़ी था मगर इसने अपना माल भी कुछ ख़र्च किया है तो जो ख़र्च हुआ वुसूल कर ले और अगर नाकाफ़ी था मगर अकसर(ज़्यादा)मय्यत के माल से सर्फ़ हुआ तो मय्यत की तरफ़ से हो गया वरना नहीं। (आलमगीरी)

(6) जिसको हुक्म दिया वही करे दूसरे से उसने हज कराया तो न हुआ।

मसअला :– मय्यत ने वसीयत की थी कि मेरी तरफ़ से फ़लाँ शख़्स हज करे और वह मर गया या उसने इन्कार कर दिया अब दूसरे से हज करा लिया गया तो जाइज़ है।(रद्दुल मुहतार)

(7) सवारी पर हज को जाये पैदल हज किया तो न हुआ लिहाज़ा सवारी में जो कुछ सर्फ़ हुआ देना पड़ेगा हाँ अगर ख़र्च में कमी पड़ी तो पैदल भी हो जायेगा सवारी से मुराद यह है कि अक्सर रास्ता सवारी पर तय किया हो। (8)उसके वतन से हज को जाये। (9)मीक़ात से हज का एहराम

बाँधे अगर उसने उसका हुक्म किया हो।(10)उसकी नीयत से हज करे और अफ़ज़ल यह है कि ज़बान से भी **'लब्बैक अ़न फुलानिन'** कह ले और अगर उसका नाम भूल गया है तो यह नीयत कर ले कि जिसने मुझे भेजा है उसकी त़रफ़ से हज करता हूँ और इनके अ़लावा और भी शराइत़ हैं जो ज़िमनन यानी अपनी जगह पर ज़िक्र होंगी यह शर्तें जो ज़िक्र हुई हज्जे फ़र्ज़ में हैं, हज्जे नफ़्ल में हो तो इनमें से कोई शर्त नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– एहराम बाँधते वक़्त यह नियत न थी कि किस की त़रफ़ से हज करता हूँ तो जब तक हज के अफ़आल शुरूअ़ न किये इख़्तियार है कि नीयत कर ले। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिसको भेजे उससे यूँ न कहे कि मैंने तुझे अपनी त़रफ़ से हज करने के लिए अजीर (मज़दूर)बनाया या नौकर रखा कि इबादत पर इजारा कैसा ? बल्कि यूँ कहे कि मैंने अपनी त़रफ़ से तुझे हज के लिए हुक्म दिया और अगर इजारा का लफ़्ज़ कहा जब भी हज हो जायेगा मगर उजरत कुछ न मिलेगी सिर्फ़ हज के ख़र्च मिलेंगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– हज्जे बंदल की सब शर्तें जब पाई जायें तो जिस की त़रफ़ से किया गया उस का फ़र्ज़ अदा हुआ और यह हज करने वाला भी सवाब पायेगा मगर इस हज से उसका हज्जतुलइस्लाम (फ़र्ज़ हज) अदा न होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बेहतर यह है कि हज्जे बदल के लिए ऐसे शख़्स को भेजा जाये जो ख़ुद हज्जतु-लइस्लाम (फ़र्ज़ हज)अदा कर चुका हो और अगर ऐसे को भेजा जिसने ख़ुद नहीं किया है जब भी हज्जे बदल हो जायेगा। (आ़लमगीरी)और अगर ख़ुद इस पर हज फ़र्ज़ हुआ और अदा न किया हो तो इसे भेजना मकरूहे तहरीमी है। (मुनसक)

मसअला :– अफ़ज़ल यह है कि ऐसे शख़्स को भेजे जो हज के त़रीक़े और उसके अफ़आल से आगाह हो और बेहतर यह है कि आज़ाद मर्द हो और अगर आज़ाद औ़रत या ग़ुलाम या बाँधी या मुराहिक़ यानी बालिग़ होने के क़रीब बच्चे से हज कराया जब भी अदा हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– मजनून या कलिमा पढ़ने वाले काफ़िर जैसे इस ज़माने में वहाबी, देवबन्दी वग़ैरा को भेजा तो अदा न हुआ कि यह हज के लाइक़ ही नहीं।

मसअला :– दो शख़्सों ने एक ही को हज्जे बदल के लिए भेज उसने एक हज में दोनों की त़रफ़ से लब्बैक कहा तो दोनों में से किसी की त़रफ से न हुआ बल्कि इस हज करने वाले का हुआ और दोनों को तावान दे और अब अगर चाहे कि दोनों में से एक के लिए हज कर दे तो यह भी नहीं कर सकता और अगर एक ही की त़रफ़ से लब्बैक कहा मगर यह मुअ़य्यन न किया कि किस की त़रफ़ से तो अगर यूँही मुबहम (गोल–मोल)रखा जब भी किसी का न हुआ और अगर बाद में यानी अफ़आ़ले हज अदा करने से पहले मुअ़य्यन कर दिया तो जिस के लिए किया उसका हो गया और अगर एहराम बाँधते वक़्त कुछ न कहा कि इस की त़रफ़ से है न मुअ़य्यन न मुबहम जब भी यही दोनों सूरतें है (आ़लमगीरी)

मसअला :– माँ–बाप दोनों की त़रफ़ से हज किया तो इसे इख़्तियार है कि उस हज को बाप के लिए कर दे या माँ के लिए इसका फ़र्ज़ हज अदा हो गया यानी जब कि उन दोनों ने इसे हुक्म न किया और अगर हज का हुक्म दिया हो तो उसमें भी वही अहकाम हैं जो ऊपर ज़िक्र हुए और

अगर बग़ैर कहे अपने आप दो शख़्सों की तरफ़ से हज्जे नफ़्ल का एहराम बाँधा तो इख़्तियार है जिस के लिए चाहे कर दे मगर इस से उस का फ़र्ज़ अदा न हुआ जबकि वह अजनबी है यूँही सवाब पहुँचाने का भी इख़्तियार है बल्कि सवाब तो दोनों को पहुँचा सकता है (रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :— हज फ़र्ज़ होने के बाद मजनून हो गया तो उसकी तरफ़ से हज्जे बदल कराया जा सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— सिर्फ़ हज या सिर्फ़ उमरा को कहा था उस ने दोनों का एहराम बाँधा चाहे दोनों इसी की तरफ़ से किये या एक इस की तरफ़ से दूसरा अपनी या किसी और की तरफ़ से बहरहाल उसका हज अदा न हुआ तावान देना आयेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— हज के लिए कहा था उस ने उमरा का एहराम बाँधा फिर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से हज का एहराम बाँधा जब भी उसकी मुख़ालफ़त हुई लिहाज़ा तावान दे।(रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :— हज के लिए कहा था इस ने हज करने के बाद उमरा किया या उमरा के लिए कहा था इस ने उमरा कर के हज किया तो इस में मुख़ालफ़त न हुई उसका हज या उमरा अदा हो गया मगर अपने हज या उमरा के लिए जो ख़र्च किया ख़ुद उसके ज़िम्मे है भेजने वाले पर नहीं और अगर उल्टा किया यानी जो उसने कहा उसे बाद में किया तो मुख़ालफ़त हो गई उसका हज या उमरा अदा न हुआ तावान दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— एक शख़्स ने इस से हज को कहा दूसरे ने उमरा को मगर उन दोनों ने जमा (इकट्ठा) करने का हुक्म न दिया था इस ने दोनों को जमा कर दिया तो दोनों का माल वापस दे और अगर यह कह दिया था कि जमा कर देना तो जाइज़ हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— अफ़ज़ल यह है कि जिसे हज्जे बदल के लिए भेजा जाये वह हज कर के वापस आये और जाने आने के लिए मसारिफ़ भेजने वाले पर हैं और अगर वहीं रह गया जब भी जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— हज के बाद काफ़िले के इन्तिज़ार में जितने दिन ठहरना पड़े उन दिनों के मसारिफ़ भेजने वाले के ज़िम्मे हैं और उस से ज़्यादा ठहरना हो तो ख़ुद इस के ज़िम्मे है मगर जब वहाँ से चला तो वापसी के मसारिफ़ भेजने वाले पर हैं और अगर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में बिलकुल रहने का इरादा कर लिया तो अब वापसी के अख़राजात भी भेजने वाले पर नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— जिस को भेजा वह अपने किसी काम में मशग़ूल हो गया और हज फ़ौत हो गया तो तावान लाज़िम है फिर अगर आइन्दा साल इस ने अपने माल से हज कर दिया तो काफ़ी हो गया और अगर वुक़ूफ़े अ़रफ़ा से पहले जिमाअ़ (हमबिस्तरी)किया जब भी यही हुक्म है और इसे अपने माल से आइन्दा साल हज व उमरा करना होगा। और अगर वुक़ूफ़ के बाद जिमाअ़ किया तो हज हो गया और इस पर अपने माल से दम देना लाज़िम और अगर ग़ैर इख़्तियारी आफ़त में मुबतला हो गया तो जो कुछ पहले ख़र्च हो चुका है उसका तावान नहीं मगर वापसी में अब अपना माल ख़र्च करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मरज़ या दुश्मन की वजह से हज न कर सका या और किसी तरह पर मुहसर हुआ तो उसकी वजह से जो दम लाज़िम आया वह उस के ज़िम्मे है जिसकी तरफ़ से गया और बाक़ी हर क़िस्म के दम इसके ज़िम्मे है मसलन सिला हुआ कपड़ा पहना या ख़ुश्बू लगाई या बग़ैर एहराम मीक़ात

से आगे बड़ा या शिकार किया या भेजने वाले की इजाज़त से क़िरान व तमत्तोअ़ किया।(दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– जिस पर हज फ़र्ज़ हो या क़ज़ा या मन्नत का हज उसके ज़िम्मे हो और मौत का वक़्त क़रीब आ गया तो वाजिब है कि वसीयत कर जाये। (मुनसक)
मसअ्ला :– जिस पर हज फ़र्ज़ है न अदा किया न वसीयत की तो सब के नज़दीक गुनाहगार है अगर वारिस उसकी तरफ़ से हज्जे बदल कराना चाहे तो करा सकता है इन्शा अल्लाह तआ़ला उम्मीद है कि अदा हो जाये और अगर वसीयत कर गया तो तिहाई माल से कराया जाये अगर्चे उसने वसीयत में तिहाई की क़ैद न लगाई मसलन यह कह कर मरा कि मेरी तरफ़ से हज्जे बदल कराया जाये। (आलमगीरी वग़ैरा)
मसअ्ला :– तिहाई माल की मिक़दार इतनी है कि वतन (घर)से हज के मसारिफ़ के लिए काफ़ी है तो वतन ही से आदमी भेजा जाये वरना मीक़ात के बाहर जहाँ से भी उस तिहाई से भेजा जा सके वहाँ से भेजे यूँही अगर वसीयत में कोई रक़म मुअ़य्यन कर दी हो तो उस रक़म में अगर वतन से भेजा जा सकता है तो भेजा जाये वरना जहाँ से हो सके और अगर वह तिहाई या वह मुअ़य्यन रक़म मीक़ात के बाहर कहीं से भी काफ़ी नहीं तो वसीयत बातिल है।(आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– कोई शख़्स हज को चला और रास्ते में या मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में वुक़ूफ़े अरफ़ा से पहले उसका इन्तिक़ाल हो गया तो अगर उसी साल उस पर हज फ़र्ज़ हुआ था तो वसीयत वाजिब नहीं और अगर वुक़ूफ़ के बाद इन्तिक़ाल हुआ तो हज हो गया फिर अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बाक़ी है और वसीयत कर गया कि उसका हज पूरा कर दिया जाये तो उसकी तरफ़ से बदना की क़ुर्बानी कर दी जाये। (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– रास्ते में इन्तिक़ाल हुआ और हज्जे बदल की वसीयत कर गया तो अगर कोई रक़म या जगह मुअ़य्यन कर दी है तो उसके कहने के मुवाफ़िक़ किया जाये अगर्चे उसके माल की तिहाई इतनी थी कि उसके वतन से भेजा जा सकता हो,और उसने ग़ैरे वतन से भेजने की वसीयत की या वह रक़म इतनी बताई कि उसमें वतन से नहीं जाया जा सकता तो गुनहगार हुआ मुअ़य्यन न की तो वतन से भेजा जाये। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– वसी ने यानी जिसको कहा गया कि तू मेरी तरफ़ से हज करा देना ग़ैर जगह से भेजा और तिहाई इतनी थी कि वतन से भेजा जा सकता है तो यह हज मय्यत की तरफ़ से न हुआ बल्कि वसी (जिसे वसियत की)की तरफ़ से हुआ लिहाज़ा मय्यत की तरफ़ से यह शख़्स दोबारा अपने माल से हज कराये मगर जबकि वह जगह जहाँ से भेजा है वतन से क़रीब हो कि वहाँ जाकर रात के आने से पहले वापस आ सकता हो तो हो जायेगा। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– माल इस क़ाबिल नहीं कि वतन से भेजा जाये तो जहाँ से हो सके भेजें फिर अगर हज के बाद कुछ बच रहा जिस से मालूम हुआ कि और इधर से भेजा जा सकता था तो वसी पर उसका तावान है लिहाज़ा दोबारा हज्जे बदल वहाँ से कराये जहाँ से हो सकता था मगर जबकि बहुत थोड़ी मिक़दार बची मसलन तोशा वग़ैरा तो हज हो गया और दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं।(आलमगीरी)
मसअ्ला :– अगर उसके लिए वतन न हो तो जहाँ इन्तिक़ाल हुआ वहाँ से हज को भेजा जाये और अगर कई वतन हों तो उन में जो जगह मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से ज़्यादा क़रीब हो वहाँ से भेजे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह कह गया कि तिहाई माल से एक हज करा देना तो एक हज करा दें और चन्द हज की वसीयत की और एक से ज़्यादा नहीं हो सकता तो एक हज करा दें उसके बाद जो बचे वारिस ले लें और अगर यह वसीयत की कि मेरे माल की तिहाई से हज कराया जाये या कई हज कराये जायें और कई हज हो सकते हैं तो जितने हो सकते हैं कराये जायें अब अगर कुछ बच रहा जिस से वतन से नहीं भेजा जा सकता तो जहाँ से हो सकते हैं कराये जायें और कई हज की सूरत में इख़्तियार है कि सब एक ही साल में हों या कई साल में और बेहतर अव्वल है (यानी पहला साल) है यूँही अगर यूँ वसीयत की कि मेरे माल की तिहाई से हर साल एक हज कराया जाये तो इसमें भी इख़्तियार है कि सब एक साथ हों या हर साल एक हज हो और अगर यूँ कहा कि मेरे माल में हजार रुपये से हज कराया जाये तो उसमें जितने हज हो सकें करा दिये जायें। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर वसी से यह कहा कि किसी को माल दे कर मेरी तरफ़ से हज्जे बदल करा देना तो वसी खुद उसकी तरफ़ से हज्जे बदल नहीं कर सकता और अगर यह कहा कि मेरी तरफ़ से हज्जे बदल करा दिया जाये तो वसी ख़ुद भी कर सकता है और अगर वसी वारिस भी है या वसी ने वारिस को माल दे दिया कि वह वारिस हज्जे बदल करे तो अब बाक़ी वारिस अगर बालिग़ हों और उनकी इजाज़त से हो तो हज्जे बदल हो सकता है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हज की वसीयत की थी उसके इन्तिक़ाल के बाद हज के मसारिफ़ निकालने के बाद वारिसों ने माल तक़सीम कर लिया फिर वह माल जो हज के लिए निकाला था ज़ाए (बर्बाद) हो गया तो अब जो बाक़ी है उसकी तिहाई से हज का ख़र्च निकालें फिर अगर माल तल्फ़ (बर्बाद) हो जाये तो बक़िया माल की तिहाई से हज का ख़र्च इसी तरह बर्बाद होता रहे तो जब तक मय्यत का माल बाक़ी हो उसमें से तिहाई निकाल कर हज कराया जाये यहाँ तक कि माल ख़त्म हो जाये और वह माल वसी के पास से ज़ाए हुआ हो या उसके पास से जिस को हज के लिए भेजना चाहते हैं दोनों का एक हुक्म है। (मुनसक)

मसअ्ला :– जिसे हज करने के लिए भेजा वुक़ूफ़े अरफ़ा से पहले उसका इन्तिक़ाल हो गया या माल चोरी गया फिर जो माल बाक़ी रह गया उस की तिहाई से दोबारा वतन से हज करने के लिए किसी को भेजा जायें और अगर उतने में वतन से नहीं भेजा जा सकता तो जहाँ से हो सके हज के लिए भेजें और अगर दूसरा शख़्स भी मर गया या फिर माल चोरी हो गया तो अब जो कुछ माल है उसकी तिहाई से भेजा जाये और जब तक ऐसा हादिसा होता रहे मय्यत के तिहाई माल से हज्जे बदल कराने की कोशिश करते रहें यहाँ तक कि माल की तिहाई इस क़ाबिल न रहे कि उससे हज हो सके तो वसीयत बातिल हो गई और वुक़ूफ़े अरफ़ा के बाद मरा तो वसीयत पूरी हो गई। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जिसे भेजा था वह वुक़ूफ़ करके बग़ैर तवाफ़ किये वापस आया तो मय्यत का हज हो गया मगर इसे औरत के पास जाना हलाल नहीं ,इसे हुक्म है कि अपने ख़र्च से वापस जाये और जो अफ़आल बाक़ी हैं अदा करे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– वसी ने किसी को इस साल हज्जे बदल के लिए मुक़र्रर किया और ख़र्च भी दे दिया मगर वह इस साल न गया आइन्दा साल जाकर अदा किया तो अदा हो गया उस पर तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– जिसे भेजा वह मक्कए मुअज़्ज़मा में जाकर बीमार हो गया और सारा माल ख़र्च हो गया तो वसी के ज़िम्मे वापसी के लिए ख़र्च भेजना लाज़िम नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– जिसे हज के लिए मुक़र्रर किया वह बीमार हो गया तो उसे यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को भेज दे, हाँ अगर भेजने वाले ने उसे इजाज़त दे दी हो तो दूसरे को भेज सकता है लिहाज़ा भेजते वक़्त चाहिए कि यह इजाज़त दे दी जाये। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर उससे यह कह दिया कि ख़र्चा ख़त्म हो जाये तो क़र्ज़ ले लेना और उसका अदा करना मेरे ज़िम्मे है तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– एहराम के बाद रास्ते में माल चोरी हो गया इसने अपने पास से ख़र्च करके हज किया और वापस आया तो क़ाज़ी के हुक्म के बग़ैर भेजने वाले से वुसूल नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअला :– यह वसीयत की कि फ़ुलाँ शख़्स मेरी तरफ़ से हज करे और वह शख़्स मर गया तो किसी और को भेज दें मगर जबकि हस्र(ख़ास) कर दिया हो कि वही करे दूसरा नहीं तो मजबूरी है। (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स ने अपनी तरफ़ से पैदल हज करने के लिए ख़र्च दे कर भेजा इसके बाद उसका इन्तिक़ाल हो गया और हज की वसीयत न की तो वारिस उस शख़्स से माल वापस ले सकते हैं अगर्चे एहराम बाँध चुका हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मसारिफ़े हज से मुराद वह चीज़ें हैं जिनकी सफ़रे हज में ज़रूरत पड़ती है मसलन खाना, पानी, रास्ते में पहनने के कपड़े, एहराम के कपड़े, सवारी का किराया, मकान का किराया मशकीज़ा, खाने पीने के बर्तन, जलाने और सर में डालने का तेल, कपड़े धोने के साबुन, पहरा देने वाले की उजरत, हजामत की बनवाई, ग़रज़ जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनके अख़राजात दरमियानी कि न फ़ुज़ूल ख़र्ची हो न बहुत कमी और इसको यह इख़्तियार नहीं कि उस माल से ख़ैरात करे या खाना फ़क़ीरों को दे दे या खाते वक़्त दूसरों को भी खिलाये हाँ अगर भेजने वाले ने इन कामों की इजाज़त दे दी हो तो कर सकता है। (लुबाब)

मसअला :– जिसको भेजा है अगर वह अपने काम अपने आप किया करता था और अब ख़ादिम से काम लिया तो ख़ादिम का ख़र्च ख़ुद इसके ज़िम्मे है और अगर ख़ुद नहीं करता था तो भेजने वाले के ज़िम्मे हैं (आलमगीरी)

मसअला :– हज से वापसी के बाद जो कुछ बचा वापस कर दे उसे रख लेना जाइज़ नहीं अगर्चे वह कितनी ही थोड़ी सी चीज़ हो यहाँ तक कि तोशे (खाने–पीने)में से कुछ बचा वह और कपड़े और बरतन ग़रज़ तमाम सामान वापस कर दे बल्कि अगर शर्त कर ली हो कि जो बचेगा वापस न करूँगा जब भी वापस कर दे कि यह शर्त बातिल है मगर दो सूरतों में अव्वल यह है कि भेजने वाला उसे वकील कर दे कि जो बचे उसे अपने लिए तू जाइज़ कर लेना और क़ब्ज़ा कर लेना दोम यह कि मरने के क़रीब हो तो वसीयत कर दे कि जो बचे उसकी मैंने तुझे वसीयत की और अगर यूँ वसीयत की कि वसी से कह दिया कि जो बचे वह उसके लिए है जो भेजा जाये या तू जिसे चाहे दे दे तो यह वसीयत बातिल है वारिस का हक़ हो जायेगा और वापस करना पड़ेगा।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– यह वसीयत की कि एक हज़ार फ़ुलाँ को दिया जाये और एक हज़ार मिस्कीनों को

और एक हज़ार से हज कराया जाये और तर्का की तिहाई कुल दो हज़ार है तो दो हज़ार में बराबर–बराबर के तीन हिस्से किये जायें एक हिस्सा तो उसे दें जिस के लिए कहा और हज व मिस्कीनों के दोनों हिस्से मिला कर जितने से हज हो सके हज कराया जाये और जो बचे मिस्कीनों को दिया जाये। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– ज़कात व हज और किसी को देने की वसीयत की तो तिहाई के तीन हिस्से करें और ज़कात व हज में जिसे उसने पहले कहा उसे पहले करें उससे जो बचे दूसरे में ख़र्च करें फ़र्ज़ और मन्नत की वसीयत की तो फ़र्ज़ मुक़द्दम है यानी फ़र्ज़ पहले अदा किया जाये और नफ़्ल और नज़्र में नज़्र मुक़द्दम है और सब फ़र्ज़ या नफ़्ल या वाजिब हैं तो मुक़द्दम वह है जिसे उसने पहले कहा। (रद्दुल मुहतार)

हदी का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ٥ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ط

तर्जमा :– "और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो यह दिलों की परहेज़गारी से है तुम्हारे लिए चौपायों में एक मुक़र्ररा मीआद तक फ़ायदे हैं फिर उनका पहुँचना है इस आज़ाद घर तक और हर उम्मत के लिए हम ने एक क़ुर्बानी मुक़र्रर की कि अल्लाह का नाम ज़िक्र करें उन बे–ज़बानचौपायों पर जो उसने उन्हें दिये"।

और फ़रमाता है:–

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ق صلے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ج فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ٥

तर्जमा :– "और क़ुर्बानी के ऊँट,गाय हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों से किये तुम्हारे लिये उनमें भलाई है तो उन पर अल्लाह का नाम लो एक पाँव बँधे तीन पाँव से खड़े फिर जब उनकी करवटें गिर जायें तो उन में से ख़ुद खाओ और क़नाअत करने वाले और भीक माँगने वाले को खिलाओ। यूँही हमने उनको तुम्हारे क़ाबू में कर दिया कि तुम एहसान मानो,अल्लाह को हरगिज़ न उनके गोश्त पहुँचते हैं न उनके ख़ून, हाँ उस तक तुम्हारी परहेज़गारी पहुँचती है यूँही उनको तुम्हारे क़ाबू में कर दिया कि तुम अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि उस ने तुम्हें हिदायत फ़रमाई और ख़ुशख़बरी पहुँचा दो नेकी करने वालों को।"

हदीस न. 1:– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कहती हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु तआलो अलैहि वसल्लम की क़ुर्बानियों के हार अपने हाथ से बनाये फिर हुज़ूर ने उनके गलों में डाले और उनके कोहान चीरे और हरम को रवाना कीं।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दसवीं ज़िलहिज्जा को हज़रते आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ़ से एक गाय ज़िबह फ़रमाई और दूसरी रिवायत में है कि अज़वाजे मुतहहरात

(मुक़द्दस बीवियों)की तरफ़ से हज में गाय ज़िबह की।

हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में इब्ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जब तू मजबूर हो जाये तो हदी पर मारूफ़ के साथ सवार हो जब तक दूसरी सवारी न मिले।

हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोलह (16)ऊँट एक शख़्स के साथ हरम को भेजे उन्होंने अर्ज़ की इनमें से अगर कोई थक जाये तो क्या करूँ। फ़रमाया उसे नहर कर देना और ख़ून से उसके पाँव रंग देना और पहलू पर ख़ून का छापा लगा देना और उसमें से तुम और तुम्हारे साथियों में से कोई न खाये।

हदीस न.5 :– सहीहैन में अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्बानी के जानवरों पर मामूर फ़रमाया और मुझे हुक्म फ़रमाया कि गोश्त और खालें और झूल सदका कर दूँ और क़स्साब को उसमें से कुछ न दूँ फ़रमाया कि हम उसे अपने पास से देंगे।

हदीस न.6 :– अबूदाऊद अब्दुल्लाह इब्ने किर्त रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि पाँच या छह ऊँट हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में कुर्बानी के लिए पेश किये गये वह सब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से क़रीब होने लगे कि किस से शुरूअ़ फ़रमायें (यानी हर एक की यह ख़्वाहिश थी कि पहले मुझे ज़बह फ़रमायें या इसलिए कि पहले जिसे चाहें ज़िबह फ़रमायें) फिर जब उनकी करवटें ज़मीन से लग गईं तो फ़रमाया जो चाहे टुकड़ा लेले।

मसअ्ला :– हदी उन जानवर को कहते हैं जो कुर्बानी के लिए हरम को ले जाया जाये यह तीन क़िस्म के जानवर हैं। (1) बकरी,इसमें भेड़ और दुम्बा भी दाख़िल है (2)गाय–भैंस भी इसी में शुमार है (3)ऊँट। हदी का अदना दर्जा बकरी है तो अगर किसी ने हरम को कुर्बानी भेजने की मन्नत मानी और मुअय्यन न की तो बकरी काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– कुर्बानी की नीयत से भेजा या ले गया जब तो ज़ाहिर है कि कुर्बानी है और अगर बदना के गले में हार डाल कर हाँका जब भी हदी है अगर्चे नीयत न हो इसलिए कि इस तरह कुर्बानी ही को ले जाते हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– कुर्बानी के जानवर में जो शर्तें हैं वह हदी के जानवर में भी हैं मसलन ऊँट पाँच साल का, गाय दो साल की, बकरी एक साल की। ,मगर भेड़ दुम्बा छह महीने का अगर साल भर वाली की मिस्ल हो तो हो सकता है और ऊँट,गाय में यहाँ भी सात आदमी की शिरकत हो सकती है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ऊँट,गाय के गले में हार डाल देना मसनून (सुन्नत)है और बकरी के गले में हार डालना सुन्नत नहीं मगर सिर्फ़ शुक्राना यानी तमत्तोअ़ व क़िरान और नफ़्ल व मन्नत की कुर्बानी में हार डाल देना सुन्नत है एहसार व जुर्माना के दम में न डालें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हदी अगर क़िरान या तमत्तोअ़ का हो तो उस में से कुछ खा लेना बेहतर है यूँही अगर नफ़्ल हो और हरम को पहुँच गया हो। और अगर हरम को न पहुँचा तो ख़ुद नहीं खा सकता फ़ुक़रा का हक़ है और इन तीन के इलावा नहीं खा सकता और जिसे ख़ुद खा सकता है मालदारों

को भी खिला सकता है,नहीं तो नहीं और जिस को खा नहीं सकता उसकी खाल वग़ैरा से भी नफ़ा नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– तमत्तोअ् व क़िरान की क़ुर्बानी दसवीं से पहले नहीं हो सकती और दसवीं के बाद की तो हो जायेगी मगर दम लाज़िम है कि ताख़ीर जाइज़ नहीं और इन दो के अलावा के लिए कोई दिन मुअय्यन नहीं और बेहतर दसवीं है। हरम में होना सब में ज़रूरी है मिना की ख़ुसूसियत नहीं हाँ दसवीं को हो तो मिना में होना सुन्नत है और दसवीं के बाद मक्का में सुन्नत है। मन्नत के बदना का हरम में ज़िबह होना शर्त नहीं जबकि मन्नत में हरम की शर्त न लगाई।(आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– हदी का गोश्त हरम के मिस्कीनों को देना बेहतर है उसकी नकेल और झूल को ख़ैरात कर दें और क़स्साब को उसके गोश्त में से न दें हाँ अगर उसे ब–तौरे सदक़ा दें तो हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– हदी के जानवर पर बिला ज़रूरत सवार नहीं हो सकता न उस पर सामान लाद सकता है अगर्चे नफ़्ल हो और ज़रूरत के वक़्त सवार हुआ या सामान लादा और उसकी वजह से उसमें कुछ नुक़सान आया तो उतना मोहताजों पर सदक़ा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह दूध वाला जानवर है तो दूध न दूहे और थन पर ठन्डा पानी छिड़क दिया करे कि दूध मौक़ूफ़ हो जाये यानी रुक जाये और अगर ज़बह में कुछ वक़्फ़ा यानी देर हो और न दूहने से ज़रर (नुक़सान)होगा तो दूह कर दूध ख़ैरात कर दे और अगर ख़ुद खा लिया या ग़नी को दे दिया या ज़ाए (बर्बाद) कर दिया तो उतना ही दूध या उसकी क़ीमत मिस्कीनों पर सदक़ा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर वह बच्चा जनी तो बच्चे को सदक़ा कर दे या उसे भी उसके साथ ज़बह कर दे और अगर बच्चा को बेच डाला या हलाक कर दिया तो क़ीमत को सदक़ा कर दे और उस क़ीमत से क़ुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया तो बेहतर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ग़लती से इसने दूसरे के जानवर को ज़िबह कर दिया और दूसरे ने इसके जानवर को तो दोनों की क़ुर्बानियाँ हो गई (मुन्सक)

मसअ्ला :– अगर जानवर हरम को ले जा रहा था रास्ते में मरने लगा तो उसे वहीं ज़िबह कर डाले और ख़ून से उस का हार रंग दे और कोहान पर छापा लगा दे ताकि उसे मालदार लोग न खायें फ़क़ीर ही खायें फिर अगर वह नफ़्ल था तो उसके बदले का दूसरा जानवर ले जाना ज़रूरी नहीं और अगर वाजिब था तो उसके बदले का दूसरा जानवर ले जाना वाजिब है और अगर उसमें कोई ऐसा ऐब आ गया कि क़ुर्बानी के क़ाबिल न रहा तो उसे जो चाहे करे और उसके बदले दूसरा ले जाये जबकि वाजिब हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– जानवर हरम को पहुँच गया और वहाँ मरने लगा तो उसे ज़बह करके मिस्कीनों पर सदक़ा करे और ख़ुद न खाये अगर्चे नफ़्ल हो और अगर उसमें थोड़ा सा नुक़सान पैदा हुआ है कि अभी क़ुर्बानी के क़ाबिल है तो क़ुर्बानी करे और ख़ुद भी खा सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर चोरी गया उसके बदले का दूसरा ख़रीदा और उसे हार डाल कर ले चला फिर वह चोरी गया हुआ जानवर मिल गया तो बेहतर यह है कि दोनों की क़ुर्बानी कर दे और अगर पहले की क़ुर्बानी की और दूसरे को बेच डाला तो यह भी हो सकता है और अगर पिछले को ज़िबह किया और पहले को बेच डाला तो अगर वह उसकी क़ीमत में बराबर था या ज़्यादा तो काफ़ी है और कम है तो जितनी कम हुई सदक़ा कर दे। (आलमगीरी)

हज की मन्नत का बयान

हज की मन्नत मानी तो हज करना वाजिब हो गया कफ़्फ़ारा देने से बरीउज़्ज़िमा न होगा चाहे यूँ कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर हज है या किसी काम के होने पर हज को मशरूत किया (शर्त लगाया)और वह काम हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एहराम बाँधने या कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा या मक्का मुकर्रमा जाने की मन्नत मानी तो हज या उ़मरा उस पर वाजिब है और एक को मुअ़य्यन कर लेना उसके ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– पैदल हज करने की मन्नत मानी तो वाजिब है कि घर से तवाफ़े फ़र्ज़ तक पैदल ही रहे और पूरा सफ़र या अकसर सवारी पर किया तो दम दे और अगर अकसर पैदल रहा और कुछ सवारी पर तो उसी हिसाब से बकरी की क़ीमत का जितना हिस्सा उसके मुक़ाबिल आये ख़ैरात करे। पैदल उ़मरा की मन्नत मानी तो सर मुंडाने तक पैदल रहे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक साल में जितने हज की मन्नत मानी सब वाजिब हो गये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लौंडी,ग़ुलाम मुह़रिम को ख़रीदना जाइज़ है और मुशतरी (ख़रीदने वाले) को इख़्तियार है कि एहराम तुड़वा दे अगर्चे उन्होंने अपने पहले मौला की इजाज़त से एहराम बाँधे हों और एहराम तोड़ने के लिए फ़क़त यह कह देना काफ़ी नहीं कि एहराम तोड़ दिया बल्कि कोई ऐसा काम करना ज़रूरी है जो एहराम में मना था मसलन बाल या नाखुन तरशवाना या ख़ुशबू लगाना इसकी ज़रूरत नहीं कि हज के अफ़आ़ल बजा लाकर एहराम तोड़े और क़ुर्बानी भेजना भी ज़रूरी नहीं मगर आज़ादी के बाद क़ुर्बानी और हज व उ़मरा वाजिब है अगर हज का एहराम था तो हज वाजिब है और अगर उ़मरा का एहराम् था तो उ़मरा वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– अफ़ज़ल यह है कि उस ख़रीदी हुई लौंडी का एहराम जिमा के अ़लावा किसी और चीज़ और से खुलवा दे और जिमा से भी एहराम खुल जायेगा मगर जबकि उसे यह मालूम न हो कि एहराम से है और जिमाअ् कर लिया तो हज फ़ासिद हो जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मौला ने एहराम खुलवा दिया फिर उसने बाँधा फिर खुलवा दिया अगर चन्द बार इसी तरह हुआ फिर उसी साल एहराम बाँध कर हज कर लिया तो काफ़ी हो गया और अगर आने वाले साल हज किया तो हर बार एहराम खोलने का एक–एक उ़मरा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एहराम की हालत में निकाह हो सकता है किसी एहराम वाली औ़रत से निकाह किया तो अगर नफ़्ल का एहराम है खुलवा सकता है और फ़र्ज़ का है तो दो सूरतें हैं अगर औ़रत का महरम साथ में है तो नहीं खुलवा सकता और महरम साथ में न हो तो फ़र्ज़ का एहराम भी खुलवा सकता है और अगर उसका मुह़रिमा होना मालूम न हो और जिमा कर लिया तो हज फ़ासिद हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िरख़ाना बनाना नफ़्ल हज से अफ़ज़ल है और नफ़्ल हज नफ़्ल सदक़ा से अफ़ज़ल है। अ़ल्लामा शामी ने निहायत नफ़ीस हिकायत इस बयान में नक़ल फ़रमाई कि एक साहब हज़ार अशरफ़ियाँ लेकर नफ़्ल हज को जा रहे थे एक सय्यिदानी तशरीफ़ लाईं और अपनी ज़रूरत ज़ाहिर फ़रमाई उन्होंने सब अशरफ़ियाँ नज़र कर दीं और वापस आये जब वहाँ के लोग हज से

वापस हुए तो हर हाजी उनसे कहने लगा अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाये उन्हें तअज्जुब हुआ कि क्या मामला है मैं तो हज को गया नहीं यह लोग ऐसा क्यूँ कहते हैं ख़्वाब में ज़्यारते अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हुए.सरकार ने इरशाद फ़रमाया क्या तुझे लोगों की बात से तअज्जुब हुआ। अर्ज़ की हाँ या रसूलल्लाह! फ़रमाया कि तूने जो मेरी अहलेबैत की ख़िदमत की उसके इवज़ में अल्लाह तआला ने तेरी सूरत का एक फ़रिश्ता पैदा फ़रमाया कि जिसने तेरी तरफ़ से हज किया और क़ियामत तक हज करता रहेगा।

मसअ्ला :– हज तमाम गुनाहों का कफ़्फ़ारा है यानी फ़राइज़ की ताख़ीर का जो गुनाह उसके ज़िम्मे है वह इन्शा अल्लाह तआला महव यानी ख़त्म हो जायेगा वापस आकर अदा करने में फिर देर की तो फिर यह नया गुनाह हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वुक़ूफ़े अरफ़ा जुमा के दिन हो तो इसमें बहुत सवाब है कि यह दो ईदों का इजतिमा है और इसी को लोग हज्जे अकबर कहते हैं।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ حَرَمِكَ وَ حَرَمِ حَبِيْبِكَ بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ
وَ ابْنِهٖ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

फ़ज़ाइले मदीना तय्यिबा

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम व तिर्मिज़ी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मदीना की तकलीफ़ व शिद्दत पर मेरी उम्मत में से जो कोई सब्र करे क़ियामत के दिन मैं उसका शफ़ीअ् (सिफ़ारिश करने वाला) होंगा।

हदीस न.2,3 :– नीज़ मुस्लिम में सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मदीना लोगों के लिए बेहतर है अगर जानते। मदीना को जो शख़्स बतौरे एअ्राज़(नापसन्दीदगी के तौर पर) छोड़ेगा अल्लाह तआला उसके बदले में उसे लायेगा जो उस से बेहतर होगा और मदीना की तकलीफ़ व मशक़्क़त पर जो साबित क़दम रहेगा रोज़े क़ियामत मैं उसका शफ़ीअ् या शहीद (गवाह)होंगा। और एक रिवायत में है जो शख़्स अहले मदीना के साथ बुराई का इरादा करेगा अल्लाह उसे आग में इस तरह पिघलायेगा जैसे सीसा, या इस तरह जैसे नमक पानी में घुल जाता है। इसी की मिस्ल बज़्ज़ार ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.4 :– सहीहैन में सुफ़यान इब्ने ज़ुहैर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि यमन फ़तह होगा उस वक़्त कुछ लोग दौड़ते हुए आयेंगे और अपने घर वालों को और उनको जो उनकी इताअत में हैं ले जायेंगे हालाँकि मदीना उनके लिए बेहतर है अगर जानते,और शाम फ़तह होगा कुछ लोग दौड़ते आयेंगे और अपने घर वालों और फ़रमाँबरदारों को ले जायेंगे हालाँकि मदीना उनके लिए बेहतर है अगर जानते।

हदीस न.5 :– तबरानी कबीर में अबी उसैद साइदी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमराह हज़रते हमज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु की क़ब्र पर हाज़िर थे(उनके कफ़न के लिए सिर्फ़ एक कमली थी जब लोग उसे खींच कर उनका

मुँह छुपाते कदम खुल जाते और कदम पर डालते तो चेहरा खुल जाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लम ने फ़रमाया इस कमली से मुँह छुपा दो और पाँव पर यह घास डाल दो)फिर हुजूर ने सरे अक़दस उठाया सहाबा को रोता पाया इरशाद फ़रमाया लोगों पर एक ज़माना आयेगा कि सरसब्ज़ मुल्क की तरफ़ चले जायेंगे वहाँ खाना और लिबास और सवारी उन्हें मिलेगी फिर वहाँ से अपने घर वालों को लिख भेजेंगे कि हमारे पास चले आओ कि तुम हिजाज़ की खुश्क ज़मीन में पड़े हो हालाँकि मदीना उनके लिए बेहतर है अगर जानते।

हदीस न.6 से 8 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान व बैहकी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिससे हो सके कि मदीना में मरे तो मदीना ही में मरे कि जो शख़्स मदीना में मरेगा मैं उसकी शफ़ाअत फ़रमाऊँगा। और इसी की मिस्ल समीता और सबीआ असलमिया रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है।

मदीना तय्यिबा की बरकतें

हदीस न.9 :– सहीह मुस्लिम वग़ैरा में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि लोग जब शुरूअ–शुरूअ फल देखते उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर लाते हुजूर उसे लेकर यह कहते इलाही तू हमारे लिए हमारी खजूरों में बरकत दे और हमारे लिए हमारे मदीना में बरकत कर और हमारे साअ व मुद (अरबी पैमाने)में बरकत कर। या अल्लाह ! बेशक इब्राहीम तेरे बन्दे और तेरे ख़लील और तेरे नबी हैं और बेशक मैं तेरा बन्दा और तेरा नबी हूँ उन्होंने मक्का के लिए तुझ से दुआ की और मैं मदीना के लिए तुझ से दुआ करता हूँ उसी की मिस्ल जिसकी दुआ मक्का के लिए उन्होंने की और उतनी ही और (यानी मदीना की बरकतें मक्का से दोगुनी हों) फिर जो छोटा बच्चा सामने होता उसे बुलाकर वह खजूर अता फ़रमा देते।

हदीस न.10 से 13 :– सहीह मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया या अल्लाह! तू मदीना को हमारा महबूब बना दे जैसे हम को मक्का महबूब है बल्कि उस से ज़्यादा और इसकी आब व हवा को हमारे लिए दुरुस्त फ़रमा दे और इसके साअ व मुद में बरकत अता फ़रमा और यहाँ के बुख़ार को मुनतकिल करके जुहफ़ा को भेज दे (यह दुआ उस वक़्त की थी जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाये और यहाँ की आब व हवा सहाबा किराम को नामुवाफ़िक़ हुई कि पहले वबाई बीमारीयाँ ब–कसरत होती)यह मज़मून कि हुजूर ने मदीना तय्यिबा के वास्ते दुआ की कि मक्का से दोगुनी यहाँ बरकतें हों मौला अली व अबूसईद व अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी हैं।

अहले मदीना के साथ बुराई करने के नतीजे

हदीस न.14 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स अहले मदीना के साथ फ़रेब धोका करेगा ऐसा घुल जायेगा जैसे नमक पानी में घुलता है।

हदीस न.15 :– इब्ने हब्बान अपनी सहीह में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अहले मदीना को डरायेगा अल्लाह उसे ख़ौफ़ में डालेगा।

हदीस न.16,17 :– तबरानी उ़बादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह! जो अहले मदीना पर जुल्म करे और उन्हें डराये, उसे खौफ़ में मुबतला कर और उस पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम आदमियों की लानत और उसका न फर्ज़ कबूल किया जाये न नफ़्ल। इसी की मिस्ल नसई और तबरानी ने साइब इब्ने खल्लाद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.18 :– तबरानी कबीर में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अहले मदीना को ईज़ा (तकलीफ)देगा अल्लाह तआला उसे ईज़ा देगा, और उस पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम आदमियों की लानत, और उसका न फर्ज़ कबूल किया जाये न नफ़्ल।

हदीस न.19 :– सहीहैन में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे एक ऐसी बस्ती की तरफ़ **'हिजरत'** करने का हुक्म हुआ जो तमाम बस्तियों को खा जायेगी (सब पर ग़ालिब आ जायेगी) लोग उसे **'यसरिब'** कहते हैं और वह मदीना है लोगों को इस तरह पाक साफ करेगी जैसे भट्टी लोहे के मैल को।

नोट :– हिजरत से पेशतर लोग 'यसरिब' कहते थे मगर इस नाम से पुकारना जाइज़ नहीं कि हदीस में इसकी मनाही आई है बाज़ शाइर अपने अशआर में मदीना तय्यिबा को यसरिब लिखा करते हैं उन्हें इससे बचना लाज़िम है और ऐसे शेर को पढ़ें तो इस लफ़्ज़ की जगह तैबा या तय्यिबा पढ़ें कि यह नाम हुज़ूर ने रखा है बल्कि सहीह मुस्लिम शरीफ में है कि अल्लाह तआला ने मदीना का नाम 'ताबा' रखा है।

हदीस न. 20 :– सहीहैन में उन्हीं से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मक्का व मदीना के सिवा कोई शहर ऐसा नहीं कि वहाँ दज्जाल न आये मदीने का कोई रास्ता ऐसा नहीं जिस पर मलाइका परा (सफ)बाँध कर पहरा न देते हों दज्जाल (मदीना के करीब) शोर (खारी) ज़मीन में आकर उतरेगा उस वक़्त मदीना में तीन ज़लज़ले होंगे जिनसे हर काफिर व मुनाफिक यहाँ से निकल कर दज्जाल के पास चला जायेगा।

सरकारे आज़म हुज़ूर हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहरे मुबारक मदीना तय्यिबा की हाज़िरी

अल्लाह तआला फरमाता है : –

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

तर्जमा :– "अगर लोग अपनी जानों पर ज़ुल्म करें और तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर होकर अल्लाह से मग़फिरत तलब करें और रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फार करें तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला पायेंगे।

हदीस न.1:– दारकुतनी व बैहकी वग़ैराहुमा अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी कब्र की ज़्यारत करे उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब है।

हदीस न.2 :– तबरानी कबीर में उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मेरी ज़्यारत को आये और वह सिवा मेरी ज़्यारत के और किसी काम से न आया तो मुझ पर हक़ है कि कियामत के दिन उसका शफ़ीअ् बनूँ।

हदीस न.3 :– दारकुतनी व तबरानी उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने हज किया और मेरी वफ़ात के बाद मेरी कब्र की ज़्यारत की तो ऐसा है जैसे मेरी हयात (ज़िन्दगी)में ज़्यारत से मुशर्रफ़ हुआ।

हदीस न.4 :– बैहक़ी ने हातिब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़्यारत की तो गोया उसने मेरी ज़िन्दगी में ज़्यारत की और जो हरमैन में मरेगा कियामत के दिन अमन वालों में उठेगा।

हदीस न.5 :– बैहक़ी हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने फ़रमाते सुना जो शख़्स मेरी ज़्यारत करेगा। कियामत के दिन मैं उसका शफ़ीअ् या शहीद (गवाह) होंगा और जो हरमैन में मरेगा अल्लाह तआला उसे कियामत के दिन अमन वालों में उठायेगा।

हदीस न.6 :– इब्ने अदी कामिल में उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने हज किया और मेरी ज़्यारत न की उसने मुझ पर जफ़ा की।

(1)ज़्यारते अक़दस वाजिब के क़रीब है बहुत लोग दोस्त बन कर तरह–तरह से डराते हैं कि राह में ख़तरा है वहाँ बीमारी है यह है वह है। ख़बरदार ! किसी की न सुनो और हरगिज़ महरूमी का दाग़ लेकर न पलटो। जान एक दिन ज़रूर जानी है तो इससे क्या बेहतर कि उनकी राह में जाये और तजरबा यह है कि जो उनका दामन थाम लेता है उसे अपने साये में आराम से ले जाते हैं कील–का खटका नहीं होता।

हम को तो अपने साये में आराम ही से लाये।
हीले बहाने वालों को यह राह डर की है।

(2)हाज़िरी में ख़ालिस ज़्यारते अक़दस की नीयत करो यहाँ तक कि इमाम इब्ने हुमाम फ़रमाते हैं इस बार मस्जिद शरीफ़ की नीयत भी शरीक न करे।

(3)हज अगर फ़र्ज़ है तो हज करके मदीना तय्यिबा हाज़िर हो, हाँ अगर मदीना तय्यिबा रास्ते में हो तो बग़ैर ज़्यारत हज को जाना सख़्त महरूमी व क़सावते क़ल्बी (संगदिली)है और इस हाज़िरी को हज के क़बूल होने और दीनी व दुनियवी भलाई के लिए ज़रीआ व वसीला क़रार दे और नफ़्ल हज हो तो इख़्तियार है कि पहले हज से पाक साफ़ होकर महबूब के दरबार में हाज़िर हो या सरकार में पहले हाज़िरी देकर हज की मक़बूलियत व नूरानियत के लिए वसीला करे ग़रज़ जो चाहे पहले इख़्तियार करे उसे इख़्तियार है मगर नीयते ख़ैर ज़रूरी है कि إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى.

तर्जमा :– " आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर एक के लिए वह है तो जो उसने नियत की"। (4) रास्ते भर दुरूद व ज़िक्र शरीफ़ में डूब जाओ और जिस क़द्र मदीना तय्यिबा क़रीब आता जाये शौक़ व ज़ौक़ ज़्यादा होता जाये।

(5) जब हरमे मदीना आये बेहतर यह है कि पैदल हो लो रोते सर झुकाये आँखें नीची दुरूद शुरूफ़

की और कसरत करो और हो सके तो नंगे पाँव चलो बल्कि—

जाए सरस्त ईं कि तू पा मीनिही
पाए न बीनी कि कुजा मीनिही
यानी
हरम की ज़मीं और क़दम रख के चलना,
अरे सर का मौक़ा है ओ जाने वाले!

जब क़ुब्बाए अनवर पर निगाह पड़े दुरूद व सलाम की ख़ूब कसरत करो।

(6) जब शहरे अक़दस तक पहुँचो जलाल व जमाले महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तसव्वुर में ग़र्क़ हो जाओ और दरवाज़ए शहर में दाख़िल होते वक़्त पहले दहना क़दम रखो और यह पढ़ो

بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ . رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ . اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِیْ مِنْ زِیَارَةِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِیَآئَكَ وَ اَهْلَ طَاعَتِكَ وَ اَنْقِذْنِیْ مِنَ النَّارِ وَ اغْفِرْلِیْ وَ ارْحَمْنِیْ یَا خَیْرَ مَسْئُوْلٍ .

तर्जमा :— "अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ,जो अल्लाह ने चाहा, नेकी की ताक़त नहीं मगर अल्लाह से ऐ रब सच्चाई के साथ मुझ को दाख़िल कर और सच्चाई के साथ बाहर ले जा। इलाही तू अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे और अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़्यारत से मुझे वह नसीब कर जो अपने औलिया और फ़रमांबरदार बन्दों के लिए तूने नसीब किया और मुझे जहन्नम से नजात दे और मुझको बख़्श दे और मुझ पर रहम फ़रमा। ऐ बेहतर सवाल किये गये!"

(7)मस्जिदे नबवी शरीफ़ की हाज़िरी से पहले तमाम ज़रूरियात से जिनका लगाव दिल बटने का बाइस (सबब)हो निहायत जल्द फ़ारिग़ हो उनके सिवा किसी बेकार बात में मशग़ूल न हो फ़ौरन वुज़ू व मिस्वाक करो और ग़ुस्ल बेहतर है,सफ़ेद पाकीज़ा कपड़े पहनो और नये बेहतर हैं ,सुर्मा और ख़ुश्बू लगाओ और मुश्क अफ़ज़ल है।

(8)अब फ़ौरन आस्तानए अक़दस की तरफ़ निहायत ख़ुशूअ् व ख़ुज़ूअ् से मुतवज्जेह हो! रोना न आये तो रोने का मुँह बनाओ ,और दिल को ज़ोर से रोने पर लाओ और अपनी संग दिली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ़ इल्तिजा करो।

(9)जब मस्जिदे नबवी शरीफ़ के दरवाज़े पर हाज़िर हो सलात (दुरूद) व सलाम अर्ज़ करके थोड़ा ठहरो जैसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हाज़िरी की इजाज़त माँगते हो। फिर बिस्मिल्लाह कह कर सीधा पाँव पहले रख कर ख़ूब अदब के साथ दाख़िल हो।

(10)उस वक़्त जो अदब व ताज़ीम फ़र्ज़ है हर मुसलमान का दिल जानता है। आँख, कान, ज़बान, हाथ, पाँव, दिल, सब ग़ैर के ख़्याल से पाक करो मस्जिदे अक़दस के नक़्श व निगार न देखो।

(11)अगर कोई ऐसा सामने आये जिससे सलाम—कलाम ज़रूरी हो तो जहाँ तक बने कतरा जाओ वरना ज़रूरत से ज़्यादा न बढ़ो फिर भी दिल सरकार ही की तरफ़ हो।

(12) हरगिज़—हरगिज़ मस्जिदे अक़दस में कोई हर्फ़ (बात) चिल्ला कर न निकले।

(13)यक़ीन जानो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम सच्ची हक़ीक़ी दुनियावी जिस्मानी हयाते तय्यिबा से वैसे ही ज़िन्दा हैं जैसे वफ़ात शरीफ़ से पहले थे उनकी और तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मौत सिर्फ़ वादए ख़ुदा की तस्दीक़ को एक आन के लिए थी उनका इन्तिक़ाल सिर्फ़ अ़वाम की नज़र से छुप जाना है। इमाम मुहम्मद इब्ने हाज मक्की 'मुदख़ल'और इमाम अहमद कस्तलानी 'मवाहिबे लदुन्निया' में और दूसरे अइम्मए दीन रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहिम अजमाईन फ़रमाते हैं :–

لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهٖ وَ حَيَاتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ مُشَاهَدَتِهٖ لِاُمَّتِهٖ وَ مَعْرِفَتِهٖ بِاَحْوَالِهِمْ وَ نِيَّاتِهِمْ وَ عَزَآئِمِهِمْ وَ خَوَاطِرِهِمْ وَ ذٰلِكَ عِنْدَهٗ جَلِىٌّ لَا خِفَاءَ بِهٖ.

तर्जमा :– "हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की हयाते तय्यिबा और वफ़ाते मुबारका में इस बात में कुछ फ़र्क़ नहीं कि वह अपनी उम्मत को देख रहे हैं और उनकी हालतों, उनकी नियतों उनके इरादों, उनके दिलों के ख़्यालों को पहचानते हैं और यह सब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम पर ऐसा रौशन है जिस में असलन (बिल्कुल) पोशीदगी नहीं"।

इमाम मुहक़्क़िक़ इब्ने हुमाम के शागिर्द इमाम रहमतुल्लाह 'मुनसक मुतवस्सित' और अ़ली क़ारी मक्की उसकी शरह 'मसलक मुतक़स्सित' में फ़रमाते हैं :

وَ اِنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَالِمٌ بِحُضُوْرِكَ وَقِيَامِكَ وَ سَلَامِكَ اَىْ بَلْ بِجَمِيْعِ اَفْعَالِكَ وَ اَحْوَالِكَ وَ ارْتِحَالِكَ وَ مَقَامِكَ.

तर्जमा :– "बेशक रसूलुल्लाो सल्ललाहु तआला अ़लैहि वसल्लम तेरी हाज़िरी और तेरे खड़े होने और तेरे सलाम बल्कि तेरे तमाम अफ़आ़ल व अहवाल व कूच करने व मक़ाम से आगाह हैं।"

(14) अब अगर जमाअ़त क़ाइम हो शरीक हो जाओ कि इसमें तहिय्यतुल मस्जिद भी अदा हो जायेगी वरना अगर ग़लबए शौक़ मोहलत दे और वक़्ते कराहत न हो तो दो रकअ़त तहिय्यतुल मस्जिद और हाज़िरीए दरबारे अक़दस के शुक्राने में सिर्फ़ सूरए काफ़िरून व सूरए इख़्लास से बहुत हल्की मगर सुन्नत की रिआ़यत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के नमाज़ पढ़ने की जगह पढ़ों जहाँ अब मस्जिदे करीम के दरमियान में मेहराब बनी है और वहाँ न मिले तो जहाँ तक हो सके उसके नज़दीक अदा करो फिर सज्दए शुक्र में गिरो और दुआ करो कि इलाही अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम का अदब और उनका और अपना क़बूल नसीब कर। आमीन!

(15)अब इन्तिहाई अदब में डूबे हुए गर्दन झुकाये,आँखें नीची किये, लरज़ते, काँपते गुनाहों की नदामत(शर्मिन्दगी) से पसीना–पसीना होते हुज़ूर पूरनूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के अ़फ़्व व करम की उम्मीद रखते, हुज़ूर की पाएंती शरीफ़ यानी पूरब की तरफ़ से मुवाजहए आलिया में हाज़िर हो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम मज़ारे अक़दस में क़िब्ला की तरफ़ चेहरए अनवर किये हुए जलवा फ़रमा हैं,उस सम्त से हाज़िर होगे तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की निगाहे बेकस पनाह तुम्हारी तरफ़ होगी और यह बात तुम्हारे लिए दोनों जहाँ में काफ़ी है, वलहम्दुलिल्लाह।

(16)अब कमाले अदब व हैबत व ख़ौफ़ व उम्मीद के साथ क़िन्दीले अक़दस के नीचे उस चाँदी की

क़ील के सामने जो हुजरए मुतह्हरह की दक्खिनी दीवार में चेहरए अनवर के मुक़ाबिल (सामने)लगी है कम से कम चार हाथ के फ़ासिले से क़िब्ला को पीठ और मज़ारे अनवर को मुँह करके नमाज़ की तरह हाथ बाँधे खड़े हो लुबाब व शरहे लुबाब व इख़्तियार शरह मुख़्तार व फ़तावा आलमगीरी वग़ैरा मोअ्तबर किताबों में इस अदब के बारे में साफ़–साफ़ लिखा है कि।

يَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلٰوةِ

तर्जमा :– "हुज़ूर के सामने ऐसा खड़ा हो जैसा नमाज़ में खड़ा होता है" यह इबारत आलमगीरी व इख़्तियार की है और लुबाब में फ़रमाया

وَاضِعًا يَمِيْنَهٗ عَلٰى شِمَالِهٖ

तर्जमा :– "दस्तबस्ता दहना हाथ बायें पर रख कर खड़ा हो"।

(17)ख़बरदार! जाली शरीफ़ को बोसा देने या हाथ लगाने से बचो कि अदब के ख़िलाफ़ है बल्कि चार हाथ फ़ासिले से ज़्यादा क़रीब न जाओ। यह उनकी रहमत क्या कम है कि तुम को अपने हुज़ूर बुलाया अपने मुवाजहए अक़दस यानी मज़ार शरीफ़ के बिल्कुल सामने जगह बख़्शी। उनकी रहमत और निगाहे करीम अगर्चे हर जगह तुम्हारी तरफ़ थी अब ख़ुसूसियत और इस दर्जा क़ुर्ब (नज़दीकी) के साथ है? वलिल्लाहिल हम्द!

(18) अल्हम्दुलिल्लाह! अब दिल की तरह तुम्हारा मुँह भी उस पाक जाली की तरफ़ हो गया जो अल्लाह तआला के महबूबे अज़ीमुश्शान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आरामगाह है, निहायत अदब व वक़ार के साथ, ग़मगीन व दर्द भरी हुई आवाज़ व निहायत शर्मिन्दा दिल और फटे हुए जिगर के साथ दरमियानी आवाज़ से, न इतनी बलन्द व सख़्त हो क्यूँकि उनके हुज़ूर आवाज़ बलन्द करने से अमल अकारत (बर्बाद) हो जाते हैं, न बिल्कुल नर्म व पस्त (हल्की)कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अगर्चे वह तुम्हारे दिलों के ख़तरों तक से आगाह हैं जैसा कि अभी तसरीहाते अइम्मा से गुज़रा मजरा व तस्लीम बजा लाओ यानी अदब के साथ दुरूद व सलाम अर्ज़ करो और यह भी अर्ज़ करो

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰلِكَ وَ اَصْحَابِكَ وَ اُمَّتِكَ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– "ऐ नबी! आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकतें। ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम। ऐ अल्लाह की तमाम मख़्लूक़ से बेहतर आप पर सलाम। ऐ गुनहगारों की शफ़ाअत करने वाले! आप पर सलाम। आप पर और आपकी आल व असहाब पर और आपकी तमाम उम्मत पर सलाम।"

(19) जहाँ तक मुमकिन हो, और ज़बान यारी दे यानी मदद करे और मलाल व कस्ल (सुस्ती) न हो दुरूद व सलाम ख़ूब पढ़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपने और अपने माँ, बाप, पीर, उस्ताद, औलाद व अज़ीज़ों, दोस्तों और सब मुसलमानों के लिए शफ़ाअत माँगो और बार–बार अर्ज़ करो :–

اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

तर्जमा :– "या रसूलल्लाह! मैं हुज़ूर से शफ़ाअत माँगता हूँ।" (20) फिर अगर किसी ने सलाम अर्ज़ करने की वसीयत की तो बजा लाओ यानी उसकी तरफ़ से सलाम अर्ज़ करने कि शरअन इसका

हुक्म है और यह फ़कीर ज़लील उन मुसलमानों को जो इस रिसाला को देखें वसीयत करता है कि जब उन्हें हाज़िरीए बारगाहे अक्दस नसीब हो तो फ़कीर की ज़िन्दगी में या बाद में कम से कम तीन बार मुवाजहए अक्दस में ज़रूर यह अलफ़ाज़ अर्ज़ करके इस नालाइक नंगे ख़लाइक पर एहसान फ़रमायें अल्लाह तआला उन को दोनों जहान में जज़ाए ख़ैर बख़्शे, आमीन!

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِكَ وَذَوِیْكَ فِیْ كُلِّ اٰنٍ وَّلَحْظَةٍ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّۃٍ ذَرَّۃٍ اَلْفَ مَرَّۃٍ مِنْ عُبَیْدِكَ اَمْجَدْ عَلِیْ یَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ فَاشْفَعْ لَهٗ وَلِلْمُسْلِمِیْنَ۔

तर्जमा :– "या रसूलल्लाह! हुज़ूर और हुज़ूर की आल और इलाका वालों पर हर आन लहज़ा में हर–हर ज़र्रा की गिनती पर दस–दस लाख दुरूद से शफ़ाअत माँगता है हुज़ूर उसकी और तमाम मुसलमानों की शफ़ाअत फ़रमायें"।

(21)फिर अपने दाहिने हाथ यानी पूरब की तरफ़ हाथ भर हट कर हज़रते सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरए नूरानी के सामने खड़े हो कर अर्ज़ करो:

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا خَلِیْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَزِیْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِی الْغَارِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

तर्जमा :– "ऐ ख़लीफ़ए रसूलुल्लाह आप पर सलाम ,ऐ रसूलुल्लाह के वज़ीर आप पर सलाम ऐ ग़ार में रसूलुल्लाह के रफ़ीक आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकतें"।

(22) फिर उतना ही और हट कर हज़रते फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के रूबरू(सामने) खड़े होकर अर्ज़ करो :

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مُتَمِّمَ الْاَرْبَعِیْنَ
اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا عِزَّ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

तर्जमा :– " ऐ अमीरूल मोमिनीन आप पर सलाम ऐ चालीस का अदद पूरा करने वाले आप पर सलाम ऐ इस्लाम व मुस्लिमीन की इज़्ज़त आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकतें"।

(23)फिर बालिश्त भर पच्छिम की तरफ़ पलटो और सिद्दीक व फ़ारूक रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान खड़े होकर अर्ज़ करो

اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمَا یَا خَلِیْفَتَیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمَا یَا وَزِیْرَیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمَا یَا ضَجِیْعَیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَسْئَلُكُمَا الشَّفَاعَةَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلَیْكُمَا وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔

तर्जमा :– " ऐ रसूलुल्लाह के पहलू में आराम करने वाले आप दोनों पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकतें,आप दोनों हज़रात से सवाल करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हमारी सिफ़ारिश कीजिये, अल्लाह तआला उन पर और आप दोनों पर दुरूद व बरकत व सलाम नाज़िल फ़रमाये।

(24)यह सब हाज़रियाँ दुआएं कबूल होने की जगह हैं, दुआ में कोशिश करो। दुआए जामे करो और दूरूद पर कनाअत बेहतर है और चाहो तो यह दुआ पढ़ो :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُشْهِدُكَ وَ اُشْهِدُ رَسُوْلَكَ وَ اَبَابَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ اُشْهِدُ الْمَلٰٓئِكَةَ النَّازِلِیْنَ عَلٰی هٰذِهِ الرَّوْضَةِ الْكَرِیْمَةِ الْعَاكِفِیْنَ عَلَیْهَا اَنِّیْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ مُقِرٌّ بِجِنَایَتِیْ وَ مَعْصِیَتِیْ فَاغْفِرْلِیْ وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالَّذِیْ مَنَنْتَ عَلٰٓی اَوْلِیَآئِكَ فَاِنَّكَ الْمَنَّانُ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۔ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह मैं तुझको और तेरे रसूल और अबूबक व उ़मर को और तेरे फ़रिश्तों को जो इस रोज़े पर नाज़िल व मोतकिफ़ हैं उन सब को गवाह करता हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तू तन्हा है तेरा कोई शरीक नहीं और मुह़म्मद सल्ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तेरे बन्दे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह मैं अपने गुनाह व मा़सियत का इक़रार करता हूँ तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा और मुझ पर वह एहसान फ़रमा जो तूने अपने औलिया पर किया बेशक तू एहसान करने वाला बख़्शने वाला मेहरबान है। ऐ रब हमारे हमको दुनिया में भलाई अ़ता फ़रमा और आख़िरत में भलाई अ़ता फ़रमा और हमको तू जहन्नम से बचा"।

(25)फिर मिम्बरे अत़हर के क़रीब दुआ़ माँगो। (26) फिर जन्नत की क्यारी में (यानी जो जगह मिम्बर व हुज़रए मुनव्वरा के दरमियान है उसे ह़दीस में जन्नत की क्यारी फ़रमाया)आकर मकरूह वक़्त न हो तो दो रकअ़त नफ़्ल पढ़ कर दुआ़ करो। (27)यूँही मस्जिद शरीफ़ के हर सुतून के पास नमाज़ पढ़ो दुआ़ माँगो कि मह़ल्ले बरकात (बरकतें नाज़िल होने की जगह)हैं ख़ुसूसन बाज़ सुतूनों में ख़ास़ ख़ुसूसियतें हैं।

(28)जब तक मदीना त़य्यिबा की ह़ाज़िरी नसीब हो एक साँस बेकार न जाने दो ज़रूरियात के सिवा अकसर वक़्त मस्जिद शरीफ़ में बा–त़हारत और बा–वुज़ू हाज़िर रहो नमाज़ व तिलावत व दुरूद में वक़्त गुज़ारो दुनिया की बात किसी मस्जिद में न चाहिए न कि यहाँ।

हमेशा हर मस्जिद में जाते वक़्त एअ़्तिकाफ़ की नीयत कर लो (एअ़्तिकाफ़ के मअ़्ना हैं मस्जिद में बिलक़स्द नीयत करके ठहरना इसलिए कि ज़िके इलाही करूँगा) यहाँ तुम्हारी याददिहानी ही को दरवाज़े से बढ़ते ही यह लिखा हुआ मिलेगा।

نَوَیْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ.

तर्जमा :– " नियत की मैंने सुन्नते एअ़्तिकाफ़ की।"

(30)मदीना त़य्यिबा में रोज़ा नसीब हो ख़ुसूसन गर्मी में तो क्या कहना कि इस पर वादए शफ़ाअ़त है। (31) यहाँ हर नेकी एक की पचास ह़ज़ार लिखी जाती है लिहाज़ा इबादत में ज़्यादा कोशिश करो। खाने–पीने की कमी ज़रूर करो और जहाँ तक हो सके स़दक़ा करो ख़ुसूसन यहाँ मदीना त़य्यिबा वालों के ज़रूरत मन्दों पर और उ़लमा पर ख़ुसूसन इस ज़माने में कि अक्सर ज़रूरतमन्द हैं। (32)क़ुर्आन मजीद का कम से कम एक ख़त्म यहाँ और ह़तीमे कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा में कर लो। (33) रौज़ए अनवर पर नज़र (देखना)भी इबादत है जैसे कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा या क़ुर्आन मजीद का देखना तो अदब के साथ उसकी कसरत करो और दुरूद व सलाम अ़र्ज़ करो। (34) पंजगाना या कम से कम सुबह व शाम मुवाजहा शरीफ़ में सलाम अ़र्ज़ करने के लिए ह़ाज़िर हो।(35) शहर में या शहर से बाहर जहाँ कहीं गुम्बदे मुबारक पर नज़र पड़े फ़ौरन दस्तबस्ता उधर मुँह करके स़लात व

सलाम अर्ज़ करो बे इसके हरगिज़ न गुज़रो कि अदब के ख़िलाफ़ है। (36)तर्के जमाअत बिला उज़्र हर जगह गुनाह है और कई बार हो तो सख़्त हराम व गुनाहे कबीरा और यहाँ तो गुनाह के अलावा कैसी सख़्त महरूमी है मैं इससे अल्लाह तआला की पनाह माँगता हूँ। सहीह हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,फ़रमाते हैं जिसे मेरी मस्जिद में चालीस नमाज़ें फ़ौत न हों उसके लिए दोज़ख़ व निफ़ाक़ से आज़ादियाँ लिखी जायें।

(37) जहाँ तक हो सके कोशिश करो कि मस्जिदे अव्वल यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़मानए मुबारका में जितनी थी उस में नमाज़ पढ़ो और उसकी मिक़दार सौ हाथ लम्बाई, और सौ हाथ चौड़ाई अगर्चे बाद में जो कुछ इज़ाफ़ा हुआ है उस में नमाज़ पढ़ना भी मस्जिदे नबवी ही में पढ़ना है।

(38)क़ब्रे करीम को हरगिज़ पीठ न करो और जहाँ तक हो सके नमाज़ में भी ऐसी जगह न खड़े हो कि पीठ करनी पड़े।

(39)रौज़ए अनवर का न तवाफ़ करो न सज्दा न इतना झुकना कि रुकू के बराबर हो,रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम उनकी इताअत में है।

अहले बक़ी की ज़्यारत

(40) जन्नतुल बक़ी की ज़्यारत सुन्नत है रौज़ए अक़दस की ज़्यारत करके वहाँ जाये ख़ुसूसन जुमा के दिन। इस क़ब्रिस्तान में दस हज़ार सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम मदफ़ून हैं और ताबेईन व तबअ़ ताबेईन व औलिया व उलमा व सुलहा वग़ैरहुम बेशुमार हैं। यहाँ जब हाज़िर हो पहले तमाम मदफ़ूनीन मुस्लिमीन की ज़्यारत का क़स्द करे और यह पढ़े :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

بِكُمْ لَا حِقُوْنَ .اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَ لَهُمْ.

तर्जमा :– "तुम पर सलाम ऐ कौमे मोमिनीन के घर वालो तुम हमारे पेशवा हो और हम इन्शा अल्लाह तुम से मिलने वाले हैं, ऐ अल्लाह बक़ी वालों की मग़फ़िरत फ़रमा ऐ अल्लाह हम को और उन्हें बख़्श दे"।

और अगर कुछ और पढ़ना चाहे तो यह पढ़े :–

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَ لِاُسْتَاذِيْنَا وَ لِاِخْوَانِنَا وَ لِاَخَوَاتِنَا وَ لِاَوْلَادِنَا وَلِاَحْفَادِنَا وَلِاَصْحَابِنَا وَلِاَحْبَابِنَاوَلِمَنْ لَّهٗ

حَقٌّ عَلَيْنَا وَ لِمَنْ اَوْصَانَا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

तर्जमा :– ऐ अल्लाह हम को और हमारे वालिदैन को और उस्तादों और भाईयों और बहनों और हमारी औलाद और पोतों और साथियों और दोस्तों को और उसको जिसका हम पर हक़ है और जिसने हमें वसीयत की और तमाम मोमिनीन व मोमिनात व मुस्लिमीन व मुस्लिमात को बख़्श दे।

और दुरूद शरीफ़ व सूरए फ़ातिहा व आयतलकुर्सी व सूरए इख़्लास वग़ैरा जो कुछ हो सके पढ़ कर सवाब उसका नज़्र करे उसके बाद बक़ी शरीफ़ में जो मज़ारात मारूफ़ व मशहूर हैं उनकी ज़्यारत करे तमाम अहले बक़ी में अफ़ज़ल अमीरुलमोमिनीन सय्यिदेना उस्मान ग़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं उनके मज़ार पर हाज़िर हो कर सलाम करे :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْهِجْرَتَيْنِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقْدِ وَالْعَيْنِ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ عَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ
رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَ عَنِ الصَّحَابَةِ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अमीरुलमोमिनीन! आप पर सलाम और ऐ खुलफाए राशिदीन में तीसरे ख़लीफ़ा आप पर सलाम ऐ दो हिजरत करने वाले आप पर सलाम ऐ ग़ज़वए तबूक की नक़द व जिन्स से तैयारी करने वाले आप पर सलाम अल्लाह आप को अपने रसूल और तमाम मुसलमानों की तरफ़ से बदला दे आप से और तमाम सहाबा से अल्लाह राज़ी हो"।

कुब्बए हज़रते सय्यिदेना इब्राहीम इब्ने सरदारे दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इसी कुब्बा शरीफ़ा में इन हज़राते किराम के भी मज़ाराते तय्यिबा हैं : हज़रते रुक़य्या (हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी)हज़रते उस्मान इब्ने मतऊन(यह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं)अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ व सअद इब्ने अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा(ये दोनों हज़रात अशरए मुबश्शरह से हैं)अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु (निहायत जलीलुलकद्र सहाबी खुलफ़ाए अरबअ् के बाद सब से अफ़क़ह यानी सब से ज़्यादा इल्म वाले, ख़नीस इब्ने हुज़ाफ़ा सहमी व असद इब्ने ज़ुरारह रदियल्लाहु तआला 'अन्हुम अजमईन इन हज़रात की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करे। कुब्बए हज़रते सय्यिदिना अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु इसी कुब्बा में हज़रते सय्यिदिना इमाम हसन मुजतबा व सरे मुबारक सय्यिदिना इमाम हुसैन व इमाम ज़ैनुलआबेदीन व इमाम मुहम्मद बाक़िर व इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु तआला अन्हुम के मज़ाराते तय्यिबात हैं उन पर सलाम अर्ज़ करे। कुब्बए अज़वाजे मुतहहरात हज़रते उम्मुलमोमिनीन ख़दीजतुलकुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ारे पाक मक्कए मुअज़्ज़मा में है और हज़रते मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा का सरिफ़ में है बक़िया तमाम अज़वाजे मुकर्रमात इसी कुब्बा में हैं। कुब्बए हज़रते अक़ील इब्ने अबी तालिब इसमें सुफ़यान इब्ने हारिस इब्ने अब्दुलमुत्तलिब व अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र तय्यार भी हैं और इसके क़रीब एक कुब्बा है जिस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तीन औलादें हैं। कुब्बए सफ़िया रदियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फूफी कुब्बए इमाम मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु। कुब्बए नाफ़ेअ् मौला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा इन हज़रात की ज़्यारत से फ़ारिग़ होकर मालिक इब्ने सिनान व अबूसईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हुमा व इस्माईल इब्ने जाफ़र सादिक़ व मुहम्मंद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने हसन इब्ने अली रदियल्लाहु आला अन्हुम व सय्यिदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़्यारत से मुशर्रफ़ हो। बक़ी की ज़्यारत किस से शुरूअ् हो इसमें इख़्तिलाफ़ है बाज़ उलमा फ़रमाते हैं कि अमीरुलमोमिनीन उस्मान ग़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु से इब्तिदा करे कि यह सब में अफ़ज़ल हैं और बाज़ उलमा फ़रमाते हैं हज़रते इब्राहीम इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शुरूअ् करे और बाज़ फ़रमाते हैं कि कुब्बाए सय्यिदिना अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से इब्तिदा हो और कुब्बए सफ़िया पर ख़त्म करे कि सब से पहले हज़रते अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु का कुब्बा शरीफ़ मिलता है तो बग़ैर सलाम अर्ज़ किये वहाँ से आगे न बढ़े और यही आसान भी है।

कुबा शरीफ़ की ज़्यारत

(41)कुबा शरीफ़ की ज़्यारत करे और मस्जिदे कुबा शरीफ़ में दो रकअ़त नमाज़ पढ़े। तिर्मिज़ी में मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मस्जिदे कुबा में नमाज़ उमरा की तरह है और अहादीसे सहीहा से साबित कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हर हफ़्ते को कुबा तशरीफ़ ले जाते कभी सवार कभी पैदल इस मक़ाम की बुज़ुर्गी में और अहादीस हैं।

उहुद व शुहदाए उहुद की ज़्यारत

(42) शुहदाए उहुद शरीफ़ की ज़्यारत करे हदीस में है कि हुज़ूर अक़दस सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हर साल के शुरूअ़ में शुहदाए उहुद की क़ब्रों पर आते और यह फ़रमाते :–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

और उ़हुद पहाड़ की भी ज़्यारत करे कि सहीह हदीस में फ़रमाया कोहे उ़हुद हमें महबूब रखता है और हम उसे महबूब रखते हैं और एक रिवायत में है कि जब तुम उ़हुद पहाड़ पर जाओ तो उसके दरख़्त से कुछ खाओ अगर्चे बबूल हो। बेहतर यह है कि पंजशम्बा(जुमेरात)के दिन सुबह के वक़्त जाये और सब से पहले हज़रते सय्यिदुश्शुहदा हमज़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के मज़ार पर हाज़िर होकर सलाम अ़र्ज़ करे और अ़ब्दुल्लाह इब्ने जहश व मुसअ़ब इब्ने उ़मैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा पर सलाम अ़र्ज़ करे कि एक रिवायत में है यह दोनों हज़रात यहीं मदफ़ून हैं सय्यिदुश्शुहदा की पाएंती जानिब और सहने मस्जिद में जो क़ब्र है ये दोनों शुहदाए उ़हुद में नहीं हैं।

(43) मदीना तय्यिबा के वह कुँए जो हुज़ूर की तरफ़ मन्सूब हैं यानी किसी से वुज़ू फ़रमाया और किसी का पानी और किसी में लुआ़बे दहन डाला अगर कोई जानने बताने वाला मिले तो उनकी भी ज़्यारत करे और उन से वुज़ू करे और पानी पिये।

(44) अगर चाहो तो मस्जिदे नबवी शरीफ़ में हाज़िर रहो सय्यिदी इब्ने अबी जमरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु जब हाज़िरे हुज़ूर हुए आठों पहर बराबर हुज़ूरी में खड़े रहते एक दिन बक़ी वग़ैरा की ज़्यारत का ख़्याल आया फिर फ़रमाया यह है अल्लाह का दरवाज़ा भीक माँगने वालो के लिए खुला हुआ इसे छोड़ कर कहाँ जाऊँ।

सर ईं जा सज्दा ईं जा बन्दगी ईं जा क़रार ईं जा

तर्जमा :– " सर इस जगह है सज्दा इस जगह है बन्दगी इस जगह है और सुकून इस जगह है"।

(45)रुख़सत के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के रौज़ए अक़दस के सामने हाज़िर हो और तमाम आदाब जो कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा से रुख़सत में गुज़रे ख़्याल रखो और सच्चे दिल से दुआ़ करो कि इलाही ईमान व सुन्नत पर मदीना तय्यिबा में मरना और बक़ी पाक में दफ़न होना नसीब कर आमीन!

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ ابْنِهٖ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اٰمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷